जिला आपदा प्रबंधन योजना, धौलपुर 2025

श्री श्रीनिधि बी टी , आई.ए.एस

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अध्यक्ष

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धौलपुर

श्री हरिराम मीना , आर.ए.एस.

अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर एवं

प्रभारी अधिकारी (सहायता)

सचिव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धौलपुर

सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
जिला आपदा प्रबन्धन योजना– 2025

प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व एवं आपदा के समय सही कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना–2025 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के दिशा–निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

यह योजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने का मकसद जिला स्तर पर आपदा से होने वाले जान–माल की क्षति को न होने देना या कम करना साथ ही मानव जनित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबन्धन में समीचीन योजना, संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सत्त् और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उदेश्य, स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण, ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावो का आंकलन, फंसे हुए लोगो को निकालना, बचाव और राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना है।

योजना को समझने के लिए सभी की भागीदारी, सहयोग, जानकारी और तैयारी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन योजना–2025, की सफलता तभी संभव है, जब हम सभी इसका अध्ययन करें और इसे आपदा के पूर्व की तैयारी एवं आपदा के समय बचाव कार्य में उपयोग में लायें।

योजना को सफल बनाने में सबका सहयोग, बहुमूल्य सुझाव स्वागत योग्य है।

श्री श्रीनिधि बी टी ,आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 01	आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण परिचय	06
अध्याय 02	विकास और आपदा	13
अध्याय 03	धौलपुर जिले का इतिहास	15
अध्याय 04	धौलपुर जिला एक दृष्टि में वर्ष 2025	18
अध्याय 05	आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारियों की रणनीति	20
अध्याय 06	आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)	25
अध्याय 07	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	27
अध्याय 08	पुर्ननिर्माण, पुर्नवास एवं रिकवरी उपाय	29
अध्याय 09	आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी	32
अध्याय 10	धौलपुर जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	33
अध्याय 11	विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय	36
अध्याय 12	राजस्थान राहत कोष	37
अध्याय 13	प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना	41
अध्याय 14	कार्य योजना के उद्देश्य	45
अध्याय 15	धौलपुर जिले के खतरे की रूपरेखा	46
अध्याय 16	आपदा प्रबन्धन में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी	87
अध्याय 17	बाढ़/अतिवृष्टि	92
अध्याय 18	बाढ़ के दौरान अन्य प्रकार की आपदा	103
अध्याय 19	विभिन्न विभागों की विस्तृत कार्य योजना	111
	जल संसाधन विभाग की कार्ययोजना	111
	सा0नि0विभाग की कार्ययोजना	160
	विधुत विभाग की कार्य योजना	163
	जन स्वा0 अभियात्रिकी विभाग की कार्ययोजना	166
	चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की कार्ययोजना	167
	पुलिस विभाग की कार्ययोजना	168
	नागरिक सुरक्षा विभाग की कार्ययोजना	170
	राज्य आपदा प्रतिसाद बल की कार्ययोजना	178
	जिला रसद विभाग की कार्ययोजना	179
	जिला परिवहन विभाग की कार्ययोजना	183
	पशुपालन विभाग की कार्ययोजना	191
	नगर निकायों की कार्य योजना	194
	महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्ययोजना	195
	पंचायती राज विभाग की कार्ययेाजना	196
	पंचायत समिति धौलपुर की कार्ययोजना	196
	पंचायत समिति राजाखेडा की कार्ययोजना	197
	पंचायत समिति बाडी की कार्ययोजना	200
	पंचायत समिति बसेडी की कार्ययोजना	201
	पंचायत समिति सैपऊ की कार्ययोजना	202
	पंचायत समिति सरमथुरा की कार्ययोजना	205
	राजस्व विभाग की कार्ययेाजना	206
	तहसील धौलपुर की कार्ययोजना	206
	तहसील मनिंया की कार्ययोजना	207
	तहसील बसईनबाब की कार्ययोजना	208
	तहसील राजाखेडा की कार्ययोजना	208
	तहसील बसेडी की कार्ययोजना	210
	तहसील बाडी की कार्ययोजना	211
	तहसील सैपऊ की कार्ययोजना	212

	तहसील सरमथुरा की कार्ययोजना	215
20	जिला स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष न0 सूची	217

अध्याय : 1

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापनाः–

1 ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

2. राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 – राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्यः–

1. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाऐं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभ्सूखे डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –
   - (क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।
   - (ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।
   - (ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।
   - (घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।
   - (ड) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभाग द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापनाः–

1. प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

धारा 18 – राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्यः–

1. राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाऐं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठनः–

1. प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
2. जिला प्राधिकरण मे अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –
   - (क) जिले का कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।
   - (ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।
   - (ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य।
   - (घ) पुलिस अधीक्षक – सदस्य।
   - (ड) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य।
   - (च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
3. ऐसे किसी जिले मे जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।
4. राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियांः–

1. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।
2. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा मे जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।
3. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठनः–

1. जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।
2. जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) मे निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियो की नियुक्तिः–

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 30 – जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्यः–

1. जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।
2. जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभ्सूखे डाले बिना :–
   - (i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा,
   - (ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनिटरिंग कर सकेगा,
   - (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए है :
   - (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
   - (v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
   - (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।
   - (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा :
   - (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।
   - (ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।
   - (x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
   - (xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।
   - (xii) जिले मे विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।
   - (xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनोंकी सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।
   - (xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुसरण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबंद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आंशका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xx) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियो को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

धारा 31 – जिला आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी:–

1. राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।
2. जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
3. जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

    (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है।

    (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले

    (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।

    (घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाऐं और प्रक्रियाऐं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

        (i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उतरदायित्वों का आवंटन :

        (ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,

        (iii) आवश्यक संसाधनों का भण्डारण।

        (iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और

        (v) जनता को सूचना का प्रसार।

(ड) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

4. जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।
5. उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
7. जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

स्थानीय प्राधिकारी

धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्यः–

1. स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए–
   - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।
   - यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।
   - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाऐं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।
   - प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।
2. स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझें।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

धारा 44 – राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ):–

1. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।
2. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी है, वे होंगी जो विहित की जाएं।

धारा 45 – नियंत्रण, निर्देशनः–

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

धारा 46 – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधिः–

1. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाऐगें :–
   - (i) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात प्रदान करें।
   - (ii) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान।
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

अपराध और शक्तियां (Penaltises and Prosecution)

धारा 51 – बाधा डालने आदि के लिए दंडः–

जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना –

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा : या
- (ii) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 52 – मिथ्या दावे के लिए दंडः–

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरूपयोग के लिए दंडः–

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहूॅचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरूपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोगके लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 55 – सरकार के विभागों द्वारा अपराधः–

1. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहा विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।
2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

धारा 56 – अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधोंके उल्लघंन के प्रति मौनानुकूलताः–

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्तलिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

धारा 57 – अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लघंन के लिए शास्तिः–

यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराधः–

1. जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।
2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

अध्याय : 2
विकास और आपदा

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी आपदाऐं उसके नियंत्रण में नहीं है वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मानवीयकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभ्सूखे पडता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशुधन के साथ निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति यां भी नष्ट हो जाती है। 1990 में उडीसा में आये तूफान **(Super Cyclone),** 26 जनवरी, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 26 दिसम्बर, 2004 में दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी, 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल डिपों में हुये भारत के सबसे भीषण अग्निकांड तथा 16 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ/गौरीकुण्ड/गुप्त काशी में हुई भीषण प्राकृतिक तबाही इत्यादि इसके ताजा उदाहरण हैं।

1. बहु– आपदा अनुक्रिया योजनाः–

- आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाऐं, आंगजनी, सडक दुर्घटनाऐं, रेल व वायुयान दुर्घटनाऐं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। (1950–2000) के 50 वर्षो में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे है जबकि 44 वर्षो में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, 1999–2000 में रहा है। 1980 से 2000 के दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी कभी पडता था वह स्थाई आपदा बन गया है।
- संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुऐं। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नही वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभ्सूखे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाऐं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते है जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभ्सूखे विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।
- जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचें की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

2. जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्यः–

- समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहायोग के साथ क्षमता बढाना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनानां
- संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
- जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभ्सूखे का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढानें में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिले में पूर्व में हुईआपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

3. कार्य योजना के उद्देश्यः–

निश्चित योजना के अभ्सूखे में आपदा आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक धन दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

- प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
- स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
- सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
- राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

4. नीतिगत कथनः–

संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभ्सूखे तथा उपलब्ध संसाधनों का सहीं ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही मे देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटनें व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सकें।

अध्याय –3,
धौलपुर का इतिहास

- **धौलपुर का इतिहास प्राचीन काल से है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, राजा धवल देव ने 700 ईसा पूर्व में इस शहर की स्थापना की और इसका नाम धवलपुरी रखा। बाद में, इसका नाम धौलपुर पड़ा। यह शहर सदियों तक मौर्य साम्राज्य और मुगल शासन का हिस्सा रहा। 9वीं-10वीं शताब्दी में, धौलपुर पर चौहान राजपूत राजाओं का शासन रहा। 1194 में, यह मुहम्मद गोरी के अधीन आ गया। स्वतंत्रता से पहले, धौलपुर एक रियासत थी, और 1982 में इसे एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें भरतपुर की चार तहसीलें शामिल थीं: धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी।**
  धौलपुर का इतिहास:

  - **स्थापना:**

    कुछ इतिहासकारों के अनुसार, राजा धवल देव ने 700 ईसा पूर्व में धौलपुर की स्थापना की और इसका नाम धवलपुरी रखा। Rajasthan Tourism says
  - • **प्राचीन काल:**
    धौलपुर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, और बाद में मुगल शासन के अधीन रहा।
  - • **चौहान राजपूत:**
    9वीं-10वीं शताब्दी में, चौहान राजपूत राजाओं ने धौलपुर पर शासन किया।
  - • **मुगल काल:**
    1194 में, मुहम्मद गोरी ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया।
  - • **रियासत:**
    स्वतंत्रता से पहले, धौलपुर एक रियासत थी।
  - • **जिला:**
    1982 में, धौलपुर को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया।

  - **धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर दिल्ली के लाल किले के निर्माण में भी इस्तेमाल किया गया था**

- **धौलपुर, राजस्थान राज्य का एक जिला है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह जिला अपनी ऐतिहासिक इमारतों, लाल बलुआ पत्थर और चंबल नदी के बीहड़ों के लिए जाना जाता है। धौलपुर 15 अप्रैल, 1982 को भरतपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था।**

  भूगोल:

- **धौलपुर जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है।**
- **यह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जो जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है।**
- **धौलपुर का क्षेत्र 3084 वर्ग किलोमीटर है।**
- **यहां का लाल बलुआ पत्थर प्रसिद्ध है और इसका उपयोग इमारतों के निर्माण में किया जाता है।**
  पर्यटन:
- **धौलपुर में कई ऐतिहासिक इमारतें, किले, मंदिर और झीलें हैं।**
- **यहां का चंबल गार्डन एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है।**
- **वन विहार वन्यजीव अभयारण्य में बाघ, तेंदुए और मगरमच्छ देखे जा सकते हैं।**

- **धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर पूरे देश में प्रसिद्ध है।**
  अन्य बातें:
- **धौलपुर जिले में** 2011 **की जनगणना के अनुसार** 1,206,516 **लोग रहते थे।**
- **जिले में हिंदी और ब्रज भाषा बोली जाती है।**
- **यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि और पत्थर का खनन है।**

➢ **धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसका प्रयोग दिल्ली के लाल किले के निर्माण में किया गया था। इस रियासत का इतिहास बुद्ध के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई शताब्दियों पहले, धौलपुर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और मुगल काल के दौरान विभिन्न शासकों के शासन में रहा।**

➢ **धौलपुर में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थान हैं, जिनमें वन्यजीव अभयारण्य, ऐतिहासिक किले, और धार्मिक स्थल शामिल हैं। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, शेरगढ़ किला, मचकुंड मंदिर, और तालाब-ए-शाही धौलपुर के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।**

➢ **धौलपुर शरद मेला पहले शरद पूर्णिमा से प्रारभ्म हो जाता था। लेकिन कोरोना के बाद अब यह दिवाली के त्योहार के बाद लगता है।**

➢ **धौलपुर जिले के बारे में कुछ मुख्य बातें:**

- **मुख्य नदियाँ: चंबल** ,पार्वती
- **जलवायु: धौलपुर में गर्मी बहुत अधिक होती है, और मई-जून में तापमान** 40 **डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है।**
- **भाषा: ब्रजभाषा**
- **कृषि: धौलपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है।**
- **पर्यटन: धौलपुर में कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं, जैसे शेरगढ़ किला, वन विहार अभयारण्य, और शाही बावड़ी।**
- **धार्मिक स्थल: सैपऊ महादेव का मंदिर।**
  धौलपुर के कुछ विशेष पहलू:
- **लाल बलुआ पत्थर:**
- **1857 की क्रांति:**
  धौलपुर रियासत ने 1857 **के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।**
- **अंतिम रियासत:**

➢ **धौलपुर भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासतों में से एक थी। धौलपुर में घूमने के स्थान:**

- **शेरगढ़ किला: धौलपुर का एक प्रसिद्ध किला।**
- **वन विहार अभयारण्य: वन्यजीवों और वनस्पतियों से भरपूर अभयारण्य।**
- **शाही बावड़ी: एक प्राचीन और सुंदर बावड़ी।**
- **सैपऊ महादेव मंदिर: एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल।**
- **तालाबशाही: एक झील और पक्षी अभयारण्य।**

धौलपुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है।

- **धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसका प्रयोग दिल्ली के लाल किले के निर्माण में किया गया था। इस रियासत का इतिहास बुद्ध के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई शताब्दियों पहले, धौलपुर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और मुगल काल के दौरान विभिन्न शासकों के शासन में रहा।**

अध्याय –4,
जिला धौलपुर एक दृष्टि में

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	**301291 है0**
वन	**27192 है0**
कृषि अयोग्य क्षेत्रफल	**93490 है0**
पडत	**26296 है0**
वास्तविक वोया गया क्षेत्र-	**154313 है0**
कुल सिचिंत क्षेत्रफल	**132980 है0**
उपखण्ड	**6 (धौलपुर,सैंपऊ,राजाखेड़ा,बाड़ी,बसेड़ी,सरमथुरा)**
तहसील	**8 (धौलपुर,सैंपऊ,राजाखेड़ा,बाड़ी,बसेड़ी,सरमथुरा,मनियां)(बसईनवाव बर्ष2023)**
उप तहसील	**5 (कंचनपुर, मरैना, जारगा) (नादनपुर, कौलारी बर्ष2023-24)**
पंचायत समिति	**6 (धौलपुर, सैपऊ,राजाखेडा, बाड़ी, बसेड़ी,सरमथुरा)**
भू-अभिलेख निरीक्षक वृत	**52** कुल स्वीकृत पद –91
	तह.धौलपुर- धौलपुर, जाटौली, पंचगांव,, तगावली, सरानीखेड़ा, मौरौली **कुल-6**
	तह. मनियां- मनियां, मढाभाऊ, बरैठा, हिनौता, विरोंधा **कुल-5**
	तह.सैंपऊ- सैंपऊ, दौनारी, कौलारी, करीमपुर, कैंथरी, सखवारा, तसीमों **कुल-7**
	तह.बसईनबाव- बसईनबाव, बदरिका कुल 2
	तह.राजाखेड़ा- राजाखेड़ा नं.-1, राजाखेड़ा नं.2, नादौली, मरैना, दिहौली, देवखेड़ा, बसईधीयाराम, गुनपुर **कुल-8**
	तह.बाड़ी- बाडी नं., बाडी नं.2, तालाबशाही, कंचनपुर, बसईडांग, उमरेह, गढ़ीसुक्खा, जपावली, सहेड़ी, कुदिन्ना, धीमरी **कुल -11**
	तह.बसेड़ी- बसेड़ी, पिपरौन, रतनपुर, जारगा, **बौरेली**, **बागथर**, **नादनपुर कुल -7**
	तह.सरमथुरा- आंगई, सरमथुरा, **झिरी**, **बीलौनी**, **बरौली**, **गौलारी कुल -6**
कुल पटवार मण्डल	209 **(धौलपुर-22, मनियां-20, सैंपऊ-26, बसईनबाव-8, राजाखेड़ा-33, बाड़ी-**

	45, बसेड़ी-30, सरमथुरा-25) कुल स्वीकृत पद 225		
कुल ग्राम पंचायत	**188** **(धौलपुर प.स.-35, सैपऊ-39, राजाखेडा-32, बाडी-35, बसेडी-26 सरमथुरा-21)**		
कुल राजस्व ग्राम	882 **(धौलपुर-118, मनियां-** 95, **सैंपऊ-106,बसईनबाव-31 राजाखेड़ा-**129, **बाड़ी-**1 93 **,बसेड़ी 97 सरमथुरा-1**13) मजरा/ढाणी कुल 537		
गैर आबाद ग्राम	22 **(धौलपुर-3, सैंपऊ-2, राजाखेड़ा-3, बाड़ी-8, बसेड़ी-5, सरमथुरा-1)**		
सिंचाई के साधन	**नहर, नलकूप, पम्पसैट आदि**		
कुल थाने	**16** **तह.धौलपुर- थाना सदर, निहालगंज, कोतवाली, महिला थाना** **तह.मनियां- मनियां** **तह.राजाखेडा- राजाखेड़ा, दिहौली** **तह.सैंपऊ- सैंपऊ, कौलारी** **तह.बाड़ी- सदर थाना बाड़ी,कोतवाली बाडी, बसईडांग, कंचनपुर** **तह.बसेड़ी- बसेड़ी, नादनपुर** **तह.सरमथुरा- सरमथुरा**		
जनसंख्या 2011	**कुल**	**जनसंख्या 2011**	**कुल**
	1207293		**1207293**

अध्याय : 5
आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति

1. आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजनाः–

क्र.सं.	क्या करना है ?	कौन–कौन शामिल होगा ?	कार्य कैसे किया जाये ?
1	आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अति. कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचईडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ,वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	➢ पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं के इतिहास का आंकलन एवं विश्लेषण एवं चर्चा। ➢ नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभ्सूखे का रिकार्ड। ➢ पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति ➢ आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय
2	परिस्थिति का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। ➢ डेमोग्राफी/मानव के रहन सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। ➢ हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। ➢ प्राकृतिक सम्पदा को नक्शा पर दर्शाना। ➢ सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं संपत्ति की सूची तैयार करना। ➢ सुरक्षित, संसाधन/संभावित नुकसान, सडक,रेल,हवाई, अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।
3	खतरे का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ पूर्व अनुभव के आधार पर एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जीविकोपार्जन एवं संपत्ति के नुकसान की संभावना है।
4	संवेदनशीलता का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ संवेदनशील जगहों एवं कारकों का अलग–अलग सूची तैयार कर नक्शा तैयार करना। ➢ संवेदनशील व्यक्ति जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं विधवा महिलाऐं, परिवार जो जर्जर एवं कमजोर मकानों में रहते है, का चिन्हीकरण एवं सूची बनाना। ➢ संपत्ति एवं पशुधन को चिन्हीकरण कर

			चारे का उचित प्रबन्धन, सभी कमजोर मकान एवं सुविधा एवं साधन का सूची तैयार करना। ➢ बांध, जल भराव क्षेत्र के कमजोर बिन्दुओं, ऑवरब्रिज पुल, ग्रिड एवं पावर हाउस, नहरी क्षेत्र, पानी की टंकी, जल प्रयोजना, पानी जमाव के निचले क्षेत्र, संभावित अग्नि खतरा क्षेत्र, ऊँची इमारते एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर सूची बनाना। ➢ जल बहाव क्षेत्र का चिन्हीकरण
5	मौका / अवसर का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ मौजूदा संसाधन का चिन्हीकरण जो लोगों के जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम कर सके। ➢ ऊँचें प्लेटफार्म, खुली जगह, हाइड्रेन्ट पॉइन्ट, जल भण्डारण, सुरक्षित घर एवं राहत सामग्री व शिविरों के लिए उचित स्थानों का चिन्हीकरण ➢ आश्रय स्थल के लिए जगह का चिन्हीकरण ➢ मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का चिन्हीकरण ➢ सुरक्षित आपात निकासी का चिन्हीकरण ➢ आपात प्रबन्धन की तैयारी के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एवं स्त्रोंत की पहचान

2. आपदा प्रबन्धन चक्रः–

आपदा प्रबन्धन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कार्य करता हैं, एवं विकास की गति को बनाये रखता हैं। आपदा के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया, बचाव, राहत, पुनर्वास के तरीकों को संचालित एवं प्रबन्धन करता है ताकि नुकसान को अधिक से अधिक कम कर सके, और प्रभावित न हो। यह एक सटीक आपदा प्रबन्धन योजना को निर्देशित करता हैं।

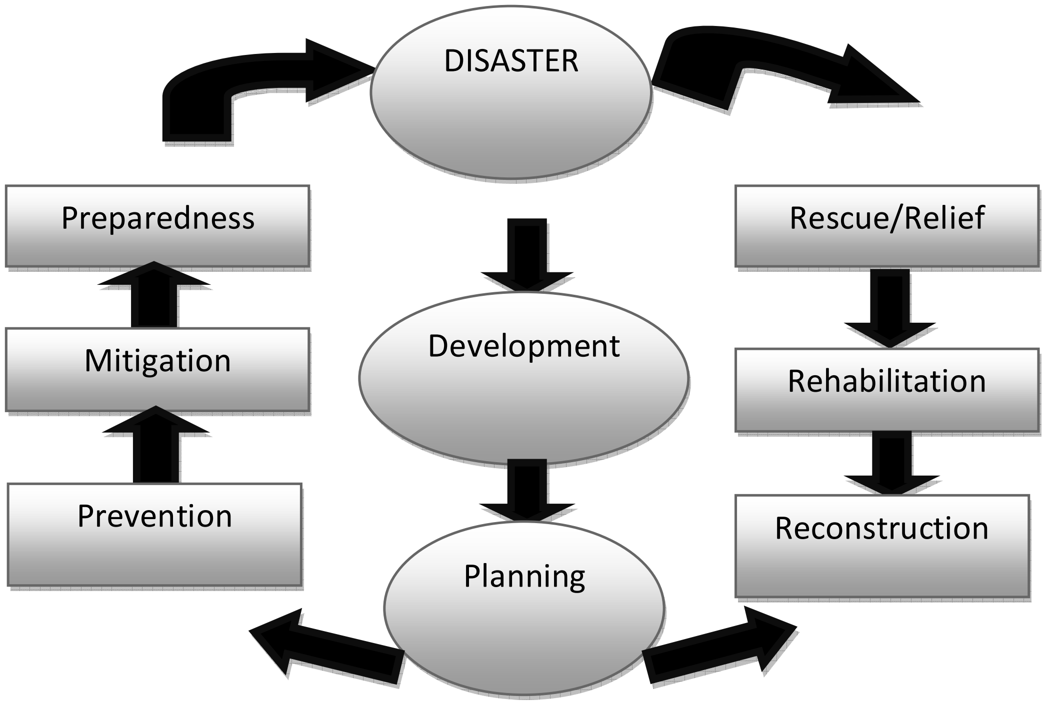

3. खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए):–

खतरों का वर्गीकरण

उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने खतरे को निम्न भागों में विभाजित किया है :–

क्र.सं.	सम्बन्धित आपदा	चिन्हित आपदा
1	जल एवं जलवायु संबंधित	1. बाढ़ एवं ड्रेनेज क्षति 2. तूफान 3. चक्रवात एवं हरिकेन 4. औलावृष्टि 5. बादल का फटना 6. लू एवं शीतलहर 7. बर्फबारी 8. बिजली का गिरना 9. समुद्र का कटना 10. सूखा
2	भूगर्भीय सम्बन्धित	11. भूकम्प 12. भूस्खलन 13. बंध का टूटना एवं बाँध का नुकसान 14. खदान दुर्घटना
3	रासायनिक, औद्योगिक, न्यूक्लियर संबंधी	15. रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना 16. रेडियोलॉजी आपात स्थिति एवं न्यूक्लियर आपदा
4	दुर्घटना सम्बन्धित	17. सडक, रेल, जलपोत एवं अन्य परिवहन दुर्घटना

		18. खदान बाढ़ 19. बडे मकान गिरना 20. सीरियल बम बलास्ट 21. उत्सव के दौरान दुर्घटना 22. शहरी आग दुर्घटना 23. तेल बहाव 24. ग्रामीण आग दुर्घटना 25. नाव डूबना 26. जंगल की आग 27. बिजली दुर्घटना एवं आग
5	बायोलॉजिकल सम्बन्धित	28. महामारी एवं रोगो का फैलना 29. विषाक्त भोजन 30. पशु महामारी 31. कीटाणु छिडकाव

4. रोकथाम और शमन उपायः–

इन वर्षों में विशेष रुप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संस्कृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजोरियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभ्सूखे को कम करने के लिये किया जा रहा है। Measures कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थात तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर–संरचनात्मक न्यूनीकरण।

- <u>स्ट्रक्चरल शमन उपायः</u>– यह बेहद महत्त्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की ओर से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्टर प्लान स्पष्ट रुप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संशोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन परिचित शहरी विकास के पौष्टिक प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरुरत है।

  औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत–नियमितिकरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बढ़ने पर एक योजना बनाना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विषय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

  जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड रहे है। बिल्डिंग कोड सख्ती से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृष्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही Retrofitting भी विशेष सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

  - आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं–
    - मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और
    - भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

- <u>गैर संरचनात्मक शमन उपायः</u>– गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रुप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

- **<u>तैयारी क्रियाविधिः</u>–** आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार करना अपने आप में, पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा।
- **<u>जागरुकता कार्यक्रमः</u>–** हर जगह हड़तालों, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यहां गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रृंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचाने के लिये आयोजित की जाऐगी। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) सामग्री के रुप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेष प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे–
    - जनसभाएं
    - पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने
    - नुक्कड़ नाटक
    - इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भागीदारी
    - ऑडियो/विडियो शो
    - बैनर और हॉल्डिंग
    - चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेष रुप से स्कूलों में छात्र रैलियां
    - अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह

  प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण–विशेष समूहों और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, वास्तुकलाकार, इंजीनियर, डॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है/ किया जाएगा। सभी समुदाय आधारित संगठनों सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षेत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाऐगा।

अध्याय : 6

आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)

आपदा को चरणबद्ध तरीके एवं सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के लिए राज्य एवं जिला प्रशासनिक स्तर के संगठन में आपसी तालमेल एवं समन्वय की जरूरत होती है, इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर आपात प्रतिक्रिया कार्ययोजना तैयार की जाती है। यह योजना एक ही प्लेटफार्म से कई आपदा को एक साथ प्रबन्धन करने का सटीक औजार है, जो आपसी समन्वय से संचालित किया जाता है, ताकि आपदा के प्रभ्सूखे को कम समय में कम कर नुकसान एवं क्षति को रोका जा सके। इसके लिए लिखित रूप में प्रभावी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तय की जाती है, जिसका समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं चर्चा कर संसाधन एवं आपातकालीन सम्पर्क नम्बर को अपडेट किया जाता है।

1. प्रतिक्रिया (रिसपोन्स) योजना को लागू करने की प्रक्रियाः–

- सर्वप्रथम जिले में संभावित विभिन्न आपदा को चिन्हित किया जाये।
- पूर्व की घटित आपदा का विश्लेषण।
- भूगर्भीय व्यवस्था।
- आपदा में संवेदनशीलता की भूमिका।
- सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नुकसान का आंकलन।
- राज्य के गाईडलाईन के आधार पर इमरजेन्सी रिसपोन्स कार्यकलाप चिन्हीकरण।
- जिम्मेदार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी ऐजेन्सी का चिन्हीकरण।
- जिम्मेदार अधिकारी, मानव संसाधन एवं अन्य मौजूदा संसाधन का चिन्हीकरण।
- प्रथम एवं द्वितीय एजेंसी का चिन्हीकरण।
- व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए प्रशिक्षण, मिटिंग, मॉक ड्रिल, सेमीनार का बराबर आयोजन।

आतापकालीन सहायता संचालन की संरचना (ईएसएफ)

ईएसएफ	संचालन	संभावित कार्य	नोडल एजेन्सी / टीम लीडर	सहायता विभाग / एजेन्सी
ईएसएफ1	समन्वयक	सरकारी तंत्रों में समन्वय स्थापित कर सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को स्थापित कराना।	जिला कलक्टर	पुलिस अधीक्षक, अति. कलक्टर सहायता, सीएमएचओ, नगर परिषद / नगरपालिका / नगरनिगम, पीडब्लूडी,पीएचईडी, विद्युत, जिल संसाधन, परिवहन, अग्नि, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सभी संबंधित विभाग, थानाधिकारी।
ईएसएफ2	संचार प्रणाली	आपात स्थिति में सभी संचार प्रणाली यंत्रों को दुरूस्त कर पुनः स्थापित करना	जिला पुलिस अधीक्षक	एनआईसी, पुलिस, अग्नि, ईओसी, वायरलेस विभाग, टेलीकॉम विभाग, इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, दूरदर्शन।
ईएसएफ3	हेल्पलाईन चेतावनी, आपातकालीन सूचना निर्देशिका	प्रभावित लोगों के बीच सही सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना को अपडेट करना, लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सहायता शिविर तक पहुंचाना।	एसडीएम, पुलिस	एनआईसी, एसडीएम, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, एनजीओ, मीडिया, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवक
ईएसएफ4	खोज एवं बचाव	टूटे हुए मकानों से दबे हुए घायलों को बाहर निकालना, घायलो को तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं शिविर की व्यवस्था, इस प्रक्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुभवी, खोज एवं बचाव टीम का गठन करना, साथ ही खोजी कुत्ते का प्रबन्ध करना।	अग्निशमन अधिकारी, सिविल डिफेंस	अग्नि, सिविल डिफेंस, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह रक्षा, आर्मी, पीडब्लूडी, नगर निगम/ नगरपालिका / नगर परिषद, चिकित्सा, एनजीओ, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि।
ईएसएफ5	आपात निकासी	भूकम्प, रासायनिक दुर्घटना, आतंकवादी घटना, बम विस्फोट, अग्नि दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालना।	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ	पुलिस , गृह रक्षा, अग्नि विभाग, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक एवं एनजीओ
ईएसएफ6	आपात चिकित्सा सुविधा	घायलों को तुरन्त चिकित्सा, मृत व्यक्ति का निस्तारण, महामारी से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवा	सीएमएचओ	जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, ट्रोमा सेंटर, रेडक्रॉस सोसायटी, नर्सिंग होम, डिसपेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सेवा केन्द्र।
ईएसएफ7	सहायता	जरूरत एवं प्रभावित लोगों के बीच खाद्य एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना	एडीएम, डीएसओ, सिविल डिफेंस	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, परिवहन, एनजीओ, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवी संस्था

अध्याय : 7
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

1. दृष्टिकोणः–

आपदाएं समय–समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ–साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक एवं कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का सुपर साइक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विषम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभ्सूखे से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बडा. योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परंतु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

2. क्षमता निर्माण हेतु योजनाः–

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

- प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु–आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।
- राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।
- अपनी कुशलता सिद्व कर चुके ज्ञान–आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।
- अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- राज्य / जिला / स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्यवाही दलों की क्षमता का विश्लेषण करना।

➢ संस्थागत क्षमता निर्माणः–

जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों, अर्द्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

➢ सामुदायिक क्षमता निर्माणः–

समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर–सरकारी संगठनों/रेड क्रॉस एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

➢ Training of trainers:-

नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों को निदेशालय नागरिक सुरक्षा जयपुर द्वारा समय–समय पर आपदा की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

- आपदा प्रबंधन की शिक्षाः–
  1. स्कूलों– जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन–जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
  2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
  3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

अध्याय : 8
पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

1. परिचयः–

- आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण है और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। ऐसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकड़े जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रुप से देरी।
- ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते है और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीडितों का मनोबल बढाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

2. लघु अवधि योजनाः–

अल्पकालीन योजनाएं कार्यवाही आधारित होती है और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती है।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षेत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी–

1. राहत के रूप में जुटाऐ जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीव्रता के आकडों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता है।
2. कुछ क्षेत्र आपदा से ग्रस्त है और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते है।
3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा, में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य ,गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

आपदा के बाद

3. बचाव संचालनः–

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव, निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना /नौसेना/वायु सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए। सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उद्योग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबधंन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगें।

परंपरागत रूप से, चिंन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेसियों, जो बडी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे है। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर, दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढानें और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा ।

4. **राहत अभियानः—**

बाढ़ बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीड़ितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, भुकम्प,आग, बाढ, दंगे, आतकंवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीडितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

5. **पुनर्वासः—**

अल्पावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुननिर्माण के शेष कार्यों को ले जायेगा।

6. **दीर्घकालिक योजनाः—**

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नही है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सक्षम होनी चाहिए।

- एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।
- पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है, के स्तर का फैसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आंकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।
- एक समुदाय, जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी पंरपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते है विस्तृत सर्वेक्षण, बाहर जाकर रहने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।
- दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोष जनक आश्रय, आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्वेश्य नही है और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।
- लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है। उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुनर्वास के लिए जरूरत है, एक ही भूमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है।
- लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है।

7. विभिन्न समितियां:–

पदाधिकारी	चिकित्सा समिति (मौसमी बीमारियां एवं राहत कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था हेतु पृथक–पृथक समितियाँ हैं, किन्तु सदस्यगण समान हैं)	राहत कार्य व नियोजन समिति	चारा व्यवस्था समिति	गेंहु के सुरक्षित भण्डारण एवं समुचित आवन्टन समिति (तहसील स्तर पर)
अध्यक्ष	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	उपखण्ड अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अति. मुख्य कार्य अधिकारी, जिला परिषद	उप निदेशक, कृषि (विस्तार)	विकास अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अधि. अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	मण्डल वन अधिकारी	बाल विकास अधिकारी
सदस्य	उपखण्ड अधिकारीगण समस्त जिला	विकास अधिकारीगण	उप निदेशक, पशुपालन विभाग	रसद कार्यालय का खाद्य निरीक्षक
सदस्य	–	परियोजना अधिकारी, भू.सं. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	उपखण्ड अधिकारीगण	–

अध्याय : 9
आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी

आपात स्थिति एवं सम्भावित आपदा की स्थिति में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया निम्नानुसार जिम्मेदारी निभाते है :–

1. प्रभावित क्षेत्र एवं आपात स्थिति की सही जानकारी प्रशासन एवं आमजन के बीच रखने का काम।
2. प्रशासन के साथ सहयोग कर आपात स्थिति को नियंत्रण करना।
3. अफवाह से होने वाले अधिक जान–माल की क्षति को रोकना।
4. आमजनों एवं प्रभावितों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बचाव कार्यो में मदद करना।
6. सम्भावित खतरे का समय रहते नियंत्रण एवं रोकथाम करने में प्रशासन की मदद करना।
7. आमजनों को प्रेरित कर सुरक्षित माहौल तैयार करने में सहभागिता निभाना।
8. आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करना।

अध्याय : 10

धौलपुर जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

बार–बार प्राकृतिक आपदा से राज्य में मानव, पेड पौधे, पशुधन, पर्यावरण एवं संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभ्सूखे होता रहा हैं। धौलपुर के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ, अग्नि, ओलावृष्टि, आदि से काफी नुकसान होता रहा हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या न्यूनीकरण करने के लिए सरकारी एवं समुदाय के स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, फिर भी आपदाओं की भयावहता, आपातकालीन स्थिति, संसाधनों की कमी एवं संवेदनशीलता आपदा के परिणामों को गतिशील करता जा रहा है। जिससे नुकसान का आंकडा दिनों दिन बढता जा रहा हैं।

सामूहिक प्रयास एवं क्षमता संवर्धन को विकास कार्यक्रम से जोडना अति आवश्यक हैं। प्रभावशाली आपातकालीन तैयारी से लोगों के जीवन, पर्यावरण एवं संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता हैं।

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभ्सूखे डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभ्सूखे को बढाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभ्सूखे व क्षेत्र की परिधी में सभी लोग प्रभावित होते है।

लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभ्सूखे से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

1. संभावित विपदाओं की पहचानः–

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 11 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पांच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

- **जलवायु सम्बन्धितः**–बाढ, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धितः**–भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धितः**–रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धितः**–आग, बम विस्फोट, वायु, सडक, एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ आना, मुख्य भवनों का ढहना, साम्प्रदायिक दंगा, खुले बोरवेल/कुंए की दुर्घटनाएँ।
- **जैविक आपदाएंः**–महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

2. जिले में नुकसान का विश्लेषणः—

आपदा का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई—सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	ऊँची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियाँ
तापघात	अप्रैल—जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिलें के सभी भाग
अग्नि	मार्च—जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल—अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
सडक दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं संपत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं संपत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
ओलावृष्टि	मार्च— मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

3. आपदा की स्थिति में जिम्मेदार विभागः—

क्र.सं.	जिम्मेदार विभाग	आपदा एवं खतरा
1.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सूखा, ओलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन
2.	ऊर्जा विभाग	बिजली वितरण एवं उत्पादन में आपदाऐं
3.	गृह विभाग	आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगडना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सडक, हवाईजहाज दुर्घटना, बायोलॉजिकल, रासायनिक न्यूक्लियर, रेडियालॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाएँ।
4.	जल संसाधन विभाग	बाढ, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बडी ईमारतो का गिरना, सडक दुर्घटना।
6.	खदान एवं पेट्रोलियम विभाग	खदान अग्नि एवं बाढ दुर्घटना, तेल रिसाव।
7.	उद्योग विभाग	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना।
8.	शहरी विकास विभाग	शहरी अग्निकांड

9.	राजस्व	ग्रामीण अग्निकांड एवं नावों का डूबना
10.	वन विभाग	जंगल की आग।
11.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन।
12.	कृषि विभाग	कीटाणु नाशक का छिडकाव।
13.	पशुपालन विभाग	पशुओं में महामारी।

4. संवेदनशीलताः—

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगो के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती हैं।

- **भौतिक संवेदनशीलताः—**

  भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

  - **मिट्‌टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्‌टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थरः—**
    जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में हैं। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।
  - **पकी हुई ईटें या बडे पत्थर के घरः—**
    जिले में पकी हुई ईटों या बडे पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना हैं।
  - **सुदृढ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथः—**
    इस तरह के घरों को कम नुकसान होना की सम्भावना है अर्थात भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक किया जा सकता हैं।
  - **हल्के, लकडी, पत्तों आदि की झोंपडियाँः—**
    हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपडियाँ हल्के लकडी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

अध्याय : 11

विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय

(माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिशा निर्देश)

विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के जांच एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पूर्व अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन बचाव उपाय एवं आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण की स्थिति नगण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश 13 अप्रैल 2009 में पारित कर स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सभी संचालित विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के सुरक्षा एवं अग्नि बचाव उपाय की पालना सुनिश्चित की जाये। सभी विद्यालयों में तय मानको के अन्तर्गत अग्निशमन यंत्र लगाये जायें, बिल्डिंग बायलॉज 2005 के अन्तर्गत विद्यालय के भवनों की सुरक्षा मानक तय की जाये एवं आपदा एवं बचाव उपायों पर कार्ययोजना बनाकर सभी स्टाफ एवं छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये। लेकिन जांच में पाया जा रहा है कि विद्यालय प्रबन्धन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार आपदा थोडी सी लापरवाही से पूर्व में हो चुकी है एवं कई मौतें रिकॉर्ड पर है। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपातकालीन नम्बरों को दर्शाया जाए, विद्यालयों में प्रशासन की मदद से मॉक ड्रिल एवं आवश्यक प्रशिक्षण एक समय सीमा के अन्तराल पर कराई जाये। इस सुरक्षा मामले की लापरवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित न होने पर न्यायसंगत कार्यवाही आदेश में अंकित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (2 ए) के अन्तर्गत जिला कलक्टर किसी संभावित आपदा को रोकने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, अतः कलक्टर अपने निर्देश से सभी संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें, ताकि संभावित आपदा को समय पूर्व रोका जा सकें, साथ ही खतरा एवं संवेदनशीलता चिन्हित हो सके।

अध्याय : 12
राजस्थान राहत कोष
(STATE CALAMITY FUND)

अकाल, भूकम्प, बाढ, ओलावृष्टि, अग्नि चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन–धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष (National Calamity Fund)से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं तथा गैर प्राकृतिक आपदाएं भी है जिनसे होने वाली जन–धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नही है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए वर्ष 2005–06 को राज्य के बजट में राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के परिपेक्ष में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं संबंधी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित है।

❖ **शीर्षकः–**

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

'' राजस्थान राहत कोष'' का गठन एवं संचालन –

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जायेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष की भांति इस कोष में दी गई राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. इस कोष का नियंत्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

❖ **''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाएंः–**

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहुमंजिले भवनों के ढहने, कुएं के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य।
4. मिट्‌टी एवं चट्‌टान ढह जाने तथा कुएं में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव कार्य।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाएं जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हो, निर्णित की जावे।

मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिये जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे –

1. मनुष्यों में महामारी– विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोंतो निकाले गये मापदण्डों से अत्यधिक हो।

2. पशुओं में महामारी– किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बडी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एवं पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हो।
3. फसलों में महामारी – विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में क्षति आंकलित की गयी हो।

महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष को सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

❖ **राज्य स्तरीय समितिः–**

राज्य स्तर पर "राजस्थान राहत कोष" के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगीः–

मुख्य सचिव–	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग–	सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग–	सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग–	सदस्य सचिव

❖ **राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलापः–**

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. "राजस्थान राहत कोष" से होने वाले व्यय के वित्त पोषण संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. "राजस्थान राहत कोष" के नियन्त्रण एवं संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. "राजस्थान राहत कोष" से जिस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जावे उन प्रयोजनों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही राशि का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति को उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों में से किन्हीं क्रियाकलापों के लिये अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया जा सकेगा।
7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो "राजस्थान राहत कोष" की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हों।

❖ **विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभागः–**

1. मनुष्यों की महामारी – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. पशुओं की महामारी – पशु पालन विभाग
3. फसलों की महामारी – कृषि विभाग
4. खान में बाढ का पानी आना एवं ढहना – खान विभाग
5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य – आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क. उपरोक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।

ख. प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के प्रबन्धन के लिये ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा।

इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिये भी योजना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।

ग. उपरोक्तानुसार बनायी गयी योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जायेगा तथा समय समय पर उसे अपडेट करने की कार्यवाही भी संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।

घ. राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसको क्रियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

❖ **आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्डः–**

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिये सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिये किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/मुख्य मन्त्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो तो उस आपदा के लिये "राजस्थान राहत कोष" से सहायता देय नहीं होगी।
3. "राजस्थान राहत कोष" से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
4. खान, भवन, कुए आदि के ढहने की आपदा में खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा
5. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिये निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगीः–
   - कुए ढहने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
   - मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने से होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
   - कुए में जहरीली गैस निकलने से मृत्यु होने की आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 10,000 रूपये की राशि।

❖ **राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया विधिः–**

1. संबंधित जिला कलक्टर द्वारा जिलों में "राजस्थान राहत कोष" के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, संबंधित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संबंधित नोडल विभाग की अभिशन्षा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलक्टर को, संबंधित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।
3. महामारी की आपदाओं में, उस पर नियन्त्रण करने एवं पीडितों को सहायता पहुँचाने के लिये जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जायेगी एवं राज्य स्तर से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशंषा करने हेतु भेजा जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के

द्वारा किया जायेगा, जिसे आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा

4. विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिशन्षा को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराई जावेगी तथा संबंधित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

अध्याय : 13

प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1. जिला आपदा प्रबंधनः–

- **I.** समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढाना।
- **II.** राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
- **III.** संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
- **IV.** जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभ्सूखे का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- **V.** जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढानें में उपयोग करना।
- **VI.** आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- **VII.** जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- **VIII.** आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
- **IX.** राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

2. संस्थागत व्यवस्थाः–

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप

धारा 25 के अनुसार जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैः–

क्र. सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार	सम्पर्क
1	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर	अध्यक्ष	05642– 220871 / 9449725585
2	जिला प्रमुख धौलपुर	सह–अध्यक्ष	
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर	सदस्य	05642–220776 / 9834976317
4	पुलिस अधीक्षक धौलपुर	सदस्य	05642–22026 / 9414344367
5	अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी धौलपुर	सदस्य	05642–222579 / 9414185882
6	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन धौलपुर	सदस्य	
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर	सदस्य	05642–22180 / 9414459342
8	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) धौलपुर	सचिव	05642–221355 / 9414334790

निम्न गणमान्य जनप्रतिनिधि स्थाई रूप से प्राधिकरण में आमंत्रित रहेंगे

सांसद/विधायकगण जिला धौलपुर			
पदनाम	नाम जनप्रतिनिधि	मो0 नम्बर	निवास
सांसद, धौलपुर,करौली	श्री भजनलाल जाटव	9784778861	करौली
विधायक, धौलपुर	श्री शोभारानी कुशावाह	8740061352	**धौलपुर**
विधायक, बाडी	श्री जंसवंत सिंह गुर्जर	9772229999	**बाडी**
विधायक, बसेडी	श्री संजय जाटव	9414855556	**बसेडी**
विधायक, राजाखेडा	श्री रोहित बोहरा	9829055565	**राजाखेडा**

प्राधिकरण को अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष वं विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार हैं।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में प्रतिवर्ष 15 जून से माह सितम्बर तक आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घंटे कार्यरत रहता है।

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, एवं तहसीलदार एवं अन्य विभाग उसे आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशु चिकित्सक, महिला बाल विकास अधिकारी इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। उपखण्ड की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विकास अधिकारी	सदस्य
4	नायब तहसीलदार/ गिरदावर	सदस्य
5	सहायक अभियंता विद्युत	सदस्य
6	सहायक अभियंता सा.नि.वि	सदस्य
7	सहायक अभियंता पीएचईडी	सदस्य
8	सहायक अभियंता खनन	सदस्य
9	चिकित्साधिकारी	सदस्य
10	कृषि अधिकारी	सदस्य
11	पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
12	ईओ नगरपालिका/आयुक्त नगरपरिषद	सदस्य
13	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	सदस्य
14	ब्लॉक महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मनोनीत अध्यक्ष सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत दक्ष व्यक्ति, आंगनबाडी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान–माल के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय/राज्य/जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव	सदस्य
3	ग्राम पटवारी	सदस्य
4	चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य
5	पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य सचिव
6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	सदस्य
7	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक(स्कूल/कॉलेज)	सदस्य
8	एक सेवानिवृत सैनिक	सदस्य
9	एएनएम	सदस्य
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	सदस्य
11	आंगनबाडी कार्यकर्ता	सदस्य

3. जिला संकट प्रबन्धन समूहः–

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय–समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जाँच करना, उद्योगों में मॉक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना है। इसमें निम्न सदस्य रहेंगे :–

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	कारखाना निरीक्षक	सदस्य सचिव
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	प्रतिनिधि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद	सदस्य
5	उप नियंत्रक विस्फोटक	सदस्य
6	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
7	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
8	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
9	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
12	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
13	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
14	अध्यक्ष उद्योग संघ/ रीको	सदस्य
15	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
16	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य

4. जिला अधिशाषी समिति (डीइसी):–

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व/ सहायता होता है।

क्र. सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	अध्यक्ष
2	आयुक्त नगर परिषद	सदस्य
3	अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	सीएमएचओ	सदस्य
5	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
6	जिला सूचना एवं जन जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
7	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
8	सेना अधिकारी	सदस्य
9	समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
10	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
11	रेलवे अधिकारी	सदस्य
12	अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
13	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
14	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
16	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
17	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
18	अध्यक्ष, उद्योग संघ/ रीको	सदस्य
19	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
20	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	विशेष आमंत्रित

अध्याय : 14

कार्य योजना के उद्देश्य

सुचारू योजना के अभ्सूखे में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यो का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान–माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है।

अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।
8. जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना।

अध्याय : 15
धौलपुर जिले के खतरे की रूपरेखा

1. सूखाः–

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका परिणाम धीरे–धीरे एवं लम्बे समय तक रहता हैं। कम वर्षा एवं बेरूखी मौसम के स्वभ्सूखे से राजस्थान सूखा के मामले में अधिक संवेदनशील रहा है। दौसा जिले का 5 वर्ष में एक बार सूखे की चपेट में रहने का इतिहास है। सूखे से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से भोजन उत्पादन एवं आर्थिक संवेदनशीलता पर प्रभ्सूखे पडता है। सूखे का प्रभ्सूखे बडे क्षेत्रफल पर होता है, और विपरीत परिणाम भूकम्प और बाढ से अधिक होता है। सूखा का प्रबन्धन अधिक कठिन है। कुपोषण एवं महामारी सूखे का सीधा परिणाम होता है।

राज्य सूखा मॉनिटरिंग सेल, कृषि, पशु विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राष्ट्रीय फसल पूर्वाग्रह केन्द्र के सहयोग से फसल के नुकसान, फसल पैदावार पानी के संसाधन की कमी, पशुधन चारा पर प्रभाव, जंगलों एवं पेड पौधों पर सूखा पर प्रभाव, जमीन की गुणवता का आंकलन, मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्य योजना बनाते हैं।

➢ दीर्घकालीन उपायः–

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोंतो का पुनर्जीविकरण।
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपो का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड लगाना तथा पेडों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

➢ सूखा पूर्व तैयारीः–

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपों स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हीकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लडने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि का विकास योजना तैयार करना।

➢ सूखे के समय कार्य योजनाः–

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

➢ स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिकाः—

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यो की शुरूआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतो का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल स्त्रोंतो जैसे बावडी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाऐं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम , अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपों स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

➢ पशुपालन विभागः—

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

2. अग्नि एवं कार्ययोजनाः—

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वऱक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है, घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकडी, कपडे, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिला इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल—मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ जाती है। ज्वलनशील घास—पत्ती, लकडी एवं सडक पर चलती मोटर गाडी की चिंगारी पडने पर एवं कभी—कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकांड मानवजनित होते हें। बिजली शॉर्ट सक्रिट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसंपत्ति यों को काफी क्षति होती हैं। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

I. जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्रः—

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पैट्रोल पम्प छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि है।

II. अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएॅः—

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती है लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयाँ नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम हैं।

III. कार्य योजनाः—

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

IV. आग से बचने सम्बन्धी सावधानियांः—

A. बिजलीः—

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना करें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हों।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेडखानी ना करें।

B. रसोई घरः—

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए।
- गैस सिलेण्डर या नली को समय—समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नली आई.एस.आई. मार्का की ही होनी चाहिए।
- साडी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपडों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिडकीदार हों।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्विच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो उपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिडकी दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

C. गांवों व जंगल की आग के बचावः–

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीडी, सिगरेट आदि के टुकडों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीडी सिगरेट के टुकडे ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हों।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड या फूस आदि पर कांच के टुकडे आदि नहीं फैकने चाहिए।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चें मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गावों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहियें।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहां घण्टी, फावडे, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियां परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

V. जलते हुए व्यक्ति का बचावः–

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपडें या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

VI. हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केटः–

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाडियां आराम से चारों तरफ घूम सके।
- बिल्डिंग कोड भारतीय मानक संहिता 2005 के अनुरूप, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयर केस (सीढी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।

- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाडियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

VII. आग लगने पर कार्यवाही:–

A. यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार व जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष "समेकित आपदा प्रबन्ध समिति" को सूचित करेंगे।

B. यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं।

C. यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलक्टर/ पुलिस अधीक्षक को देगा।

VIII. आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका:–

A. जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी:–

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञान करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

IX. आम जन की भूमिका:–

➢ तैयारी:–

- आवासीय और कार्यालय परिसरों के लिए एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करें और उसको कार्यान्वित करने का समय–समय पर अभ्यास करें।
- आग–बचाव उपायों जैसे कि 'रुको, गिरो और लुढ़को' का नियमित अभ्यास करें।

- सुनिश्चित करें कि सभी निवासियों या आगंतुकों को समय–समय पर विभिन्न आपातकालीन स्थितियों का सामना करने और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रशिक्षण मिल रहा है।
- सुनिश्चित करें कि धूम्रपान अलार्म घर, कार्यालय, इत्यादि में लगे हैं और कार्यात्मक हैं।
- अपने आवासीय भवन, कार्यालय परिसर आदि को 'धूम्रपान निषेध क्षेत्र' बनाने का प्रयास करें। यदि आवश्यकता पड़े भी तो एक अलग 'धूम्रपान–सेवन' क्षेत्र बनाएं।
- आपातकालीन निकास मार्गों से हमेशा परिचित रहें।
- निकास मार्गों और सीढ़ियों को किसी भी अवरोध से मुक्त रखें। समय–समय पर निकास मार्गों की जांच करें।
- सुनिश्चित करें कि आपके घर और कार्यालय परिसर के आसपास पर्याप्त अवरोध रहित खुले क्षेत्र और चौड़ी सड़कें बनी हुई हों।
- इससे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही आसान हो जाती है।
- सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय परिसर और आवासीय क्षेत्र में निकास मार्ग चिह्नित हैं और अग्निशमन उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हैं।
- सुनिश्चित करें कि आपके घर और कार्यालय परिसर में प्रत्येक खंड में एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखी गई है।
- किसी भी प्रकार की आग को बिना निगरानी के न छोड़ें।
- अपने घर में ज्वलनशील सामग्रियाँ, जैसे कि पुराने अखबार, जमा न होने दें।
- अपशिष्ट, सूखी पत्तियों या वनस्पति को न जलाएं। हमेशा उन्हें नगरपालिका की नियमित प्रक्रिया द्वारा नष्ट करें।
- घर में ज्वलनशील तरल पदार्थ जमा न करें।
- माचिस, लाइटर, इत्यादि हमेशा बच्चों से दूर रखें।
- हीटर, स्टोव/खुली चूल्हों के आसपास कागज, कपड़े और ज्वलनशील तरल पदार्थ न रखें।
- एलपीजी गैस स्टोव हमेशा ऊंचे स्थान पर हीं रखें।
- खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर वाल्व और गैस स्टोव के नॉब को बंद करें।
- माचिस, सिगरेट के बट्स आदि कचरे के पात्र में न फेंके।
- तेल के दीपक, अगरबत्ती या मोमबत्ती, लकड़ी के फर्श पर या ज्वलनशील सामग्री के पास न रखें।
- खाना बनाते समय ढीले या सिंथेटिक कपड़े न पहनें।
- आग को लांघ कर कोई वस्तु उठाने का प्रयास कभी न करे।
- हमेशा अपने परिसर के लिए बिजली के लोड की आवश्यकता का मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि बिजली कंपनी तदानुसार ही आपूर्ति करे।
- बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग को रोकने के लिए मानक विद्युत उपकरण, स्विच और फ्यूज आदि का उपयोग करें। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए पर्याप्त पृथ्वी–रिसाव सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) की व्यवस्था की गयी है।
- विद्युत कनेक्शन की नियमित जांच करें। कालीनों के नीचे बिजली के तार न बिछाएं।
- उपयोग के बाद बिजली के उपकरण बंद कर दें और सॉकेट से प्लग हटा दें।
- लम्बी अवधि के लिए घर से बाहर निकलते समय बिजली और गैस के मेनस्विच बंद कर दें।
- एक सॉकेट में बहुत सारे बिजली के उपकरणों को प्लग न करें।

- सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन व्यवहार होने वाली जगहों के आसपास कोई बड़े विद्युत उपकरण न हों।
- ग लगने पर:
- घबराएं नहीं। हड़बड़ी न मचायें।
- शोर मचाएं और फायर ब्रिगेड को कॉल करें।
- उपलब्ध उपकरणों द्वारा आग बुझाने की कोशिश करें।
- दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। धुएँ को फैलने से रोकने के लिए दरवाज़ों के नीचे एक गीला कपड़ा रखें। साँस फिल्टर करने के लिए अपने मुंह पर एक गीला कपड़ा रख लें।
- यदि आग नियंत्रण से बाहर हो, तो तुरंत बाहर निकलें ।
- आग लगने पर बाहर ही रहे और वस्तुओं और सामान की तृष्णा में वापस अंदर न जाएँ।
- अगर जल जाए तो दर्द कम होने तक जले हुए हिस्से पर पानी डालें।

➢**अगर आग में फंस जाएँ:–**

- धुआं भर जाने की स्थिति में ज़मीन पर लेट जाएँ।
- दरवाज़ा खोलने से पहले उसे गर्मी के लिए जांचें। खोलने से पहले, अपने हाथ के पिछले भाग से दरवाजे, कुण्डी और फ्रेम के तापमान का अनुमान लगाएं। यदि वह गर्म हो, तो दरवाज़ा न खोलें।
- यदि आप दरवाज़े से भागने में असमर्थ हैं, तो खिड़की का उपयोग करें। हालांकि, अगर खिड़की ऊंची हो और कूदना मुमकिन न हो तो कपड़ा आदि लहराते हुए ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें।
- यदि आप कमरे को छोड़ सकते हैं, तो अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दें इससे आग की प्रगति धीमी हो जाएगी। रेंगते हुए आगे बढ़ें।
- यदि आपके कपड़े आग पकड़ते हैं, तो जमीन पर गिर कर लुढ़क लुढ़क कर आग बुझाएं।
- अलार्म बजने पर:
- निकटतम उपलब्ध निकास द्वारा परिसर को छोड़ दें।
- भागने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें।
- लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ियों का उपयोग करें।
- अग्नि शमन टीम आने पर उनको सहयोग दें।
- दमकल की गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ें ताकि वे नियत स्थान पर समय पर पहुँच पायें।
- सुनिश्चित करें की आपका वाहन अग्नि शमन के लिए उपयोग आने वाली बाल्टी, पानी की टंकी इत्यादि के रास्ते में रोड़ा न बनें।
- फायरमैन को पानी के स्रोतों तक पहुंचने के लिए सहयोग दें।

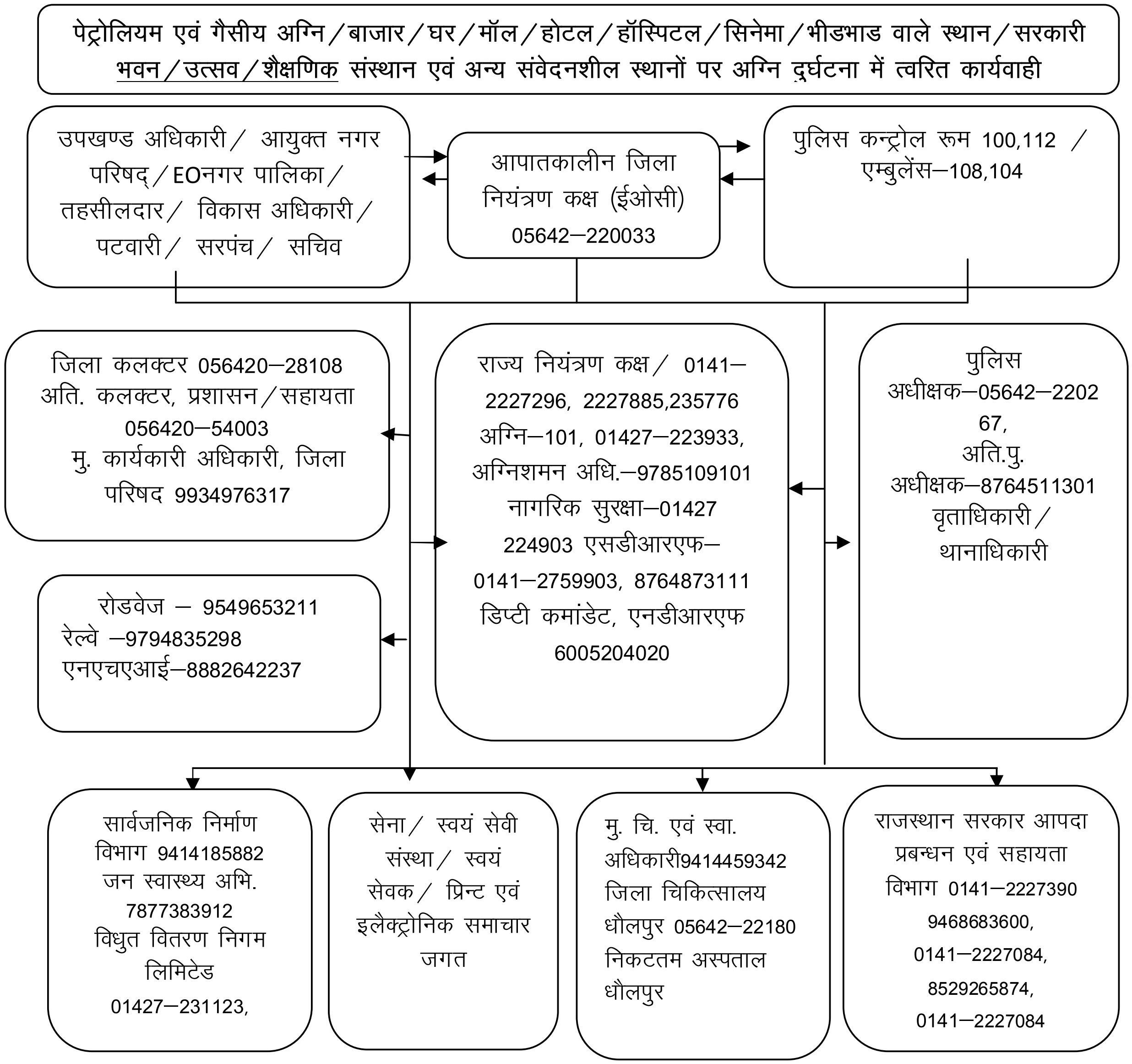

X. अग्निशमन केन्द्र : नियंत्रण कक्षः–

- अग्निशमन वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसिएशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

XI. आग लगने पर क्या करें, क्या न करें:–

➢ क्या करें:–

- आग लगने पर फोन नम्बर 05642–220033 पर तुरन्त जिला नियंत्रण कक्ष धौलपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपडे ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोडने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

➢ क्या न करें :–

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

3. बम विस्फोट / आतंकवादी घटना:–

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना हैं।
यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां लोग एक साथ इकट्ठे होते है। मंदिर, मस्जिद, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर है।

➢ **अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही:–**

- बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती है।
- हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
- घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
- मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगोंकी मदद से कार्यवाही करेंगे।
- आतंकवादियों को पकडने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
- खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

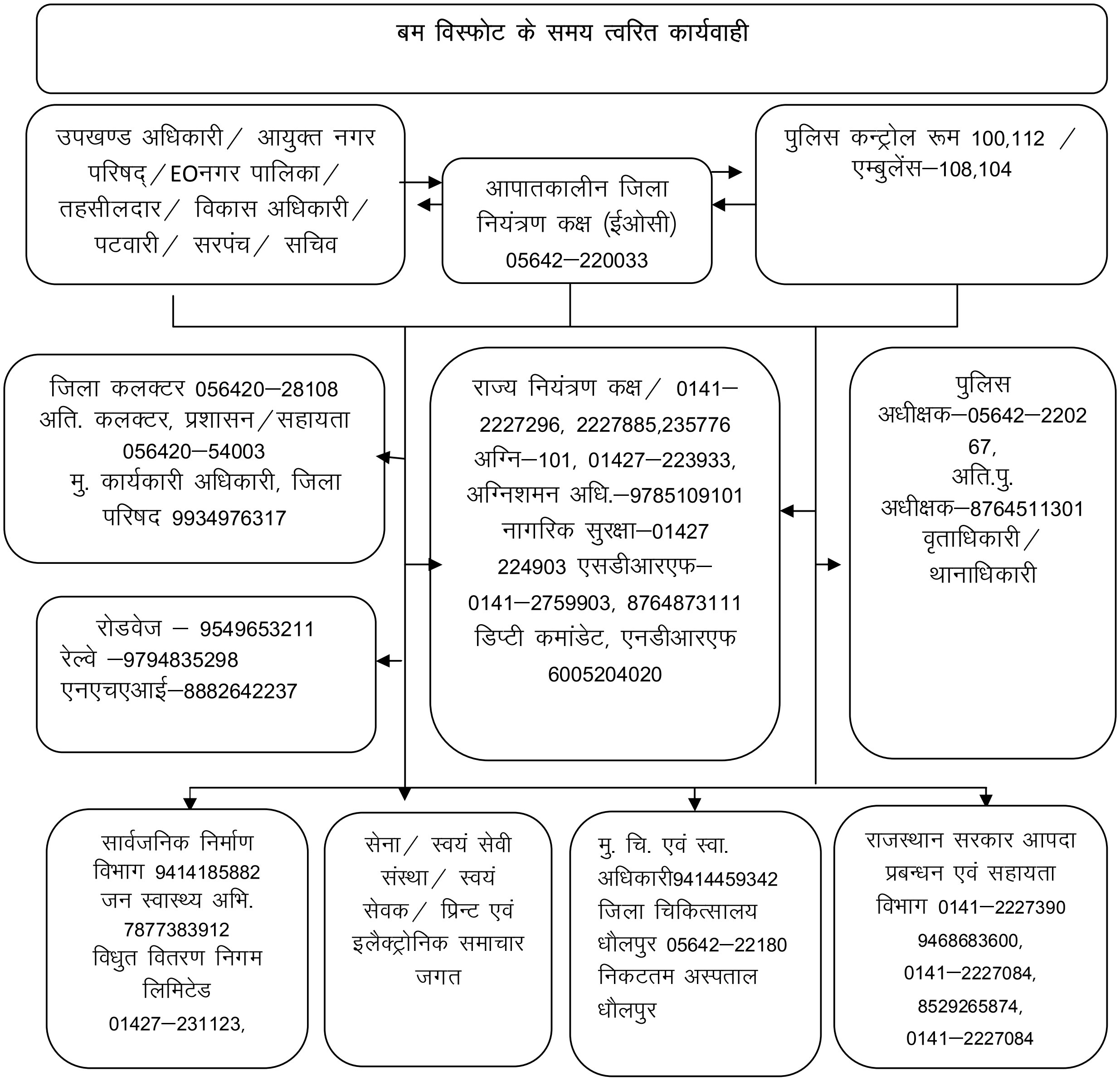

4. बोरवेल की दुर्घटनाः—

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खोदे जाते है। बोरवेल के निर्माण के समय या बोरवेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढती जा रही है। हाल ही में विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत कार्य चलाये गये। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

➢ **दुर्घटना से बचाव हेतुः—**

- जन जागरूकता हेतु प्रचार— प्रसार जिसमें यह संदेश हो कि बोरवेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोरवेल को खुला नहीं रखे। बोरवेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लोग बोरवेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोरवेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये है के सम्बन्ध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।

- बोरवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है :–
  1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
  2. सम्बन्धित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी
  3. सम्बन्धित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
  4. सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
  5. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
  6. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता डिलिंग।
  7. भू– जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू– गर्भ शास्त्री।
  8. भू– जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
  9. बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
  10. भू– सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
  11. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
  12. उप– नियंत्रक नागरिक सुरक्षा।

➢ **दुर्घटना होने परः–**

- सर्वप्रथम जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण वं दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोरवेल में क्लोज सक्रिट केमरा या इंफ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनेटरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।
- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोरवेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अति0 जिला कलक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।
- अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग से सहायता मांगी जायेगी। उपरोक्त प्रकार की दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु वांछित उपकरणों एवं संसाधनों पर व्यय की राशि का आंकलन किया जाकर राज्य सरकार को सूचित किये जाने की तैयारी की जा रही है।
- **खुले बोरवेलों से होने वाले हादसों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिशा निर्देशः–** राज्य में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने की कई दुर्घटनाऐं हो चुकी है एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों को जान गंवानी पडी तथा राज्य सरकार को भी अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पडा है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। दिनांक 9.2.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोरवेल में बच्चों के फंस कर मरने की अत्यधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में बोरवेल ड्रिल करने के पश्चात उसे सूना छोडे जाने पर बोरवेल ड्रिल करने वाली

कम्पनी / मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

- इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 36 / 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.2.2010 द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार भूजल विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 12(6) जीडब्लूडी / 09 दिनांक 19.2.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये तथा इन निर्देशों की समयबद्ध पालना रिपोर्ट निरन्तर मंगवाई जा रही है।
- उपरोक्त निर्णय एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, खुले बोरवेलों को आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त पाटने (बन्द करवाने) एवं हादसा होने पर बोरवेल करने वाली कम्पनी / मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय की वसूली की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति न हो ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर होने वाले अनावश्यक व्यय एवं जानमाल की क्षति से बचा जा सके। इस हेतु जिला कलक्टर के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबंद किया गया है।

5. सड़क / रेल दुर्घटनाः–

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोडकर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम, सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते है। भारत में सडक दुर्घटना में 1,40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती है, प्रतिदिन 400 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई है। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष सडक दुर्घटना से करीब 10,000 मौतें हो रही है। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई है। यदि इस दिशा में सार्थक प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा।दौसा जिले में वर्ष 2024 में 713 सड़क दुर्घटनाओं में 368 जनहानि हुई है।

➢ **संरचनात्मक उपायः–**

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

➢ **गैर संरचनात्मक उपायः–**

सडक दुर्घटनाओं से बचने केलिए

- सडक नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाडी न चलाए।
- शराब पीकर गाडी न चलाए।
- हैलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बैल्ट बांधना आवश्यक है।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुडे।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सडक पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।

- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सडक पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाडी न चलाने दें।
- दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीडितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

➢ **चिकित्सा विभागः—**

- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

➢ **पुलिस विभागः—**

- दुर्घटना स्थल पर भीड को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल/सडक/अन्य दुर्घटनाओं में त्वरित कार्यवाही

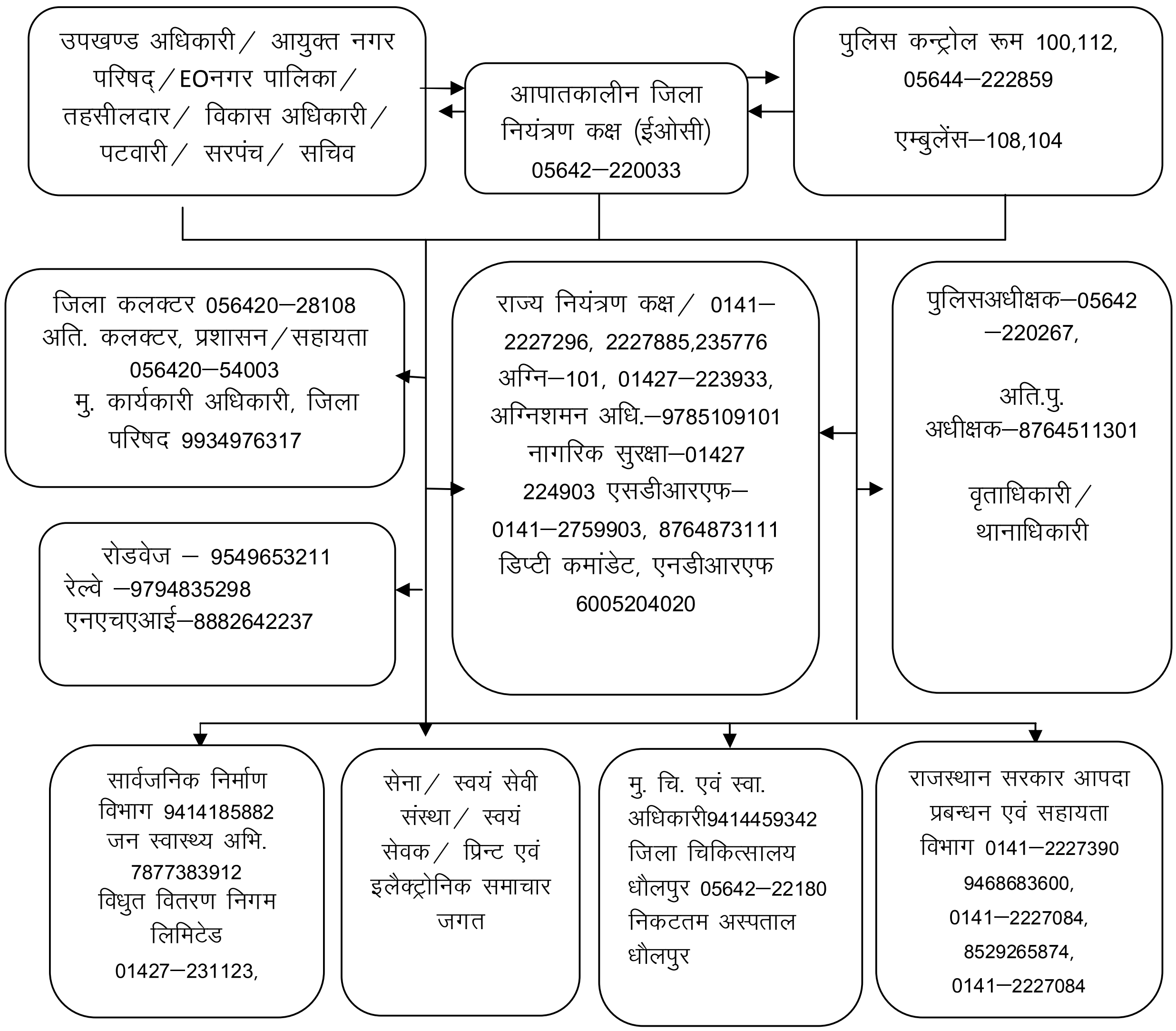

6. भूकम्पः–

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते है। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकडा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू– तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभ्सूखे राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

➢ **भूकम्प के मुख्य कारणः–**

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

➢ **भूकम्पों की तीव्रताः–**

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काउंसिल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशाधित मर्करी मापक पर 4–5 तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि 9–10 तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

धौलपुर जिला (मरकरी मापक पर MM VII) वर्गीकरण के आधार पर जोन 3 (मध्यम भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र) और जोन 4 (उच्च भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र) में आता है

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम	संभावित प्रभावित क्षेत्र
अतिप्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है। दीवारों में दरार पडकर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5–5.9	उदयपुर के कुछ भाग सिरोही, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झुन्झुनू सीकर के कुछ भाग, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर।

➢ **भूकंप से पहलेः–**

- अपने घर को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए एक संरचनात्मक इंजीनियर से परामर्श करें।
- अपने भूकंपीय क्षेत्र को जानें और अपने घर में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन करें।
- अपने घर के डिजाइन और लेआउट चित्र को भविष्य के लिए संरक्षित करें।
- दीवारों और छत पर प्लास्टर में पड़ी गहरी दरारों की मरम्मत करें।
- टांड़ों को दीवारों से सुरक्षित रूप से कसें व भारी/बड़ी वस्तुओं को निचली टांड़ों पर रखें। बिजली और गैस उपकरणों को मज़बूत समर्थन प्रदान करें।
- एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो ।

- अपने परिवार के लिए एक आपातकालीन संचार और निकासी योजना तैयार रखें।
- झुको–ढको–पकड़ो की तकनीक सीखें।
- बाढ़ के मैदानों और बाढ़ग्रस्त हुए क्षेत्रों में निर्माण से बचें।
- भूकंप के जोखिम के बारे में स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करें।

➢**भूकंप के दौरानः–**

- शांत रहें व घबराएं नहीं। यदि आप घर के अंदर हैं, तो अंदर रहें। यदि आप बाहर हैं, तो बाहर रहें।
- माचिस, मोमबत्ती या किसी भी किस्म की आग का उपयोग न करें। टूटी हुई गैस लाइनें और आग संगत नहीं हैं।
- यदि आप कार में हैं, तो कार को रोक दें और भूकंप रुकने तक अंदर रहें।
- मेज़ के नीचे झुक जायें, अपने सिर को एक हाथ से ढकें और मेज को तब तक पकड़ें रहें जब तक भूकंप के झटके धीमे नहीं हो जाते।
- शीशों और खिड़कियों से दूर रहें। इमारत से तब तक बाहर न निकलें जब तक धरती मेंकंपकपी समाप्त नहीं हो जाती।
- झटकों के रुकते हीं बाहर निकल जाये। लिफ्ट का उपयोग न करें।
- यदि बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों, दीवारों और बिजली के खम्भों/लाइनों से दूर रहें।
- यदि आप वाहन के अंदर हैं तो खुली जगह पर जाकर रुक जाएँ। पुल पर न चढ़ें।
- यदि संरचनात्मक रूप से सुरक्षित इमारत में हों, तो तब तक अंदर रहें जब तक धरती हिलना बंद न हो जाए।
- एक कोने में एक मज़बूत मेज़ या बिस्तर के नीचे/शीशों और खिड़कियों से दूर एक अंदर की दीवार से लगकर अपने आप को सुरक्षित रखें।
- यदि आप निकास द्वार के पास हैं, तो इमारत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें।
- यदि आप एक पुरानी और कमज़ोर संरचना के अंदर हैं तो वहां से जल्द से जल्द निकलने के लिए सुरक्षित मार्ग लें।

➢**भूकंप के बादः–**

- क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें।
- यदि मलबे के नीचे फंसे हों तो :–
- माचिस की तीली न जलाएं।
- अपने मुंह को किसी रुमाल अथवा कपड़े से ढक लें।
- किसी पाइप अथवा दीवार को थपथपाएं या खटखटाएं।
- सीटी बजाएं।
- अन्य कोई उपाय न होने पर ही जोर से चिल्लाएं। यह आपको ऊर्जा संरक्षित करने में मदद करेगा।
- सीढ़ियों का प्रयोग करें। लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें।
- सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें अस्थिर वस्तुओं –के अलावा अपने आसपास के अन्य खतरों की भी जांच करें। चोट के लिए खुद को जांचें।
- भूकंप के बाद आने वाले झटकों, विशेष रूप से एक बड़े भूकंप के बाद, के लिए तैयार रहें।
- समुद्र तटों से दूर रहें। कभी–कभी भूकंप के रुकने के बाद सुनामी और सीचे आते हैं।
- अफवाहें न फैलाएं और न हीं उनपर विश्वास करें।

- यदि घर छोड़ने की स्थिति हो, तो आप कहाँ जा रहे हैं इसकी जानकारी देने के लिए एक संदेश छोड़ें।
- क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के आसपास गाड़ी न चलाएं क्योंकि बचाव और राहत कार्यों की गतिशीलता के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है।
- क्षतिग्रस्त पुल/फ्लाईओवर को पार करने का प्रयास न करें।
- झुकने, ढकने और पकड़ने का अभ्यास नियमित रूप से करें।
- नियमित रूप से निकासी अभ्यासों का अभ्यास करें।
- भवनों में, खासकर ऊंची इमारतों में, सुनिश्चित करें कि निकास मार्ग चिह्नित हैं और अग्निशमन उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं।

➢ **स्थानीय एवं जिला प्रशासनः–**

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

➢ **नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गार्डसः–**

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फसें लोगो को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीडितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

➢ **पुलिस प्रशासनः–**

- कानून एवं व्यवस्था की बनाये रखना।
- वायरलैस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

➢ **सार्वजनिक निर्माण विभागः–**

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

➢ **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागः–**

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
  अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

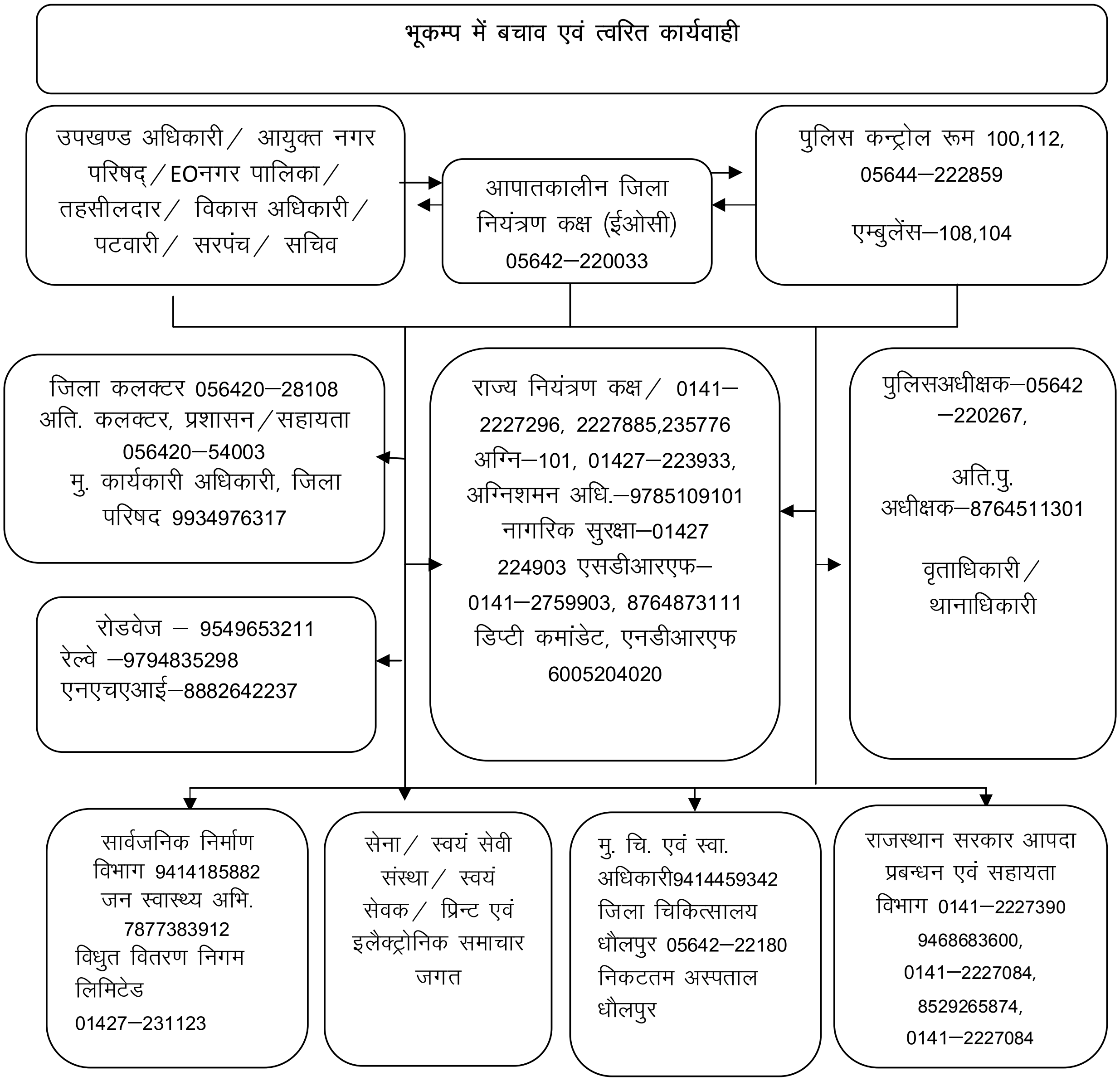

7. खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना::–

जिले एवं आस–पास के जिलों में विविध प्रकार के खनिज के खदान है। जिनमें मृतिका,, पत्थर, रेत मुख्य है। इन खनिजों की खुदाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरीज, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन के नीचे की खुदाई में कई दुर्घटनाओं की सूचना प्रतिदिन आती रहती है एवं प्रशासन के सतत प्रयास से लोगों को बचाया जाता है। फिर भी खान दुर्घटना से प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं। दुर्घटना पर अधीक्षण खनि, जयपुर एवं खान सुरक्षा महानिदेशक, अजमेर को सूचना भिजवाकर सहायता प्राप्त की जाती हैं।

तापघात (लू) एवं शीतघातः–

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु एवं बढते पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र प्रवाहित होती है,जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

8. तापघात (लू):–

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 42^0 से0 और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 29^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मईकी अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। जिसके कारण तापघात से मृत्यु दर की संख्या में बढोतरी हो रही है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 45^0 या 47^0 तक पहुंच जाता है। घटती हरियाली, बिगडते पर्यावरण एवं अवैध जंगलों की कटाई तापमान बढोतरी के मुख्य लक्षण है। लू–तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

➢ क्या करेंः–

- **सभी के लिएः–**
  - रेडियो सुनें टीवी देखें स्थानीय मौसम की जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ें या सम्बंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
  - पर्याप्त पानी पियें भले ही प्यास न लगे । मिर्गी या हृदय, गुर्दे या यकृत रोग से पीड़ित व्यक्ति जो तरल–प्रतिबंधित आहार पर है या जिनको द्रव प्रतिधारण की समस्या है, उनको तरल सेवन बढ़ाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।
  - अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर के बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू का पानी, छाछ आदि का सेवन करें।
  - हल्के रंग के, ढीले, सूती कपड़े पहनें।
  - यदि कहीं बाहर है, तो अपना सिर ढकें कपड़े, टोपी या छतरी का उपयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करें और त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाएं।
  - प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण लें।
  - बुजुर्ग, बच्चे, बीमार या अधिक वजन वाले लोगों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उनके अत्यधिक गर्मी से अस्वस्थ होने की संभावना ज्यादा रहती है।
- **नियोक्ता और श्रमिकः–**
  - कार्य स्थल पर ठंडे पेयजल का प्रबंध रखें।
  - सभी श्रमिकों के लिए आराम के लिए छाया, साफ पानी, छाछ, आइस–पैक के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का प्रबंध रखें।
  - श्रमिकों को सीधी धूप से बचने के लिए कहें।
  - श्रमसाध्य कार्यों को दिन के कम ताप वाले समय में ही करें।
  - बाहरी गतिविधियों के दौरान विश्राम करने की आवृत्ति और समय सीमा बढ़ायें।
  - गर्भवती महिलाओं और चिकित्सीय समस्या बाले कामगारों पर अतिरिक्त ध्यान दें।
  - श्रमिकों को लू से सम्बन्धित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
  - जिन श्रमिकों के लिए गर्मी वाले क्षेत्र नए हों, उन्हें हल्का काम व कम घंटों का काम दें।

➢अन्य सावधानियां:—

- जितना हो सके, घर के अंदर रहें।
- नमक, जीरा, प्याज़ का सलाद और कच्चे आम जैसे पारंपरिक उपचार हीट स्ट्रोक को रोक सकते हैं।
- बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला न छोड़ें।
- पंखे और नम कपड़ों का प्रयोग करें; ठंडे पानी में स्नान करें।
- अपने घर या कार्यालय में आने वाले विक्रेताओं और सामान पहुँचाने वाले लोगों को पानी पिलाएं।
- सार्वजनिक परिवहन और कार—पूलिंग का उपयोग करें। यह भूमण्डलीय ऊष्मीकरण और
- गर्मी को कम करने में मदद करेगा।
- पेड़ लगाएं। सूखी पत्तियों, कृषि अवशेषों और कचरे को न जलाएं।
- जलस्रोतों का संरक्षण करें। वर्षा के जल को संचयित करें।
- ऊर्जा—कुशल उपकरणों, स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें।
- अगर आपको चक्कर आ रहें हैं या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जायें या किसी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहें।

○ **घर को ठंडा रखने के लिए:—**

- कम लागत वाली कूलिंग के लिए सोलर रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट, कूल रूफ टेक्नोलॉजी, एयर—लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन और थर्मोकोल इंसुलेशन का इस्तेमाल करें। आप छतों पर घास—फूस या वनस्पति भी उगा सकते हैं।
- बाहर की ओर गर्मी को प्रतिबिंबित करने के लिए एल्यूमीनियम पन्नी से ढके कार्डबोर्ड जैसे अस्थायी विंडो रिफ्लेक्टर लगाएं।
- अपने घर को ठंडा रखने के लिए गहरे रंग के पर्दे, टिंटेड ग्लास शटर या सनशेड का उपयोग करें। रात में खिड़कियां खुली रखें। निचली मंजिलों पर रहने का प्रयास करें।
- वनस्पतियों, पौधों इत्यादि से भरी छतें और दीवारें एवं इनडोर प्लांट भवन को प्राकृतिक रूप से ठंडा करके, एयर कंडीशनिंग आवश्यकताओं को और अपशिष्ट गर्मी को कम करते हैं।
- एसी का तापमान 24 डिग्री या उससे अधिक बनाए रखें। यह आपके बिजली के बिल को कम करेगा और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा।

○ **नया घर बनाते समय:—**

- नियमित दीवारों की बजाय कैविटी बॉल तकनीक का उपयोग करें।
- चौड़ी दीवारें बनवाएं। वे घर को ठंडा रखती है।
- जालीदार दीवारों और लोब वाले उद्घाटनों का निर्माण करें। वे अधिकतम वायु—प्रवाह कर गर्मी को अवरुद्ध करते हैं।
- दीवारों को रंगने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे चूने या मिट्टी का उपयोग करें।
- यदि संभव हो तो कांच के इस्तेमाल से बचें।
- निर्माण करने से पहले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ से सलाह लें।

○ **मवेशी के लिए:—**

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दें।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न लें।

- शेड की छत को पुआल से ढक दें, तापमान कम करने के लिए इसे सफेद रंग चूने से रंग दें या गोबर से लीप दें।
- शेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फॉगर्स का प्रयोग करें।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान, पानी का छिड़काव करें और मवेशियों को ठंडा करने के लिए एक जल निकाय पर ले जाएं।
- उन्हें हरी घास, प्रोटीन वसा बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

➢ **क्या न करें:–**

- धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 और 3 बजे के बीच ।
- यदि दोपहर में बाहर हों, तो भारी कामों से बचें।
- नंगे पांव बाहर न जाएं।
- दिन के सबसे गर्म समय के दौरान खाना पकाने से बचें। खाना पकाने वाले हिस्से को हवादार बनाए रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें।
- शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। ये शरीर को निर्जलित करते हैं।
- अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें। बासा भोजन न करें।
- पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें, वे गर्म हवा से प्रभावित
- हो सकते हैं।
- ऐसे बल्बों का उपयोग करने से बचें जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे हीं जैसे कि लगातार चलते हुए कंप्यूटर या बिजली के उपकरण ।

➢ **लू से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए टिप्स:–**

- तापमान को कम करने के लिए पीड़ित के सिर पर गीले कपड़े का उपयोग करें/पानी डालें।
- व्यक्ति को ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)/ नींबू शरबत/तोरानी अथवा जो कुछ भी शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिए उपयोगी हो, पीने के लिए दें।
- व्यक्तिको तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं।
- यदि लगातार उच्च तापमान बना रहता है और सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मतली या भटकाव आदि के लक्षण स्पष्ट महसूस हों तो ऐसी स्थिति में 108 नंबर पर एम्बुलेंस को कॉल करें।

➢ **तापघात के लक्षण:–**

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ जाना

➢ **तापघात से बचाव के उपाय:–**

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगडी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।

- अगर व्यक्ति तापघात से पीडित हो तो शरीर के चारो तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपडे हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- नमक चीनी का घोल पानी के साथ पीना लाभप्रद है।
- यदि तबीयत जयादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढातें हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

➤ जिला प्रशासन की जिम्मेदारीः—

क्र. सं.	विवरण	संबंधित विभाग
1.	1. हीट वेव के सबंधं में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभाग द्वारा प्राप्त एडवाईजरी अनुसार प्रशिक्षण दिया जाकर इस पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित करना। 2. इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं अपने विभाग द्वारा समय—समय पर जारी होने वाली एडवायजरी के अनुसार पालना/अवश्यक कार्यवाही कर/करवाकर पालना रिपोर्ट से हीट वेव प्रबंधन—2025 के जिला स्तरीय नोड़ल अधिकारी को अवगत करवाया जाना। 3. इस संबंध में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (संलग्न हीटवेव एक्शन प्लान 2025) तथा अपने विभाग द्वारा जारी एक्शन प्लान अनुसार हीट वेव से पहले (फरवरी से मार्च में) तैयारी करना, हीट वेव के दौरान (अप्रेल से जून) प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करना व हीट वेव के बाद (जुलाई से अक्टूबर) फीडबैक तैयार करना तथा विभाग के अनुसार डेटा तैयार कर संबंधित ऐजेंसी को भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करना। 4. आमजन को गर्मी के मौसम में क्या करें और क्या न करें, इस बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। 5. इस संबंध में विभाग से संबंधित पोस्टर आदि तैयार करवाकर आमजन को जागरूक करने हेतु लगाना। 6. कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों को सचेत एप डाउनलोड करने हेतु पाबंद किया जाना।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् धौलपुर। 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर 3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर 4. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर 5. संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर 6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर 7. श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर 8. अधीक्षण अभियंता PHED/ JVVNL धौलपुर 9. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर 10. आयुक्त नगरपरिषद्, धौलपुर 11. मुख्य आगार प्रबंधक RSRTC धौलपुर 12. समस्त जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीण, धौलपुर ।

	7. जरिये ई–मेल, वाट्सएप ग्रुप या सचेत एप द्वारा हीट वेव अलर्ट संदेश प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही करना तथा उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय वाटसएप ग्रप बनाकर रियल टाइम सूचना प्रसारित करनाः 8. सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से अपने विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों / ब्लॉक / पंचायत स्तरीय समस्त कार्यालयों को इस संबंध में सूचित कर पाबंद करेंगे।	
2.	1. हीट वेव से प्रभावित मरीजों एवं मृत्यु के आँकड़ों का संकलन कर सूचना प्रेषित करना 2. आवश्यक दवाओं मय ओआरएस / IV Fluids की उपलब्धता करवाकर हीट वेव से बचाव के प्रोटॉकोल का पालन करना 3. सभी चिकित्सा विभाग की संस्थाओं में आपातकालीन वार्ड बनाकर आस पास के क्षेत्र में हीट वेव संबंधित बीमारियों के रोकथाम के सुझाव व बचाव के तरीकों का प्रदर्शन करना 4. हाई रिस्क एरिया की पहचान कर रूट मैप तैयार करना एवं वहा पर हीट वेव के सबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाना और तद्नुसार अन्य तैयारियां करने के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करना 5. हीट वेव से प्रभावितों की संख्या ज्यादा होने पर मरीजों को पास के चिकित्सालय में डायवर्ट करने का रोड मैप तैयार करना 6. जिला प्रशासन से समन्वय कर समय समय पर जिले में अन्य विभागों हेतु उक्त के संबंध में एडवाइजरी जारी करवाना 7. लू–तापघात से मृत्यु होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया जाना एवं लू–ताप से Confirm मृत्यु की जाँच हेतु गठित जिला स्तरीय तीन सदस्यीय Heat Death Investingation Committee कमेटी द्वारा जिन प्रकरणों में Confirm Death पायी जाती है, उनकी सूचना समय समय पर इस कार्यालय को भिजवाया जाना 8. अन्य विभागों द्वारा सहयोग चाहे जाने पर नियमानुसार सहयोग करना।	1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर 2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर
3.	1. हीट वेव एक्शन प्लान को जिलें में स्थित सभी शिक्षण संस्थानों को प्रेषित कर शिक्षकों एवं छात्र / छात्राओं के लिए जागरूकता शिविर एवं कक्षाएं आयोजित करवाना, पम्पलेट / पोस्टर का वितरण करना तथा SOP जारी करना तथा छात्र / छात्राओं को (क्या करें, क्या ना करें) एवं उक्त के सबंध में अपने अभिभावकों को भी जानकारी देने हेतु निर्देशित करना। 2. सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के लिए छाया / पानी / छत पंखे की उपलब्धता, स्कूल बसों के लिए टीन सेड की व्यवस्था और अन्य	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, धौलपुर 2. प्राचार्य प.न.कि. पीजी कॉलेज दौसा (नोडल अधिकरी उच्च शिक्षा विभाग धौलपुर ।) 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर 4. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धौलपुर । 5. उपनिदेश, महिला एवं बाल विकास विभाग, धौलपुर । 6. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं

	सुविधाओं की व्यवस्था करवाना 3. छात्रावासों में वातावरण को ठण्डा रखने हेतु पर्याप्त पानी व बिजली की आपूर्ति और पंखे कूलर की व्यवस्था और मौसम अनुसार प्राथमिक चिकित्सा किट मय ओआरएस व खानपान की व्यवस्था 4. हीटवेव के दौरान जिले में संचालित समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों/मां बाडी केन्द्रों का समय परीर्वतन एवं अत्यधिक हीटवेव के दौरान अवकाश करवाने की कार्यवाही करना/करवाना। 5. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त हवा हेतु पंखों एवं छाया(shade) आदि की व्यवस्था सुनिश्वित की जावें। 6. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 7. जिन विद्यालयों में कक्षा कक्ष कम हैं/क्षतिग्रस्त या खुले में हैं/निर्माणाधीन हैं, ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में नहीं बिठाया जाने एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टेंण्ट छाया की व्यवस्था सुनिशचित की जाये। 8. सभी स्कूलों में भीषण गर्मी, हीट वेव लू से बचने के लिए एवं उल्टी, अपचन, जी घबराहट ज्वर से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह से विद्यार्थियों की उम्र अनुसार आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट (Firstaid kit) में पर्याप्त आवश्यक दवाए एवं ORS Kit रखना सुनिश्चित करे। 9. कोई भी खेल प्रशिक्षण या ड्रिल, पी.टी, आउटडोर गतिविधियां अथवा कैम्प भीषण गर्मी के दौरान खुले में नहीं करवाया जावे। 10. परिवहन के ऐसे साधन जो खुले हो एवं सीधे धूप के संपर्क में हो. ऐसे साधनों से बच्चों का स्कूलों से परिवहन नहीं करवाया जाये एवं वाहन चालकों को अपने वाहनों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट रखने हेतु निर्देशित किया जाये। 11. राजस्थान में विद्यालयों में वाटर बैल बजाई जावे, जिससे कि कम से कम छोटे–छोटे ब्रेक्स पेयजल एवं बाथरूम के लिए सुनिश्चित हो सके और इस दौरान स्कूल प्रंबधन द्वारा छोटे बच्चों को अपने सुपरविजन में स्वच्छ पेयजल पिलाना सुनिश्चित किया जावे। 12. सभी MC,SDMC द्वारा PTM / सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने हेतु अभिभावकों को विशेष ध्यान व निगरानी रखने हेतु प्रेरित किया जावे।	अधिकारिता विभाग धौलपुर 7. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय समस्त जिला धौलपुर
4.	1. हीट वेव की प्री चेतावनी के साथ आमजन तक वितरण हेतु स्थानीय भाषा में हीट वेव पर पैम्पलेट/पोस्टर/जिंगल/हॉर्डिंग जागरूकता सामग्री तैयार कर प्रिटं/ इलेक्ट्रोनिक	1. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रद्यौगिकी एवं संचार विभाग, धौलपुर 2. उप निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, धौलपुर

	मीड़िया/सोशल मिड़िया के जरिये प्रचार प्रसार करना। 2. विभाग के उच्च अधिकारियों व अन्य के माध्यम से जिला स्तर पर हीट वेव संबंधित जोखिम व बचाव के उपायों पर नियमित प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन करना। 3. प्रतिदिन सभी प्रकार के मीड़िया से हीट वेव के सबंध में रिपोर्ट एकत्रित कर रिपोर्ट करना। 4. हीटवेव से संबंधित जारी होने वाले प्रमुख आदेश/परिपत्र आदि को दौसा जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना। 5. लोगों को अत्यधिक गर्मी की स्थिति के बारे में सचेत करने के लिए लघु संदेश सेवा (एसएमएस), एफएम, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल ऐप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अलर्ट जारी करना	
5.	1. हीट वेव के सबंध में नियोक्ताओं, बाहरी मजदूरों एवं श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना। 2. खुले में काम करने वाले सभी श्रमिकों (जिनमें कुली, ठेला और रिक्शा चालक अदि शामिल है) नियोक्ताओं/कारखानों/ठेकेदारों/हाउस साईड गैर फैक्ट्रियों की सूची तैयार कर उन्हें हीट वेव की चेतवानी एवं परामर्श जारी करना एवं हीट वेव के उच्च जोखिम के दिनों के दौरान कार्यस्थल पर शीतल पेयजल, ओआरएस एवं आश्रय स्थल की व्यवस्था और बाहरी श्रमिकों को दोपहर 12 से 04 बजे के अति0 अन्य समय में कार्य उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करना। 3. हीटवेव के दौरान श्रमिकों को जागरूक किया जावे कि क्या करें व क्या न करें।। 4. चिकित्सा विभाग से संपर्क कर समय समय पर श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच हेतु कैम्प आयोजित करवाना।	1. श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र धौलपुर 2. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको धौलपुर
6.	1. उच्च जोखिम के दिनों के दौरान मनरेगा के समय का पुनर्निर्धारण कर कार्यस्थल पर शीतल पेयजल, ओआरएस एवं छाया की व्यवस्था करना तथा मनरेगा कार्मिकों को हीट वेव के सबंधं में जागरूक करना। 2. सर्वे करवाकर असुरक्षित आबादी वाले स्थानों पर आश्रय/गृहस्थलों की स्थापना करना व निराश्रित/बेघर, भिखारी घरों व वृद्ध आश्रमों में शीतल पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य किट मय ओआरएस एवं कूलर पंखों की व्यवस्था करना तथा नजदीकी राजकीय चिकित्सा सुविधाओं के नाम एवं संपर्क नम्बर का पूर्ण विवरण प्रदर्शित करवाना। 3. कमजोर आबादी के क्षेत्र व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पानी की व्यवस्था करवाना 4. सार्वजनिक भवनों, मॉल, मंदिर आदि में शीतलन केन्द्र सक्रिय करवाना व सुबह/शाम के समय पार्कों को अधिक समय तक खुला रखना। 5. पक्षियों के लिए परिंडे लगाने हेतु आम जन को प्रेरित करना।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, धौलपुर 2. आयुक्त नगर परिषद् धौलपुर (नोड़ल अधिकारी समस्त नगर पालिका धौलपुर ।) 3. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरपालिका, धौलपुर । 4. अग्निशमन अधिकारी धौलपुर ।

	6. उक्त हेतु रॉटरी/लांयस कल्ब अदि अन्य एनजीओ का सहयोग लिया जाना 7. सभी अग्निशमन वाहन चालू हालात में हो व पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 8. एसओपी तैयार कर आमजन को जागरूक करना तथा सफाई वाहनों के हूपरों में ऑडियो मैसेज प्रसारित करना 9. प्रत्येक ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पेडों पर परिंडे लगवाने जाये एवं प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 10. हीटवेव से संबंधित जिंगल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर कचरा उठाने वाली गाड़ियों (हूपर) व होर्डिंगस के माध्यम से आमजन को जागरूक करना 11. प्रत्येक गांव में सर्वे कर पशुओं हेतु खेलिया रखी जावें एवं प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चितता की जावें। 12. विशेष अभियान चलाया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर पब्लिक एवं प्राईवेट फैसेलिटी की सूची प्राप्त कर 10 दिवस में फायर संबंधित उपकरणों का परीक्षण एवं एनओसी की जांच करवाकर हैल्थैसेलिटी/अस्पताल से संबंधित समस्त लंबित फायर एनओसी का नियमानुसार निस्तारण करना। 13. उक्तानुसार की गयी कार्यवाही की पालना रिपोर्ट मय आंकडों के समय समय पर इस कार्यालय को प्रेषित करना।	
7.	1. सभी गौशाला संचालकों, मवेशी व मुर्गी पालकों को हीट वेव के सबंधं में प्री चेतावनी प्रसारित करवाना तथा उन्हें उक्त हेतु प्रशिक्षण दिलवाना व छाया पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु पाबंद करवाना। 2. चिकित्सा संस्थाओं पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाये रखना व हीट वेव से प्रभावित क्षेत्र का चिन्हीकरण करना एवं डेटा एकत्रित कर प्रेषित करना। 3. गौशालओं में लू–तापघात से बीमार गौवंश का उपचार करने व समय समय पर चिकित्साकर्मी द्वारा गौशालाओं में विजिट कर सुरक्षात्मक उपाय किया जाना। 4. जल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाना। 5. आमजन द्वारा स्वंय के घर के आगे पानी की खेलियां बनाई जाकर स्वच्छ पानी गोवंश हेतु उपलब्ध करवाने व किसी भी गोवश में तापाघात के लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सालय में सूचना देने के लिए समाज में इस हेतु अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जायें। मृत गोवंश के शव का निस्तारण यथा शीघ्र एवं	1. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर

	सम्मानजनक ढंग से किया जावे, जिससे गर्मी के कारण शव का Putrification (विघटन) न होने पाये और बीमारी का खतरा उत्पन्न ना हो। 6. पशुओं एवं गौवंश में लू–ताप घात के मुख्य लक्षणों, बचाव के उपाय व तापघात के उपचार के संबंध में विभाग की गाईडलाईन के अनुसार आमजन को जागरूक करना। 7. Prevention of Cruelty to draughtand packanimals rule, 1965and Prevention of Cruelty toanimalsact, 1960के तहत हीट–वेव के दिनों में भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखना। 8. लू–तापघात से पशु क्षति की सूचना का संकलन कर समय समय पर इस कार्यालय को भिजवाया जाना।	
8.	1. यात्रियों हेतु जागरूकता अभियान चलाना एवं पम्पलेट/पोस्टर वितरण/चस्पा करना 2. बस/ऑटो स्टेशनों/सड़कों औरा राजमार्गों के पास यातायात संकतों अन्य भीड़ वाले स्थानों पर छाया/आश्रय पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य किट मय ओआरएस व आईस पैक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	1. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी दौसा 2. मुख्य आगार प्रबंधक RSRTC दौसा 3. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर 4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धौलपुर
9.	1. किसानों के साथ बैठक कर उन्हें हीट वेव के संबंध में जागरूक करना। 2. विभागीय एडवाइजरी व गाईडलाईन अनुसार समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना व समय समय पर किसानों को प्री चेतावनी, बचाव के उपाय व बरती जाने वाली सावधानियों के बारें में जानकारी प्रदान करना	1. सयुक्त निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर सहायक निदेशक उद्यानिकी विभाग धौलपुर
10.	1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं एवं आंगनबाड़ियों में पोषण संसाधन की उचित व्यवस्था का प्रबंधन करना तथा बच्चों एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर हीट वेव के प्रभ्सूखे की सूचना व जागरूकता हेतु निगरानी तंत्र बनाना। 2. आंगनबाडी केन्द्रों पर पेयजल, प्राथमिक उपचार, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना व छाछ व ओआरएस व अन्य पुनर्जलीकरण तरीकों की उचित व्यवस्था का प्रबंधन करना व मध्यान्ह भोजन में सम्मिलित करना। 3. हीटवेव के दौरान जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में परिर्वतन या अवकाश घोषित करवाने संबंधित कार्यवही करना/करवाना।	1. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर
11.	1. पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों पर हीट वेव से संबंधित बचाव में जागरूकता हेतु पोस्टर व हॉर्डिंगस लगवाना। 2. पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त शीतलन उपकरणों आदि की व्यवस्था करवाना। 3. मौसम चेतावनी पर नजर रखना व रेड अलर्ट के दौरान पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों पर विजिटिंग समय में परिवर्तन करना/करवाना। 4. "जिले में कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे" इस उद्देश्य से राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों,	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, धौलपुर 2. समस्त, उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर 3. विकास अधिकारी समस्त पंचायत समिति, 4. जिला धौलपुर अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरपालिका, धौलपुर ।

	अस्पतालों, बस स्टेण्ड आदि, सार्वजनिक एवं सुगम्य स्थानों पर विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से मटकियों वाली प्याऊ अथवा वॉटर कूलर आदि से पेयजल व्यवस्था करने हेतु भामाशाहों/गैर सरकारी संगठनों/कार्मिक संगठन/धार्मिक ट्रस्टों आदि को प्रेरित कर उक्त पुनीत कार्य को करवाये जाने की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उनके नियमित रख रख्सूखे एवं संचालन की व्यवस्था स्वयंसेवी संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों आदि के माध्यम से की जानी अपेक्षित है। 5. जन स्वा० अभि० विभाग द्वारा सार्वजनिक प्याऊ अथवा वॉटर कूलर हेतु पेयजल की उपलब्धता के आधार पर करवाये जाने के प्रयास करना। 6. सार्वजनिक भवनों, मेलों, धार्मिक स्थलों आदि में "शीतलन केंद्रों" को सक्रिय करना।	
12.	1. नियमित जांच कर रखरख्सूखे या मरम्मत करवाकर सभी पेयजल सुविधाएं चालू करवाना और आने वाले समय में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयारी करना। 2. जहां पानी की कमी या अपर्याप्त पानी की संभावना है उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर मोबाइल जल टैंक तैनात करना, अस्थायी जल वितरण स्थापित करना अतिरिक्त सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना। 3. पीने के पानी की उपलब्धता के बारे में आमजन को सूचित करना व पानी बचाने हेतु जागरूक करना। 4. पीने के पानी की मांग एवं आपूर्ति की सूचना समय समय पर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना।	1. अधीक्षण अभियंता PHEDधौलपुर
13.	1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखना एवं विद्युत कटौती की सूचना का संकलन कर इस कार्यालय को अवगत करवाया जाना। 2. गर्मी के मौसम एवं प्री चेतावनी अनुसार पीक हॉवरस्, विद्यालय समय में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखना। 3. चिकित्सा संस्थानों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सूचारू रखना। 4. फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम को शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी त्वरित कार्यवाही हेतु पाबंद कर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग करना। 5. PHED विभाग से समन्वय कर सुविधानुसार समय पर विद्युत आपूर्ति सूचारू रखना जिससे पेयजल की आपूर्ति सूचारू रूप से बनी रहें।	1. अधीक्षण अभियंताJVVNL धौलपुर
14.	लू–तापघात से मृत्यु होने पर सहायता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को एसडीआरफ नोर्म्स अनुसार सही पाये जाने पर उच्च स्तर पर अविलंब अग्रेषित किया जाना एवं आमजन तक प्रचार प्रसार किया जाना।	तहसीलदार, समस्त तहसील, धौलपुर
15.	1. जंगल में आगजनी को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना। 2. जंगल की आग की घटनाओं की सूची प्रतिदिन	उपवन संरक्षक, धौलपुर

	इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना।	
16.	1. पुलिस कार्मिकों को हीट वेव से बचाव के संबंध में जागरूक करना एवं आवश्यकता होने पर चिकित्सा कैम्प का आयोजन करवाया जाना। 2. फिल्ड में कार्यरत पुलिस कार्मिकों विशेषतः सड़क/चौराहो पर कार्यरत कार्मिकों हेतु शेड की व्यवस्था करवाया जाना।	पुलिस अधीक्षक, धौलपुर
17.	चुनाव मतदान के समय और अन्य सभी आवश्यक उपायों के लिए जिला चुनाव अधिकारी के साथ समन्वय करना।	प्रभारी अधिकारी, चुनाव अनुभाग, कार्यालय धौलपुर
18.	1. सुलभ एवं किफायती ठंडे पेयजल की सुविधाः अत्यधिक गर्मी की स्थिति के दौरान अल्पकालिक राहत उपाय के रूप में पीने योग्य ठंडे पेयजल और बर्फ के घोल की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. सम्पूर्ण मौसम के लिए शीतल कक्ष समर्पित शीतल कक्षों की स्थापना करना, जो पूरे गर्मी के मौसम में क्रियाशील रहें, तथा संवेदनशील आबादी को राहत प्रदान करें। 3. निकट भविष्य के मध्यनजर प्रकृति आधारित समाधान, निष्क्रिय शीतलन समाधान, कूल रूफिंगः शहर के गर्म क्षेत्रों में प्रकृति आधारित समाधान (वृक्षारोपण, हरित गलियारे, शहरी वन, झील कायाकल्प) को शामिल करना, इमारतों में निष्क्रिय शीतलन तकनीकों को शामिल करना, विशेष रूप से सभी सार्वजनिक भवनों में निष्क्रिय शीतलन समाधान के भाग के रूप में कूल रूफिंग तकनीकों को शामिल करना ताकि गर्मी के जोखिम को कम किया जा सके और इन उपायों को व्यापक कूल एक्शन प्लान फ्रेमवर्क के भीतर एकीकृ त किया जा सके।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, धौलपुर 2. उपखण्ड़ अधिकारी, समस्त 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर 4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल समस्त 5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर 6. आयुक्त नगरपरिषद्, धौलपुर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त
19.	हीटवेव के दौरान राजमार्गों पर ट्रक चालकों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। मोटर परिवहन श्रमिकों/चालकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) का ख्याल रखने के लिए निम्नांकित कुछ उपायों को तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1. बेड़े/fleet के मालिकों को आवश्यक उपाय करने चाहिए जैसे कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, मुफ्त ओआरएस पाउच उपलब्ध कराना तथा राजमार्गों पर ट्रक चलाने के लिए ड्राइवरों के काम के घंटे को 11.30 बजे से 4.30 बजे के बीच अनिवार्य रूप से सीमित करना। 2. ट्रक निर्माताओं, टायर निर्माताओं, मोटर बीमा कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के सीजीडी खुदरा आउटलेट द्वारा सहायता और अन्य सीएसआर उपाय करना। 3. फैक्ट्री गेटों पर ड्राइवरों के लिए अतिरिक्त विश्राम स्थल बनाने के लिए कहा जाना चाहिए और निर्माताओं द्वारा माल की लोडिंग/ऑफ लोडिंग उनके गोदामों में तुरंत की जानी चाहिए। 4. मोटर परिवहन श्रमिकों/चालकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) का ख्याल रखने	1. क्षेत्रीय/परिवहन अधिकारी, धौलपुर 2. जिला रसद अधिकारी, धौलपुर 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर सहायक खनि अभियंता, दौसा। 4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, धौलपुर

	के लिए उपरोक्त कुछ उपायों को तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए।	

उक्त के संबंध में प्रभारी अधिकारी सहायता एवं अति0 जिला कलक्टर, लालसोट को हीट वेव प्रबंधन–2025 का जिला स्तरीय नोड़ल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

9. शीतल तरंगेः–

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 सें. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

➢ **लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिएः–**

- ज्यादा कपडे पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपडेां की ज्यादा परतें, एक गर्म कपडें की बनाए ज्यादा गर्म होता है।
  - गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आ कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जांए।
  - मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
  - पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
  - अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
  - समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
  - संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफीन व मदिरा से परहेज करें।
  - अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुंह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
  - सूखे रहें। गीले कपडे तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
  - गर्म कंबल या चद्दर का इस्तेमाल करें।

➢ **शीतलहर से पहलेः–**

- सर्दियों के कपड़े पर्याप्त मात्रा में रखें। कपड़ों की कई परतें पहनना भी लाभदायक रहता है।
- आपातकालीन आपूर्तियों के लिए सभी सामान तैयार रखें।

➢ **शीतलहर के दौरानः–**

- पर्याप्त पानी स्टोर करें क्योंकि पाइपों में पानी जम सकता है। जितना संभव हो, घर के अंदर रहें। ठंडी हवा से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें।
- अपने शरीर को सुखाकर रखें। यदि कपड़े गीले हो जाएँ तो उन्हें तुरंत बदलें। इससे शरीर की उष्मा बनी रहेगी।
- दस्ताने के बजाय मिट्टन्स को प्राथमिकता दें। मिट्टन्स अधिक गर्मी और तापावरोधन प्रदान करते हैं।
- मौसम की ताजा जानकारी के लिए रेडियो
- सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें।

- नियमित रूप से गर्म पेय पिएं।
- शराब न पिएं। यह आपके शरीर के तापमान को कम करता है।
- बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें।
- पर्याप्त पानी स्टोर करें क्योंकि पाइपों में पानी जम सकता है।
- शीतदंश के लक्षणों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, कानों की लोब और नाक की नोक पर सुन्नता, सफेदी या पीलेपन के प्रति सजग रहें।
- शीतदंश से प्रभावित हिस्से की मालिश न करें। इससे अधिक नुकसान हो सकता है।
- शीतदंश से प्रभावित शरीर के हिस्सों को गुनगुने पानी गर्म नहीं (शरीर के अप्रभावित भागों के लिए स्पर्श के लिए आरामदायक होना चाहिए) में डालें।
- कंपकंपी को नजरअंदाज न करें यह एक महत्वपूर्ण अग्रिम संकेत है कि शरीर गर्मी खो रहा है। कंपकंपी महसूस होने पर तुरंत घर लौटें।
- हाइपोथर्मिया के मामले में:
- व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाएं और कपड़े बदल दें।
- व्यक्ति के शरीर को शारीरिक संपर्क, बिजली के कंबल, सूखे कंबलों, कपड़ों, तौलियों या चादरों से गर्मी दें।
- शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय पिलाएं, लेकिन मादक पेय न दें।
- जितनी जल्दी हो सके, व्यक्ति को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराएं।

➢ जिला प्रशासन की जिम्मेदारीः–

क्र.स	संबंधित विभाग	विवरण / जिम्मेदारियां
1.	समस्त विभाग	• अपने–अपने विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना की जावें।
2.	ब्लॉक स्तरीय नोड़ल अधिकारी / उपखण्ड़ अधिकारी	• शीत लहर से संबंधित बीमारियों और मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ :– • प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अंतर– एजेंसी समन्वय स्थापित करना। • जब अत्यधिक तापमान का पूर्वानुमान हो तो शीत चेतावनी और स्थानीय प्रतिक्रिया ब्लॉक को सक्रिय करें। • पूर्वानुमान की गंभीरता और स्थापित सीमा के अनुरूप आवश्यक होने पर शीत चेतावनी स्तर की निगरानी करना और उसे बढ़ाना, साथ ही ब्लॉक नोडल अधिकारी द्वारा प्रमुख एजेंसी नेताओं की विशेष बैठक में इसकी जानकारी देना। • शीत अलर्ट के दौरान रिपोर्टों और नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए लगातार, यथासंभव दैनिक कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और सुनिश्चित करें कि संचार तंत्र /सूचनाओं का प्रसारण चालू रहें। • ब्लॉक में अधिक जनसंख्या वाले स्थानों की पहचान करें और वहां तापमान का सार्वजनिक प्रदर्शन स्थापित करना। • महत्वपूर्ण संकेतकों की निगरानी के साथ– साथ तापमान डेटा और पूर्वानुमान की निष्क्रिय और सक्रिय निगरानी जारी करना। • शीत चेतावनी समाप्त होने पर संचालन समिति और संबंधित एजेंसियों को सूचित करना। • स्थानीय स्तर पर "शीत लहर से बचाव" से संबन्धित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करना / करवाना। • पर्यटन स्थलों में IMD द्वारा जारी शीत लहर (शीतघात) चेतावनी को

		प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना।
		• गैर– सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों के साथ सहयोग करनाः– • शीत लहर के मौसम में मंदिरों, सार्वजनिक भवनों, स्कूलों, कॉलेजों आदि स्थानों पर गर्म केंद्रों का विकास (हीटर) संवेदनशील आबादी को बिजली उपलब्ध कराना। • प्रभावित आबादी के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि ठंड की चेतावनी के दौरान प्रवासी आबादी के लिए रात्रि आश्रय 24x7खुले रहें। बाहरी श्रमिकों, झुग्गी समुदायों और अन्य कमजोर आबादी के लिए छायादार क्षेत्रों तक पहुँच का विस्तार करवाना।
3.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	• जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए जन जागरूकता और सामुदायिक पहुंच को बढ़ानाः– • प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "ब्लॉक नोडल अधिकारी" को शामिल करते हुए ठंड से संबंधित बीमारियों के खतरों क्या करे एवं क्या नहीं करें के बारे में स्थानीय भाषा में सार्वजनिक जागरूकता शुरू करना। • ठंड की चेतावनी के दौरान केंद्रीकृत ईमेल डेटाबेस के माध्यम से जनता को विस्तृत चेतावनी प्रसारित करना। • समुदाय के सदस्यों, स्कूल के प्रधानाध्यापकों, निजी चिकित्सकों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को सीधे संदेश भेजने के लिए एक एसएमएस अलर्ट प्रणाली / वाट्सऐप ग्रूप बनायें / बनानां। • शीत लहर की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले समुदाय को ठंड से बचाव के सुझाव और कम तापमान की चेतावनी प्रसारित करने के लिए स्थानीय रेडियो का उपयोग करना। • सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप मोबाइल एप्लिकेशन / इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे संचार के अन्य तरीकों का उपयोग करनां। • शीत लहर सम्बंधित बीमारियों एवं खतरों से जन सामान्य के बचाव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नियमित प्रेस करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं / तैयारियां करना • भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी शीत लहर चेतावनी को जिला कमांड और नियंत्रण केंद्र (District Command, Control and Coordination Centre) के माध्यम से जन सामान्य तथा संबन्धित विभागों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना

4.	चिकित्सा विभाग	• शीत लहर से संबंधित बीमारियों और मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। • शीत लहर से संबंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों पर नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना। • स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता अभियान चलाना तथा शीत लहर के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में जनता को सूचित और शिक्षित करना तथा सभी संबंधित विभागों को प्रेषित करना। • स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अंतर– एजेंसी समन्वय को मजबूत करनाः– • ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) के साथ– साथ पीएचसी और सीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शीत लहर से संबंधित बीमारियों की तैयारी सुनिश्चित करना। ठंड के मौसम के दौरान केस ऑडिट संचालन को सुव्यवस्थित करना • लहर की चेतावनी के दौरान एसडीओ/ ब्लॉक नोडल अधिकारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभ्सूखे की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करना। • शीत लहर की चेतावनी के दौरान मरीजों की आमद के अनुसार मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करना। • स्वास्थ्य सेवा वितरण, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के संबंध में असुरक्षित आबादी वाले उच्च जोखिम वाले गांवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। • व्यवहार्यता और आवश्यकता के अनुसार विभाग के निर्देशानुसार नए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती। • जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में शीत लहर प्रभावितों के उपचार हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाई जावे। • सभी स्वास्थ्य पेशेवरों, कर्मचारियों को प्रारंभिक चेतावनी संबंधी जानकारी प्रसारित करना। • शीत लहर से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबन्धित सुझाव, जिले के सभी अस्पतालों के बाहर प्रदर्शित करना। • शीत लहर ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयों, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर आशा कार्यकर्ता के पास उपलब्ध करवाना विशेषकर शीत लहर से उपचार हेतु दवाइयों का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश जारी करना। • विशेष रूप से ठंड केंद्रित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त चिकित्सा और दवा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • शीत लहर ग्रसित रोगियों के चिकित्सा हेतु चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था करना। • कमजोर समूह–जैसे बच्चों, दिव्यांगों, महिलाओं और वृद्धों की विशेष देखभाल हेतु व्यवस्था करना। • जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक आउटरीच बढ़ानाः– • रोगियों और सामान्य समुदाय को ठंड से संबंधित बीमारी के बारे में शिक्षित करें, रोकथाम के सुझाव दें (उप– केंद्रों / पीएचसी / सीएचसी / यूएचसी)
5.	स्कूल शिक्षा विभाग/ महिला एवं बाल विकास	• जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए छात्रों की जागरूकता और सामुदायिक आउटरीच बढ़ानाः– • छात्रों और बच्चों दोनों के लिए स्कूलों में जागरूकता और ज्ञान प्रसार

	विभाग	की निरंतर गतिविधि। • परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों के साथ– साथ समुदाय के सदस्यों को शीत लहर की रोकथाम के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में स्थानीय भाषा में शिक्षित करना। • आंगनबाड़ी, स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा शीत लहर से संबन्धित दी गई चेतावनी अनुसार आवश्यकतानुसार एवं विधिवत स्कूल खुलने के समय में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करना। • शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को गरम रखने की यथोचित व्यवस्था करना। • शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। • अस्पतालों/आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/विभागों के संपर्क नं. का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था करना। • गंभीर रूप से शीत लहर से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन तथा विद्यालय के ज़िम्मेदार शिक्षक का नामांकन/चिन्हांकन करना। • शैक्षणिक संस्थाओं में आवश्यकतानुसार "शीत लहर से बचाव" से संबन्धित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव बैनर लगाना • शीत लहर (शीतघात) प्रबंधन के सम्बन्ध में शिक्षकगण विद्यार्थियों को कक्षाओं में अवगत करावें। • प्रचार सामग्री को ज़िले की सभी विद्यालयों पर प्रदर्शित करना।
6.	परिवहन विभाग	• बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर आवश्यकतानुसार फर्स्ट ऐड बॉक्स की व्यवस्था, शीत लहर (शीतघात) प्रभावितों के उपचार की व्यवस्था करना। • जिला प्रशासन से विचार विमर्श उपरांत न्यूनतम तापमान / शीत लहर (शीतघात) / घने कोहरे की स्थिति के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय को परिवर्तित करने हेतु विचार करना।
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	• ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहाँ बेघर लोग अधिक हो तथा उन जगहों पर आश्रय / रैन बसेरा की व्यवस्था करना। • ऐसे लोगों के शीत लहर (शीतघात) से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुँचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
8.	श्रम विभाग/उद्योग विभाग	• औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रो के कामगारों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना। • उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।
9.	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग	• असुरक्षित आबादी के लिए आश्रय और छाया, पानी, बिजली स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनाः– • जाँच करते रहें कि निर्मित/चयनित/विकसित आश्रय स्थान सही स्थान पर है और उपयोगी हैं। • पंचायत भवनों में शीत लहर से बचाव के उपायों से संबन्धित प्रचार प्रसार करना। • शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता करवाना। • श्रमिकों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना। • प्रचार सामग्री को ज़िले की सभी ग्राम पंचायत, तथा सार्वजनिक

		स्थलों पर प्रदर्शित करना।
10.	नगरीय विकास विभाग	• असुरक्षित आबादी के लिए आश्रय और छाया, पानी, बिजली स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनाः– • जाँच करते रहें कि निर्मित/चयनित/विकसित आश्रय स्थान सही स्थान पर है और उपयोगी हैं। • चिकित्सा सुविधाओं, बिजली, भोजन, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय / रैन बसेरा का संचालन करना। • बेघर/प्रभावित लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित की जाये। • इन चिन्हित स्थलों पर शीत लहर से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फ़र्स्ट ऐड बॉक्स रख कर आपात स्थिति में इसके उपयोग से संबन्धित आवश्यक निर्देश लिखवाना। • स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलेंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो। • इन चिन्हित स्थलों पर "शीत लहर से बचाव" से संबन्धित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगवाना। • बेसहारा एवं बेघर व्यक्ति सड़क मैदान में पाए जाने पर अलावा की व्यवस्था करवाना। • स्वयंसेवी संगठनों के मध्याम से कम्बलों की व्यवस्था कर उन्हें प्रदाय करना। • प्रचार सामग्री को ज़िले की सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषद/नगर पंचायत तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करना।
11.	अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनल विभाग	• समुदाय में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करना। • संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें यहां तक कि यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यस्थलों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था करना/करवाना। • महत्वपूर्ण सुविधा केन्द्रों जैसे अस्पताल और पी.एच.सी./सी.एच.सी. में बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देना। • बिजली संयंत्रों में सभी रख रख्सूखे गतिविधियों को समयानुसार पूरा करना ताकि शीत लहर (शीतघात) के दौरान पॉवर कट की स्थिति निर्मित नहीं हो।
12.	पशु–पालन विभाग	• पशुओं में शीत विकारों के प्राथमिक उपचार पर ध्यान दिए जावें इस संबंध में सभी संबंधितों को प्रशिक्षित करना। • पशुपालकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर उन्हें शीत लहर की स्थिति में होने वाले प्रभावों तथा अपनाए जाने वाले निवारक एवं उपचारात्मक उपायों क्या करें एवं क्या नहीं करे के बारे में स्थानीय भाषा में जागरूक किया जावें तथा जारी होने वाली चेतावनियों के प्रसारण हेतु संचार प्रणाली विकसित करना। • शीत लहरों के दौरान जानवरों और पशुधन को शीत लहर से बचाव हेतु विभाग की कार्य योजना बनाना। • पशुपालकों को बनाकर इस विभाग को भी अवगत करायें। साथ ही पशुचिकित्सालयों में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता करवाना।
13.	पुलिस विभाग	• घने कोहरे की स्थिति के दौरान यातायात प्रबंधन करना। • घने कोहरे के दौरान अग्रिम सुरक्षा उपाय लागू करना/करवाना। • आश्रय स्थल/रैन बसेरा में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करना।

14.	होमगार्डस एवं सिविल डिफेंस	• विभाग द्वारा आयोजित जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यकर्मों में शीत लहर (शीतघात) के दौरान आवश्यक सावधानी एवं बचाव से सम्बंधित जानकारी देना।
15.	कृषि विभाग / उद्यानिकी विभाग	• शीत लहर और ठंड, कोशिकाओं को भौतिक नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कीट का आक्रमण तथा रोग होने से फसल बर्बाद हो सकती है। फसल के अंकुरण तथा प्रजनन के दौरान शीत लहर से काफी भौतिक विघटन होता है इसके बढ़ने से फसलों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पण तथा पैदावार पर असर पड़ता है। इस हेतु कार्ययोजना बनाकर उसके अनुसार कार्यवाही करना। • विशिष्ट व्यवसायों (किसान, बागवानी आदि) के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर उन्हें शीत लहर की स्थिति में होने वाले प्रभावों तथा अपनाए जाने वाले निवारक एवं उपचारात्मक उपायों क्या करें एवं क्या नहीं करे के बारे में स्थानीय भाषा में जागरूक किया जावें तथा जारी होने वाली चेतावनियों के प्रसारण हेतु संचार प्रणाली विकसित करना।

10.रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँः—

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ रही हैं। कुछ बडी दुर्घटनाएँ जैसे— भोपाल गैस काड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएं अहम है। अपर्याप्त संसाधन, अप्रशिक्षित कार्यदल, ठोस कानून का अभ्सूखे एवं अग्नि एवं सुरक्षा ऑडिट की पालना न होना बढती आबादी के साथ एक बडे संभावित आपदा को चिन्हित कर रहा है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवतापूर्वक मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

➢ **प्रभ्सूखे** :—औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभ्सूखे निम्नलिखित हैः—

- जान की क्षति
- सूखे होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों / गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति
- साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभ्सूखे बडे क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

➢ **रासायनिक आपात स्थिति से पहलेः—**

- रसायनों, यहां तक कि आम घरेलू उत्पादों का भी, मिश्रण न बनाएं। कुछ संयोजन, जैसे अमोनिया और ब्लीच, विषाक्त गैसों का निर्माण कर सकते हैं।
- रासायनिक उत्पादों को ठीक से स्टोर करें।
- गैर—खाद्य उत्पादों को आसानी से पहचानने के लिए उनके मूल कंटेनरों में कसकर बंद कर रखें।
- इस्तेमाल न किये गए रसायनों को ठीक से निपटाएं। अनुचित निपटान स्थानीय जल आपूर्ति को दूषित कर सकता है।
- खतरनाक क्षेत्रों में धूम्रपान न करें और आग न लगाएं।
- यदि संभव हो तो खतरनाक रसायनों को संसाधित करने वाले उद्योगों के पास रहने से बचें।
- आपातकालीन संपर्क नंबरों को संभाल कर रखें। साथ ही आस—पास के खतरनाक
- उद्योगों के नंबर भी तैयार रखें।
- सरकार / स्वैच्छिक संगठनों / औद्योगिक इकाइयों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लें।
- सुरक्षित आश्रयों और उन तक पहुँचने के आसान एवं सुरक्षित मार्गों की पहचान करें।
- अपने परिवार के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें।
- एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो।
- रासायनिक आपात स्थिति के दौरान घबराएं नहीं। लक्षित मार्ग द्वारा जल्द से जल्द घर खाली कर दें।
- घर से निकलते समय चेहरे पर कपड़े का गीला टुकड़ा रखें।
- यदि आप घर खाली करने में असमर्थ हैं, तो सभी दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दें।

- सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर आपातकालीन सेवाओं (पुलिस, अस्पताल आदि) को सूचित करें।
- अफवाह न फैलाएं, न ही उनपर ध्यान दें या विश्वास करें।
- रासायनिक आपात स्थिति के बाद
- खुले भोजन/पानी आदि का सेवन न करें।
- एक सुरक्षित स्थान/आश्रय पर पहुंचने के बाद कपड़े बदल लें और ठीक से हाथ धोएं।
- पूरे अड़ोस–पड़ोस को रासायनिक खतरों और उनके इलाज के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार से अवगत कराएँ।
- आधिकारिक समाचारों और घोषणाओं के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और मोबाइल फोन देखें।
- सरकारी अधिकारियों को सटीक जानकारी दें।
- मौजूद खतरे से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की सटीक आवश्यकता से अधिकारियों को अवगत करवायें।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही

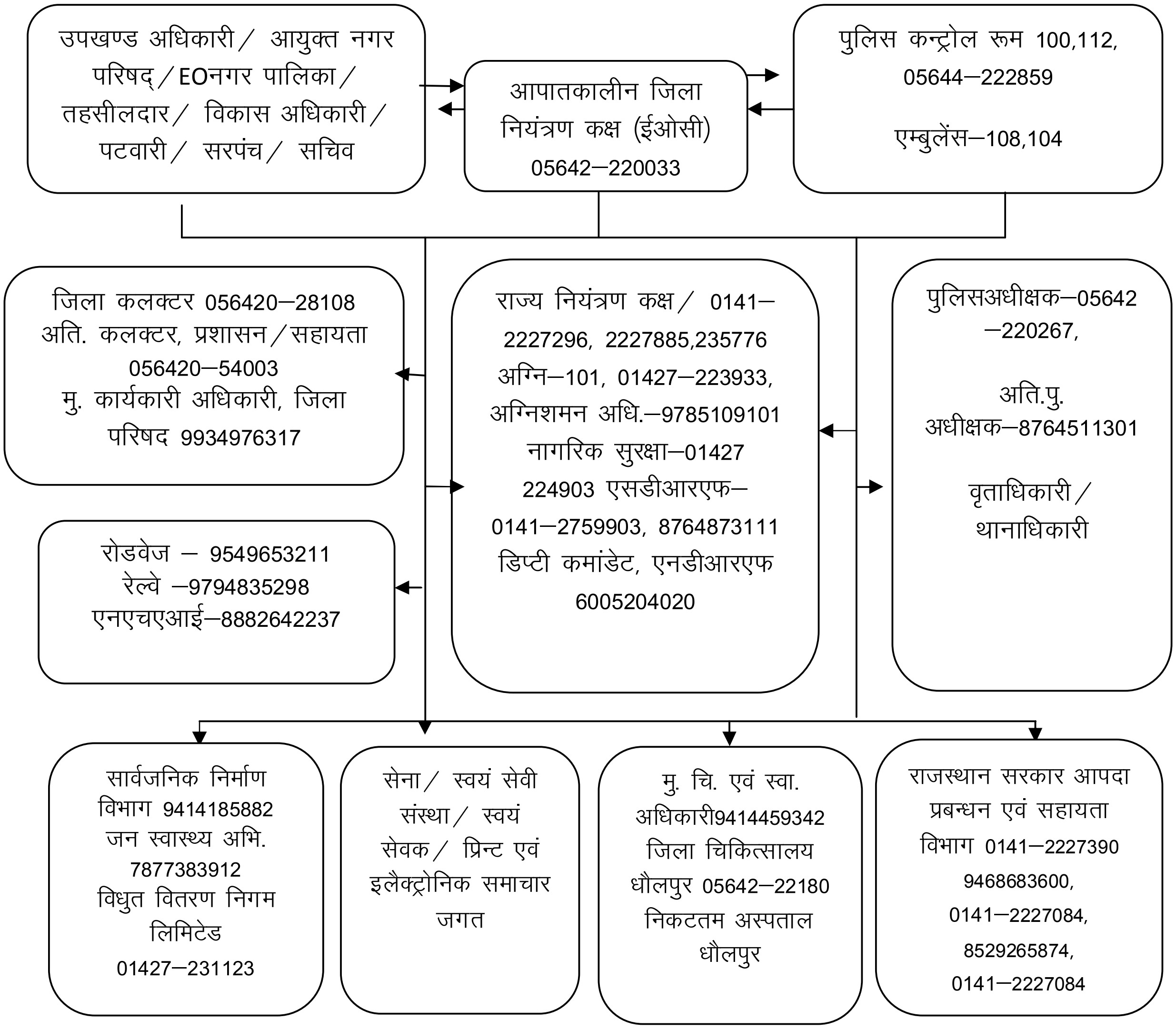

11.बायोलॉजिकल आपात स्थितिः—

महामारी एवं रोगों का फैलना बायोलॉजिकल आपदा की श्रेणी में आता है। पेड पौधे, पशुओं का सडना, जल का प्रदूषित होना, विषाक्त कीटाणुओं का फैलाव होना आदि से जीवन पर बुरा प्रभ्सूखे होता है। महामारी से बडे क्षेत्र में जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभ्सूखे पडता है और अधिक से अधिक मौतें होती है, जैसे कॉलरा, प्लेग, जापानी इन्फ्लुएंजा, एक्यूट एनसेफ्लायटिस सिंड्रोम इत्यादि। कुछ ऐसी भी महामारी है, जिसके कीटाणु विश्व एवं देश के सभी कोने में फैल कर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते है साथ अधिक संख्या में मौतें हो जाती है, जैसे एन्फ्लुएंजा एन1एन1, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि।

12.न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थितिः–

➢आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाहीः–

- किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर या रेडियोलोजिकल आपात स्थिति होने पर या आशंका होने पर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो नोडल ऐजेंन्सी का कार्य करता है, से सहायता के लिए सम्पर्क किया जाता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग में एक क्राईसिस मैजेजमेंन्ट ग्रुप है। आपात स्थिति में जिला कलेक्टर या अन्य अधिकृत अधिकारी मैनेजमेंन्ट ग्रुप को सूचित करेगा। यह ग्रुप मुम्बई में स्थित है जहां 24X7घण्टे नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहता है।
- क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप केवल परिस्थिति पर नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया (Respond)करने के लिए अपना विशेषज्ञ सलाह एवं सहायता देगा। यह विभाग Responderके रूप में कार्य नही करेगा।
- इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के अलग–अलग जगहों पर ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC)स्थापित किये हुए है।
- इसी क्रम में एक ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) जयपुर में परमाणु खनिज निदेशालय प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर में बनाया गया है।
- आवश्यकता पडने पर क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप को सूचना देने के साथ–साथ स्थानीय ईमरजेन्सी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) से सहायता ली जा सकती है।
- ERCके विशेषज्ञ टीम को क्राईसिस स्थल पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
- NDMAने देश के कुछ चुनिंदा पुलिस स्टेशन को न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही रेडियेशन मॉनिटर मुहैया कराये जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त NDMAकी बटालियन को केमिकल, बॉयोलोजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाती है तो प्रभावित लोगों के बीच आयोडीन बांटना आवश्यक है।

13.साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदडः–

➢ साम्प्रदायिक तनावः–

भारत देश में अनेक धर्मो के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वद्वंता एवं सामाजिक विद्वेषो तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगडे कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय संपत्ति का काफी नुकसान होता है।वर्तमान में इस दृष्टिकोण से सभी सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी सम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढचढ कर सम्मिलित होते है।फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगें हो जाये तो उन्हे कम करने हेतु जिला एवं स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते है। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभ्सूखे शाली लोगों को बुलाते है तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते है।

➢भगदड की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजनाः–

- संभावित भगदड स्थल का चिन्हीकरण।
- एक समय में कितने लोगों का एकत्रित होना।
- स्थल पर जाने– आने का रास्ता का चिन्हीकरण।
- सडक के आवागमन का नक्शा।
- स्थल पर भीड इकट्ठा होने की क्षमता (समय के अनुसार)
- एक समय में कितनी भीड ठहरती है।

- भीड के प्रबन्धन के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था।
- भीड वाले स्थल का खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान की रोकथाम के लिए चैकलिस्ट एवं सूचना तैयार करना।
- क्या—क्या खतरा हो सकता है, और उससे क्या नुकसान हो सकता है की सूची तैयार करना।
- आपात निकासी, नक्शा तैयार करना एवं विशेषज्ञ से जांच कर पारित कराना।
- आपातकालीन ठहराव स्थान एवं आवागमन के लिए नक्शा तैयार कर चिन्हीकरण करना।
- आवश्यक अग्नि चेतावनी व्यवस्था एवं अन्य चेतावनी बोर्ड लगवाना।
- भीड सम्बोधन यंत्र की व्यवस्था करना।
- प्रथम चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।
- ट्रोमा सेंटर एवं नजदीकी चिकित्सा सुविधा स्थापित करवाना।
- संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल, प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा लेना।

अध्याय : 16
आपदा प्रबन्धन में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी

1. नियंत्रण कक्षः–

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में 24x7 घंटे संचालित है।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है। जिला नियंत्रण कक्ष (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के फोन नं 05642–220033 एवं **टॉल फ्री 1077** है।

2. पुलिस विभागः–

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमलें, सिविल अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन. सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरीत करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियंत्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते बताना
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्यक सेवाओं के कार्य मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यो में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

3. नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.:–

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियंत्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यो को अन्जाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।
- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना। आश्रय स्थलों पर भोजन /पानी कपडें इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले में क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगो को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

4. राज्य आपदा प्रतिसाद बल **(State Disaster Response Force, SDRF)**राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद(मोचन) बल**(NDRF)**:–

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 02 टुकडी/कम्पनी सी–3 एवं सी–4 मय उपकरणों के साथ जिले में तैनात है जिसके किसी भी आपदा घटित होने पर तुरंत राहत एंव बचाव कार्य सम्बधी कार्यवाही की जाती है।

5. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः–

- नियमित एवं अन्य स्त्रोंतो से जल की उचित आपूर्ति।
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रेन्टस को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकरों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत होती है। आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बूस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरीन की व्यवस्था करावें ताकि दूषित पानी से निजात मिल सके।
- वृत कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर है। उपखण्ड/तहसील में कार्यरत फील्ड अधिकारियों के दूरभाष नम्बर अंकित है।
- बाढ, तूफान, भूकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहां नियमित रूप से जल स्त्रोत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।
- पानी की पाईप लाईनों की देख भाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसकी तत्परता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
- विभाग के समस्त उच्च जलाशयों/स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाशयों पर सीढियों पर गेट बनवाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाता हैं।
- सभी उच्च जलाशयों/ पम्प हाउसों पर 24 घन्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
- गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना, टैंकरो की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।
- अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रेन्टों को चिन्हित करना व उनको चालू हालात में रखना, साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
- आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

6. चिकित्सा विभागः–

- प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करना।

- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बूलेंस मय मेडिकल स्टाफ भिजवाना।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की उचित व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/ थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता।
- मौसमी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान पान की वस्तुओं को चैक करना।
- स्वयं सेवी एजेन्सीयों से सम्पर्क करना।
- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

7. गैर राजकीय संगठनः—

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

8. पशुपालनः—

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बीमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/ औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

9. नगर परिषद्/नगर पालिकाः—

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकार स्थितियों की देखभाल।राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बडे प्रतिष्ठानों की सूची।
- आश्रय स्थलों की उचित सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/ दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

10.खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः—

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।
- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे मदद के लिये सूचना देना।

11.जिला एवं स्थानीय प्रशासनः–

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पडने पर सेना से सहायता लेना।
- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनांए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

12.जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडः–

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचे।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुंचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- बाढ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पडे ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।
- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।
- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल करना।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई / कटौती की उचित व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (ऊपरी / भूमिगत) की उचित देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

13.पशुपालन विभागः—

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।
- आपदा की सूचना मिलने पर नियंत्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार करना
- घायल भर्ती पशुओं के चारे, दाने की व्यवस्था करना।
- आपदा स्थल पर पशु चिकित्सकों एवं पैरा वेट्नरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वेटेनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की मदद लेना।

14.सार्वजनिक निर्माण विभागः—

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य प्रकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

अयाय : 17

बाढ़ / अतिवृष्टि

1. शहरी बाढ़ः–

शहरी बाढ एक मानवीकृत आपदा है, अव्यवस्थित एवं बढती शहरी आबादी अचानक बाढ या शहरी बाढ के मुख्य कारक है। ड्रेनेज का नहीं होना, वर्षा जल के स्वाभाविक बहाव में रूकावट एवं जल का जमाव होना, निचले क्षेत्रों में आबादी का बढना शहरी बाढ को दिनों दिन गतिशील कर रहा है। जिसके कारण, महामारी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड रहा है। अचानक आई बाढ से लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाना, अधिक पानी के बहाव से कमजोर मकानों का गिरना एवं संसाधन की कमी, स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। धौलपुर जिले में चम्बल नदी में पानी की अत्यधिक आवक के कारण प्रतिवर्ष बाढ की स्थिति बनी रहती है।

शहरी बाढ़ से पहलेः–

- नालियों को साफ रखें इनमें कूड़ा, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें न फेंकें।
- घर के अंदर सुरक्षित रहें यदि उच्च ज्वार –और भारी बारिश एक साथ होती है तो घर पर रहने की कोशिश करें।
- सूचित रहें/ सतर्क रहें –मौसम संबंधी जानकारी और बाढ़ की चेतावनी के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें या समाचार पत्र पढ़ें।
- उत्तरजीविता कुंजी है– सुरक्षा और जीवन व्यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ एक आपातकालीन किट तैयार करें।
- अपने दस्तावेज़ और कीमती सामान वाटर–प्रूफ थैले में रखें।
- बाढ़ के पानी में जाने का जोखिम न उठायें।
- अफवाहों पर भरोसा न करें।

➢ **शहरी बाढ़ के दौरान और बाद मेंः–**

- सुरक्षा सुनिश्चित करें बिजली और गैस –कनेक्शन बंद कर दें, गैस लीक के लिए सतर्क रहें।
- त्वरित प्रतिक्रिया करें निचले इलाकों को –खाली कर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं।
- बीमारी से बचें पानी पियें । –उबला हुआ / क्लोरीनयुक्त
- संभाल कर कदम रखें सीवरेज लाइनों, गटर, चुभने वाली नुकीली मलबे से दूर रहें। वस्तुओं और –बिजली के सम्पर्क में आने से बचें – बिजली के आघात से बचने के लिए बिजली के खंभों और गिरी के तारों से दूर रहें।
- बहते हुए पानी में न चलें / न तैरें।
- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ड्राइविंग न करें।
- ऐसे भोजन का सेवन न करें जो बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हो।
- बिजली के क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग न करें।
- गीले फर्श, विशेष रूप से कंक्रीट पर, खड़े होने के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें।

2. बाढ़ः–

जिले में कुल 02 नदी के स्त्रोत/बेसिन है–चम्बल नदी एंव पार्वती नदी प्रावाहित होती है। विशेषतः चम्बल नदी में कोटा बैराज से निकलने वाले पानी की आवक होने पर जिले में बाढ की संभावना बनी रहती है।

➢क्षेत्र में बाढ के मुख्य कारकः–

- केचमेंट क्षेत्र में अधिक वर्षा।
- अचानक अधिक मात्रा में बांध एव जल संग्रहण क्षेत्र से पानी को छोडना।
- बडें जल संग्रहण क्षेत्र/बांध का टूटना या क्षतिग्रस्त होना।
- कम जल संग्रहण क्षमता।

विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां

1. समस्त संबंधित विभागः–

1. अपने विभाग का कंटीजेंसी प्लान तैयार कर उपलब्ध करवाना।
2. अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों एवं अन्य हितधारकों के नाम मय स्थान एवं दूरभाष संख्या की सूची उपलब्ध करवाना।
3. नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
4. पूर्व के वर्षों में प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का अवलोकन कर उनका मानसून से पूर्व स्थायी समाधान करवाकर निस्तारण करना या वैकल्पिक व्यवस्था करना/तैयारी करना।
5. आपदा बचाव एवं मानसून पूर्व की तैयारी 15 जून से पूर्व सुनिश्चित करना।
6. जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर (पटवारी व ग्राम सेवक) के अधिकारियों के दूरभाष की अद्यतन सूची जरिये ई मेल relief.dmdholpur@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाना।
7. उपरोक्तानुसार वांछित सूचना जिला नियंत्रण कक्ष, कार्यालय हाजा को उपलब्ध करवाया जाना।
8. अपने विभाग के समस्त कार्यालय/भवनों की छतों एवं नालों की साफ–सफाई आवश्यक रूप से करना/करवाना।
9. जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मानसून के समय में बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगे एवं अपना फोन चालू रखेंगे।
10. अपने विभाग के सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने एवं अपना फोन चालू रखने हेतु पाबंद करना।
11. **नागरिक सुरक्षा सेवा के संचालन, समन्वय एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अपने विभाग के कार्यों के साथ नागरिक सुरक्षा सेवा के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे।**
12. वर्षा जल संचय/संरक्षण के लिए विभाग के निर्देशों की पालना करना।
13. क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति यों (जो एसडीआरफ नियमानुसार अनुमत है) की तात्कालिक मरम्मत हेतु प्रस्ताव अविलम्ब निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्तुत करना।
14. अपने क्षेत्र में वर्षा की मात्रा एवं किसी भी प्रकार की आपदा से हुए नुकसान की सूचना तुरन्त जिला कन्ट्रोल रूम नं. 05642–220033 पर देते हुए ईमेल–आईडी relief.dmdholpur@rajasthan.gov.in पर मेल करना।
15. स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों को सचेत एवं दामिनी ऐप डाउनलोड करने हेतु पाबंद किया जाना।
16. मच्छर एवं मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए रक्षात्मक उपायः– प्रत्येक रविवार को अपने (कार्यालय व घर) आस–पास भरे पानी (स्वच्छ/अस्वच्छ) को खाली करना या उसमें केरोसीन डालना जैसे सुरक्षात्मक उपाय करना एवं इस हेतु आमजन को प्रेरित करना।
17. जरिये वाटसएप ग्रुप या सचेत एप या ई मेल द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा की चेतावनी प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

18. सरकारी वाहनों में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम दुरूस्त रखना।
19. आपदा प्रबंधन योजना एवं नागरिक सुरक्षा योजना का अध्ययन करना।
20. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा सूखा प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश http://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/Management-of-Drought-Hindi.pdf व बाढ़ प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश http://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/Management-of-Floods-Hindi.pdf पर उपलब्ध है। सूखे एवं बाढ़ से निपटने के लिए दिये गये दिशा निर्देशों की पालना करना।
21. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की Website https://dmrelief.rajasthan.gov.in/# पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्लान/आदेश/एक्ट/परिपत्र आदि उपलब्ध है, बाढ़ संहिता में बाढ़ के समय की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा–निर्देश दिंये गये हैं। बाढ़ संहिता के अध्याय–2 के बिन्दु संख्या vii पर सम्बन्धित विभागों के लिए अंकित निर्देशानुसार समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। राज्य की आपदा प्रबन्धन योजना भी वेब–साईट पर उपलब्ध है जिसके भाग–2 में बाढ़ बचाव कार्यों का विभागवार सम्पूर्ण उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
22. **उपरोक्तानुसार वांछित सभी सूचना बिन्दुवार तैयार कर <u>05 दिवस में</u>तथा प्रतिदिन चाही गई सूचना निर्देशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से मय सॉफ्ट कॉपी (हिन्दी फॉन्ट हेतु** DevLys 10**) ईमेल relief.dmdholpur@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।**

2. जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग :–

1. 15 जून 2025 से बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. मुख्यालय पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
3. बाढ़ या अतिवृष्टि की संभावना में प्रत्येक तहसील के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार कर जलभराव की स्थिति का सामना करने के लिये कार्य योजना तैयार करना।
4. विभाग में उपलब्ध वायरलेस सेटो को कार्यशील रखना।
5. जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ बचाव के उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर सूची मय नाम पता व सरकारी संगठनो की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री <u>की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाया जाना</u> एवं आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था करना।
6. वर्षा काल में नदियों, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी जारी करना।
7. वर्षा आने पर किसी बांध में दरार आने व टूटने की संभावना होने पर उसे समय से पूर्व ही ठीक करवाना।
8. बाधं के गेट खोलने वाले तथा तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें अपने कार्य स्थल पर तैनात रहने हेतु पाबंद करना एवं उनको आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना।
9. संभावित संकट की सूचनाऐं तत्काल जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष व सभी संबंधित विभागों को नियमित रूप से भिजवाया जाना।
10. जिले में स्थित समस्त छोटे बडे बांध, तालाब, एनिकट्स का सर्वेक्षण करना एवं सफाई करवाना।
11. सर्वेक्षण में यदि जलाशय की मरम्मत कराने की आवश्यकता हो तो यथा समय मरम्मत करवाना ताकि वर्षा के पानी के भराव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न न होने पाये।
12. समस्त बांधो तालाबों, एनिकटों की भराव क्षमता एवं उनके केचमेन्ट एरिया उनके लाईन्ड एरिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करना।
13. यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है अथवा कोई बांध टूटता है या नदी में पानी अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में कौन–कौन से गांव प्रभावित हो सकते है, उन गावों

के नाम उनकी जनसंख्या चिन्हित करना एवं उनकी सुरक्षा हेतु प्रशासन की सहायता से सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना व वहां तक पहुँचाने का मार्ग तय करना।

14. जल भराव/प्रवाह के असुरक्षित स्थानों पर संकेतक लगवाना एवं अधिक भीड़/पिकनिक स्पॉट पर पुलिस विभाग से समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था करवाना।
15. जिले में विभिन्न बांधों में पानी एवं भराव क्षमता से प्रतिदिन बाढ़ नियंत्रण कक्ष को लिखित में अवगत करवाना।
16. बांध/तालाब आदि के टूट–फूट या रिसाव की स्थिति में बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में कट्टे रेत भरवाकर आवश्यकतानुसार बांधो पर रखवाना एवं इसके अलावा खाली कट्टो की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रखना व रेत भरने के स्थान का पहले से ही चिन्हीकरण करना। इन कट्टो को यथा स्थान पहुचाने के लिए वाहन मय वाहन चालक हर समय कार्यालय में उपलब्ध रखना।
17. बाढ़ के समय आवश्यक उपकरण, जैसे रस्से, बल्लिया, टॉर्च, पेट्रोमेक्स, पम्पसेट, रबर ट्यूब, नावों, रक्षा पेटियों, मसालों, टॉर्चों की व्यवस्था करना।
18. उपलब्ध पम्पसेट चालू हालात में रखना और ईधन की पर्याप्त व्यवस्था रखना।
19. मोटर बोट कहाँ–कहाँ से उपलब्ध हो सकती है इसकी **सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाना।**
20. सभी बडे बांधों पर समय–समय पर पेट्रोलिंग करवा कर सूचना देना इस हेतु संबंधित तहसीलदार से समन्वय कर पटवारियो से उक्त बांधो की चौकसी करवाना तथा गेट खोलने की सूचना संबंधित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को समय पूर्व दिया जाना।
21. जिले के अच्छे तैराक, गौताखोरों की **सूची तैयार कर उपलब्ध करवाना** इस हेतु जिला तैराक संघ से समन्वय स्थापित करना ताकि आवश्यकता होने पर उनकी सेवा ली जा सके।
22. विभाग का बाढ़ बचाव से संबंधित कन्टीजेन्सी प्लान बनाकर उपलब्ध करवाना।
23. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं नगर परिषद्/नगरपालिका से समन्वय कर पम्पसेटों की सूची प्राप्त करना।
24. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से वर्षा पूर्व अतिक्रमण हटवाना।

3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः–

1. दिनांक 15.जून 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें।
2. निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्पसेटो की व्यवस्था करना तथा उपलब्ध पम्पसेटो की **सूचना मय उपलब्धता स्थान उपलब्ध करवाना।**
3. जल संसाधन एवं सिचांई विभाग से समन्वय कर जहा ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है वहां ज्यादा पम्पसेटो की व्यवस्था करना।
4. पेयजल स्त्रोतो के क्लोरीफिकेशन/ब्लीच की समुचित व्यवस्था करना ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारियां फैलने की संभावना न हों ।
5. पाईप लाईनों का सर्वे करवाकर सभी क्षतिग्रस्त पाईपलाईनों को ठीक करवाना तथा ऐसी स्थिति में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करने की कार्ययोजना तैयार करना।
6. विद्युत कटौती की अवस्था में पेयजल वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
7. जिले में स्थापित सभी आरओ प्लांट को सक्रिय रखना।
8. सभी ट्यूबवेलों/हैडपम्पों को सक्रिय करना/करवाना।

4. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति(रसद) विभागः–

1. बाढ़/जल भराव की स्थितिमें नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
2. अतिवृष्टि अथवा बाढ़ के समय पर्याप्त मात्रा में जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. उचित मूल्य की दूकानों पर गेहूँ, केरोसीन एवं अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण के स्थान का उल्लेख करना एवं पर्याप्त मात्रा में सामग्री आरक्षित रखना/रखवाना।

4. जिले में खाद्यान्नों की कीमतों और चारे की उपलब्धता एवं स्टॉक पर निरन्तर निगरानी रख कर नियमानुसार कार्यवाही करना/करवाना।
5. बाढ़ की स्थिति में स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने हेतु ऐसे संगठनों एवं रसद आपूर्ती हेतु सभी हितधारको की **सूची तैयार करना** एवं उनसे सम्पर्क बनाये रखना।
6. जिले में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, लूब्रीकेटिंग ऑयल आदि पर्याप्त मात्रा में रिजर्व रखवाना।

5. स्थानीय निकाय विभाग(नगर परिषद/नगरपालिका) :–

1. नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कार्यालयों में दिनांक 15 जून 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
2. शहर की सड़कों की मरम्मत करवाना व विशेष अभियान चला कर नाले/नालियों/गटर आदि की सफाई की व्यवस्था 15 जून से पूर्व प्राथमिकता से करवाना, जिससे बारिश के मौसम में विभाग एवं आमजन दोनों को समस्या का सामना ना करना पड़े, इस हेतु पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर उनका निस्तारण करवाना
3. वर्षा के मौसम में मच्छरों पर नियंत्रण करने हेतु विभाग के पास फोगिंग मशीन से फोगिंग करवाना एवं फोगिंग मशीनों की **सूची उपलब्ध करवाया जाना।**
4. निचले स्तर से प्रभावित व्यक्तियों/बस्तियों को ऊंचे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने हेतु वहां स्थित धर्मशाला सार्वजनिक स्थल, विद्यालय भवन आदि को चिन्हित कर **सूची उपलब्ध करवाना।**
5. बाढ़/अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिये पम्पसेटों का प्रबन्ध करना
6. मृत पशुओं, मलबा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे मलेरिया रोधी उपाय, कटे हुए फलों एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि व्यवस्था करना।
7. आवश्यक बचाव उपकरणों/संसाधनों की खरीद एवं रख– रख्सूखे सुनिश्चित करना।
8. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
9. आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना तथा वहा पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना।
11. नियमानुसार मनरेगा और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत जल संचय संरचना का निर्माण व जिले में स्थित जल संचय संरचनाओं/जलाशयों की साफ सफाई तथा सभी ट्यूबवेलों/हैडपम्पों को सक्रिय करना/करवाना।

6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:–

1. 15 जून 2025 से जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में बीमारी का प्रकोप होने की संभावना से निपटने के लिए जिले के समस्त रेफरल अस्पताल/प्राथंमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रो एवं पोस्ट केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाईयाँ एवं वर्षा से फैलने वाली बीमारियों जैसे– हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा, संबंधी बीमारियाँ,फूड पॉइजनिंग आदि के ईलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ उपलब्ध रखना।
3. किसी क्षेत्र में अधिक संख्या में मरीज होने पर मरीजों को पास के अस्पताल में शिफ्ट करने का रोड़ मैप तैयार करना तथा आसपास के क्षेत्र में बचाव हेतु विशेष प्रयास करना।
4. अतिवृष्टि/बाढ़ के दौरान आवश्यकता अनुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था करना।
5. दूषित जल से बचाव हेतु क्लोरीन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जावे।
6. बिजली कटौती की स्थिति में चिकित्सालयों में जनरेटरों की व्यवस्था करना।
7. विशेष अभियान चला कर सभी चिकित्सालयों के परिसरों के बाहर व अन्दर से सफाई करवाना एवं जल निकासी आदि की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करवाना।
8. बारिश के दौरान अस्पतालों की छतों से पानी रिसाव या अन्य समस्या उत्पन्न ना हो के लिए सर्वे करवाकर 15 जून से पूर्व मरम्मत करवाया जाना।

9. सभी अस्पतालों में पीने के पानी की व्यवस्था को दुरूस्त करवाना, इस हेतु पानी की टंकियों की सफाई करवाना।
10. आमजन को मौसमी बीमारियों विशेषतः बाढ़ या अतिवृष्टि से होने वाली बीमारियों के बारें में पहले एवं बाद में क्या करें और क्या न करें के संबंध में पम्पलेट चस्पा कर या आशा सहयोगिनियों के माध्यम से जागरूक करना।

7. भारत दूरसंचार विभागः—

1. जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष का टॉल फ्री नम्बर 1077 एवं आपदा कन्ट्रोल रूम के नं0 05642—220033 को हर समय चालू स्थिति में रखना।
2. बाढ़/अतिवृष्टि से संचार व्यवस्था अस्त—व्यस्त न हो इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करना।
3. नियंत्रण कक्ष से संदेश प्राप्त होते ही संचार व्यवस्था में सुधार करवाना।
4. आवश्यकता होने पर मोबाईल टावर्स स्थापित करने का प्रबन्ध रखना।

8. पुलिस विभागः—

1. होमगार्ड एवं आर0ए0सी0 की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियोंको तैयार रखना।
2. बाढ़ से संबंधित किसी भी तरह की सूचना किसी भी विभाग द्वारा प्राप्त होने परे उस संदेश को तत्काल प्रसारण करने की व्यवस्था करने हेतु सभी पुलिस थानों के थानाधिकारियों को पाबंद करना।
3. पर्याप्त मात्रा में तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे लाईफ जैकिट, रस्से, टार्च, संचार तंत्र कानून व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता करना।
5. बचाव यंत्र किराये पर उपलब्ध करवाने वाली फर्मों की सूची तैयार करना एवंसंबधित फर्मो को बाढ़ सें प्रभावित स्थानों पर बचाव यंत्र तत्परता से उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करना इस हेतु पूर्व में ही निविदा आमंत्रित कर दरें तय करवाना।
6. गोताखोरों को प्रशिक्षण दिलवाना ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोरों की कमी नही पड़े।
7. पुलिस विभाग अपना **कन्टींजेंसी प्लान** तैयार कर **उपलब्ध करवाना।**
8. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना
9. बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
10. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन. सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
11. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
12. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
13. बाढ़ में फंसे/निचले स्थानो पर रहने वाले लोगों को बचाने का कार्य तत्काल करना एवं उन्हें सुरक्षित उच्च स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस विभाग के जवानों द्वारा करवाना।
14. जल भराव/प्रवाह के असुरक्षित स्थान जहां पिकनिक स्पॉट हो या अधिक भीड़ वाला क्षेत्र हो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करवाना।
15. गत वर्षों में एसडीआरएफ मद से उपलब्ध कराये गये उपकरणों की सूची तत्काल उपयोग की दृष्टि से तैयार रखना तथा यथा आवश्यकता प्राथमिकता पर उपलब्ध करवाना।
16. अधिक जल भराव/बहाव क्षेत्र जहां पर अधिक भीड़ या आवागमन रहता है वहा पर सुरक्षा जाब्ता तैनात करना।

9. विद्युत विभाग धौलपुर :—

1. दिनांक 15 जून 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
2. वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के समय विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने से जन जीवन पर विपरीत प्रभ्सूखे पड़ता है। अतः क्षतिग्रस्त पावर लाईनों से तुरन्त विद्युत संबंध विच्छेद करने एवं मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री वाहन एवं विद्युत उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना।

3. जहां कही विद्युत लाईनें पेड़ों के नजदीक है उनकी जांच करवा कर कटाई/सफाई व्यवस्था करना।
4. भीषण गर्मी के कारण विद्युत लाईनों के तार लूज होने से उनकी निर्धारित दूरी कम होने से तेज हवा के कारण आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जिससे अग्नि दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए विद्युत लाईनों का सर्वे करवा कर दुरूस्तीकरण का कार्य समय पर करवाना।
5. ढीले तारों को कसने व कनेक्शनों को टाईट करने एवं जमीन पर पड़ें ट्रांसफार्मरों को डी0पी0 पर रखवाना।
6. बारिश/आंधी तूफान से गिरने वाले पोल/ट्रांसफार्मरों एवं फाल्ट को शीघ्र दुरूस्त करवाने की कार्ययोजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए तैयार करना।
7. विभाग के सभी अभियंताओं को अपना मोबाईल चालू रखने एवं आमजन की शिकायतों को सुनने हेतु पाबंद करना।

10.पशुपालन विभाग धौलपुर –

1. दिनांक 15 जून 2025 से नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. बाढ़/अतिवृष्टि के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के ईलाज के लिये पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों पर आवश्यक वैक्सीन एवं औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पशुओं में फैलने वाली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल टीमों का गठन कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना एवं वैक्सीनेसन करवाना।
5. मोबाइल टीमों को जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर उक्त सुविधा के साथ उपलब्ध रखना।
6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. मृत पशुओं का पंचायत/नगर निकाय विभाग के सहयोग से सुरक्षित निस्तारण करवाना।
8. गौशाला में गौवंश को सूखे स्थान पर रखने हेतु गौशालाओं में सूखी रेत आदि की व्यवस्था करवाना।

11.सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसाः–

1. दिनांक 15 जून 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
2. प्रतिदिन बाढ़ आपदा से सड़कों, पुलियाओं की क्षति एवं यातायात अवरूद्ध होने की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट, धौलपुर को दिया जाना तथा **प्रतिदिन उक्त की लिखित रिपोर्ट** जरिये ई मेल relief.dmdholpur@rajasthan.gov.inपर **प्रेषित करना।**
3. ऐसे सार्वजनिक भवनों की पहचान कर सूची तैयार करना जो वर्षा काल में गिर सकते है तथा उनकी मरम्मत करवाना,इस संबंध में छत से पानी टपकने की शिकायतों का आवश्यक रूप से निस्तारण करवाया जाना एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर नियमानुसार निस्तारण करवाना, यदि इस हेतु बजट की अनुपल्बधता हो तो अविलम्ब प्रस्ताव संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।
4. सडकों के पेच वर्क संबंधित कार्य वर्षा से पूर्व पूर्ण करवाना।
5. सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, पर होकर वर्षा का पानी बहने वाले स्थानों को चिन्हित कर दोनों ओर नियमानुसार साईन बोर्ड, पानी के स्तर प्रदर्शित करने हेतु गेज व चेतावनी संदेश बोर्ड/जंजीर लगा कर यातायात प्रबंधितकरना तथा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।
6. संभावित खतरों वाले सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, रपट, कल्वर्ट/फ्लश/वैन्टेड काजवे अथवा सबमर्सिबल पुल जहां पानी का बहाव/भराव अधिक हो सकता है, वहां मार्ग पर चिनाई के पिलर बनवाकर वहाँ लोहे की मोटी सांकल बन्धवाना/फ्लडगेज लगवाना।
7. पानी के अधिक बहाव वाले सड़क मार्ग के दोनों ओर सुरक्षा जाब्ता लगवाया जाना तथा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।

8. सड़क के नीचे से गुजरने वाले सभी नालों/पुलियाओं की सफाई करवाना ताकि बारिश के पानी का प्रवाह बाधित ना हो।
9. पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर उनका समय पूर्व निस्तारण या वैकल्पिक व्यवस्था करवाया जाना।
10. आवश्यकता अनुसार सुरक्षित एवं सुलभ क्षेत्र में खाली सीमेंट बैगों में रेत भरवाकर रखना तथा इसकी सूचना उपलब्ध करवाना।
11. आपदा पश्चात् बचाव कार्य तुरंत प्रारम्भ करने हेतु विभागीय संवेदनों के अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी से समन्वय कर भारी यांत्रिक मशीने क्रेन, लोडर, डम्पर, जेसीबी आदि की सूची प्राप्त कर इस कार्यालय एवं उपखण्ड़ अधिकारी की निगरानी में तहसील स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करवाया जाना।
12. किराये पर लिये जाने वाले बचाव उपकरण एवं यांत्रिक मशीनों की दरों का अनुमोदन करवाकर विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करवाना।
13. जिला कलक्टर कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो के लिए सा.नि.वि. की विद्युत शाखा को पाबंदित करना।
14. अतिवृष्टि अर्थात 24 घंटे में 65 एमएम से अधिक बारिश होने पर संबंधित क्षेत्र की मुख्य जिला सड़क एवं अन्य का निरीक्षण अधिशाषी/सहायक अभियंता स्वंय के द्वारा आवश्यक रूप से करना।
15. सड़क मार्ग पर पानी भरने पर तुरंत निकासी की व्यवस्था करना।
16. पुनर्वास शिविरों के लिए क्षेत्र चिन्हित कर सूची संबंधित उपखण्ड़ अधिकारियों को उपलब्ध करवाना।
17. जिले में स्थिति सभी हेलीपेडों का निरीक्षण करना एवं उनके कॉर्डिनेट्स की सूचना उपलब्ध करवाया जाना।
18. जिन राजकीय भवनों में जल संग्रहण संरचना है उसे दुरूस्त करवाया जाना।
19. जिले के समस्त राजकीय भवनों की छत एवं नालों की सफाई करना/करवाना एवं विभागाध्यक्ष से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
20. बाढ़ आपदा में प्रभावितों के भवनों में हुए नुकसान का आंकलन करना।

12. शिक्षा विभाग :—

1. जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के छात्रावास भवनों महाविद्यालयों के भवनों की जांच करवाकर मरम्मत करवाना ताकि किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना न रहे।
2. पंचायत समिति के अधीन विद्यालय भवनों की जॉच करना एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रतिवेदन अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) जिला परिषद, धौलपुर को प्रस्तुत करना।
3. जिले के अन्य विद्यालयों/ छात्रावासों के भवनों की सूचना संकलित कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा को प्रस्तुत करेगें और यदि उन्हें खाली कराने की आवश्यकता हो तो तद्नुसार कार्यवाही की जावें।

13. राजस्व विभागः—

1. सभी तहसील मुख्यालय पर दिनांक 15.06.2025 से आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. बाढ़ से हुई जन हानि, पशुहानि तथा क्षतिग्रस्त मकानों, राहत कार्यों, तैनात किये गये राहत दलों एवं बचाये गये व्यक्तियों आदि की सूचना प्रतिदिन संलग्न प्रपत्रों में इस विभाग को जरिये ई—मेल relief.dausa@rajasthan.gov.inपर आवश्यक रूप से प्रातः 08.00 ए.एम. एवं सांय 05.00 पी.एम पर प्रेषित करना।
3. **सभी उपखण्ड़ अधिकारियों द्वारा पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर संबंधित विभागों से समन्वय कर 15 जून से पूर्व उनका स्थायी निस्तारण या वैकल्पिक व्यवस्था करवाना।**

4. समस्त तहसीलदार द्वारा अपने अधीनस्थ आने वाले वर्षा मापक यंत्रों का निरीक्षण कर छोटी मोटी खामियों को दुरूस्त करवाना।
5. वर्षा मापी यंत्र खराब हो गया हो तो तुरन्त जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करना एवं तत्काल भू– अभिलेख अनुभाग से संपर्क कर मरम्मत करवाया जाना।
6. जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने हेतु पाबंद करना एवं वक्त भ्रमण वर्षा अतिवृष्टि बाढ़, तालाबों, बाधों एनीकटों की सूचना अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त करना एवंपटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षणों का अंकन अपनी दैनिक डायरी में करना एवं निरीक्षण की रिपोर्ट अपने तहसील मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को देना।
7. उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर प्लान एवं तहसील स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा बाढ़ बचाव हेतु किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना।
8. बाढ़ प्रभावित गांवों, आश्रय स्थलो एवं प्रमुख बांध एवं बाढ़ बचाव कार्य के अन्य हितधारकों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाना।
9. उपखण्ड अधिकारी तहसील क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष की निरन्तर निगरानी रखेंगे तथा संबंधित विभागों में सामंजस्य बनाए रखेंगे।
10. तहसील स्तर पर स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान समय पर करने की पुख्ता व्यवस्था करेगे। वर्षा, बांधों के भराव संबंधी सूचनाएं एवं जन–धन हानि की दैनिक सूचना (निर्धारित प्रपत्र में) एवं संदेश दूरभाष पर जिला नियंत्रण कक्ष को एवं भू–अभिलेख अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे।
11. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
12. ऐसे स्थानों को चिन्हित करवाना जहाँ पानी में बच्चों या अन्य के डूबने की संभावना हो सकती है तथा इस के संबंध में सुरक्षात्मक कदम उठाना।
13. क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से होने वाली मकान/पशु/जन हानि की सूचना इस कार्यालय को भिजवाना तथा पीड़ित को जानकारी प्रदान करवाते हुए CMRF/SDRF नियमानुसार सहायता प्रदान करवाने हेतु कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना।
14. आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना तथा वहा पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना/करवाना।

14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग:–

1. संभावित बाढ़ एवं सहायता कार्य हेतु संबंधित चेतावनी एवं जानकारी प्रसारित करना।
2. समाचार पत्रों/सोशल मीड़िया या अन्य माध्यम पर प्रसारित होने वाली अफवाहों की निगरानी रखना एवं उनका खंडन करते हुए संबंधित विभाग से सही सूचना प्राप्त कर प्रसारित करना एवं शिकायतों को संबंधित विभाग को प्रेषित करना।
3. आमजन को बाढ़/चक्रवात/आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व एवं बाद में क्या करें एवं क्या न करें के संबंध में जागरूक करना।
4. एनडीएमए द्वारा तैयार की गई सचेत एवं दामिनी एप के बारें में एवं पूर्व चेतावनी संदेशों के संबंध में रियल टाईम में आमजन को अवगत करवाना।
5. मिड़िया में प्रसारित बाढ़/चक्रवात/आकाशीय बिजली के कारण आपदा की सूचना/शिकायत आदि की सूचना प्रतिदिन एकत्रित कर रिपोर्ट करना।
6. आमजन को अवगत करवाने हेतु महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या जिला नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट, धौलपुर 05642–220033 आदि के संबंध में प्रेस मीड़िया/सोशल मीड़िया के जरिये प्रचार प्रसार करना।

15.पूल अनुभागः—

1. बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतुएक वाहन मय वाहन चालक आवंटित करना।
2. सरकारी वाहनों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाना।
3. सरकारी वाहनों में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम दुरूस्त रखना।

16.भू—अभिलेख अनुभागः—

1. सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों/भू—अभिलेख निरीक्षकों, एवं पटवारियों को वर्षा काल के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करना।
2. दैनिक वर्षा, जन—धन, पशु एवं सम्पत्ति हानि की सूचना आपदा नियंत्रण कक्ष में नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाना।
3. जिले का भौगोलिक एवं प्रशासनिक मानचि़त्र एवं सूचना**उपलब्ध करवाना।**

17.गृह सुरक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग :—

1. पर्याप्त संख्या में तैराक एवं पूर्व वर्ष के अनुभवी स्वयं सेवकों की सूची तैयार करना।
2. तैराक/गोताखोरों को प्रशिक्षण देना एवं **सूची उपलब्ध करवाना।**
3. मॉक ड्रिल का आयोजन करवाना।

18.रेल परिवहन :—

1. वर्षा में रेलवे पुलों एवं अण्डरपास में भारी मात्रा मे पानी एकत्र हो जाता है जिससे आमजन को निकालने मे परेशानी होती हैं। अतः ऐसे स्थानों को पहचानकर उन स्थानों एवं उपलब्ध पम्प सेटों **सूची तैयार कर भिजवाना।**
2. विशेष कार्ययोजना बनाकर पानी निकासी की तत्काल व्यवस्था करवाना।
3. पानी निकासी हेतु उपलब्ध संसाधनों की सूची उपलब्ध करवाना।

19.नागरिक सुरक्षा विभागः—

1. 15 जून से बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को मय आवश्यक बचाव उपकरणों के तैनात करना।
2. पुलिस विभाग एवं गृहरक्षा एवं एसडीआरएफ के साथ समन्वय स्थापित करना
3. कन्ट्रोल रूम पर प्राप्त होने वाली सूचना को संबंधित विभाग को अवगत करवाना।
4. जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षित तैराक/गोताखोर/रेस्क्यूअर स्वंय सेवकों को तैनात करना।
5. आपदा के समय उपयोग हेतु विभिन्न विभागों/जिला मुख्यालय पर उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करना।
6. नागरिक सुरक्षा योजना अद्यतन करना।

20.ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागः—

1. सभी ग्राम विकास अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने एवं किसी भी आपदा की सूचना तुरंत तहसील नियंत्रण कक्ष को देने हेतु पाबंद करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र/आबादी क्षेत्र में पानी भराव की सूचना पर उनका तत्काल निस्तारण करवाना एवं पानी निकासी की व्यवस्था करवाना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों का दुरूस्तीकरण करवाना एवं वैकल्पिक व्यवस्था करना/करवाना।
4. मकान गिरने या अन्य कारणों से बेघर हुए परिवारों के लिए आपात स्थिति में रहने हेतु भवन की व्यवस्था करवाना।
5. पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर 15 जून से पूर्व निस्तारण/वैकल्पिक व्यवस्था करवाना।
6. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
7. आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना तथा वहा पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

8. नियमानुसार मनरेगा और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत जल संचय संरचना का निर्माण व जिले में स्थित जल संचय संरचनाओं/जलाशयों की साफ–सफाई तथा सभी ट्यूबवेलों/हैडपम्पों को सक्रिय करना/करवाना।

21. मत्स्य पालन विभागः–

1. विभाग के पास उपलब्ध नावों (सरकारी/गैर सरकारी) की **सूचना उपलब्ध करवाना।**

22. सांख्यिकी विभागः–

1. जिला आपदा प्रबंधन प्लान हेतु आवश्यक संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध करवाना।

23. समाज कल्याण विभागः–

1. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के विवरण का अभिलेख रखना एवं **सूची उपलब्ध करवाना।**
2. विशेष योग्यजन व्यक्तियों को जोखिम की स्थितियों से अवगत करवाना एवं उनके संरक्षण एवं समुचित उपाय करना/करवाना।
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 02 की धारा 8(4) के अनुसार जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरणों के ऐसे कार्यकलापों को विशेष योग्यजन व्यक्तियों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित राज्य आयुक्त से परामर्श करेगें।
4. अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए विशेष योग्यजनों के लिए सुरक्षापायों (सुगम्यता, खान–पान, रहन–सहन, चिकित्सा, परिचर्या इत्यादि) एवं संरक्षण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना।
5. प्राकृतिक आपदा सम्बन्धी जागरूकता हेतु विशेष योग्यजनों से संवाद करने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण(साईन लैंग्वेज में संवाद इत्यादि) दिया जाना
6. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की छत/नालों की सफाई करवाना तथा परिसर की साफ सफाई करवाना ताकि जल प्रवाह बाधित ना हो या जल भराव ना हो।

24. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभागः–

1. जिले की वेबसाईट https://dholpur.rajasthan.gov.in पर जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों के दूरभाष संख्या की सूचना निरन्तर अद्यतन करना।
2. महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र/सूचनाओं को जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना।
3. विभिन्न प्रकार की आपदा के समय क्या करें व क्या न करें के संबंध में एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देशों का लिंक https://www.ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/pocketbook-do-dont-hindi.pdf जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना।
4. जिला आपदा प्रबंधन योजना एवं नागरिक सुरक्षा योजना को दौसा जिले की वेबसाईट https://dholpur.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित करवाना।

25. कृषि विभागः–

1. केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व जिले के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर भारत सरकार द्वारा विकसित सूखें की निगरानी और प्रबंधन से सहायता व जिले की स्थिति अनुसार **संकट प्रबंधन योजना** (सीएमपी) और जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) इसी माह तैयार कर **उपलब्ध करवाना।**
2. आकस्मिक योजनाओं के अनुसार बीजों का आकलन कर पर्याप्त मात्रा में उचित किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. सूखे के सभी संकेतकों की निगरानी रखना जैसे वर्षा के दैनिक डेटा का संग्रह, जल भंडारण की स्थिति, पानी की उपलब्धता और आपूर्ति और बुवाई कार्यों की प्रगति, खाद्यान्नों की कीमत और चारे की उपलब्धता।
4. आवश्यकतानुसार जिला सूखा/आपदा प्रबंधन समिति का गठन करवाकर बैठक आयोजित करवाना।

अध्याय : 18
बाढ़ के दौरान अन्य प्रकार की आपदा

1. ओलावृष्टिः–

- ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आता है एवं तूफान की तरह चली जाता है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा में क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।
- ओलावृष्टि के कारण सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है तथा जन एवं पशु हानि की संभावनाएं भी रहती है।
- **ओलावृष्टि से पूर्वः–**
  - **चेतावनी जारी करनाः–** मौसम विभाग से प्राप्त रियल टाईम चेतावनी आमजन तक जरिये इलेक्ट्रोनिक मिड़िया, रेड़ियो व सोशल मिड़िया के जरिये पहुँचाना।
  - **चेतावनी पर क्षति को कम करने की तैयारीः–**
    - **व्यक्तिगत सुरक्षाः–**
      जैसे ओलावृष्टि के दौरान घरों के अंदर रहें और खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहना एवं पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचना।
    - **संपत्ति सुरक्षाः–**
      जैसे अपनी कारों को गैरेज में या सुरक्षित स्थान पर पार्क करना, छतों की सुरक्षा के लिए रबर की छत सामग्री का उपयोग करना एवं सोलर पैनलों की सुरक्षा करना।
    - **कृषि सुरक्षाः–**
      जैसे ओलावृष्टि रोधी जाल का उपयोग करके फसलों की सुरक्षा करना एवं अपनी फसल का बीमा करवा कर फसल बीमा योजना में शामिल होना।
- **ओलावृष्टि के बादः–**
  - ओलावृष्टि से अनावश्यक जनधन/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु प्रशासन द्वारा तत्काल उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित करना।
  - जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर द्वारा दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीडित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान के बाबत किसानें को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करना।

2. बांध टूटनाः–

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति करने एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान लेने पर भी उतारू हो जाते है। इसका कारण बांध के रख–रख्सूखे मे लापरवाही बरतना हो सकता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- **बांध का रख रखाव करनाः–**
  - नियमित रूप से निरीक्षण करना।
  - निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का तत्काल निस्तारण करवाना।
  - बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की तत्काल मरम्मत करवाना।
  - वर्षा पूर्व बांधों पर बने अति जल निकास द्वारों की ग्रीसिंग करना।
  - जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा किया जाना।
  - बांधों पर शिफ्ट अनुसार तैनात चौकीदारों को सावधान करना।
  - **कटाव से बचाव के उपाय करनाः–** बांधों के आस–पास की जगह पर वनस्पति और मलबे को हटाना।
  - **कर्मचारियों को प्रशिक्षण देनाः–**बांधों के रखरखाव, संचालन और सुरक्षा से संबंधित नियमित प्रशिक्षण देना।
  - नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना
  - बांध के टूटने की संभावना या टूटने पर पूर्व **चेतावनी जारी करना** जिससे आमजन को सुरक्षित स्थान पर जाने/ले जाने का समय मिल सकें।
  - बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु जागरूक करना, संभावित खतरों के संबंध में जानकरी देना एवं आपातकालीन योजना में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।

3. **आकाशीय बिजली गिरनाः–**
   - पिछले वर्ष दौसा जिले में आकाशीय बिजली गिरने की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है।
   - जिले में आकाशीय बिजली गिरने पर बचाव हेतु जेविविएनएल की देखरेख में जिले में स्थानों/सरकारी कार्यालयों में 17 यंत्र लागये जा चुके है एवं 15 यंत्र और लगवाये जा रहे हैं
   - स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि सभी नए बुनियादी ढांचे और घरों में बहु–खतरे प्रतिरोधी आवास के लिए भवन संहिता और दिशा–निर्देशों का पालन किया जाए।
   - अलर्ट संदेश जिला प्रशासन, तहसीलदार और संबंधित उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को भेजे जाते हैं।
   - अलर्ट संदेश सूचना एवं जनसंपक्र विभाग को व्हाट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे जाते हैं, ताकि उन्हें टीवी चौनलों पर प्रकाशित किया जा सके और आम जनता के साथ साझा किया जा सके।
   - **30/30 बिजली सुरक्षा नियम का पालन करनाः– अगर आकाशीय बिजली देखने के बाद गिनती शूरू करें और 30 तक गिनती गिनने से पहले गड़गड़ाहट सुनाई दे तो घर के अंदर चले जाएँ तथा आखिरी गड़गड़ाहट सुनने के बाद 30 मिनट तक घर के अंदर या सुरक्षित स्थान पर ही रहें।**

- चेतावनी जारी करनाः–

  राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इन्टीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम एप ''**सचेत**'' एवं IMD द्वारा आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व चेतावनी हेतु ''**दामिनी**'' मोबाईल एप के आमजन में प्रचार प्रसार हेतु जिले के पदाधिकारियों को समय–समय पर जारी निर्देशानुसार समस्त राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने फोन में डाउनलोड करना, ताकि प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व जनसाधारण को आपदा की जानकारी उपलब्ध हो सके एवं आपदा के नुकसान से बचा जा सकें।

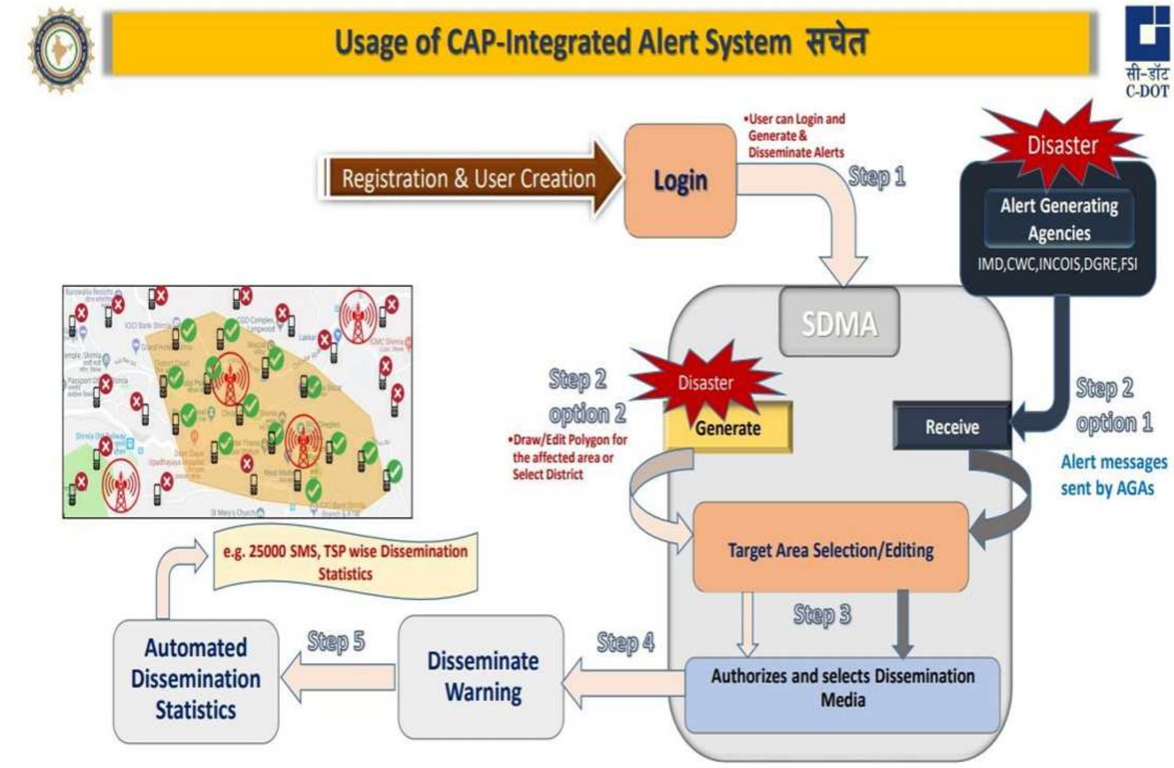

Flow Process of Sachet

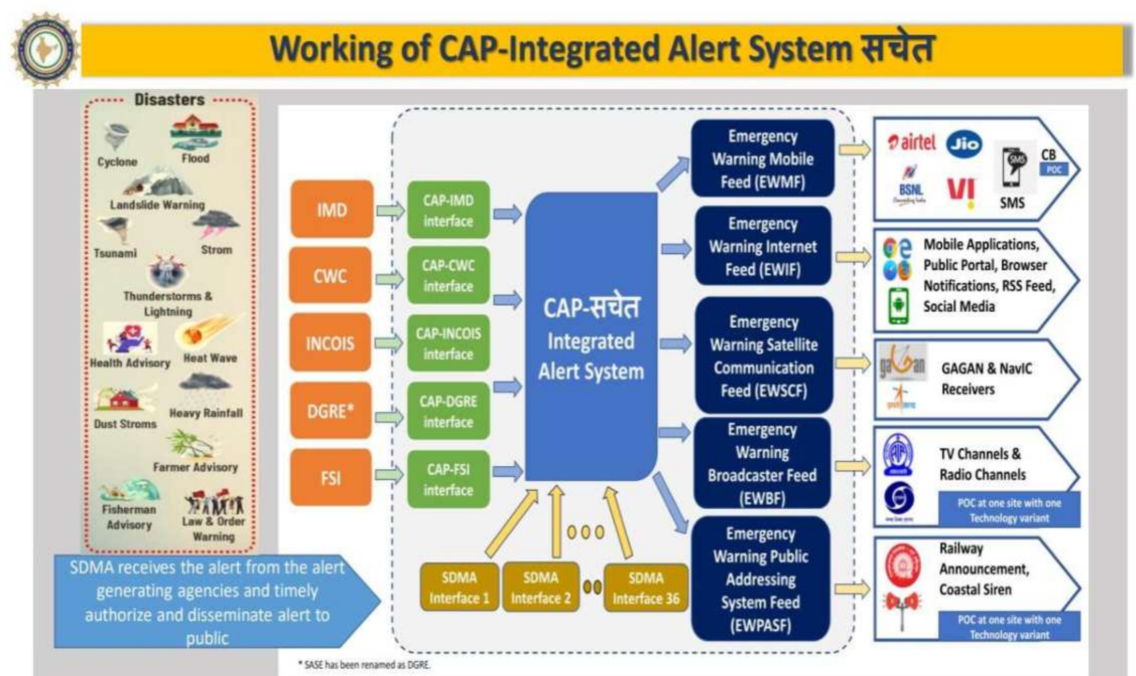

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आकाशीय बिजली के संपर्क से बचने के लिए, कुछ सुरक्षा युक्तियाँ और शमन उपाय निम्नानुसार सुझाए गए हैं।

➢ **घर से बाहर रहने की स्थिति में:–**

- **करने योग्य उपाय:–**
  - कोई भी बाहरी गतिविधियाँ शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। आंधी चलने और बिजली गिरने की स्थिति में 30 मिनट तक घर के अंदर ही रहें।
  - गर्जना हो तो आश्रय लें और सुरक्षित स्थान या भवन के अंदर रहें। धातु के साथ धातु संरचनाओं और निर्माणों से दूर रहें। आश्रयों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और बंद खिड़कियों वाले हार्ड– टॉप वाहन शामिल हैं।
  - कृपया ऊँचे स्थानों जैसे पहाड़ियों या टीलों, या चोटियों से तुरंत उतर जाएँ।
  - खुले क्षेत्र में बिजली गिरने की स्थिति में, तुरंत खतरे के क्षेत्र से बाहर निकलें और पास के सुरक्षित स्थान पर शरण लें। आदर्श रूप से किसी निचले इलाके में आश्रय ढूंढें और सुनिश्चित करें कि वही स्थान चुना गया है।
  - बिजली गिरने की स्थिति में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें।
  - बिजली का संचालन करने वाली सभी उपयोगिता लाइनों और वस्तुओं जैसे टेलीफोन, बिजली, Metal Fences, ओवरहेड तार, रेल– सड़क ट्रैक, पवन चक्कियां आदि, पेड़ों और पहाड़ियों से दूर रहें।
  - यदि आप तूफान और बिजली गिरने के दौरान समूह में हैं तो जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
  - रबर– सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
- **क्या न करें:–**
  - प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशी चराने, मछली पकड़ने और नाव चलाने या सामान्य यात्रा करने के लिए घर से बाहर न निकलें।
  - यदि आप वन क्षेत्र में हैं तो छोटे और बौने पेड़ों के नीचे आश्रय लें।
  - बिजली गिरने के दौरान बिजली या टेलीफोन के खंभों या पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।
  - धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें और बाइक, बिजली या टेलीफोन के खंभे, तार की बाड़, मशीनों आदि से दूर रहें।
  - यदि आप खुले मैदान/आउटडोर में काम कर रहे हैं और आपके पास सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो अपने पैरों को एक साथ सटाकर रखें अर्थात एडियां एक–दूजे को स्पर्श करते हुए रखे एवं सिर को झुकाकर गेंद जैसी स्थिति में झुकें और अपने हाथों को अपने कानों पर रखें, ताकि जमीन के साथ न्यूनतम संपर्क हो।
  - बिजली गिरने के दौरान कभी भी मोबाइल फोन और लोहे की छड़ वाले छाते का उपयोग न करें।

- **घर के अंदर सुरक्षित रहने हेतुः–**
  - **करने योग्य उपायः–**

    हालांकि बिजली तूफान के दौरान घरों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों जैसे आश्रयों को सुरक्षित माना जाता है, फिर भी व्यक्ति जोखिम में हो सकता है। यहां रखने के लिए कुछ युक्तियां दी गई हैं

    - संचार के विभिन्न तरीकों से अपडेट और चेतावनी निर्देशों के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी करते रहें।
    - यदि संभव हो तो घर के अंदर रहें और यात्रा से बचें।
    - दरवाजों, खिड़कियों, बरामदों और कंक्रीट के फर्श, फायरप्लेस स्टोव, बाथटब या किसी अन्य विद्युत कंडक्टर से दूर रहें।
    - विद्युत आउटलेट से जुड़े विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, वॉशर, ड्रायर, स्टोव या अन्य चीजों को अनप्लग करें, क्योंकि मुख्य बिजली आपूर्ति के दौरान बिजली की आपूर्ति बढ़ सकती है।
    - बिजली के साथ तूफान आने पर खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें और अपने घर के बाहर की वस्तुओं (जैसे फर्नीचर, डिब्बे, आदि) को सुरक्षित रखें।
    - सुनिश्चित करें कि बच्चे और पालतू जानवर अंदर ही रहें।
    - पेड़ की लकड़ी या कोई अन्य मलबा हटा दें जो उड़कर दुर्घटना का कारण बन सकता है।
  - **क्या न करेंः–**
    - बिजली और गरज के समय, बारिश के दौरान स्नान न करें, रुके हुए या बहते पानी के साथ कोई अन्य संपर्क न रखें क्योंकि बिजली किसी इमारत के प्लम्पिंग और धातु के पाइपों से होकर गुजरती है। तार वाले फोन या किसी धातु के तार/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें।
    - कार्ड वाले फोन और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें जो बिजली का संचालन कर सकते हैं। हालाँकि, बिजली और तूफान के दौरान तार रहित फोन का उपयोग करना सुरक्षित है।
    - खुले वाहनों जैसे कन्वर्टिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट, खुली संरचनाओं/स्थानों जैसे पोर्च, खेल के मैदान जैसे गोल्फ कोर्स, पाक्र और खेल के मैदानों, तालाबों, झीलों, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से बचें।
- **यात्रा के दौरानः–**
  - **क्या करें और क्या न करेंः–**
    - बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। यदि तूफान का पूर्वानुमान या चेतावनी है, तो यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर दें।
    - परिवर्तनीय मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुले वाहनों से बचें। पोर्च, बेसबॉल डगआउट और खेल के मैदान जैसी खुली संरचनाओं का होना सुनिश्चित करें।
    - आंधी और बिजली के दौरान गोल्फ कोर्स, पाक्र, खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तट जैसे खुले स्थानों से दूर रहें।
    - साइकिल, मोटरसाइकिल या कृषि वाहनों से तुरंत उतर जाएं जो बिजली को आकर्षित कर सकते हैं।
    - यदि नौकायन या तैराकी हो तो यथाशीघ्र उतरें और किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें।

- तूफ़ान खत्म होने तक मदद पहुंचने तक वाहन के अंदर ही रहें क्योंकि धातु की छत सुरक्षा प्रदान करेगी। आंधी और बिजली गिरने के दौरान खिड़कियां ऊंची रहनी चाहिए और वाहन को पेड़ों और बिजली लाइनों से दूर खड़ा किया जाना चाहिए।
- जंगली क्षेत्र से बाहर साफ जमीन की ओर जाएँ। बिजली गिरने और आंधी के कारण जंगल में आग लगने की संभावना होती है।

- **प्राथमिक चिकित्सा उपचारः–**
  - बिजली गिरने से पीड़ित को तुरंत चिकित्सा पेशेवर के पहुंचने से पहले प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें जिससे जान बचाई जा सकती है। बिजली गिरने से पीड़ित को छूना सुरक्षित है। बिजली गिरने से प्रभावित लोगों के पास कोई विद्युत चार्ज नहीं होता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है।
  - पीड़ित की जाँच करें कि वह साँस ले रहा है और दिल की धड़कन चल रही है। नाड़ी की जांच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैरोटिड धमनी है जो गर्दन पर सीधे जबड़े के नीचे पाई जाती है।
  - यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत मुंह से मुंह में सांस देकर पुनर्जीवन शुरू करें। यदि पीड़ित की नाड़ी नहीं चल रही है, तो कार्डियक कंप्रेशन के साथ–साथ सीपीआर भी शुरू करें।
  - बिजली गिरने से बचे व्यक्ति की दृष्टि और श्रवण हानि और टूटी हुई हड्डियों की जाँच करें जो पक्षाघात या प्रमुख रक्तस्राव जटिलताओं का कारण बन सकती हैं।

- पीड़ित और बचावकर्ता दोनों के लिए बिजली के निरंतर खतरे के प्रति सतर्क और जागरूक रहें, यदि जिस क्षेत्र में पीड़ित स्थित है वह उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, तो पीड़ित को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करें।
- बिजली गिरने का शिकार व्यक्ति अलग– अलग डिग्री की जलन, सदमा और कभी–कभी कुंद आघात से पीड़ित हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो चोट की जाँच करें और व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएँ।
- हेल्पलाइन नंबर **112/1078**पर कॉल करें और सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए सही दिशा– निर्देश प्राप्त करें और पीड़ित की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं।

4. आंधी तूफान/धूल भरी आंधी/तेज़ हवाः–

➢ **पहलेः–**

- एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो।
- अपने घर को सुरक्षित करें। उसकी मरम्मत करवाएं व तेज–नुकीली वस्तुओं को ढ़ीला न छोड़ें।
- बाहर रखी वस्तुएं जो उड़ कर नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें बांधकर रखें।
- सड़े हुए पेड़ टूटी हुई शाखाएं जो गिर कर चोट या क्षति का कारण बन सकती हैं, उन्हें हटा दें।
- मौसम की ताज़ा जानकारी और चेतावनियों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें।

➢ **दौरानः–**

- स्थानीय मौसम की जानकारी और चेतावनियों पर नज़र रखें।
- घर के अंदर रहने की कोशिश करें। बरामदे से दूर रहें।
- सभी विद्युत् उपकरणों के प्लग निकाल दें।
- तार वाले टेलीफोन का उपयोग न करें। समाचार जानने के लिए अपने बैटरी चालित रेडियो का उपयोग करें।
- प्लंबिंग और धातु से बने पाइप न छुएं। बहते पानी का उपयोग न करें।
- टिन की छतों/धातु की चादरों वाली संरचनाओं से दूर रहें।
- पेड़ों के पास/नीचे आसरा न लें।
- यदि अगर आप कार/बस/बंद वाहन के अंदर हैं तो रुक जायें।
- धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बिजली/टेलीफोन लाइनों से दूर रहें।
- जल निकायों झीलों, छोटी नौकाओं इत्यादि से तुरंत बाहर निकलें और सुरक्षित आश्रय लें।
- याद रखें, रबर–सोल वाले जूते और रबर टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
- आंखों का संक्रमण इस मौसम में आम होता है। इससे बचने के लिए अपनी आंखों को रगड़ने से बचें।
- अपनी श्लेष्म झिल्ली को सूखने से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में पेट्रोलियम जेली नथुनों के अंदर की ओर लगाएं।

- बादः–
  - तूफान से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें।
  - मौसम और यातायात के बारे में अद्यतन जानकारी या निर्देशों के लिए स्थानीय रेडियो सुनें टीवी देखें।
  - बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करें।
  - गिरे हुए पेड़ों/बिजली की लाइनों से दूर रहें और तुरंत नज़दीकी तहसील/जिला मुख्यालय को जानकारी दें।
  - पशुओं की सहायता कैसे करें
  - पशुओं को आश्रय देने के लिए अपने घर या घर के पास सुरक्षित क्षेत्र निर्दिष्ट तय करें।
  - अपने पशुओं को खुले जल स्रोतों जैसे तालाब या नदियों से दूर रखें।
  - अपने पशुओं को ट्रैक्टर या अन्य धातु से बने कृषि उपकरणों से दूर रखें।
  - अपने पशुओं को पेड़ों के नीचे इकट्ठा न होने दें।
  - उनपर निगाह रखें और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करें।

अध्याय : 19
विभिन्न विभागों की बाढ से बचाव हेतु तैयारियों का विवरण

1 –जल संसाधन विभाग धौलपुरः–

धौलपुर जिले का जल संसाधन परिदृश्य

धौलपुर जिला राज्य का सबसे छोटा जिला है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3034 वर्ग कि. मी. है। जिले में होकर मुख्य रूप से पार्वती नदी, बामनी नदी, उटंगन नदी एवं चम्बल नदी जिला की सीमा से लगते हुये बहती है, जो इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन को बढाने में सहयोग करती है।

प्रशासनिक स्तर पर जिला 6 उपखण्डों, 9 तहसीलों एवं 6 पंचायत समितियों में बंटा हुआ है। जिला की कुल जनसंख्या 15,16,625 है, तथ औसत वर्षा 650 मि.मी है एवं औसत न्यूनतम तापमान 9° एवं अधिकतम 50° सैल्सियस है तथा धौलपुर जिले की औसतम वर्षा 650 मि.मी. है। धौलपुर जिला में इस खण्ड के अधीन कुल 04 उपखण्ड कार्यालय है जिनका मुख्यालय धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं सैंपऊ है।

जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 25 बांध हैं जिनकी कुल भराव क्षमता 6793.70 एम.सी.एफ.टी. तथा सी.सी.ए 36547.91 हैक्टर है। इनमे से 300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता से अधिक के 07 बांध है जिनकी कुल भराव क्षमता 6171.70 एम.सी.एफ.टी. तथा सी.सी.ए. 34548.91 हैक्टेयर है एवं 300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता से कम के छोटे 18 बांध है जिनकी कुल भराव क्षमता 622.00 एम.सी.एफ.टी तथा सी.सी.ए 1998.97 हैक्टेर है। इस प्रकार जिले में उपलब्ध कुल 25 बांधों की कुल भराव क्षमता 6793.70 एम.सी.एफ.टी. तथा सी.सी.ए 36547.91 हैक्टर है। बांधों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	बांध का नाम	श्रेणी	भराव क्षमता (Mcft)	सिंचाई योग्य रकवा (CCA) हैक्टर
1	पार्वती बांध	वृहद् सिंचाई परियोजना	4269.50	24667.00
2	रामसागर बांध	मध्यम सिंचाई परियोजना	1088.75	5600.29
3	उर्मिला सागर बांध	मध्यम सिंचाई परियोजना	572.80	2900.00
4	तालाबशाही बांध	लघु सिंचाई परियोजना	100.65	410.00
5	उमरेह बांध	लघु सिंचाई परियोजना	75.00	323.88
6	हुसैनपुर बांध	लघु सिंचाई परियोजना	40.00	323.89
7	आर.टी.बांध	लघु सिंचाई परियोजना	25.00	323.88
	योग		**6171.70**	**34548.94**
8	18 अन्य लघु बांध	(300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता से कम)	622.00	1998.97
	कुल योग		**6793.70**	**36547.91**

पार्वती बांध

पार्वती बांध राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले मे पार्वती नदी एवं शेरनी नदी के संगम पर बना हुआ है। यह बांध मिट्टी, मैसनरी एवं कॉन्क्रीट खण्ड से बना हुआ है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1954 मे प्रारम्भ हुआ एवं वर्ष 1963 मे पूर्ण हुआ था। इसके पश्चात वर्ष 1996 मे पुनः बांध पर निर्माण कार्य कराया गया जो वर्ष 2000 मे पूर्ण हुआ था।

बांध का उपयोग सिंचाई, पेयजल एवं जल प्रबंधन के लिये होता है। इस बांध की कुल ऊँचाई 10.81 मीटर (आर.एल. 223.41 मीटर) है एवं कुल लम्बाई 7985 मीटर है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 120.90 एम.क्यूम. (4269 एम.सी.एफ.टी.) एवं सक्रिय क्षमता 108.58 एम.क्यूम. (3834 एम.सी.एफ.टी.) है। बांध का कुल डूब क्षेत्र 26.34 वर्ग कि0मी0 है।

पार्वती बांध धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील मे जिला मुख्यालय से 55 कि0मी0 की दूरी पर बना हुआ है।इस बांध से सरमथुरा तहसील के 94 गाँवों को पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है एवं धौलपुर जिले के 100 गाँवों की कुल 24667 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु इस बांध के 245 कि0मी0 लम्बाई के नहरी तन्त्र के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है।

इस बांध में से वर्षाकाल में कुल 206277 क्यू.सेक सरप्लस पानी निकाला जा सकता है। जिसकी निकासी हेतु बांध में निम्नलिखित व्यवस्था है :–

S.No	Particular	R.L. in Mtr.	Discharge Capacity (In cusec)
1	18 Nos. Gates of Size (10M x 4.30 m)	219.11	138099
2	4 Nos. Gates of Size (10 M x 7.30m)	216.11	47820
3	11 Nos. Gates of Size (3.05 M x 3.05 M)	220.68	Not in working
4	Ungated ogee/ byepass length (645.85 M)	223.50	20358

इसके अलावा बांध में 2 अण्डर स्लूस गेट हैं जिनकी साईज 1.20 मी.X 1.50 मी. है जो आर.एल. 200.80 मी. पर स्थित है तथा 4 कैनाल स्लूस जिनकी साईज 1.20 मी. X 1.50 मी. है जो आर.एल. 212.60 मी. पर स्थित है।

बाढ़ के समय पार्वती बांध से निम्नानुसार पानी की निकासी की जाती है

1. सबसे पहले मध्य के दो 10 मी X 4.30 मी. के गेट ऑपरेट किये जायेगें इसके पश्चात् पानी की आवक अनुसार 10 मी. X 7.30 मी. की तरफ के गेट खोले जायेंगें तथा अन्त में सभी गेट खोल दिये जायेंगें। सभी गेट एवं ओगी आदि से भी एम.डब्ल्यू.एल. कन्ट्रौल मे नही होने की स्थिति मे ही अति–आवश्यक होने पर ही अण्डर स्लूस गेट ऑपरेट किये जावेगें।
2. पार्वती बांध के गेट के द्वारा पानी की निकासी करने पर जिला मुख्यालय धौलपुर को फोन से सूचित किया जावेगा तथाबांध से छोडे जाने वाले सरप्लस पानी की सूचना प्रशासन द्वारा प्रभावित गांवों में प्रसारित की जायेगी।

पार्वती बांध पर मानसून अवधि में निम्न उपाय प्रस्तावित है :–

1. बांध का गेज प्रतिदिन 8.00 बजे लेकर जिला मुख्यलाय पर खण्डीय कार्यालय मे स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष मे सूचित किया जायेगा।
2. बांध पर मानसून अवधि में दिन–रात लगातार निगरानी हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
3. बांध पर 3000 भरे कट्टे एवं 5000 खाली सीमेन्ट के कट्टों का स्टॉक रखा जाता है जिन्हें आवश्यकतानुसार कार्य में लिया जायेगा।
4. बांध से अधिक पानी की निकासी की अवस्था में निचले क्षेत्र में पानी भरने की सम्भावना रहती है । ऐसी स्थिति मे प्रभावित गाँवों से सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों एंव जिला मुख्यालय पर सूचना प्रेषित की जायेगी।
5. बांध पर एक 40 केवीए. का एवं एक 62.5 के.वी.ए. का जनरेटर आवश्यकतानुसार गेट ऑपरेट करने हेतु उपलब्ध है।

बाढ बचाव सम्बन्धी योजनाऐं

धौलपुर जिले में कुल 25 बांध जल संसाधन विभाग के अधीन है । इनमें 01 पार्वती वृहदबांध है, रामसागर एवं उर्मिलासागर 02 मध्यम बांध, 04 लघु बांध है एवं अन्य 18 छोटे बांध है जिनकी सूचना संलग्न है।(पेज संख्या 11–12)

1. बाढ प्रभावित :–

धौलपुर जिलें में मुख्य रूप से 04 नदियां चम्बल नदी, पार्वती नदी, उटंगन नदी एवं बामनी नदी बहती है। वर्षा के दौरान इन नदियों से बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव की सूची तहसीलवार संलग्न है। (पेज संख्या 13–17)

2. बाढ नियंत्रण कक्ष :–

मानसून सत्र के दौरान (15 जून से 30 सितम्बर) तक जल संसाधन विभाग के अधीन 04 बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते है। जो निम्नानुसार है।

1. बाढ़ नियंत्रण कक्ष (मुख्यालय धौलपुर)
2. बाढ नियंत्रण कक्ष (मुख्यायल विश्राम गृह पार्वती बांध)
3. बाढ़ नियंत्रण कक्ष उपखण्ड कार्यालय बसेड़ी
4. बाढ़ नियंत्रण कक्ष उपखण्ड कार्यालय सैंपऊ

बाढ़ नियंत्रण कक्ष (मुख्यालय धौलपुर) द्वारा समस्त सूचना जिला कलक्टर कार्यालय धौलपुर के नियंत्रण कक्ष तथा जयपुर स्थित विभाग के केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्रतिदिन भेजी जायेंगी। रहेगा। बाढ़ नियंत्रण कक्ष (मुख्यालय धौलपुर) का फोन नं0 05642–220880 रहेगा जिससे वर्षा व बाढ़ सम्बन्धी सूचना का आदान–प्रदान बना रहेगा ।

3. वर्षा मापक यंत्र :–

इस खण्ड के अधीन 07 वर्षा मापक यंत्र हैं, जो जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय धौलपुर, जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय बसेडी, जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय बाडी, जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय सैंपऊ, पार्वती बांध, तालाबशाही बांध एवं उर्मिलासागर बांध (खनपुरा गांव) पर स्थापित हैं एवं राजस्व विभाग का राजाखेड़ा पर स्थित है। इन वर्षा मापी यंत्रों से प्रतिदिन वर्षा की सूचना संकलित कर सभी सम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी ।

4. नौकाऐं :–

वर्तमान में विभाग के अधीन कोई नाव उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु निजी नाव मालिकों की सूची संलग्न है।(पेज संख्या 18)

5. पम्प :–

विभाग के पास 04 मड पम्प क्रमशः दो 6 एच.पी., एक 12 एच.पी. एवंएक 26 एच.पी.का उपलब्ध है। जोकि चालू हालत में है तथा किराये के पम्पो की सूची संलग्न है।**(पेज संख्या 19)**

6. आवश्यक सामग्री :–

प्रत्येक बांध पर बांधों की भराव क्षमता, लम्बाई एवं ऊँचाई के अनुसार मिट्टी से भरे हुये कट्टे एवं खाली कट्टे रखे जाते है तथा इसके अतिरिक्त मानसून सत्र के समय काम आने वाले आवश्यक सामग्री विभाग के भण्डार ग्रह (धौलपुर एवं आंगई) मे रखे जाते है। भण्डार ग्रहों मे रखी जाने वाली आवश्यक सामग्री की सूची संलग्न है।**(पेज संख्या 19–20)**

7. प्रमुख दूरभाष :–

मानसून सत्र के दौरान जल संसाधन विभाग अधीन बांधों का रख–रखाव एवं नियंत्रण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रमुख विभागीय अधिकारियोंएवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के सम्पर्क सूत्रों की सूची संलग्न है।**(पेज संख्या 22–30)**

चम्बल नदी

चम्बल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है जोकि जानापाव पर्वत बांगचू पॉईंट महूँ (मध्यप्रदेश) से निकलती है। चम्बल नदी धौलपुर जिले मे सरमथुरा तहसील के दुर्गसी गांव मे प्रवेश करती हुई राजाखेड़ा तहसील के समौना गांव (धौलपुर जिले मे कुल लम्बाई 132 कि0मी0 मे) से उत्तरप्रदेश सीमा मे प्रवेश कर जाती है।

कोटा बैराज से धौलपुर(आगरा–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग)तक चम्बल नदी की कुल लम्बाई342 कि0मी0 है, तथा कोटा बैराज से चम्बल नदी के पानी को धौलपुर (आगरा–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग) तक पहुँचने मे लगभग 40 से 45 घंटे का समय लगता है।

चम्बल नदी पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा चम्बल पुल के नीचे गेज पॉईन्ट स्थापित किया गया है। जिसके द्वारा चम्बल नदी के गेज की24x7निगरानी की जाती है। एवं चम्बल नदी का गेज प्रातः 8.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय मे स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जल संसाधन विभाग जयपुर को प्रतिदिन प्रेषित की जाती है।

Layout Plan of Chambal River

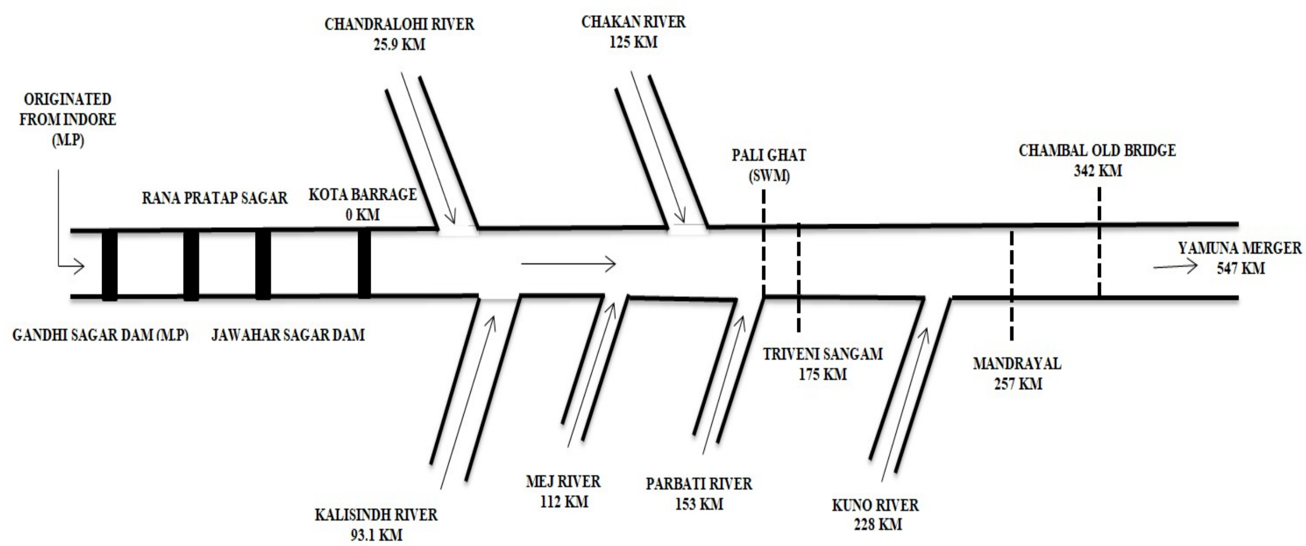

चम्बल नदी का तकनीकी डाटा

1. चम्बल नदी सागरपाडा के पास (एन.एच.3 का पुराना पुल) धौलपुर

Latitude - 26° 39' 35" N

Longitude - 77° 54' 03" E

S.No.	Particular	Level (Meter)	Discharge (Cumec)	Depth of Water (Meter)
1	Sill Level	115.00	0	0.00
2	Warning Level	129.79	7435	14.79
3	Danger Level	130.79	9061	15.79
4	Top Level of Bridge(Old)	141.80	42672	26.80
5	Top Level of Bridge(New)	154.10	-	39.10
6	Highest Flood Level on dated 25-08-2022	146.57	75354	31.57

उटंगन नदी का तकनीकी डाटा

2. उटंगन नदी सिकरोदा (राजाखेड़ा) के पास

Latitude - 26º47´ N

Longitude - 78º 09´ E

S.No.	Particular	Level (Meter)	Discharge (Cumec)	Depth of Water (Meter)
1	Sill Level	1.20	0	0.00
2	Warning Level	6.40	570	5.20
3	Danger Level	7.40	826	6.20
4	Top Level of Bridge	12.40	2694	11.20

चम्बल नदी के विगत वर्षों मे अधिकतम गेज

Year	Gauge (Meter)	Discharge (Cumec)
Date 23-08-1996	145.54	68500
2004	132.35	11743
2005	131.15	9639
2006	NA	N/A
2007	128.82	5950
2008	125.98	2986
2009	126.00	2994
2010	122.94	1049
2011	134.80	17192
2012	129.20	6459
2013	138.90	29169
2014	136.40	21422
2015	137.40	24316
2016	137.60	24911
2017	125.40	2490
09-09-2018	133.00	13078
17-09-2019	144.40	61280
01-09-2020	134.40	16268
04-08-2021	144.70	63120
25-08-2022	146.57	75354
20-09-2023	128.30	5390
06-08-2024	132.90	12869

Gauge Vs Discharge Table of Chambal River

RL (Meter)	Gauge (Meter)	Discharge (Cumecs)	Discharge (Cusecs)	RL (Meter)	Gauge (Meter)	Discharge (Cumecs)	Discharge (Cusecs)	RL (Meter)	Gauge (Meter)	Discharge (Cumecs)	Discharge (Cusecs)
115.00	0.00	0.00	0								
115.10	0.10	0.02	1	**120.30**	5.30	173	6115	**125.50**	10.50	2572	90839
115.20	0.20	0.04	1	**120.40**	5.40	196	6905	**125.60**	10.60	2655	93748
115.30	0.30	0.06	2	**120.50**	5.50	218	7712	**125.70**	10.70	2738	96692
115.40	0.40	0.08	3	**120.60**	5.60	241	8519	**125.80**	10.80	2822	99672
115.50	0.50	0.11	4	**120.70**	5.70	265	9344	**125.90**	10.90	2908	102687
115.60	0.60	0.13	4	**120.80**	5.80	288	10187	**126.00**	11.00	2994	105737
115.70	0.70	0.15	5	**120.90**	5.90	313	11047	**126.10**	11.10	3086	108977
115.80	0.80	0.17	6	**121.00**	6.00	338	11925	**126.20**	11.20	3179	112251
115.90	0.90	0.19	7	**121.10**	6.10	362	12773	**126.30**	11.30	3272	115561
116.00	1.00	0.21	7	**121.20**	6.20	386	13639	**126.40**	11.40	3367	118907
116.10	1.10	0.24	8	**121.30**	6.30	411	14523	**126.50**	11.50	3463	122288
116.20	1.20	0.29	10	**121.40**	6.40	437	15424	**126.60**	11.60	3559	125668
116.30	1.30	0.32	11	**121.50**	6.50	463	16343	**126.70**	11.70	3655	129085
116.40	1.40	0.39	14	**121.60**	6.60	489	17262	**126.80**	11.80	3753	132536
116.50	1.50	0.45	16	**121.70**	6.70	515	18199	**126.90**	11.90	3852	136023
116.60	1.60	0.56	20	**121.80**	6.80	542	19153	**127.00**	12.00	3951	139545
116.70	1.70	0.62	22	**121.90**	6.90	570	20125	**127.10**	12.10	4060	143374
116.80	1.80	0.70	25	**122.00**	7.00	598	21114	**127.20**	12.20	4169	147222
116.90	1.90	0.81	29	**122.10**	7.10	644	22731	**127.30**	12.30	4278	151087
117.00	2.00	0.92	32	**122.20**	7.20	690	24365	**127.40**	12.40	4388	154969
117.10	2.10	1.05	37	**122.30**	7.30	737	26017	**127.50**	12.50	4499	158869
117.20	2.20	1.15	41	**122.40**	7.40	784	27686	**127.60**	12.60	4609	162770
117.30	2.30	1.37	48	**122.50**	7.50	832	29373	**127.70**	12.70	4720	166688
117.40	2.40	1.70	60	**122.60**	7.60	880	31060	**127.80**	12.80	4832	170623
117.50	2.50	2.60	92	**122.70**	7.70	928	32765	**127.90**	12.90	4943	174576
117.60	2.60	3.80	134	**122.80**	7.80	977	34487	**128.00**	13.00	5056	178547
117.70	2.70	5.20	184	**122.90**	7.90	1026	36227	**128.10**	13.10	5167	182465
117.80	2.80	6.50	230	**123.00**	8.00	1076	37985	**128.20**	13.20	5278	186401

117.90	2.90	7.60	268	**123.10**	8.10	1124	39678	**128.30**	13.30	5390	190354
118.00	3.00	9.24	326	**123.20**	8.20	1172	41388	**128.40**	13.40	5503	194325
118.10	3.10	10.60	374	**123.30**	8.30	1221	43116	**128.50**	13.50	5616	198314
118.20	3.20	11.89	420	**123.40**	8.40	1270	44862	**128.60**	13.60	5729	202303
118.30	3.30	13.25	468	**123.50**	8.50	1320	46625	**128.70**	13.70	5842	206309
118.40	3.40	14.99	529	**123.60**	8.60	1370	48389	**128.80**	13.80	5921	209103
118.50	3.50	16.80	593	**123.70**	8.70	1421	50170	**128.90**	13.90	6036	213145
118.60	3.60	19.12	675	**123.80**	8.80	1472	51968	**129.00**	14.00	6151	217204
118.70	3.70	21.70	766	**123.90**	8.90	1523	53785	**129.10**	14.10	6304	222629
118.80	3.80	24.15	853	**124.00**	9.00	1575	55619	**129.20**	14.20	6459	228089
118.90	3.90	27.34	966	**124.10**	9.10	1630	57580	**129.30**	14.30	6614	233585
119.00	4.00	30.97	1094	**124.20**	9.20	1687	59577	**129.40**	14.40	6771	239116
119.10	4.10	35.26	1245	**124.30**	9.30	1745	61610	**129.50**	14.50	6929	244682
119.20	4.20	40.99	1448	**124.40**	9.40	1803	63677	**129.60**	14.60	7086	250249
119.30	4.30	47.10	1663	**124.50**	9.50	1863	65780	**129.70**	14.70	7245	255850
119.40	4.40	53.80	1900	**124.60**	9.60	1922	67883	**129.80**	14.80	7435	262577
119.50	4.50	60.79	2147	**124.70**	9.70	1983	70021	**129.90**	14.90	7596	268249
119.60	4.60	67.90	2398	**124.80**	9.80	2044	72195	**130.00**	15.00	7758	273957
119.70	4.70	76.05	2686	**124.90**	9.90	2107	74404	**130.10**	15.10	7921	279723
119.80	4.80	85.51	3020	**125.00**	10.00	2170	76648	**130.20**	15.20	8081	285384
119.90	4.90	94.90	3351	**125.10**	10.10	2249	79415	**130.30**	15.30	8242	291080
120.00	5.00	109.08	3852	**125.20**	10.20	2328	82218	**130.40**	15.40	8405	296812
120.10	5.10	130.00	4589	**125.30**	10.30	2409	85057	**130.50**	15.50	8568	302578
120.20	5.20	151.00	5343	**125.40**	10.40	2490	87930	**130.60**	15.60	8731	308345

RL (Meter)	Gauge (Meter)	Discharge (Cumecs)	Discharge (Cusecs)	RL (Meter)	Gauge (Meter)	Discharge (Cumecs)	Discharge (Cusecs)	RL (Meter)	Gauge (Meter)	Discharge (Cumecs)	Discharge (Cusecs)
130.70	15.70	8896	314148	**135.90**	20.90	20033	707466	**141.10**	26.10	39059	1379351
130.80	15.80	9061	319985	**136.00**	21.00	20306	717103	**141.20**	26.20	39577	1397662
130.90	15.90	9227	325858	**136.10**	21.10	20582	726849	**141.30**	26.30	40100	1416115
131.00	16.00	9395	331766	**136.20**	21.20	20860	736665	**141.40**	26.40	40626	1434708
131.10	16.10	9557	337486	**136.30**	21.30	21140	746552	**141.50**	26.50	41157	1453443
131.20	16.20	9720	343241	**136.40**	21.40	21422	756510	**141.60**	26.60	41687	1472178
131.30	16.30	9883	349032	**136.50**	21.50	21706	766538	**141.70**	26.70	42222	1491054
131.40	16.40	10048	354858	**136.60**	21.60	21990	776566	**141.80**	26.80	42672	1506957
131.50	16.50	10214	360719	**136.70**	21.70	22276	786665	**141.90**	26.90	43245	1527167

131.60	16.60	10380	366580	**136.80**	21.80	22564	796835	**142.00**	27.00	43849	1548530
131.70	16.70	10547	372477	**136.90**	21.90	22854	807075	**142.10**	27.10	44469	1570393
131.80	16.80	10715	378409	**137.00**	22.00	23146	817386	**142.20**	27.20	45098	1592610
131.90	16.90	10884	384376	**137.10**	22.10	23435	827611	**142.30**	27.30	45737	1615180
132.00	17.00	11054	390379	**137.20**	22.20	23727	837907	**142.40**	27.40	46386	1638103
132.10	17.10	11249	397244	**137.30**	22.30	24020	848274	**142.50**	27.50	47045	1661379
132.20	17.20	11445	404180	**137.40**	22.40	24316	858711	**142.60**	27.60	47704	1684655
132.30	17.30	11643	411187	**137.50**	22.50	24614	869219	**142.70**	27.70	48373	1708284
132.40	17.40	11844	418264	**137.60**	22.60	24911	879727	**142.80**	27.80	49052	1732266
132.50	17.50	12046	425412	**137.70**	22.70	25211	890306	**142.90**	27.90	49741	1756602
132.60	17.60	12249	432560	**137.80**	22.80	25512	900955	**143.00**	28.00	50440	1781290
132.70	17.70	12453	439778	**137.90**	22.90	25816	911675	**143.10**	28.10	51152	1806430
132.80	17.80	12660	447067	**138.00**	23.00	26121	922465	**143.20**	28.20	51865	1831587
132.90	17.90	12868	454427	**138.10**	23.10	26435	933546	**143.30**	28.30	52578	1856761
133.00	18.00	13078	461857	**138.20**	23.20	26756	944874	**143.40**	28.40	53291	1881953
133.10	18.10	13304	469810	**138.30**	23.30	27084	956450	**143.50**	28.50	54005	1907163
133.20	18.20	13529	477780	**138.40**	23.40	27418	968272	**143.60**	28.60	54719	1932373
133.30	18.30	13755	485768	**138.50**	23.50	27760	980342	**143.70**	28.70	55433	1957601
133.40	18.40	13982	493774	**138.60**	23.60	28102	992412	**143.80**	28.80	56148	1982846
133.50	18.50	14209	501797	**138.70**	23.70	28451	1004729	**143.90**	28.90	56863	2008109
133.60	18.60	14437	509821	**138.80**	23.80	28806	1017293	**144.00**	29.00	57579	2033389
133.70	18.70	14664	517862	**138.90**	23.90	29169	1030104	**144.10**	29.10	59120	2087805
133.80	18.80	14892	525920	**139.00**	24.00	29539	1043161	**144.20**	29.20	59840	2113232
133.90	18.90	15121	533997	**139.10**	24.10	29926	1056844	**144.30**	29.30	60560	2138658
134.00	19.00	15350	542091	**139.20**	24.20	30321	1070773	**144.40**	29.40	61280	2164085
134.10	19.10	15579	550166	**139.30**	24.30	30722	1084949	**144.50**	29.50	62000	2189511
134.20	19.20	15808	558260	**139.40**	24.40	31131	1099372	**144.60**	29.60	62560	2209288
134.30	19.30	16038	566371	**139.50**	24.50	31546	1114042	**144.70**	29.70	63120	2229064
134.40	19.40	16268	574500	**139.60**	24.60	31962	1128712	**144.80**	29.80	63680	2248840
134.50	19.50	16499	582646	**139.70**	24.70	32384	1143629	**144.90**	29.90	64240	2268616
134.60	19.60	16729	590793	**139.80**	24.80	32813	1158794	**145.00**	30.00	64800	2288393
134.70	19.70	16961	598957	**139.90**	24.90	33250	1174206	**145.10**	30.10	65440	2310994
134.80	19.80	17192	607139	**140.00**	25.00	33693	1189865	**145.20**	30.20	66080	2333595
134.90	19.90	17424	615338	**140.10**	25.10	34150	1206008	**145.30**	30.30	66720	2356197
135.00	20.00	17657	623556	**140.20**	25.20	34614	1222398	**145.40**	30.40	67366	2379010
135.10	20.10	17914	632628	**140.30**	25.30	35086	1239035	**145.50**	30.50	68000	2401400

135.20	20.20	18173	641771	**140.40**	25.40	35564	1255919	**145.54**	30.54	68500	2419057
135.30	20.30	18434	650984	**140.50**	25.50	36049	1273051	**146.00**	31.00	71461	2523300
135.40	20.40	18697	660268	**140.60**	25.60	36534	1290183	**146.57**	31.57	75354	2660750
135.50	20.50	18962	669623	**140.70**	25.70	37026	1307562	**147.00**	32.00	38301	2764810
135.60	20.60	19226	678978	**140.80**	25.80	37525	1325188				
135.70	20.70	19493	688403	**140.90**	25.90	38031	1343061				
135.80	20.80	19762	697899	**141.00**	26.00	38544	1361181				

बांधों का तकनीकी डाटा

S. No.	Name of Dam	TBL (Meter)	MWL (Meter)	FTL (Meter)	Sill Level (Meter)	Gross Capacity (Mcum)	Gross Capacity (Mcft)	Live Capacity (Mcum)	Dead Capacity (Mcum)
1.	Parbati	226.00	224.00	223.41	212.60	120.90	4269.49	3834.63	435.86
2.	Ram Sagar	220.44	218.69	217.99	210.31	30.84	1088.75	1037.89	50.86
3.	Urmila Sagar	212.29	210.76	210.15	201.47	16.22	572.80	534.66	38.14
4.	Talabshahi	221.28	220.68	220.22	216.86	2.85	100.65	86.87	13.77
5.	Umreh Bund	220.00	218.50	218.20	215.30	2.12	75.00	60.00	15.00
6.	Hussainpur	30.48	29.26	28.95	26.06	1.13	40.00	34.00	6.00
7.	R.T. Bund	30.48	29.41	28.80	26.89	0.71	25.00	20.00	5.00

300 हैक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाले बांध

S. No.	Name of Dam	TBL (Meter)	MWL (Meter)	FTL (Meter)	Gross Capacity (Mcum)	Gross Capacity (Mcft)	Live Capacity (Mcum)	Dead Capacity (Mcum)	CCA (in Ha.)
8	Kookpur	30.02	28.95	28.04	0.59	21	19	2	178.47
9	Meghsagar	212	210.5	209.53	1.02	36	28	8	161.88
10	Narpura	192	190.27	189.97	0.85	30	28	2	40.57
11	Rata Ki Khar	26.21	24.84	24.08	0.76	27	25	2	276.41
12	Tarba	17.67	16.15	15.24	0.34	12	11	1	70.41
13	Baripura	30.03	29.1	28	0.65	23	20	3	111.29
14	Chillachond	234.4	232.86	231.65	0.42	15	11	4	80.94
15	D.B.R Jheel	205.4	204.21	203.75	2.83	100	50	50	121.41
16	Nadroli	30.48	29.57	29.26	1.84	65	60	5	242.91
17	Sunipur	171	170.38	169.93	0.14	5	4	1	24.28
18	Singhora	170.7	169.46	168.85	0.06	2	1	1	12.14
19	Bansrai	34.74	33.22	32.61	0.45	16	13	3	80.94

20	Dhor	31.69	30.17	29.56	0.91	32	26	6	161.88
21	Deholi		27.43	26.21	0.57	20	15	5	40.47
22	Dharapura	25.29	24.07	22.55	0.99	35	12	23	212.46
23	Nekhra	28.34	27.12	25.6	0.88	31	26	5	52.61
24	Shahpura	30.55	28.76	28.31	1.95	69	63	6	78.91
25	Bajna	26.51	25.29	23.47	2.78	98	68	30	50.99

बांधो की सूचना

विभाग के अधीनस्थ बांध

क्र. स.	बांध का नाम	भराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी)	प्रभारी अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0	पुलिस थाना	पुलिस थाना फोन न0
1	पार्वती बांध	4269.50	श्री पपेन्द्र कुमार मीना सहायक अभियन्ता जल ससांधन उपखण्ड बाड़ी 7742931616	सरमथुरा	05646–230228
2	रामसागर बांध	1088.75		बाडी	05647–274438
3	उमरेह बांध	75.00		बाडी	05647–274438
4	उर्मिला सागर बांध	572.80	श्री विवेक बंसल सहायक अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड धौलपुर 8561911223	सदरथाना धौलपुर	05642–240644
5	तालाबशाही बांध	100.65		बाडी	05647–274438
6	आर.टी.बांध	25.00		बाडी	05647–274438
7	हुसैनपुर बांध	40.00		बाडी	05647–274438

छोटे बांधों की सूचना

क्र. स.	बांध का नाम	भराव क्षमता (एम. सी.एफ.टी)	प्रभारी अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0	पुलिस थाना	पुलिस थाना फोन न0
1	कूकपूर	21	श्री विवेक बंसल सहायक अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड धौलपुर 8561911223	सदरथाना धौलपुर	05642–240644
2	मेघसागर	36		सदरथाना धौलपुर	05642–240644
3	नरपुरा	30		सदरथाना धौलपुर	05642–240644
4	राता की खार	27		सदरथाना धौलपुर	05642–240644
5	तरबा	12	श्री पपेन्द्र कुमार मीणा, सहायक	बाडी	05647–274438

6	बरीपुरा	23	अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, बाड़ी 7742931616	बाडी	05647—274438
7	चिलाचौंद	15		बाडी	05647—274438
8	डी.वी.आर. झील	100		बाडी	05647—274438
9	नादरौली	65		बाडी	05647—274438
10	सुनीपुर	5		बाडी	05647—274438
11	सिंगौरा	2	श्री दिनेश पाल परमार सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, सैंपऊ 9351181176	कौलारी	05642—214430
12	बांसरई	16	श्री पूरन चन्द मंगल सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, बसेड़ी 7014968287	बसेडी	05646—266106
13	धौर्र	32		बसेडी	05646—266106
14	दिहौली	20	श्री मनोज कुमार कुशवाह अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर 9887848644	राजाखेडा	05642—233007
15	धारापुरा	35		राजाखेडा	05642—234217
16	नेखरा	31		राजाखेडा	05642—233007
17	शाहपुरा	69		राजाखेडा	05642—234217
18	बाजना	98		राजाखेडा	05642—244008

वर्षा ऋतु में जब भी चम्बल मे बाढ़ आती है तब–तब चम्बल के किनारे बसे हुये निम्न गांवो को प्रशासन द्वारा बाढ से बचने हेतु सतर्क कर दिया जाता है।

<u>*बाढ से प्रभावित गॉवों की सूची*</u>

क्रं. सं.	प्रभावित क्षेत्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	RL (Mtr.)		Latitude	Longitude	Remark
					सम्पर्क कटा	गांव में पानी प्रवेश			
1	अण्डवा पुरैनी	अण्डवा पुरैनी	फरासपुरा	राजाखेडा	138.25	140.10	26.741785	78.084513	
2	गढी का पुरा	अण्डवा पुरैनी	फरासपुरा	राजाखेडा	138.25	140.10	26.763444	78.096776	
3	पक्का पुरा	अण्डवा पुरैनी	फरासपुरा	राजाखेडा	138.25	140.10	26.763655	78.091943	
4	झोरियन का पुरा	अण्डवा पुरैनी	फरासपुरा	राजाखेडा	138.25	140.10	26.763819	78.086776	
5	बेहड का पुरा	अण्डवा पुरैनी	फरासपुरा	राजाखेडा	138.30	140.10	26.763219	78.061943	
6	करनसिंह का पुरा	अण्डवा पुरैनी	फरासपुरा	राजाखेडा	138.25	140.10	26.763285	78.083850	
7	चहाडियान का पुरा	चहाडियान का पुरा	फरासपुरा	राजाखेडा	136.50	138.40	26.743795	78.103621	
8	बीच का पुरा	चहाडियान का पुरा	फरासपुरा	राजाखेडा	136.50	138.40	26.739848	78.092773	
9	मंहदपुरा	मंहदपुरा	मंहदपुरा	राजाखेडा	139.15	140.40	26.704982	78.068227	
10	भूडा	भूडा	मंहदपुरा	राजाखेडा	138.90	140.40	26.704608	78.076295	
11	ांकरपुरा	ांकरपुरा	मंहदपुरा	राजाखेडा	138.80	140.40	26.680745	78.077971	
12	कठूमरा	कठूमरा	मंहदपुरा	राजाखेडा	139.00	140.40	26.690543	78.082712	
13	कठूमरी	कठूमरी	मंहदपुरा	राजाखेडा	139.00	140.40	26.690586	78.046884	

14	घुरैयाखेडा	घुरैयाखेडा	मंहदपुरा	राजाखेडा	138.90	140.40	26.698554	78.025108	
15	गडराई	गडराई	मंहदपुरा	राजाखेडा	138.90	140.40	26.686720	78.065728	
16	चीलपुरा	चीलपुरा	चीलपुरा	राजाखेडा	138.90	140.65	26.729526	78.074629	
17	बक्सपुरा	बक्सपुरा	चीलपुरा	राजाखेडा	135.00	140.65	26.726958	78.071239	
18	टीकतपुरा	टीकतपुरा	चीलपुरा	राजाखेडा	135.10	140.65	26.716340	78.058858	
19	बसईघीयाराम	बसईघीयाराम	बसईघीयाराम	राजाखेडा	135.20	140.65	26.834811	78.149962	
20	अंधियारी	अंधियारी	बसईघीयाराम	राजाखेडा	135.20	141.85	26.822298	78.159521	
21	गढी जाफर	गढी जाफर	बसईघीयाराम	राजाखेडा	137.70	141.85	26.805062	78.160759	
22	दगरा	दगरा	बसईघीयाराम	राजाखेडा	137.90	141.85	26.798531	78.159278	

क्र. सं.	प्रभावित क्षेत्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	RL (Mtr.)		Latitude	Longitude	Remark
					सम्पर्क कटा	गांव में पानी प्रवेश			
23	बरसला	बरसला	सदापुर	राजाखेडा	137.90	141.85	26.789996	78.162464	
24	खोड	बरसला	सदापुर	राजाखेडा	137.90	141.85	26.794291	78.166322	
25	मोतीसिंह का पुरा	मदनपुर	मदनपुर	सरमथुरा	138.10	144.70	26.437319	77.500288	
26	काली तीर	भौहारी	मदनपुर	सरमथुरा	136.80	138.10	26.222760	77.305466	
27	भूरा का पुरा	भौहारी	मदनपुर	सरमथुरा	136.80	138.10	26.408563	77.448987	
28	चन्द्रपुरा	सांयपुर	मदनपुर	सरमथुरा	-	144.70	26.441789	77.524689	
29	गुलावली	गुलावली	मदनपुर	सरमथुरा	-	144.00	26.409397	77.441571	
30	झिरी	झिरी	झिरी	सरमथुरा	138.90	137.50	26.392611	77.412362	137.50 पर निचली बस्ती में पानी आयेगा एवं 138.90 पर गांव का रास्ता रूक जायेगा।
31	पनावती	झिरी	झिरी	सरमथुरा	134.50	144.70	26.385625	77.371702	
32	हल्लु का पुरा	झिरी	झिरी	सरमथुरा	134.50	0.00	26.385414	77.379219	केवल रास्ता कटता है।
33	रुंध का पुरा	झिरी	झिरी	सरमथुरा	134.50	0.00	26.381185	79.386343	केवल रास्ता कटता है।
34	जारौला	जारौला	झिरी	सरमथुरा	128.00	0.00	26.488404	77.378504	128.00 पर झिरी से रास्ता रूकता है लेकिन सरमथुरा से रास्ता चालू रहता है।
35	शंकर पुरा	शंकर पुरा	झिरी	सरमथुरा	134.50	0.00	26.375327	77.424596	
36	भगत का पुरा	शंकर पुरा	झिरी	सरमथुरा	134.50	0.00	26.370114	77.416799	केवल रास्ता कटता है।
37	खिल्लाडांडा	भम्मपुरा	झिरी	सरमथुरा	142.00	144.00	26.560247	77.811852	

38	चिल्लीपुरा	कस्बा नगर	कस्बा नगर	बाड़ी	139.60	142.10	26.560247	77.811852	
39	ज्वारे का पुरा	कस्बा नगर	कस्बा नगर	बाड़ी	139.60	142.10	26.566355	77.825653	
40	मुरहन का पुरा	कस्बा नगर	कस्बा नगर	बाड़ी	139.60	142.10	26.561929	77.822085	
41	रजई खुर्द	रजई खुर्द	कस्बा नगर	बाड़ी	140.65	140.65	26.586101	77.820757	
42	गंगोली	गंगोली	बरपुरा	बाड़ी	143.20	143.20	26.509465	77.719809	
43	घनावली	घनावली	बरपुरा	बाड़ी	143.20	143.20	26.504116	77.719100	
44	मुतावली	मुतावली	बरपुरा	बाड़ी	140.85	141.30	26.515507	77.681180	
45	करुआ	करुआ	बरपुरा	बाड़ी	136.80	136.80	26.506342	77.664094	

क्र. सं.	प्रभावित क्षेत्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	**RL (Mtr.)**		**Latitude**	**Longitude**	**Remark**
					सम्पर्क कटा	गांव में पानी प्रवेश			
46	पाली	पाली	सेवरपाली	बाड़ी	138.00	138.40	26.423166	77.545452	
47	गुढ़ावली	पाली	सेवरपाली	बाड़ी	138.00	138.40	26.436273	77.555053	
48	खरेरपुरा	खरेरपुरा	सेवरपाली	बाड़ी	138.00	138.40	26.413987	77.526805	
49	मालीपुरा	मालीपुरा	धौलपुर	नगर परिषद	142.10	142.10	26.633304	77.912413	
50	पाटौर	मालीपुरा	धौलपुर	नगर परिषद	142.10	142.10	26.682778	77.938889	
51	राजघाट	मालीपुरा	धौलपुर	नगर परिषद	142.10	142.10	26.676952	77.959222	
52	बरैलापुरा	बरैलापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	144.20	26.663574	77.892117	
53	चौकी का पुरा	बरैलापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	144.40	26.661166	77.895449	
54	बड़ापुरा	बड़ापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	142.10	26.663056	77.887500	
55	मेहन का पुरा	बड़ापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	142.40	26.653090	77.890236	
56	टिंडे का पुरा	बड़ापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	142.45	26.657979	77.893547	
57	विरमे का पुरा	बड़ापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	142.00	26.653117	77.890085	
58	भेंरो का पुरा	बड़ापुरा	धौलपुर	मौरोली	142.70	142.70	26.657430	77.886402	
59	डावरी का पुरा	गरवापुरा	धौलपुर	कोटरा	142.10	142.70	26.661402	77.897133	

60	गवां	गवां	धौलपुर	बसई नीम	140.25	141.30	26.663725	77.921102	
61	शिवराम का अड्डा	गवां	धौलपुर	बसई नीम	139.15	139.15	26.663826	77.931203	
62	साहनपुर	साहनपुर	धौलपुर	भैंसेना	136.40	141.50	26.663056	77.947500	
63	भमरौली	भमरौली	धौलपुर	भैंसेना	136.40	141.70	26.708333	77.970278	
64	तिघरा	तिघरा	धौलपुर	कासिमपुर	136.40	140.00	26.700278	77.971389	
65	सरदार का अड्डा	तिघरा	धौलपुर	कासिमपुर	-	142.90	26.700278	77.971389	
66	घेड	घेड	धौलपुर	भैंसेना	136.80	136.80	26.666058	77.940513	
67	धनपाल की टेक	घेड	धौलपुर	भैंसेना	139.60	139.60	26.660278	77.947500	
68	मल्हा का पुरा	घेड	धौलपुर	भैंसेना	139.60	139.60	26.660278	77.947500	
69	हथियाखार	घेड	धौलपुर	भैंसेना	-	-	26.669421	77.962759	

वर्षा ऋतु में पार्वती बांध के जब भी गेट खोले जाते है तब–तब पार्वती नदी के किनारे बसे हुये निम्न गांवो को प्रशासन द्वारा बाढ से बचने हेतु सतर्क कर दिया जाता है।

पार्वती नदी मे बाढ़ से प्रभावित गॉवों की सूची
(कुल 52 गांव)

क.सं.	तहसील बसेडी
1.	तिमासिया
2.	बसेडी प्रथम एवं तृतीय
3.	नगला दरवेशा
4.	खिडोरा
5.	भारली
6.	इन्दौन
7.	पथर्रा
8.	नौनेरा पुरा चन्दू
9.	मई
10.	दौपुरा
11.	मिर्जापुर (रतनपुर)
12.	मऊ गुलावली
13.	बौरेली
14.	जागीर बोरेली
15.	खेमरी
16.	कुनकुटा
17.	एकटा
18.	पत्तीपुरा
19.	नृसिंहपुरा
20.	दादीपुरा
21.	सलेमपुर रावतपाटी
22.	पाली
23.	जारगा
24.	पिपरौन
25.	हरजुपुरा
26.	मौहारी
27.	तुलसीपुरा
28.	बरई
29.	रानपुर
30.	रामपुर अम्बरपुरा
31.	खरगपुरा

क.सं.	तहसील बाडी
1.	सिंगोरई

क.सं.	तहसील सैपंऊ
1.	सैंपऊ (महादेव, हंसपुरा, अन्दरबस्ती)
2.	तसीमो
3.	मढा
4.	गढी लज्जा
5.	आरी
6.	हाजीपुर
7.	मानपुर (गंगापुरा) छोटा मानपुर
8.	मालौनी खुर्द
9.	अजयपुरा
10.	निधेरा कलां

क.सं.	तहसील धौलपुर
1.	धर्मपुरा मजरा अलीगढ
2.	टांडा
3.	दुर्गपुर
4.	महूरी
5.	बीधपुरा एवं मरैया
6.	सैंवर का पुरा
7.	सिजरौली
8.	रांडौली एवं तीर का पुरा
9.	कोटपुरा
10.	कुरोडा गूजर शाला

वर्षा ऋतु में पार्वती बांध के गेट जब भी खोले जाते है तो बाढ का पानी पार्वती नदी से उटंगन नदी मे जाता है। उंटगन नदी के किनारे बसे हुये निम्न गांवो को प्रशासन द्वारा बाढ से बचने हेतु सतर्क कर दिया जाता है।

उट्टंगन नदी मे बाढ़ से प्रभावित ग्राम।

कं.सं.	तहसील धौलपुर
1.	गन्हेंदी
2.	नागर
3.	हथवारी
4.	आनन्दापुरा
5.	फिरोजपुर
6.	मठावली
7.	जारहगा
8.	डोगरपुरा
9.	सिंकरौदा
10.	सिंघावली कलां
11.	सिंघावली खुर्द
12.	डिरावली
13.	बजना
14.	सिलावट
15.	नादौली
16.	राजाखेडा

नाव मालिको एवं नाव चालक मछुआरों की सूची

1. निजि क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरा एवं नावों की सूची

नाव मालिक का नाम, पता एंव मोबाईल नम्बर	नाव चालक का नाम, पता एंव मोबाईल नम्बर	गोताखोरों का नाम, पता एंव मोबाईल नम्बर	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का स्थान
श्री यूनुस अनवर, श्री याकूब, मनोनित मत्स्य ठेकेदार बंध आंगई डेम जिला धौलपुर मो0न0 9352327586	नाव चालक मत्स्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर मत्स्याखेट बुलाये जाते है।	गोताखोरों की सूची इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।	05 (मछुआरा नावें)	बांध ऑगई डैम धौलपुर
श्री यूसुफ अनवर, मत्स्य ठेकेदार, बंध रामसागर (बाड़ी) जिला धौलपुर मो0न0 9012009221	नाव चालक मत्स्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर मत्स्याखेट बुलाये जाते है।	गोताखोरों की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है	05 (मछुआरा नावें)	बांध रामसागर बाड़ी, धौलपुर
श्री कफील अहमद मकान नण 4/321 धाबी वाली गली, बालूगंज आगरा, उ0प्र0 मो0न0 9012009221	नाव चालक मत्स्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर मत्स्याखेट बुलाये जाते है।	गोताखोरों की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है	02 (मछुआरा नावें)	बांध तालाबशाही धौलपुर
श्री मोनिस सैफी पुत्र श्री सलीम सैफी, ए–55 शाहनगर, अलबतिया रोड़, शाहगंज आगरा, उ0प्र0 मो0न0 9352327586	नाव चालक मत्स्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर मत्स्याखेट बुलाये जाते है।	गोताखोरों की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है	03 (मछुआरा नावें)	बांध उर्मिलासागर धौलपुर

2. निजि क्षेत्र के नाव चालक मछुआरों की सूची

क्र. सं.	सक्रिय मछुआरों का नाम पिता का नाम	आयु	लिंग	तहसील	पूरा पता	मो0नं0
1	श्री राजेश/पूरन	52	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	8890839050
2	श्री शिवराम/गुटई	54	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	9660831309
3	श्री संतोष/कुल्ली	47	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	8239666349
4	श्री प्रहलाद/कुल्ली	42	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	77425551255

5	श्री रामनिवास/छोटे	46	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	8279229287
6	श्री मलखान/फतुआ	48	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	
7	श्री कल्ला/गोले	39	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	9024168924
8	श्री पप्पू/लालाराम	39	पुरूष	बाडी	कहार गली, बाडी	8302450173

नोट :—उक्त सूची मत्स्य विकास अधिकारी भरतपुर (श्री बृजेशकुमार—8764377270) के पत्रांक 167 दिनांक 12.05.2025 के आधार पर है।

विभाग के पास उपलब्ध आवश्यक सामान की सूची

क0सं0	सामान का नाम	धौलपुर भण्डार	आंगई भण्डार
1	टार्च तीन सैल स्टील	1 Nos.	2 Nos.
2	छाता 8 तान पोलिस्टर	1 Nos.	2 Nos.
3	गैती	1Nos.	1 Nos.
4	शब्बल	2 Nos.	1 Nos.
5	फावड़े	1Nos.	4 Nos.
6	बॉस	08 Nos.	Nil
7	बल्ली	10 Nos.	Nil
8	खाली सीमेन्ट के कट्टे	1000 Nos.	2600 Nos.
9	फीता 100 फुट वाले	Nil	1 Nos.
10	एल्यूमिनियम लैडर	Nil	1 Nos.
11	लाइफ जेकिट	8 Nos.	4 Nos.
12	लाइफ बॉडी रिंग	1 Nos.	1 Nos.
13	ट्यूब	5Nos.	-
14	रस्सी प्लास्टिक	20 मीटर	-
15	मड पम्प 6 एच.पी.	2 Nos.	-
16	मड पम्प 12 एच.पी.	1 Nos.	-
17	मड पम्प 26 एच.पी.	1 Nos.	-

वर्षा ऋतु के अन्तर्गत बाढ से प्रभावित होने पर पम्प किराये पर सप्लाई हेतु निम्न व्यक्तियो के पास पम्प उपलब्ध है।

1	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जनक सिंह खेडा	8 एच.पी	8058403059
2	कैलाशी पुत्र किरोडी जाटव खेडा	8 एच.पी	9680884834
3	रामनिवास पुत्र कन्हैया कुषवाह खेडा	8 एच.पी	9694739262
4	रंजीत पुत्र कन्हैया कुषवाह खेडा	8 एच.पी	8058054878
5	ऐदल पुत्र लज्जाराम जाट रजौरा	8 एच.पी	9166850854
6	रामबाबू पुत्र रामदयाल रजौरा	8 एच.पी	8094284665
7	लक्ष्मण सिंह पुत्र रामदयाल रजौरा	8 एच.पी	9660519676

बांधों पर प्रस्तावित कट्टों की संख्या

क0सं0	बांध का नाम/स्थान	वर्षाकाल के दौरान रखे जाने वाले खाली कट्टों की प्रस्तावित संख्या (नग)		
		भरे कट्टे	खाली कट्टे	योग
1	पार्वती बांध	3000	0	3000
2	रामसागर बांध	1000	0	1000
3	उर्मिला सागर बांध	500	0	500
4	तालाबशाही बांध	200	0	200
5	हुसैनपुर बांध	200	0	200
6	आर0टी0 बांध	100	0	100
7	उमरेह बांध	500	0	500
8	धौलपुर खण्डीय भण्डार	0	10000	10000
9	आंगई भण्डार	0	5000	5000
10	बाडी उपखण्डीय भण्डार	0	5000	5000
	योग :—	5500	20000	25500

धौलपुर जिले के गत 10 वर्षों के बारिश के आंकड़े

Average Rain Fall of Dholpur District - 650 mm

S. No.	Year	Dholpur	Bari	Angai	Baseri	Saipau	Talabshahi	Urmila Sagar	Rajakhera	Average Dholpur District	% Rain Fall
1	2015	332	431	424	554	303	403	353	375	409.38	62.98
2	2016	512	695	870	837	619	631	590	713	683.38	105.13
3	2017	316	305	363	280	281	273	261	420	312.38	48.06
4	2018	741	640	707	715	810	651	813	729	725.75	111.65
5	2019	595	768	622	653	707	731	667	764	688.38	105.90
6	2020	302	345	390	526	369	316	484	326	382.25	58.81
7	2021	511	770	679	784	544	738	490	426	617.75	95.04
8	2022	876	757	714	700	732	697	657	466	700.00	107.69
9	2023	887	631	656	586	731	632	719	568	676.25	104.04
10	2024	1179	1139	832	1180	1003	1036	1284	1390	1130.38	173.90

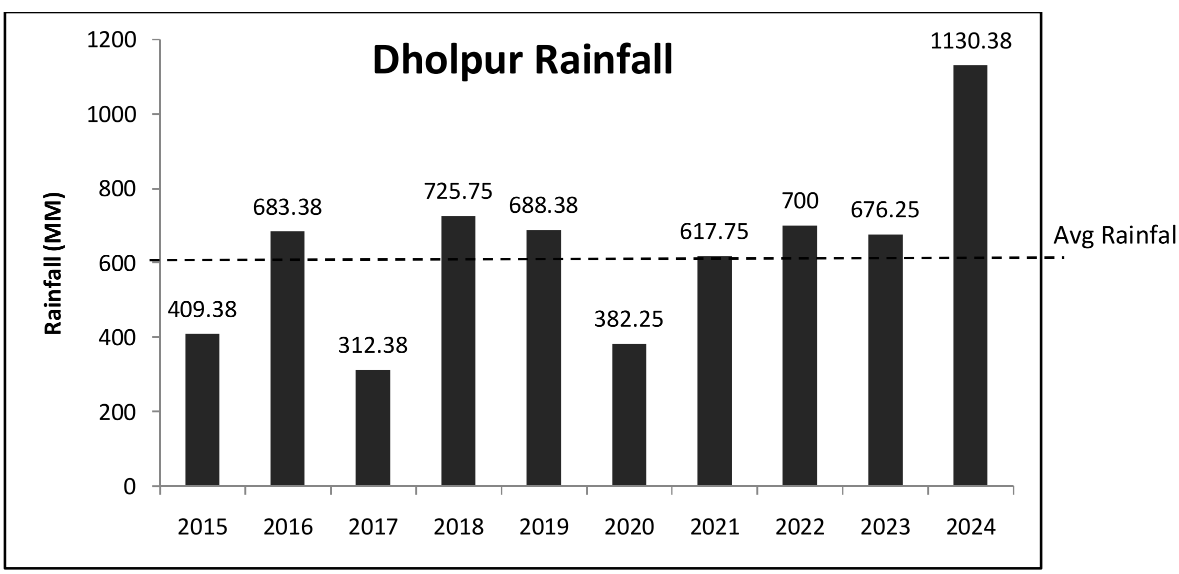

जल संसाधन विभाग के प्रमुख दूरभाष नम्बरों की सूची

क0 सं0	नाम	स्थान / विभाग	दूरभाष		
			कार्यालय	मोबाईल	ई–मेल आईडी
1	श्री अभय कुमार	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर	0141– 2227567	—	–
2	श्री भुवन भास्कर अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर	0141–2702353	9413364545	cejpr.wr@gmail.com
3	श्री देवी सिंह बैनीवाल	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग जयपुर	0141–2702353	9414340978	acewr@gmail.com
4	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग भरतपुर	–	9414375703	wrzonebpr@gmail.com
5	श्री सुरेश चन्द्र मीना	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, धौलपुर	–	6376302275	wrcircledlp@gmail.com
6	श्री राजीव अग्रवाल	अधि0अभि0 एवं तक0सहा0 जल संसाधन वृत, धौलपुर	–	9660453407	wrcircledlp@gmail.com
7	श्री नवल किशोर दायमा	उपनिदेशक हाइड्रोलॉजी जयपुर	0141–2702480	7726937898 9351537898	ddhwrdjaipur@gmail.com
8	श्री राजकुमार सिंघल	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड धौलपुर	05642–220880	9529395199	eewrddholpur1@gmail.com
9	श्री बिज्जेलाल शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन धौलपुर लिफ्ट खण्ड धौलपुर	—	9413310812	eewrdliftdholpur@gmail.com
10	श्री मनोज कुमार कुशवाह	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर	—	9887848644	ee2wrddlp@gmail.com
11	श्री अंशुल मित्तल	सहा00अभि0 एवं तक0सहा0 जल संसाधन खण्ड, धौलपुर	–	9649104762	eewrddholpur1@gmail.com
12	श्री विवेक बंसल	सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, धौलपुर	05642–220880	8561911223	dholpursubdivision@gmail.com
13	श्री पपेन्द्र कुमार मीना	सहा0 अभि0 जल संसाधन उपखण्ड बाडी	—	7742931616	barisubdivision@gmail.com
14	श्री पूरनचन्द मंगल	सहा0 अभि0 जल संसाधन उपखण्ड बसेडी	—	7014968287	baserisubdivision@gmail.com
15	श्री दिनेश पाल परमार	सहा0 अभि0 जल संसाधन उपखण्ड सैपउ	—	9351181176	saipausubdivision@gmail.com

धौलपुर जिले में स्थापित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम कार्यालयों के दूरभाष नम्बरों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	डॉ. अमित यादव श्री कमल सिंह यादव	सम्भागीय आयुक्त महो0 भरतपुर अति0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर	05644 05644	234891फै. 227977 234894	234892	9682321208 9996237788 9413044400
2.	श्री श्रीनिधि बी. टी.	जिला कलक्टर	05642 IP phone - 28108	220254/ 220871	220202	9449725585
3.	श्री हरि राम मीणा	अतिरिक्त जिला कलक्टर	05642 IP phone - 54003	221355	221325	9414334790
4.	डॉ. साधना शर्मा	उपखण्डाधिकारी धौलपुर	05642	220834	220886	9414445802
5.	सुश्री वर्षा मीणा	उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा	05642	233649	233649	8285053671
6.	श्री भगवत शरण त्यागी	उपखण्डाधिकारी बाड़ी	05647	273801	273781	9414583463
7.	श्रीमती सुधा रानी मीणा	उपखण्डाधिकारी बसेड़ी	05646	276741	276741	7240615787
8.	श्री भगवत शरण त्यागी (अ.चा.)	उपखण्डाधिकारी सैपऊ	05642	266276	–	9414583463
9.	श्रीमती सुधा रानी मीणा (अ.चा.)	उपखण्डाधिकारी, सरमथुरा	–	–	–	7240615787
10.	डॉ. साधना शर्मा (अ.चा.)	सहायक कलक्टर मुख्यालय	–	–	–	9414445802
11.	श्री आव्हाद निवृत्ती सोमनाथ (अ.चा.)	सहायक निदेशक, लोक सेवाएं	–	–	–	9834976317
12.	श्री सतीश बैंसला श्री लक्ष्मण सिंह (अ.चा.) श्री अभिमन्यु सिंह (अ.चा.) श्री मुकेश शर्मा (अ.चा.) श्री राजकपूर सोनी (अ.चा.) श्री लक्ष्मण सिंह परमार (अ.चा.) श्री	कोषाधिकारी धौलपुर उप कोषाधिकारी बसेड़ी लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट उप कोषाधिकारी बाडी उपकोषाधिकारी राजाखेडा उपकोषाधिकारी सैपऊ सहा. कोषाधिकारी धौलपुर	05642 05647	220894/ 220994 – 273313	– – – –	9530000844 9460114908 9772949343 8387996458 8003837017 9460114908
13.	श्री बलभद्र सिंह श्री प्रहलाद अग्रवाल	संयुक्त निदेशक (एसए) डीओआईटी प्रोग्रामर पं.स. धौलपुर	05642 IP phone - 28216	221044	–	9810507186 9335120846
14.	श्री कल्याण सहाय करौल श्री गजेन्द्र बाबू शर्मा श्रीमती समीक्षा दिनकर	जिला रसद अधिकारी धौलपुर प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर	05642	220814	–	9521754458 9413040209 8949926281 9799213902

	श्री जगदीश शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी				9414472651
	श्री	प्रवर्तन निरीक्षक बसेड़ी, सरमथुरा				
	श्री	प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़ी				
	श्री	प्रवर्तन निरीक्षक, सैपऊ				
	श्री	प्रवर्तन निरीक्षक, राजाखेड़ा				
	श्री लोकेश चन्द द्विवेदी	प्रबन्धक खाद्य निगम, धौलपुर				9660224725
	श्री जगराम मीणा	एफसीआई मैनेजर धौलपुर				9888878521
15.	सुश्री अल्का श्रीवास्तव	उप पंजीयक धौलपुर	—	—	—	9079242005
16.	सुश्री अल्का श्रीवास्तव (अ.चा.)	तहसीलदार धौलपुर	05642	220879	—	9079242005
17.	श्रीमती दीप्ति (अ.चा.)	तहसीलदार राजाखेडा	05642	233012	233012	7891369029
18.	श्री नाहर सिंह (अ.चा.)	तहसीलदार सैपऊ	05642	266276	266276	9413593199
19.	श्री उत्तम चन्द बंसल (अ.चा.)	तहसीलदार बाडी	05647	273505	273505	9414375875
20.	श्री बृजेश कुमार सिंह	तहसीलदार बसेडी	05646	276107	276107	8114466539
21.	श्री अजय सिंह मीणा	तहसीलदार सरमथुरा	05646	214109	214109	9414676750
22.	श्री देवेन्द्र तिवारी (अ0चा0)	तहसीलदार मनियां	05642	—	—	9119049966
23.	श्री मनोज भारद्वाज (अ.चा.)	तहसीलदार, बसईनवाब	—	—	—	9414375763
24.	श्रीमती दीप्ति	तहसीलदार, भू–अभिलेख	05642	220834	—	7891369029
25.	श्री रघुवीर सिंह	तहसीलदार, चुनाव	—	—	—	7878055721
26.	श्री देवेन्द्र तिवारी	नायब तहसीलदार मनियां	—	—	—	9119049966
27.	श्री मनोज भारद्वाज	नायब तहसीलदार, बसईनवाब	—	—	—	9414375763
28.	श्री टीकेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार राजाखेडा	05642	233012	—	9829606854
29.	श्री प्रदीप राजौरिया	नायब तहसीलदार धौलपुर	05642	220879	—	9460109827
30.	श्री बलवीर सिंह राना	नायब तहसीलदार कंचनपुर	05642	—	—	9414375753
31.	श्री नाहर सिंह	नायब तहसीलदार सैपऊ	05642	266278	—	9413593199
32.	श्री उत्तम चन्द बंसल	नायब तहसीलदार बाडी	05647	243505	—	9414375875
33.	श्री जीतेन्द्र गोयल	नायब तहसीलदार बसेडी	—	—	—	9571770818
34.	श्री	नायब तहसीलदार एसडीओ सरमथुरा	—	—	—	
35.	श्री भरतलाल मीणा	नायब तहसीलदार एसडीओ बसेड़ी	—	—	—	
36.	श्री कालीचरन	नायब तहसीलदार एसडीओ सैपउ	—	—	—	9460741241
37.	श्री	नायब तहसीलदार एसडीओ राजाखेड़ा	—	—	—	
38.	श्री राकेश गिरि	नायब तहसीलदार एसडीओ धौलपुर	—	—	—	7597152376
39.	श्री हरिओम चिहार	नायब तहसीलदार मरैना	—	—	—	9643149579

40.	श्री प्रयागराज शर्मा	नायब तहसीलदार कौलारी	—	—	—	9414879243 6350183911
41.	श्री चरन सिंह	नायब तहसीलदार जारगा	—	—	—	8949531832
42.	श्री विनीत कुमार	नायब तहसीलदार नादनपुर	—	—	—	9179054444
43.	श्री	ईआरओ (एसडीओ) बाड़ी	—	—	—	
44.	श्री मनीष वर्मा श्री अजय सिंह	डी0आई0ओ0 निक धौलपुर ए0डी0आई0ओ0	05642	220007 224693	—	9530117309 8000941075
क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
45.	डॉ. अमित यादव श्री कमल सिंह यादव	सम्भागीय आयुक्त महो0 भरतपुर अति0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर	05644 05644	234891फै. 227977 234894	234892	9682321208 9996237788 9413044400
46.	श्री श्रीनिधि बी टी	जिला कलक्टर	05642 IP phone - 28108	220254 / 220871	220202	9449725585
47.	श्री हरि राम मीणा	अतिरिक्त जिला कलक्टर	05642 IP phone - 54003	221355	221325	9414334790
48.	डॉ. साधना शर्मा	उपखण्डाधिकारी धौलपुर	05642	220834	220886	9414445802
49.	सुश्री मनीषा कुमारी मीणा	उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा	05642	233649	233649	9511314563
50.	श्री राधेश्याम मीणा	उपखण्डाधिकारी बाड़ी	05647	273801	273781	8503000010
51.	श्री दिनेश शर्मा	उपखण्डाधिकारी बसेड़ी	05646	276741	276741	9413632204
52.	डॉ. साधना शर्मा (अ.चा.)	उपखण्डाधिकारी सैपऊ	05642	266276	—	9414445802
53.	श्री राधेश्याम मीणा (अ.चा.)	उपखण्डाधिकारी, सरमथुरा	—	—	—	8503000010
54.	डॉ. साधना शर्मा (अ.चा.)	सहायक कलक्टर मुख्यालय	—	—	—	9414445802
55.	श्री मुकेश कुमार बैरवा (अ.चा.)	सहायक निदेशक, लोक सेवाएं	—	—	—	9413863917
56.	श्री कैलाश चन्द मीणा (अ.चा.) श्री लक्ष्मण सिंह (अ.चा.) श्री कैलाश मीणा (अ.चा.) श्री उत्तम गोयल (अ.चा.) श्री राजकपूर सोनी (अ.चा.) श्री लक्ष्मण सिंह परमार (अ.चा.) श्री संतोष मंगल	कोषाधिकारी धौलपुर उप कोषाधिकारी बसेड़ी लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट उप कोषाधिकारी बाडी उपकोषाधिकारी राजाखेडा उपकोषाधिकारी सैपऊ सहा. कोषाधिकारी धौलपुर	05642 05647	220894 / 220994 — 273313	— — — —	9558209427 9460114908 9558209427 9414583118 8387996458 8003837017 9460114908 9414344034
57.	श्री बलभद्र सिंह श्री प्रहलाद अग्रवाल	संयुक्त निदेशक (एसए) डीओआईटी प्रोग्रामर पं.स. धौलपुर	05642 IP phone -	221044	—	9810507186 9335120846

58.	श्री राहुल राज जादौन श्री गजेन्द्र बाबू शर्मा श्रीमती समीक्षा दिनकर श्री श्री श्री श्री श्री लोकेश चन्द द्विवेदी श्री जगराम मीणा	जिला रसद अधिकारी धौलपुर प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर प्रवर्तन निरीक्षक बसेड़ी, सरमथुरा प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़ी प्रवर्तन निरीक्षक, सैपऊ प्रवर्तन निरीक्षक, राजाखेड़ा प्रबन्धक खाद्य निगम, धौलपुर एफसीआई मैनेजर धौलपुर	05642	220814	—	8384039118 9413040209 8949926281 9799213902 9660224725 9888878521
59.	श्री धर्मसिंह (अ0चा0)	उप पंजीयक धौलपुर	—	—	—	9079716460
60.	श्री धर्मसिंह	तहसीलदार धौलपुर	05642	220879	—	9079716460
61.	श्री टीकेन्द्र सिंह	तहसीलदार राजाखेडा	05642	233012	233012	9829606854
62.	श्री राहुल धाकड़ (अ0चा0)	तहसीलदार सैपऊ	05642	266276	266276	8078628697
63.	श्री मौहम्मद हनीफ	तहसीलदार बाडी	05647	273505	273505	9694701562
64.	श्री बृजेश कुमार सिंह	तहसीलदार बसेडी	05646	276107	276107	8114466539
65.	श्री अमित कुमार (अ0चा0)	तहसीलदार सरमथुरा	05646	214109	214109	9953812056
66.	श्रीमती सीमा बघेल	तहसीलदार मनियां	05642	—	—	8741852857 7850078231
67.	श्री राजेन्द्र कुमार जाट (अ.चा.)	तहसीलदार, बसईनवाब	—	—	—	9351395535
68.	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	तहसीलदार, भू–अभिलेख	05642	220834	—	9079619323
69.	श्री कालीचरन (अ0चा0)	तहसीलदार, चुनाव	—	—	—	9460741241
70.	श्री नाहर सिंह	नायब तहसीलदार मनियां	—	—	—	9413593199
71.	श्री राजेन्द्र कुमार जाट	नायब तहसीलदार, बसईनवाब	—	—	—	9351395535
72.	श्री उम्मेद सिंह	नायब तहसीलदार राजाखेडा	05642	233012	—	8619740856 9887869186
73.	श्री अमित कुमार	नायब तहसीलदार धौलपुर	05642	220879	—	9953812056
74.	श्री जगवीर सिंह बेनीवाल	नायब तहसीलदार कंचनपुर	05642	—	—	9887362872 9414711970
75.	श्री देवेन्द्र तिवारी	नायब तहसीलदार सैपऊ	05642	266278	—	9119049966
76.	श्री	नायब तहसीलदार बाडी	05647	243505	—	
77.	श्री विजय कुमार जैन	नायब तहसीलदार बसेडी	—	—	—	9413145897

78.	श्री उत्तम चन्द बंसल	नायब तहसीलदार एसडीओ सरमथुरा	—	—	—	9414375875
79.	श्री विजय कुमार जैन (अ.चा.)	नायब तहसीलदार एसडीओ बसेड़ी	—	—	—	9413145897
80.	श्री रघुवीर सिंह	नायब तहसीलदार एसडीओ सैपउ	—	—	—	7878055721
81.	श्री रामखिलाड़ी शर्मा	नायब तहसीलदार एसडीओ राजाखेड़ा	—	—	—	9672204425
82.	श्री राकेश गिरि	नायब तहसीलदार एसडीओ धौलपुर	—	—	—	7597152376
83.	श्री उम्मेद सिंह (अ0चा0)	नायब तहसीलदार मरैना	—	—	—	8619740856
84.	श्री प्रयागराज शर्मा	नायब तहसीलदार कौलारी	—	—	—	9414879243 6350183911
85.	श्री चरन सिंह	नायब तहसीलदार जारगा	—	—	—	8949531832
86.	श्री विजय कुमार जैन II	नायब तहसीलदार नादनपुर	—	—	—	9782666937
87.	श्री कालीचरन	नायब तहसीलदार चुनाव	—	—	—	9460741241
88.	श्री	ईआरओ (एसडीओ) बाड़ी	—	—	—	
89.	श्री मनीष वर्मा	डी0आई0ओ0 निक धौलपुर	05642	220007 224693	—	9530117309

जिला परिषद एवं पंचायती राजः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री आव्हाद निवृत्ती सोमनाथ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05642	220776	220876	9834976317
2.	श्री	अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05642	220815	220875	
3.	श्री नवल सिंह (अ.चा.) श्री मनीष सिंह तोमर	विकास अधि0 पं0 स0 राजाखेडा सहायक अभियन्ता	05642	233002 फै0	—	9549402225 8871573283
4.	श्री राजेश कुमार लवानिया (अ.चा.)	विकास अधिकारी पं0 स0 धौलपुर सहायक अभियन्ता	05642	220795	241046	9079763477
5.	श्री हेमन्त कुमार घनघोर (अ.चा.) श्री रामबोल सिंह	विकास अधिकारी पं0स0 बाडी सहायक अभियन्ता	05647	274397	—	9414401612 9414282952
6.	श्री रामजीलाल मीणा श्री दीवान सिंह	विकास अधिकारी पं.स. बसेडी सहा. अभि.	05646	276109	—	9799167214 9784322696
7.	श्री रामबोल सिंह (अ.चा.) श्री धर्मप्रकाश त्यागी	विकास अधिकारी, पं.स. सैपऊ सहायक विकास अधिकारी	—	—	—	9414282952 9672547375
8.	श्री गिर्राज सिंह (अ.चा.) श्री राजेश शर्मा श्री सुरेन्द्र मीणा	विकास अधिकारी पं.स.सरमथुरा सहायक अभियन्ता	—	—	—	9660010997 8209780796 9928027711 6377392947

9.	श्री प्रेमचन्द बैरवा श्री एश्वर्य मुदगल	अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा लोकपाल	05642	224114	—	9680301024 9875004050
10.	श्री लाखन सिंह मीणा (अ.चा.)	अधीक्षण अभियन्ता, वाटरशैड	—	—	—	9414874328 8118843947
11.	श्री अशोक कुमार वर्मा श्री गोपेश मीणा श्री अनूप सिंह	अधिशाषी अभियन्ता ग्रा.वि. अधिशाषी अभियन्ता अभि. सहायक अभियन्ता	—	—	—	9828820611 9414929170 7426005733
12.	श्री गौरव सिंघल श्री गौरव सिंघल श्री गौरव सिंघल	वरिष्ठ लेखाधिकारी परियोजना अधिकारी (लेखा) एओ नरेगा	—	—	—	7011160774 9971574901 7011160774
क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
13.	श्री सुदर्शन सिंह तौमर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05642	220776	220876	9828410620
14.	श्री शीशराम यादव	अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05642	220815	220875	9460145674
15.	श्री राकेश कुमार मीणा (अ.चा.) श्री मनीष सिंह तोमर	विकास अधि0 पं0 स0 राजाखेडा सहायक अभियन्ता	05642	233002 फै0	—	9785999866 8871573283
16.	श्री राकेश कुमार मीणा (अ.चा.) श्री राकेश कुमार मीणा	विकास अधिकारी पं0 स0 धौलपुर सहायक अभियन्ता	05642	220795	241046	9785999866 9785999866
17.	श्री नरेन्द्र सिंह (अ.चा.) श्री रामजीत सिंह	विकास अधिकारी पं0स0 बाडी सहायक अभियन्ता	05647	274397	—	9414034260 9001437206 7014890668 9530304135
18.	श्री बाबूलाल मीना (अ.चा.) श्री दीवान सिंह श्री गिर्राज सिंह	विकास अधिकारी पं.स. बसेडी सहा. अभि. सहा. अभि.	05646	276109	—	9636063336 9784322696 9660010997 9530304129
19.	श्री रामदयाल श्री धर्मप्रकाश त्यागी	विकास अधिकारी, पं.स. सैपऊ सहायक विकास अधिकारी	—	—	—	8529402987 9672547375
20.	श्री अमित कुमार (अ.चा.) श्री राजेश शर्मा श्री दीवान सिंह श्री सुरेन्द्र मीणा	विकास अधिकारी पं.स.सरमथुरा	—	—	—	9953812056 8209780796 9784322696 9928027711 6377392947
21.	श्री गोपेश मीणा (अ.चा.)	अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा	05642	224114	—	9414929170

	श्री एश्वर्य मुदगल	लोकपाल				9875004050
22.	श्री प्रभातीलाल मीणा (अ.चा.) श्री प्रभाकर धाकरे	अधीक्षण अभियन्ता, वाटरशैड वरिष्ठ सहायक	–	–	–	9875890664 6350146871 9413593282 9664313217
23.	श्री राकेश सिंघल श्री गोपेश मीणा	अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद	–	–	–	8769081442 9414929170
24.	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्री गौरव सिंघल श्री कैलाश चन्द मीणा	वरिष्ठ लेखाधिकारी परियोजना अधिकारी (लेखा) एओ नरेगा	–	–	–	9549009556 7011160774 9971574901 9558209427

पुलिस प्रशासनः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	STD	कार्यालय	निवास	मोबाईल
1.	श्री राहुल प्रकाश I.P.S.	I.G.P. Bharatpur	05644	222859	223339	9352490761
2.	'' सुमित मेहरडा I.P.S.	S.P. Dholpur	O5642	220267 F-2218 73	220588	9414344367 8652301367
3.	'' अंकुर कौशिक, निजी सहायक	PA to SP Dholpur	05642	220267		8058964964
4.	'' मनोज शर्मा R.P.S.	Addl. S.P. Dholpur	O5642	221060	221139	9829078087
5.	'' कमल कुमार जांगिड R.P.S.	Addl. S.P. ADF Dholpur	O5642	221060	221139	9413674052 7851830543
6.	'' हवा सिंह R.P.S.	Addl. SP SUICAW Dholpur	-	-	-	9929888666
7.	'' राजेन्द्र R.P.S.	SC/ST Cell	-	-	-	9414141484
8.	'' मुनेश मीना R.P.S. (A. C.)	Dy SP PS Cyber Crime	O5642		-	8005613070
9.	" रामअवतार मीना, उ0नि0 साइबर थाना					8561023378
	Circle Dholpur					
10.	'' मुनेश मीना R.P.S.	Dy. S.P. Dholpur	O5642	223712	240004	8005613070
11.	'' हरिनारायण मीना पु0नि0	S.H.O. Kotwali	O5642	220626	-	9829366471
12.	'' प्रमेन्द्र रावत पु0नि0	S.H.O. Nihalganj	O5642	221062	-	8058382757

						8233978757
13.	’’ भीमसिंह उ0 नि0	SHO Ps Sadar	05642	240644	-	7891825708 8949967100
14.	’’ छवि फौजदार उ0नि0	SHO Mahila Thana	05642	220323		8890252425
15.	’’ आशुतोष चारण उ0नि0	I/C Traffic	-	-	-	8504801625 8890991325
	Circle Dholpur Rural (Saipau)					
16.	’’ अनूप सिंह R.P.S.	Dy.S.P. Dholpur Rural	05642	266050	-	9413407493
17.	’’ वीरेन्द्र मीना उ0नि0	SHO Saipau	05642	266128		9414222606
18.	’’ अनूप सिंह उ0नि0	SHO Kanchanpur	05647	244216	-P	9929210031
19.	’’ हरेन्द्र सिंह उ0नि0	SHO Kolari	O5642	214430	-	9983576699
	Circle Mania					
20.	’’ राजेश कुमार शर्माR.P.S.	Dy. S.P. Maniya	05642	244555	244005	6375264119
21.	’’ रामकिशन यादव पु0नि0	S.H.O. PS Rajakhera	05642	233007	-	8949484910
22.	’’ रामनरेश मीना उ0नि0	S.H.O. Mania	O5642	220626	-	9414406283
23.	’’ परमजीत सिंह उ0नि0	SHO Deholi	05642	2342177		9828107400 9887107400
	Circle Bari					
24.	’’ महेन्द्र सिंह R.P.S.	Dy. S.P. Bari	O5647	273510	243352	9928362276
25.	’’ अमित शर्मा पु0नि0	SHO Bari	O5647	274438	-	9782562019
26.	’’ विनोद कुमार उ0नि0	S.H.O. Bari Sadar	-	-	-	9571972151
27.	’’ कैलाश चंद बैरवा उ0नि0	S.H.O. Sone ka gurja	-	-	-	7976665979
28.	’’ शैतान सिंह उ0नि0	SHO Basaidang	-	-	-	9414369938
	Circle Sarmathura					
29.	’’ नरेद्र मीना R.P.S.	Dy.S.P. Sirmathura	05646	214107	203020	9414389088
30.	’’ कृपाल सिंह उ0नि0	S.H.O. Sarmathura	O5646	203228	-	8442001504
31.	’’ घनश्याम सिंह उ0नि0	S.H.O. Nadanpur	-	-	-	8104923875
32.	’’ बृजेश कुमार पु0नि0	SHO PS Baseri	O5646	276106	-	9414261287
33.	’’ संतोष शर्मा उ0नि0	SHO Angai	O5646	276106	-	9414485708

34.	,, मोहनसिंह स0उ0नि0	L O Police Line	-	-	-	9928893582 9414583582
35.	,,	MAJOR Police Line	-	-	-	
36.	,, महेश चंद उ0नि0	MTO	-	-	-	8005688628 9530411813
37.	,, अजब सिंह हैड कानि.	I/C AHTU DLR	05642	220308	-	6376747275
38.	,, उमेश शर्मा हैड कानि0	I/C DSB	05642	220137	-	9772143366
39.	,, भाग्यशाली मीना उ0नि0	I/C Wireless	05642	223001	-	9460556077
40.	Police Control Room	Police Control Room	05642	220697/ 100	-	9530411842 9530411843
41.	श्रीमती सारिका खंडेलवाल R.P.S.	Asst. Comdt. 6Batt. RAC. DLR	05642	294810	294811	8619367193
42.	,, सुरेश सांखला आरपीएस	Deputy Comdt. 6th BN RAC	-	-	-	9828745995
43.	,, सुरेन्द्र सिंह R.P.S.(चार्ज)	Dy. S.P ACB DLR	05642	220706	-	9983811110
44.	,, भानू शर्मा R.H.S .	COMDT. HOME GA. DLR	05642	222015	-	9860773382
45.	,, सुरेश बाबू स0उ0नि0	Incharge CID DLR	05642	223363	-	7014612199
46.	,, रामराज हैड कानि0	Incharge Abhay comand	-	-	-	9079307485
47.	,, नरेन्द्रसिंह हैड कानि0	I/C cyber cell DLR	-	-	-	9414886582 7014189619
48.	,, सुरेन्द्र चौधरी उ0नि0	I/C DST Dholpur	-	-	-	8058952687 9024384216
49.	,, दीनदयाल शर्मा हैड कानि0	DST TEAM DLR	-	-	-	7014187928 9602949809
50.	,, ईश्वर दयाल हैड कानि0	2nd DST TEAM DLR	-	-	-	9166527486
51.	,, माखनसिंह हैड कानि0	3rd DST TEAM DLR	-	-	-	9462560537
52.	,, दिनेश चन्द जोशी, उ.नि.	GRP thana Bharatpur	05644	238315	-	9414709383

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री राहुल प्रकाशI.P.S.	I.G.P. Bharatpur	05644	222859	223339	9352490761
2.	,, सुमित मेहरड़ाI.P.S.	S.P. Dholpur	05642	220267 F-221873	220588	9414344367 8764511201
3.	,, मनोज शर्माR.P.S.	Addl. S.P. Dholpur	05642	221060	221139	8764511301 9829078087
4.	,, कमल कुमार जांगिडR.P.S.	Addl. S.P. ADF Dholpur	05642	221060	221139	9413674052 7851830543

5.	'' तपेन्द्र मीनाR.P.S.	Dy. S.P. Dholpur	05642	223712	240004	7042733906
6.	'' नरेन्द्र कुमारR.P.S.	Dy. S.P. Bari	05647	273510	243352	6377537316
7.	'' राव आनन्द कुमारR.P.S.	Dy.S.P.DholpurRural (Saipau)	05642	266050	-	9887000022
8.	'' राजेश कुमार शर्माR.P.S.	Dy. S.P. Maniya	05642	244555	244005	6375264119
9.	'' नरेन्द्र मीनाR.P.S.	Dy. S.P. Sirmathura	05646	214107	203020	9414389088
10.	'' शायर सिंह R.P.S.	Dy. S.P. SC/ST Cell Dholpur	-	-	-	9660660666
11.	''	S.I.U.C.A.W. Dholpur	-	-	-	
12.	'' R.P.S.	Dy. SP cyber Crime	-	-	-	
13.	'' प्रवेन्द्र रावत पु0नि0	S.H.O. Kotwali	05642	220626	-	8058382757
14.	'' बृजेन्द्र सिंह पु0नि0	S.H.O. Nihalganj	05642	221062	-	9772602707
15.	'' रामनरेश मीणा उ0नि0	S.H.O. Sadar	05642	240644	-	9414406283
16.	'' छवि फौजदार उ0नि0	S.H.O. Mah. Thana	05642	220323	-	8890252425
17.	'' गंभीर सिंह उ0नि0	S.H.O. Saipau	05642	266128	-	9414486556
18.	'' शैतान सिंह उ0नि0	S.H.O. Kanchanpur	05647	244216	-	9414369938
19.	'' भंवर सिंह उ0नि0	S.H.O. Kolari	05642	214430	-	9414340847
20.	'' वीर सिंह पु0नि0	S.H.O. Rajakhera	05642	233007	-	9929668901
21.	'' देवेश उ0नि0	S.H.O. Maniya	05642	244008	-	6376479616
22.	'' परमजीत सिंह उ0नि0	S.H.O. Diholi	05642	2342177	-	9828107400
23.	'' शिवलहरी मीणा पु0नि0	I/c Ps. Bari	05647	274438	-	9950855089
24.	'' विनोद कुमार उ0नि0	S.H.O. Sadar (Bari)	-	-	-	9571972151
25.	'' घनश्याम सिंह उ0नि0	S.H.O. Basaidang	-	-	-	8104923875
26.	'' भीमसिंह उ0नि0	S.H.O. Sone ka Gurja	-	-	-	7891825708 8949967100
27.	'' गौरव कुमार उ0नि0	S.H.O. Sarmathura	05646	203228	-	9680406040
28.	'' राजेन्द्र गिरी उ0नि0	S.H.O. Nadanpur	-	-	-	9079221229 9413886552
29.	'' बृजेश कुमार पु0नि0	SHO PS Baseri	05646	276106	-	9414261287
30.	'' रामवतार मीना उ0नि0	SHO Angai	05646	276106	-	8561023378
31.	'' टीनू सोगरवाल उ0नि0	I/C Traffic	-	-	-	8619136668
32.	'' अनूप सिंह पु0नि0	Crime Assit.	05642	220267	-	9501710721
33.	'' हरेन्द्र सिंह उ0नि0	Reader	05642	220267	-	9983576699
34.	''	Police Line (R.I.)	05642	220638	-	.

35.	'' मोहनसिंह स0उ0नि0	L O Police Line	-	-	-	9785652715
36.	'' जीतेन्द्र हैड कानि0	MAJOR Police Line	-	-	-	9887349070
37.	'' महेशचंद उ0नि0	MTO	-	-	-	8005688628 9530411813
38.	'' योगेन्द्र हैड कानि.	I/C AHTU DLR	05642	220308	-	6350037855
39.	'' उमेश हैड कानि.	I/C DSB	05642	220137	-	9772143366
40.	'' भाग्यशाली मीना उ0नि0	I/C Wireless	05642	223001	-	9460556077
41.	Police Control Room	Police Control Room	05642	220697/ 100	-	9530411842 9530411843
42.	'' विजयशंकर शर्माR.P.S.	Asst. Comdt. 6Batt. RAC. DLR	05642	294810	294811	9829130669
43.	'' प्रकाश चंद R.P.S.	Dy. Comdt. 6Batt. RAC. DLR				9785093380
44.	'' सुरेन्द्र सिंहR.P.S.(चार्ज)	Dy. S.P ACB DLR	05642	220706	-	9983811110
45.	'' हरवीर सिंहR.H.S.(चार्ज)	COMDT. HOME GA. DLR	05642	222015	-	
46.	'' सुरेश बाबू स0उ0नि0	Incharge CID DLR	05642	223363	-	7014612199
47.	'' नीरज शर्मा हैड कानि0	Incharge Abhay comand	-	-	-	9983769160
48.	'' घनश्याम सिंह स0उ0नि0	I/C Anti Romeo Squad	-	-	-	8690023617
49.	'' दिनेश चन्द जोशी, उ.नि.	GRP thana Bharatpur	05644	238315	-	9414709383

इन्टेलीजेन्स ब्यूरो :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री सौरभ अग्रवाल श्री मनीष मीणा	इंचार्ज, सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स, धौलपुर इंचार्ज II, सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स, धौलपुर	05642	220408	–	7985240249 9582841095
2.	श्री सुरेश बाबू	इंचार्ज, स्टेट इन्टेलीजेन्स, धौलपुर	05642	223363	–	7014612199

परिवहन विभाग :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री गौरव यादव	जिला परिवहन अधिकारी	05642	240028	221323	9950094872

चिकित्सा विभाग :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास.	मोबाईल नं.
1.	डॉ0 धर्मसिंह मीणा डॉ0 चेतराम मीणा डॉ. गौरव मीणा	मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर उप मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर अति. मु0 चि0 एवं स्वा0 अधि. धौलपुर	05642	220733	220893	9414459342 9414315222 8005870718
2.	डॉ0 विजय सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर	05642	221180	220738	9460741001

	डॉ0 हरि किशन मंगल डॉ0 नरेन्द्र मुदगल डॉ. शिवकुमार शर्मा डॉ. गोविन्द सिंह मीना डॉ. पी.के.धाकड़	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजाखेड़ा आरसीएचओ जिला क्षय रोग अधिकारी				9664115175 7976160280 8302670387 8058706934 9784467749
3.	डॉ. हरिओम डॉ. गब्बर सिंह मीना डॉ. मंजुशा बंसल डॉ.	बीसीएमओ धौलपुर बीसीएमओ बाड़ी बीसीएमओ बसेड़ी बीसीएमओ राजाखेड़ा				8079062988 9001587374 7357887792
4.	डॉ0 राघवेन्द्र गुप्ता	हड्डी रोग विशेषज्ञ				7665841810
5.	श्री पंकज शुक्ला	पीसीपीएनडीटी				9929699555
6.	श्री चैतन्य पंवार श्री अनुभव शर्मा	सहा. ड्रग कन्ट्रोलर भरतपुर ड्रग इन्सपेक्टर धौलपुर				9950159190 7014318518
7.	डा0 राधेश्याम गर्ग श्री संजीव श्रीवास्तव	सचिव रेड क्रास सोसायटी धौलपुर				9414026821 7014152066
8.	श्री शशांक वशिष्ठ	डीपीएम				8114499551
9.	श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी	शहरी कार्यक्रम प्रबन्धक				9636530644
10.	श्री पदम सिंह परमार	फूड इन्सपेक्टर				7340171927
11.	श्री लोकेन्द्र	अधि.अभि. एनएचएम भरतपुर				8000725512
12.	डॉ. दीपक कुमार दुबे	प्राचार्य, मेडीकल कॉलेज धौलपुर				9413008462
13.	श्रीमती नीलम कुमारी	प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज धौलपुर				8058143928

आयुर्वेद विभाग :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा (अ.चा.)	उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग धौलपुर	05642	223019		9785824949 9414710189
2.	डॉ. प्रज्ञादीप वर्मा	पीएमओ राजावेटी आयुर्वेदिक अस्पताल धौलपुर				9413290020
3.	डॉ. मनोज	नोडल अधिकारी हॉम्योपैथी धौलपुर				7733893357
4.	डॉ. त्रिलोक चन्द	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी				8003235539

सार्वजनिक निर्माण विभाग :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास.	मोबाईल नं.
1.	श्री डी.आर.क्षत्रीय	अधीक्षण अभियन्ता वृत धौलपुर	05642	222579	224146	9414185882

	श्री	टीए				
2.	श्री सौरभ शर्मा श्री अजय कुमार मीणा श्री आयुष गर्ग श्री अर्जुन चॉसरिया	अधि0 अभि0 सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर कनिष्ठ अभि. उपखण्ड प्रथम धौलपुर कनिष्ठ अभि. उपखण्ड द्वितीय धौलपुर कनिष्ठ अभि. उपखण्ड द्वितीय धौलपुर	05642	220695	220895	9756592492 9571326964 9588036585 9159645452
3.	श्री सौरभ शर्मा (अ0चा0)	अधि0 अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बाडी	05647	274684	274282	9756592492
4.	श्री सौरभ शर्मा	अधि0 अभि0 सा.नि.वि. खण्ड राजाखेडा	05642			9756592492
5.	श्री	अधि0 अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बसेड़ी				
6.	श्री	अधि0 अभि0 गुणवत्ता नियंत्रक धौलपुर				

आरएसआरडीसी :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1.	श्री संतोष कुमार	परियोजना निदेशक				9887332327
2.	श्री कोमल सिंह	सहायक अभियन्ता, आरएसआरडीसी धौ.				9571604763
3.	श्री गोपाल बैरवा	कनिष्ठ अभियन्ता, आरएसआरडीसी धौ.				6375407370

सिंचाई विभाग :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री सुरेश चन्द मीणा श्री राजीव अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता धौलपुर टी.ए.	05642	220880		6376302275 9660453407
2.	श्री राजकुमार सिंघल श्री अंशुल मित्तल	अधिशाषी अभियंता धौलपुर I टी.ए. एवं सहा. अभियंता धौलपुर	05642	220880	224676	9529395199 9649104762
3.	श्री मनोज कुमार कुशवाह	अधिशाषी अभियंता, धौलपुर II				9887148644 7340014280
4.	श्री बिज्जे लाल शर्मा(अ0चा0)	अधिशाषी अभियंता, लिफ्ट डिवीजन धौ.				9413310812

जलदाय विभाग :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री राजकिरण यादव श्री लालसिंह मीणा	अधीक्षण अभियन्ता, धौलपुर अधिशाषी अभियन्ता एवं टीए	05642	223075		7877383912 9462704570
2.	श्री आशाराम मीणा	अधिशाषी अभियन्ता, धौलपुर	05642	220728	220805	9413380388
3.	श्री प्रताप सिंह कुशवाह श्री अमन मीणा	एईएन सिटी जेईएन सिटी				9782697540 8209514148
4.	श्री देशराज गुर्जर	अधिशाषी अभियन्ता, बाडी	05647			9799130327

जयपुर विद्युतवितरण निगम लिमिटेड खण्ड धौलपुर

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री राजेश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता धौलपुर	05642	220024 220010 फै0	220010	9414022087
2.	श्री विवेक चन्द शर्मा श्री रजत जैन	अधिशाषी अभियन्ता शहर धौलपुर सहायक अभियन्ता	05642	220850	220830	7976131183 9413390689 9413390702
3.	श्री अनुराग मित्तल श्री मयंक मिश्रा	सहायक अभियन्ता ग्रामीण धौलपुर सहायक अभियन्ता राजाखेड़ा				9413390703 9413390705
4.	श्री जी.पी.मीणा	अधिशाषी अभियंता ग्रामीण बाड़ी				8112279497 9414022745
5.	श्री भगवान सहाय मीणा	सहायक अभियन्ता बसेड़ी				9414040117 9783320796
6.	श्री प्रवेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता सरमथुरा				9414583871 9413384260
7.	श्री पुशवेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता सैपउ				9413384438 8094628000
8.	श्री एन.सी.भण्डारी	सहायक अभियन्ता पं0 दीन0उपा0ग्रा0वि0यो0				9414071805 7357112963
9.	श्री	एसई विद्युत प्रसारण निगम हिण्डौन (जीएसएस निर्माण)				
10.	श्रीमती संध्या चौहान	अधिशाषी अभियन्ता 220 केवी सब स्टेशन बाडी रोड		220676		9413393782
11.	श्री रामप्रसाद मीणा	विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय भरतपुर aei.bharatpur@rajasthan.gov.in	05644	294844		8619409547

दूर संचार विभाग :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	श्री	महाप्रबन्धक बीएसएनएल भरतपुर	05644	221000 231000 224444 फै	232000	
2.	श्री श्री श्री हेमन्त श्रीवास्तव	एजीएम, बी.एस.एन.एल. धौलपुर एसडीओ बीएसएनएल जे.टी.ओ.	05642	224522		 9414006319
3.	श्री दीपक	जे.टी.ओ, बीएसएनएल बाडी				9413394483
4.	श्री यादव	एस.डी.ओ. शहर बी.एस.एन.एल. (ब्रोडबैंड)				9413394945

5.	श्री महेन्द्र सिंह					9530399476
6.	श्री अरूण मिश्रा श्री वासुदेव	लाईनमैन लाईनमैन				9460109798 7891538344
7.	शिकायत नं.			220198		1500, 198

कृषि विभाग

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	डॉ. धर्मपाल सिंह	संयुक्त निदेशक कृषि	05642	240826	241321	9414693845
2.	डॉ. तनोज चौधरी	उप निदेशक, उद्यानिकी धौलपुर	05642	240826		9461608926
3.	श्री पी.डी.शर्मा	सहायक निदेशक, मुख्यालय धौलपुर				9784803311
4.	श्री बबलू कुमार त्यागी	सहायक निदेशक, कृषि विस्तार धौलपुर				9982031310
5.	श्री सरदारमल यादव (अ.चा.)	उप निदेशक (आत्मा)				9784263972
6.	डॉ. तनोज चौधरी (अ.चा.)	उपनिदेशक, सीईसी खेमरी				9461608926
7.	श्री देशराज सिंह	अति. निदेशक कृषि भरतपुर				9414023137

एन0एच0ए0आई0:—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास.	मोबाईल नं.
1.	श्री उमाकान्त मीणा	परियोजना निदेशक एन. एच. ए. आई., सी—116, गोविन्दपुरी विश्वविद्यालय मार्ग ग्वालियर	0751	2231485 2233116फै. 2231485		8882642237
2.	श्री बलवीर सिंह यादव श्री सुरेन्द्र वेडवाल	परियोजना निदेशक, एनएच—11बी, दौसा टैक्नीकल इंजीनियर	01427	224918		9414224100 9785188322
3.	श्री नकुल अग्रवाल	चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पाथवे धौलपुर				8823004440
4.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	कन्सलटेन्ट एनएचएआई ग्वालियर				9452631006

महत्वपर्ण तकनीकी डाटा

1. Salient Featuresof Dams (Detail)
2. Salient Features of Dams (Summary)
3. Capacity Charts
4. Tree Chart of Canal Network
5. Canal Network Summary
6. Maximum Dam Gauge-Year Wise (Since 1979)
7. Cumulative Rainfall-Year Wise(Since 1981)
8. Dam Gauge-Date Wise (2015-2024)
9. Rainfall-Date Wise (2020-2024)
10. Dholpur District Map

नोटः– सभी तकनीकी डाटा क्यू. आर. कोड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सभी तकनीकी डाटा एवं मानसून से संबंधित दैनिक रिपोर्ट निम्न एप्लीकेशन से प्राप्त किया जा सकता है।

Web Application

Mobile Application

(For Android)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधनखण्ड धौलपुर

क्रमांक :– 713 दिनांकः– 06.06.2025

:: कार्यालय–आदेश ::

मानसून वर्ष–2025के वर्षाकाल में बाढ़ नियंत्रण हेतु सूचना एकत्र करने एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के लिये दिनांक 15.06.2025 से इस कार्यालय के मुख्यालय धौलपुर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है ।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड धौलपुर के कार्यालय टेलीफोन नं0 05642–220880 है। बाढ नियंत्रण कक्ष तीनों पारियों में 24 घण्टे कार्य करने एवं बाढनियंत्रण कक्ष में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पद एवं ड्यूटी चार्ट निम्नानुसार है :–

1. बाढ नियन्त्रण कक्ष (मुख्यालय धौलपुर)				
बाढ़ नियंत्रण प्रभारी :– श्री विवेक बंसल, सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, धौलपुर (मोबा. नं. 8561911223) इनके अवकाश पर रहने एवं राज्य कार्य से बाहर जाने पर श्रीमति नीलम मिश्रा, कनिष्ठ अभियन्ता (मोबा. नं. 8840135023) प्रभारी का कार्य करेंगें।				
क0सं0	कर्मचारी का नाम	पद	साप्ताहिक अवकाश	मोबाइल नम्बर
(क)	प्रथम पारी : प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक			
1	श्रीमति नीलम मिश्रा	कनिष्ठ अभियन्ता	बुधवार	8840135023
2	श्री कमल सिंह (धौलपुर)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शनिवार	9549282909
(ख)	द्वितीय पारी : दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक			
1	श्री सुनील मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	रविवार	7733822484
2	श्री राजेश (धौलपुर)	कार्य0प्रभा0कर्म0	मंगलवार	8824462193
(ग)	**तृतीय पारी : रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक**			
1	श्री इंसार खान	कनिष्ठ अभियन्ता	सोमवार	8386851850
2	श्री भूदेव शर्मा (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शुक्रवार	9660705233
(घ)	अवकाश आरक्षित			
1	श्री कृष्ण कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	मंगलवार	
2	श्री रामनरेश पुत्र श्री महाराज सिंह (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शुक्रवार	9610406016

(य)	आरक्षित (खण्डीय कार्यालय)			
1	श्री श्रीलाल (धौलपुर)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शनिवार	7732921714
1.1 उर्मिला सागर बॉध (मुख्यालय उर्मिला सागर)				
1	श्री वंशी (धौलपुर)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शुक्रवार	8003733078
2	श्री प्रेम सिंह (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	बुधवार	—

1.2 तालाबशाही, हुसैनपुर एवं आर.टी. बांध (मुख्यालय तालाबशाही)				
1	श्री प्रहलाद (धौलपुर)	कार्य0प्रभा0कर्म0	मंगलवार	9166658216
2	श्री राजेन्द्र (कुल्लू–बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	गुरुवार	9166880315
	अवकाश आरक्षित			
1	श्री शिवसिंह(बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	सोमवार	8290924803
उक्त कर्मचारियो के अवकाश पर ड्यूटी देंगें तथा शेष दो दिन तालाबशाही पर ड्यूटी देंगें।				
1.3 चम्बल नदी पर (मुख्यालय धौलपुर)				
(क)प्रथम पारी : प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक				
1	श्री जगन्नाथ (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	रविवार	7073074070
(ख) द्वितीय पारी : दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक				
1	श्री मुन्ना (धौलपुर)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शुक्रवार	9887143072
(ग) तृतीय पारी : रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक				
1	श्री कुंवर सेन (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	मंगलवार	9887136260
2	श्री अमर सिंह(सैंपऊ)	कार्य0प्रभा0कर्म0	गुरूवार	—
(घ) अवकाश आरक्षित				
1	श्री बनवारी(बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शनिवार	8107489559
उक्त कर्मचारियों के अवकाश पर ड्यूटी देंगें, शेष दिन आरक्षित में कार्य करेंगें।				
1.4 उटंगन नदी (मुख्यालय राजाखेड़ा)				
1	श्री वृषभान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता ज0सं0 उपखण्ड राजाखेड़ा	शुक्रवार	8107179640

2	श्री रामवीर शर्मा (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	बुधवार	—

2. बाढ नियंत्रण कक्ष (मुख्यायल विश्राम गृह पार्वती बांध)				
प्रभारी अधिकारी :—श्री पपेन्द्र कुमार मीणा, सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड, बाड़ी (7742931616), इनके अवकाश पर रहने एवं राज्य कार्य से बाहर जाने पर श्री सुशील गुर्जर, कनिष्ठ अभियन्ता (मोबा. नं. 9680508016) प्रभारी का कार्य करेंगें।				
कंसं.	कर्मचारी का नाम	पद	साप्ताहिक अवकाश	मोबाईल नं0
(क)	प्रथम पारी : प्रातः 6.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक			
1	श्री प्रभाकर मीणा	कनिष्ठ अभियंन्ता	शुक्रवार	96671504610
2	श्री रायसिंह (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	बुधवार	9166393121 9680756579
(ख)	द्वितीय पारी : सायं 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक			
1	श्री केदार (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	गुरूवार	9793872453
2	श्री विजेन्द्र (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	मंगलवार	9772567475
(ग)	**तृतीय पारी : रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक**			
1	श्री सुशील गुर्जर	कनिष्ठ अभियन्ता	रविवार	9680508016
2	श्री कम्बोद (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	सोमवार	9772070353
3	श्री सुरेश (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शनिवार	9649365733
(घ)	अवकाश आरक्षित			
1	श्री लक्ष्मण (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	रविवार	9929004332
उक्त कर्मचारियों के अवकाश पर ड्यूटी देंगें, शेष दिन आरक्षित में कार्य करेंगें।				
(य)	आरक्षित			
1	श्री धीर सिंह (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0		9950665401
2	श्री प्रकाशी (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0		8690645375 9587066118
2.1 रामसागर बांध				
1	श्री राधेश्याम (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	सोमवार	8696803209
2	श्री अमरसिंह (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	मंगलवार	6376620496

सुबह 8.00 बजे गेज देंगे एवं रामसागर बांध की निगरानी रखेंगें।				
2.2 उमरेह बांध				
1	श्री नरेश (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	बुधवार	9649342697
सुबह 8.00 बजे गेज देंगे एवं उमरेह बांध की निगरानी रखेंगें।				
2.3 उपखण्ड कार्यालय बाड़ी				
1	श्री जयसिंह (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	गुरुवार	8875212898
2	श्री जगदीश (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	शुक्रवार	7073302323
अवकाश आरक्षित				
1	श्री केशव देव (बाड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	रविवार	9672223008
उपरोक्त कर्मचारियों के अवकाश पर ड्यूटी देगें व शेष एक दिन रामसागर बांध पर ड्यूटी देगें।				

3. बाढ नियन्त्रण कक्ष उपखण्ड कार्यालय बसेड़ी				
प्रभारी अधिकारी –श्री पूरनचन्द मंगल सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड, बसेडी (9414585137, 7014968287), इनके अवकाश पर रहने एवं राज्य कार्य से बाहर जाने पर श्रीमति गुंजन मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता (मोबा. नं. 8503869455) प्रभारी का कार्य करेंगें।				
1	श्री जण्डेल (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	प्रथम पारी	8107255893
2	श्री राजेन्द्र शर्मा (भगरीपुरी–बसेड़)	कार्य0प्रभा0कर्म0	द्वितीय पारी	8432198104
3	श्री विनोदपुरी (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	तृतीय पारी	9983946326
4	श्री गजसिंह (बसेड़ी)	कार्य0प्रभा0कर्म0	अवकाश आरक्षित	8824094682

4. बाढ नियन्त्रण कक्ष उपखण्ड कार्यालय सैंपऊ				
प्रभारी अधिकारी – श्री दिनेश पाल परमार, सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड सैंपऊ (9166003433, 8209397433) इनके अवकाश पर रहने एवं राज्य कार्य से बाहर जाने पर श्री अमित गोयल, कनिष्ठ अभियन्ता (मोबा. नं. 9785361501) प्रभारी का कार्य करेंगें।				
1	श्री सुरेश (सैंपऊ)	कार्य0प्रभा0कर्म0	प्रथम पारी	9649757043
2	श्री बदन सिंह (सैंपऊ)	कार्य0प्रभा0कर्म0	द्वितीय पारी	8094175085
3	श्री रामवतार (सैपऊ)	कार्य0प्रभा0कर्म0	तृतीय पारी	8239440407
4	श्री श्रीचन्द (सैंपऊ)	कार्य0प्रभा0कर्म0	अवकाश आरक्षित	9610758640

बाढ नियंत्रण प्रभारी/सहायक प्रभारी धौलपुर अपनी देख–रेख में वर्षा एवं गेज रिपोर्ट संकलित कर सम्बन्धित अधिकारियों को भिजवायेंगें ।

सभी अधिकारी/कर्मचारी जो बाढ नियंत्रण से सम्बन्धित हैं फ्लड कन्टीजेन्सी प्लान में वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगें ।

आरक्षित पारी के कर्मचारी अन्य पारियों के कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश के दिन ड्यूटी देंगें तथा अन्य दिनों में संबंधित कार्यालय में ड्यूटी देंगें ।

अन्य छोटे बांधों पर कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधित सहायक अभियन्ता अपने स्तर से लगायेंगे।

नोट :–

1. कोई भी कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षर कर्ता की अनुमति / स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगें एव ना ही मुख्यालय छोड़ेगें ।
2. कर्मचारियों को कोई भी ओवर टाइम देय नहीं होगा, राजकीय अवकाश के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश अगर कर्मचारी को देय है तो नियमानुसार ही दिया जावेगा ।
3. संबंधित सहायक अभियन्ता कर्मचारियों को दिनांक 15.06.2023 से बाढ नियंत्रण कक्ष में निर्धारित समय पर उपस्थिति देने हेतु तुरन्त प्रभाव से कार्य मुक्त कर सूचित करेंगें ।
4. दैनिक गेज एवं दैनिक वर्षा का, रजिस्टर में संबंधित पारी के समय में ही पार्टी द्वारा इन्द्राज किया जावेगा। अगर संबंधित पार्टी द्वारा दैनिक वर्शा व दैनिक गेज का इन्द्राज नहीं किया गया तो राजस्थान सेवा नियमों के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
5. सभी कर्मचारी अपना स्थानीय निवास का पता एवं दूरभाष / मोवाईल नम्बर बाढ नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति के समय अवश्य देंगें ।
6. फ्लड सैल के अन्तर्गत पदस्थापित सभी अधिकारी / कर्मचारी अपने रिलीविंग अधिकारी / कर्मचारी के उपस्थित होने पर कार्यभार संम्भलवाकर ही प्रस्थान करेगें।
7. सभी अधिकारी / कर्मचारी अपने निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व उपस्थित होकर कार्यभार संभालेगें।

(राजकुमार सिंघल)

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड, धौलपुर

क्रमांक :– 714–741 दिनांकः– 06.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत / प्रेषित है :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर / भरतपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, धौलपुर
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ।
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, धौलपुर ।
6. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, वृत धौलपुर।
7. श्रीमान् उपखण्डाधिकारी, धौलपुर / बाडी / बसेडी / राजाखेडा / सैपउ / सरमथुरा।
8. श्रीमान् उप निदेशक, हाइड्रोलॉजी, जयपुर ।
9. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0भवन एवं पथ, धौलपुर / बाडी
10. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, भरतपुर / सवाईमाधोंपुर / करौली / खण्ड द्वितीय धौलपुर / धौलपुर लिफ्ट खण्ड धौलपुर।
11. श्रीमान् जन सम्पर्क अधिकारी, धौलपुर ।
12. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड धौलपुर / बाडी / बसेडी / सैंपऊ को पालनार्थ।
13. श्री ––––––––––––––––––––––
14. नोटिस बोर्ड।

(राजकुमार सिंघल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, धौलपुर

बाढ़ से संबंधित संवेदनशील बिन्दु

उर्मिलासागर बांध :–

उर्मिला सागर परियोजना स्टेट टाईम (सन् 1905) का निर्मित है, यह जिला मुख्यालय धौलपुर से 16 कि.मी. बाडी रोड पर स्थित है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 573 एम.सी.एफ.टी तथा कुल सिंचित क्षेत्र 2900 हैक्टेयर है। इस बांध से 25 गांवों के किसान लाभान्वित होते हैं, इस बांध की मुख्य नहर की लम्बाई 16कि.मी. है तथा 07 माइनरों की लम्बाई 14 कि.मी. है। इस प्रकार कुल 29 कि.मी. लम्बाई का नहरी तंत्र है। उर्मिला सागर बांध के वेस्ट वियर की लम्बाई 243.84 मीटर है।

उर्मिला सागर बांध के वेस्ट वेयर के डाउन स्ट्रीम में लगभग 300 मी0 की दूरी परNHAI द्वाराNH-11 B सडक निर्माण के समयबांध के वेस्ट वियर के डाउन स्ट्रीम में अतिरिक्त पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण बांध के वेस्ट वियर के डाउन स्ट्रीम में पानी का वहाव क्षेत्र अवरूद्व हो गया है,जिसका तत्समय विभाग द्वारा काफी विरोध किया गया।इस संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, धौलपुर द्वारा वर्ष 2015 से आज तक लगातार पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सरप्लस पानी की समुचित निकासी हेतु उपर्युक्त संरचना बनाने के लिये एन.एच.ए.आई विभाग से निवेदन किया जाता रहा है।

इस संबंध में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, श्रीमान मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर एवंअधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत भरतपुर/धौलपुर द्वारा भी एन.एच.ए.आई से पत्राचार किया गया है, किन्तु आज दिनांक तक भी इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 मे बांध के केचमेन्ट मे अत्याधिक वर्षा होने के कारण बांध ओवर–फ्लो हो गया एवं ओवर–फ्लो पानी की उपयुक्त निकासी नही होने के कारण बांध की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इस कारण तत्कालीन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के निर्देशन मे NH-11 B सड़क को काटकर पानी का ओवर–फ्लो पानी का बहाव सुनिश्चित किया गया एवं भविष्य मे इस प्रकार की आपदा की स्थिति नही हो इस कारण श्रीमान प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता मे एन.एच.ए.आई. एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियो के साथ दिनांक 26.09.2024 को बैठक मे उर्मिलासागर बांध के वेस्ट वीयर से निकलने वाले पानी की निकासी हेतु उपयुक्त संरचना निर्माण के लिये उर्मिलासागर बांध की सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा की गई स्ट्डी रिपोर्ट में ओवर–फ्लो डाटा (843.00 क्यूमेक्स) को उपयोग मे लेने हेतु निर्णय लिया गया। इस क्रम मे एन.एच.ए.आई. विभाग को श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, धौलपुर के पत्रांक 2180–2182 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा सी.डब्ल्यू.सी. की रिपोर्ट संलग्न कर भिजवा दिया गया। परन्तु एन.एच.ए.आई. द्वारा अभी तक कोई भी संरचना का निर्माण प्रारम्भ नही किया गया।

15 जून, 2025 से वर्षाकाल प्रारम्भ होने वाला है तथा वर्षाकाल में पानी की अधिक आवक होने पर बांध की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होना संभव है तथा बांध के केचमेन्ट क्षेत्र में आने वाले गांवों के डूबने की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे इन गांवों में जन धन की हानि होने की आंशका रहेगी, तथा सरप्लस पानी की निकासी नहीं होने पर बांध ओवर टॉप होकर टूट भी सकता है जिससे की इसके डाउन स्ट्रीम में बसे गांवों में बाढ की स्थिति उत्पन्न होकर जन धन की हानि होना संभावित है अतः समय रहते हुये वेस्टवियर के सामनेसे ओवर–फ्लो पानी की निकासी हेतु उपयुक्त संरचना का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे।

पार्वती बांध :–

वर्तमान मे पार्वती बांध के केनाल स्लूस एवं स्लूस वाल मे मरम्मत की आवश्यकता है। इस हेतु ड्रिप परियोजना अन्तर्गत ''पार्वती बांध के जीर्णोद्धार, आधुनिकिकरण तथा सुरक्षा प्रबंधन'' कार्य प्रस्तावित है जो कि वर्तमान मे निविदा प्रक्रिया मे है।

2–सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर :–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत् बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बचाव एवं सहायतार्थ हेतु इस कार्यालय के निजी सहायक कक्ष में बाढ़ नियंत्रण कक्ष दिनांक 16.06.2025 से स्थापित कर निम्नानुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाती है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष आगामी आदेश तक अस्तित्व में रहेगा :–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पद / पद्स्थापन स्थान	समय	प्रभारी
1	श्री कुर्बान, मैसन सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम धौलपुर (मो.नं. 94134000103) साप्ताहिक अवकाश (शनिवार,रविवार)	प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	श्री दाउजी वर्मा वरिष्ठ सहायक सा0नि0वि0 वृत धौलपुर। मो0 नं0 7014897493
2	श्री गोविन्द शर्मा, च.श्रे.कर्म, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम धौलपुर (मो.नं. 9799331126) साप्ताहिक अवकाश (शनिवार,रविवार)	दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	श्री इमरान खान, वरिष्ठ सहायक सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर (मो.नं. 7014612206)
3	श्री रामदत्त, मेंशन, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय धौलपुर (मो.नं. 9587621912) साप्ताहिक अवकाश (शनिवार,रविवार)	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक	श्री धीरज कनिष्ठ सहायक सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर (मो.नं. 9509512086)

उक्त ड्यूटी कार्मिकों का ड्यूटी समय प्रति सप्ताह कार्मिक रूप से परिवर्तित होता रहेगा, जिसके लिए अलग से आदेशित नहीं किया जावेगा। अवकाश दिवसों में निम्नलिखित कर्मचारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी देंगे :–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पद / पद्स्थापन स्थान	समय	प्रभारी
1	श्री रमेश मैसन, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम धौलपुर (मो.नं. 9694825885) (शनिवार,रविवार)	प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	श्री दिलीप कुमार, वरिष्ठ सहायक सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर (मो.नं. 8114481620)
2	श्री सरीफ खान, मेंशन, सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय धौलपुर (मो.नं. 9784407887) (शनिवार,रविवार)	दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	श्री वकील खॉन, कनिष्ठ सहायक सा.नि.वि. वृत धौलपुर (मो.नं. 9660935323)
3	श्री बन्टू जाटव च.श्रे.कर्म., सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर (मो.नं. 9680429390)	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक	श्री राजू, सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम धौलपुर (मो.नं. 8003741296)

बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी पर तैनात कार्मिक को यदि अत्यावश्यक कारणवश अवकाश पर जाना पड़ें तो उनके प्रभारी उनके स्थान पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी देंगे। **जिला बाढ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मीना (मो.नं. 7500553457), सहायक अभियंता, सा0नि0वि0 उपखण्ड प्रथम धौलपुर सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे,** जो बाढ़ नियंत्रण में प्राप्त सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं उन पर कार्यवाही करने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संपर्क में रहेंगे। अन्य खण्डों में कार्यरत अधिशाषी अभियंता अपने खण्ड क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु नोड्ल ऑफीसर होंगे, जो अपने खण्ड क्षेत्र में बाढ़ से हुई क्षति को अविलम्ब दुरूस्त करने हेतु निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी कार्मिक की उपस्थिति एवं प्राप्त सूचना व उस पर की गई कार्यवाही का रजिस्टर संधारित होगा, जिसका प्रभारी अधिकारी बाढ़ नियत्रंण कक्ष में नियमित रूप से निरीक्षण करते रहेंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात कर्मचारीगण को अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नही होगा, विशेष परिस्थितियों में प्रभारी द्वारा अपने विवेकानुसार संतुष्ट होने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। यदि कोई ड्यूटी कर्मचारी बिना सूचना के गैर हाजिर या ड्यूटी के प्रति लापरवाही करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्था/सामग्री यथा रात्रिकालीन गेंग, मिट्टी (बजरी), से भरे बैग, खाली बैग, गेंती फावड़ा, रस्सा, छाता, टॉर्च एवं अन्य टी.एन. टी. आदि की व्यवस्था प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

धौलपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन की तैयारी

- सभी पुलियाएं/पुलों के जल प्रवाह मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार सफाई कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- रपटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने एवं पेंट करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
- राजकीय भवनों के निरीक्षण करने एवं असुरक्षित भवनों की सूचना देने हेतु सहायक अभियंताओं कों पाबंद किया गया हैं।
- जिला स्तर पर सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष दिनांक 15.06.2025 से स्थापित की गई हैं। जो 24X7 घण्टे क्रियाशील रहेंगे। (प्रति संलग्न हैं।)
- खण्ड स्तर पर सा.नि.वि. खण्ड राजाखेड़ा, बाड़ी एवं बसेड़ी में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापित की जाएगी। जो 24X7 घण्टे क्रियाशील रहेंगे।
- प्रत्येक खण्ड मुख्यालय पर 250 मिट्टी से भरे हुये बैग कुल 1000 बैग रखे जा रहे हैं।
- सभी खण्डीय मुख्यालयों पर संचालित बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर पर्याप्त मात्रा में गैंती, फावड़े, परात व टॉर्च रखें हुये हैं।
- सभी खण्ड स्तर पर संचालित बाढ़–नियंत्रण कक्षों में सम्बन्धित खण्ड में कार्य कर रहे संवेदक जिनके पास जे.सी.बी., ट्रैक्टर, ट्रॉली, चांटी सहित उपकरण उपलब्ध हैं, उन्हें आपदा के समय प्रयुक्त करने हेतु सभी संवेदकों को पाबंद कर दिया गया हैं।
- सभी संवेदकों के मशीनरी सहित मोबाईल नं. प्रशासन को भी उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
- आपदा के दौरान हवाई सर्वेक्षणों हेतु हवाई पट्टी एवं पुलिस लाईन धौलपुर में प्रशासन के निर्देशोपरान्त हैलीपैड की व्यवस्था भी उपलब्ध हैं।

S.No.	Division	Name of Post	Name of Engineer	Mobile No.
PWD Dn. Dholpur				
1	Dholpur	Executive Engineer (Addl. Charge)	Sh. Saurabh Sharma	97565 92492
2	Sub Dn. Dholpur I	Assistant Engineer	Sh. Arvind Kumar Meena	7500553457
3	Sub Dn. Dholpur I	Junior Engineer	Sh. Ajay Kumar Meena	9571326964
3	Sub Dn. Dholpur I	Junior Engineer	Sh. Naval Kishor Sharma	8426964071
4	Sub Dn. Dholpur II	Assistant Engineer (Addl. Charge)	Sh. Ayush Garg	95880 36585
5	Sub Dn. Dholpur II (Section Rural)	Junior Engineer	Sh. Ayush Garg	95880 36585
6	Sub Dn. Dholpur II (Section Tasimo)	Junior Engineer	Sh. Arjun Chonsariya	95880 36585
6	Sub Dn. Dholpur II (Section II)	Junior Engineer (Addl. Charge)	Sh. Arjun Chonsariya	95880 36585
PWD Dn. Baseri				
1	Baseri	Executive Engineer (Addl. Charge)	Sh. Sagar Parashar	7976156139
2	Sub Dn. Baseri	Assistant Engineer	Smt. Bhawana Rajpoot	82909 42690
3	Sub Dn. Baseri (Section Jarga)	Junior Engineer	Smt. Karishma Mahawar	7217262514
4	Sub Dn. Baseri (Section Ratanpur)	Junior Engineer (Addl. Charge)	Smt. Karishma Mahawar	7217262514
5	Sub Dn. Baseri (Section I)	Junior Engineer (Addl. Charge)	Smt. Karishma Mahawar	7217262514
6	Sub Dn. Sirmathura	Assistant Engineer	Sh. Shiv Sharma	9587861133
7	Sub Dn. Sirmathura (Section Sirmathura)	Junior Engineer	Sh. Vinay Kumar Sharma	7067715115
7	Sub Dn. Sirmathura (Section Angai)	Junior Engineer	Mamta	
PWD Dn. Bari				
1	Bari	Executive Engineer (Addl. Charge)	Sh. Saurabh Sharma	9756592492
2	Sub Dn. Bari	Assistant Engineer	Sh. Navdeep Agrawal	9639329068
3	Sub Dn. Saipau	Assistant Engineer (Addl. Charge)	Sh. Nagendra Singh Parihar	821 893 8081
4	Sub Dn. Bari I	Junior Engineer	Sh. Ravi Kumar Parashar	8949433545
5	Sub Dn. Bari II	Junior Engineer	Sh. Nagendra Singh Parihar	821 893 8081
6	Sub Dn. Bari (Section Sone Ka Gurja)	Junior Engineer	Sh. Pushpendra Daulat	8619465921
7	Sub Dn. Saipau (Section Saipau)	Junior Engineer	Sh. Pragati Meena	7733951851
8	Sub Dn. Saipau (Section Mahuakhera)	Junior Engineer	Sh.Amit Sharma	9887169280

9	Sub Dn. Saipau (Section Basai Nawab)	Junior Engineer (Addl. Charge)	Sh.Amit Sharma	9887169280
PWD Dn. Rajakhera				
1	Rajakhera	Executive Engineer	Sh. Saurabh Sharma	97565 92492
2	Sub Dn. Rajakhera I	Assistant Engineer (Addl. Charge)	Sh. Sandeep Dhakarey	6396481928
3	Sub Dn. Marena	Assistant Engineer	Sh. Sandeep Dhakarey	6396481928
4	Sub Dn. Marena (Section Marena)	Junior Engineer	Sh. Indraj Bairwa	8696980933
5	Sub Dn. Maniya (Section Baretha)	Junior Engineer	Sh. Pradeep Kumar	9672901935
6	Sub Dn. Maniya	Junior Engineer	Sh. Vishal Kumar Mal	9413637300
7	Sub Dn. Maniya (Section Mangrol)	Junior Engineer	Sh. Brajesh Kumar Garg	9784547244
8	Sub Dn. Marena (Section Jatoli)	Junior Engineer	Sh. Ankur Singhal	8302222176
9	Sub Dn. Rajakhera I (Section Machhariya)	Junior Engineer	Sh. Rakesh Kumar Meena	6350038843
RSRDC				
1	Dholpur	Project Director	Sh. Santosh Verma	9887332327
2	Dholpur	Project Officer	Sh. Gopal Bairwa	6375407370
3	Dholpur	Project Officer	Sh. Komal Singh	9571604763
NHAI Gwalior				
1	Gwalior	Project Director	Sh. U.K. Meena	9990864778
2	Gwalior	AHE	Sh. Bhartendu Kulshreshtha	8949895071
NHAI Dausa				
1	Dausa	Project Director	Sh. B.S. Yadav	9414224100
2	Dausa	RE	Dhruv Kumar	7903842545

3 –विधुत विभाग धौलपुर :–

मानसून 2025, बाढ की तैयारियों, अतिवृष्टि–बाढ से बचाव/आपातकालीन परिस्थितियों में धौलपुर शहर में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने हेतु निम्न व्यवस्थायें रहेगीः–

1– सुरक्षा संम्बन्धी व्यवस्थाः–

धौलपुर शहर में विद्युत सप्लाई राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का एक 220@132 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन जिससे 33 के.वी. की लाईनों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर 61, 33@11 के.वी. सब–स्टेशनों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इन 33@11 के.वी. के 61 सब–स्टेशनों पर 24 घन्टे 3 पारियों में सब–स्टेशन अटेन्डेन्ट (एस.बी.ए.) ड्यूटी पर कार्यरत रहता है।

2– कन्ट्रोल रूमों की व्यवस्थाः–

धौलपुर शहर की विद्युत सप्लाई हेतु जयपुर डिस्कॉम द्वारा एक केन्द्रीय कॉल सेन्टर (टॉल फ्री नं. 1800–180–6507) डिस्कॉम स्तर पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम कार्यशील है, धौलपुर वृत्त में भी एक वृत्त स्तरीय कॉल सेन्टर 05642–220010 एवं 9414029319 स्थापित किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति आपातकालीन अथवा सामान्य शिकायत दर्ज करवा सकते है। कॉल सेन्टर (1800–180–6507) द्वारा बनाई गई एफ.आर.टी. (फॉल्ट रेक्टीफिकेशन टीम) के पास कर्मचारियों टी.एण्ड.पी आवश्यक सामान एवं

एक वाहन की व्यवस्था 24 घन्टे उपलब्ध रहती है, आपातकालीन स्थिति में अधिशाषी अभियंता स्वंय इन नियन्त्रण कक्षों के सम्पर्क में रहेगें तथा अपने क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाये रखने की पूर्ण व्यवस्था करेगें।अधिशाषी अभियंता की उनके क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने का पूर्ण दायित्व होगा।

3– <u>विद्युत तन्त्र में व्यवधान होने पर की जाने वाली व्यवस्थाः–</u>

आपातकालीन परिस्थितियों में यदि सहायक अभियंता के अधीन क्षेत्र में विद्युत तन्त्र में व्यवधान या खम्बे गिर जाना केबिलों में फॉल्ट होना ट्रान्सफॉर्मर में खराबी होना यदि किसी भी तकनीकी खराबी की परिस्थितियों में अधिशाषी अभियंता एवं उस क्षेत्र के सहायक अभियंता उपलब्ध आपातकालीन पार्टी एवं साधनों से विद्युत तन्त्र में आई खराबी को तुरन्त व्यवस्थित कर विद्युत प्रवाह सुचारू करायेगें। अत्यधिक बरसात, चक्रवात, बाढ की परिस्थितियों में स्थिति का आकलन कर अधिशाषी अभियंता/ सहायक अभियंता तकनीकी क्षेत्रों की विद्युत लाईनों की सप्लाई आवश्यकतानुसार बंद करायेगें ताकि तार टूटने, लाईन गिरने, खम्बे टेडे या गिरने से कोई घातक या अघातक दुर्घटना न हो। इन लाईनों की पूर्ण पेट्रोलिंग करवा कर एवं ठीक करवाकर ही विद्युत सप्लाई चालू करेगें।

4– <u>आपातकालीन सेवाऐं एवं मुख्य प्रतिष्ठानों की विद्युत सप्लाई सुचारू रखे जाने/ किये जाने वाली व्यवस्थाऐंः–</u>

सर्वप्रथम वरियता आपातकालीन सेवाओं एवं प्रतिष्ठानों की विद्युत सप्लाई निरंतर रखे जाने की व्यवस्था की जावेगी– जैसे सिविल लाईन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य अस्पताल, रेल्वे स्टेशन जलदाय विभाग के जलस्त्रोतों एवं ट्यूबेल आदि।

यद्यपि आपातकालीन सेवाऐं एवं मुख्य प्रतिष्ठानों हेतु विद्युत सप्लाई की दो व्यवस्था है फिर भी यदि दोनों विद्युत व्यवस्थाओं में व्यवधान आ जाता है तो अधिशाषी अभियंता तथा सहायक अभियंता तन्त्र में आई खराबी तुरन्त दूर करेगें। तथा यह सुनिश्चित करेगें कि इन प्रतिष्ठानों की विद्युत व्यवस्था सुचारू रहे।

5– <u>लाईन पेट्रोलिंगः–</u>

प्रत्येक उपखण्ड में एक कनिष्ठ अभियंता मय दो तकनीकी कर्मचारी के संध्याकाल में उनके क्षेत्रों की लाईनों की पेट्रोलिंग करेगें, तथा जहां भी खराबी की जानकारी होगी। तुरन्त मोबाईल फोन से अधिशाषी अभियंता के नियंत्रण केन्द्र को सूचित करेंगें।

अचानक उत्पन्न प्राकृतिक आपदा तूफान, वर्षा, अधड, व बाढ के समय विद्युत उपकरणों, लाईनों एवं विद्युत तन्त्र में खराबी की सम्भावनाऐं हो जाती है। अतः लाईनों की पेट्रोलिंग एवं उपकेन्द्रों का पूर्व में ही निरीक्षण कर व्यवस्थाऐं की जा रही है।

6– <u>मोबाईल फोनों की व्यवस्थाः–</u>

धौलपुर शहर में समस्त 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों फॉल्ट रिपेयर टीम तथा सभी अधिकारियों के पास मोबाईल फोन उपलब्ध है। समस्त अधिशाषी अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि उनके सभी नियंत्रण केन्द्रों 33/11 के.वी. विद्युत फीडरों उपखण्ड एवं उनके अधीन अभियंताओं के मोबाईल फोन कार्यशील हो। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा समस्त सूचनाऐं मोबाईल फोन द्वारा तुरन्त अधिकारियों को देगें, ताकि विद्युत तन्त्र में आई खराबी को अतिशीघ्र ठीक किया जा सके।

7– <u>समस्त विद्युत उपकेन्द्रों पर रोशनी व्यवस्थाः–</u>

समस्त विद्युत उपकेन्द्रों में यार्ड लाईट एवं इमरजेन्सी लाईटों की समुचित व्यवस्था की जावेगी ताकि सुरक्षा संम्बन्धी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। समस्त नियंत्रण कक्षों, उपकेन्द्रों शिकायत निवारण केन्द्रों पर टार्च सेल सहित उपलब्ध रखेगें। इमरजेन्सी सुधार/ पेट्रोलिंग पार्टी के पास टार्च की व्यवस्था रखेगें।

8– अन्य आवश्यक सेवाओं/विभागों से तालमेलः–

अधिशाषी अभियंता अपने–अपने क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे श्रीमान कलक्टर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन अधिकारी, जलदाय विभाग के अधिकारी, सेना, अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आदि से सम्पर्क एवं सामंजस्य बनाये रखेगें।

इन सभी विभागों एवं अधिकारियों के टेलीफोन नंम्बर, मुख्य नियंत्रण कक्षों अन्य विभागों, कलक्टर नियंत्रण कक्ष, पुलिस नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंम्बर अपने–अपने नियंत्रण कक्ष में चार्ट बनाकर लगाकर रखेगें। आवश्यकता पडने पर पुलिस या अन्य विभागों से सहायता मांग सकेगें। समस्त व्यवस्थाओं के नियत्रंण एंव मोनिटरिंग अधिकारी अधीक्षण अभियंता धौलपुर वृत्त होगें।

9– धौलपुर वृत्त के समस्त अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास के टेलीफोन नम्बरों की सूची में संलग्न है

S. N.	Name of officers	Name of Degenation / Office	Area	Contact No. BSNL CUG
1	**Sh. R.K.Verma**	**SE(O&M)**	Circle dholpur	**9414022087**
2	**Sh. Vivek Sharma**	**XEN (CD)**	Division Dholpur,Rajakhera	**9413390689**
3	**Sh. Rajat Jain**	**AEN (A-I)**	Subdivision Dholpur City	**9413390702**
4	Smt. Pooja agrawal	JEN D-I	Old city,Bhamatipura Jagan tiraha area	9413390743
5	Smt. Kiran kumari	JEN D-II	Bari road,Saipau road dholpur Housing board area	9413390744
6	Smt. Amar Sharma,ES	JEN D-III (ES)	Ondela road,Mania road Sundar kolony dholpur	9414022750
7	**Sh. Anurag Mittal**	**AEN (Rural) Dholpur**	Subdivision Rural dholpurJatoli,Moroli, Mania,Baretha area	**9413390703**
8	Sh. Bijendra singh	JEN, Mania	Mania,Tanda,duwati,hinota,baretha area	9413390745
9	Sh. Aakash Shivhare	JEN (R-III)	Pachgaw,chawani,saranikhera area	9414022753
10	Sh. Amit kumar	JEN, Jatoli	Jatoli,kasimpur,sanda,dagarpur area	9413381215
11	**Sh. Anand Tiwari**	**AEN (O&M) Rajakhera**	Subdivision Rajakhera	**9413390705**
12	Sh. Mayank Mishra	JEN (City)	Rajakhera sahar area,	9413390750
13	Sh. Vishal Jaisawal	JEN(Rural)	Nadora,nayala,nagar area	9413390751
14	Sh. Mayank Mishra	JEN (Marena)	Marena,Jasupura,Kherali area	9414018532
15	**Sh. Govind singh**	**XEN Bari**	Division Bari (Bari,Baseri,saipau, Saramathura)	**9414022745**
16	Sh. R.D.Meena	**AEN (O&M) Bari**	Subdivision Bari	**9413390704**
17	Sh. Jagdish Meena	JEN (City)	Bari city, Gummat,Hospital area	9414041684
18	Sh. Kuldeep sharma	JEN (Rural)	Matsura,kiledar ka nagala,khanpur area	9413390747
19	**Sh. Bhagwan sahay**	**AEN (O&M) Baseri**	Subdivision Baseri	**9414040117**
20	Sh. Rahul upadhay	JEN Baseri	Jaraga,Baseri,Nadanpur,Mamodhan,bagthar, Bharali, Harjupura area	9414022746
21	**Sh. Pravendra singh**	**AEN (O&M) Sarmathura**	Subdivision Saramathura	**9413384260**
22	Sh. Shiv Singh Meena	JEN (Urban)	Saramathura City	9413390749
23	Sh. Hariom Sharma	JEN (Rural)	Angai,Baroli,Badagaw, Jhiri area	9413384254
24	**Sh. Pushpendra singh**	**AEN (O&M) Saipau**	Sub division Saipau	**9413384438**
25	Sh.Shivom vishnoi	JEN Saipau	Saipau, Basainabab area	9413390746
26	Sh. Mohammad	JEN, Kolari	Kolari,Jakhi,bara,nidhera kala area	9413384393

	saif			
27	**Smt. Suman Chohan**	**AEN (HTM), DLP**	Dholpur city area	**9414022749**
28	Smt. Shristi chodhari	JEN (HTM) - City, DLP	Dholpur city area	9414033685
29	Smt. Upkash Sarswat	JEN (HTM) -Rural, DLP	Dholpur Rural area	9413381470
30	Smt.Rajani Meena	JEN (HTM), Rajakhera	Subdivision Rajakhera area	9413383028
31	Sh.Nagendr singh	JEN as AEN (HTM) Bari	Subdivision Bari area	9413389089
32	Sh. Aayush Raj Gupta	JEN (HTM), Bari	Subdivision Bari area	9413384234
33	Sh. Avdesh kumar	JEN (HTM), Baseri	Subdivision Baseri area	9413383046
34	Sh. Aayush Raj Gupta	JEN (HTM) Sarmathura	Subdivision Saramathura area	7790893137
35	Sh. Shiv Om	JEN (HTM), Saipau	Subdivision Saipau area	9413383040

<u>आपदा प्रबन्धन योजना के तहत धौलपुर वृत्त के अधीन निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध हैः</u>–

1. लिफ्टरः– विभाग के पास 05 लिफ्टिर ड्राईवर सहित उपलब्ध है।
2. एल.टी. शिकायत निवारण वाहनः– विभाग के पास 10 वाहन एल.टी.कम्पलेन्ट करने हेतु तीन पारियों में 24 घन्टे मय टी.एण्ड.पी. व लाईन स्टॉफ के उपलब्ध है।
3. एच.टी. शिकायत निवारण वाहनः– विभाग के पास 01 वाहन एच.टी.कम्पलेंन्ट करने हेतु तीन पारियों में 24 घन्टे मय टी.एण्ड.पी. व लाईन स्टॉफ के उपलब्ध है।
4. विभाग में पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफॉर्मर, पोल,तार, इन्सूलेटर, हाडवेयर, एच.टी. एवं एल.टी. लाईन का सम्पूर्ण सामान उपलब्ध है।
5. विभाग के पास सभी साईजों एवं वॉल्टेज का भूमिगत केबल तथा उसके ज्वॉईन्टस उपलब्ध है।
6. भूमिगत केबल खराब हो जाने की स्थिति में फॉल्ट निकालने हेतु केबिल फॉल्ट लोकेटिंग मशीन, कार्यालय में उपलब्ध है।
7. विभाग के पास सभी प्रकार की टी.एण्ड.पी. जिसकी जरूरत विभाग को रहती है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
8. सभी अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता के पास सुपरवाईजरी वाहन उपलब्ध है।

<u>4–जन.स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग धौलपुर</u>

<u>For Pre-Draught Situation</u>

* 49th hand pump repair campaign is running from 1st April 2025 continuously, for this 06 no vehicle and 39 no labour has been sanctioned already but these are not sufficient to repairing hand pump immediately.

* Control room no 05642-220715 establased at district level vide this office rajkaj letter no 14537951 dated 02.04.2025 (Copy enclosed)

* Villages where hand pump to be dry or seasonal, water transportation has been started from 25th May 2025 in block Bari, Baseri, Sarmathura, Dholpur, Rajakhera, Saipau.
* Additional sources of water have been marked for maintenance regular drinking water supply.

<u>For Disaster Stage (At time flood)</u>

Material which required to maintenance the water supply schemes have been already procured at store.

S.N.	Name of material	Quantity

1	Submersible pump sets	04 No
2	Submersible cable 04 mm sq	300 Mtr.
3	Submersible cable 06 mm sq	100 Mtr.
4	Submersible cable 2.5 mm sq	225 Mtr.
5	Oil starter 10 to 15 HP	03 No
6	Oil starter 20 to 25 HP	04No
7	PVC rope 16 mm	373 Mtr.
8	Feeder panel board 20 HP	02 No
9	Ferric alum	40 Ton
10	Belching powder	800 Bag

- Name of contractor whose assist drinking water at emergency by tanker (List enclosed annexure "A")
- List of officer and employee with mobile no (List enclosed annexure "B")
- List of stake holder water participate in PHED dholpur (List enclosed annexure "C")

Annexure "A"

List of Stake holders (Participated in tankers supply)

S.N.	Name of stake holder	Mobile no
1	M/S Raghunandan Sharma Bari	9950518791
2	M/S Ajay Kumar Garg, Bari	9929978242
3	M/S Shribhagwan Sharam Alighar Bari	8949593481
4	M/S krishanhari Constuction Dholpur	9460000715

5–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर

1. समस्त चिकित्सा संस्थानो पर मच्छरजनित एवं जलजनित रोगो की रोकथाम हेतु आवश्यक दवाईयो की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।
2. बाढ़ प्रभावित हाईरिस्क क्षेत्रो मे मच्छरजनित रोगो के प्रभाव को देखते हुए एन्टीलार्वल गतिविधिया तेज कर दी गई है एवं एन्टीलार्वल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो मे मानसून सीजन के दौरान संभावित प्रसुताओ की सूची एकत्रित कर ली गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हे सुरक्षित स्थानो तक भिजवाया जा सके।
4. वर्षा के दौरान जलजनित रोगो की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरिन टेबलेट का वितरण कराया जा रहा है।
5. समस्त चिकित्सा अधिकारियो एवं अधीनस्थ स्टाफ को मुख्यालय पर निवास करने के निर्देश प्रदान कर दिये गये है।
6. जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम नं 05642 – 220733 स्थापित है जो कि 24x7 संचालित है।
7. जिला चिकित्सालय बाडी रोड धौलपुर पर आपातकालीन नियत्रंण कक्ष स्थापित किया गया है।
8. बाढ एवं अतिवृष्टि के समय मरीजों हेतु बैड आरक्षित रखने हेतु सम्बधित को निर्देशित कर दिया गया है।
9. आपदा की स्थिति को मध्येनजर रखते हुये आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां ,उपकरण एवं एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर ली गई है।

6–पुलिस विभागः–

वर्ष 2025 में मानसून को ध्यान में रखते हुये जिला मुख्यालय पर बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसके प्रभारी **श्री मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर मो0नं0 9829078087** होंगे। इनकी सहायतार्थ श्री भंवर सिंह उ0नि0अपराध सहायक,कार्यालय हाजा मो0नं0 9414340847 होंगे। बाढ नियन्त्रण कक्ष इस कार्यालय के दूरभाश नं0 05642–220308 एवं फैक्स नं0 05642–221873 पर कमरा नं0 15 में प्रारम किया जाता है, जो दिनांक 25.06.2025 से अग्रिम आदेश तक प्रभाव रहेगा । यह नियन्त्रण कक्ष तीन पारियों में कार्य करेगा, जिसमें निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों को लगाया जाता हैः–

़0 .0	समय	अधिकारी / कर्मचारीकानाम व पदनाम	वर्तमान पद एवंपदस्थापन	मोबाईलनम्बर
1	प्रथम पारी (प्रातः 08.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक)	श्री भंवर सिंह उ0नि0	अपराध सहायक,कार्यालय हाजा	9414 340847
		श्री रामलक्ष्मण कानि0 360	एसटी0टी0 अनुभाग	9694 862131
		श्री शिशु पाल हैड कानि0 762	कार्यालय हाजा	9413 414140
2	द्वितीय पारी (सांय 06.00 बजे से प्रातः 08. 00 बजे तक)	श्री माताप्रसाद स0उनि0	पुलिस लाईन धौलपुर	9602 638775
		श्री कमल सिंह कानि0 417	पुलिस लाईन धौलपुर	8562870262

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मानसून सत्र–2025 के लिए जिले में बाढ एवं अतिवृष्टि से निपटने हेतु पूर्व से समस्त आवश्यक तैयारियां किया जाना व जिला आपदाप्लान तैयार किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु पुलिस विभाग से संबंधित आवश्यक तैयारियों की संबंध में सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1. जिले में बाढ एवं अतिवृष्टि से निपटन हेतु एवं आवश्यक सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कार्यालय हाजा के कमरा नं 15 में की जा चुकी है। जिले में बाढ़ की स्थिति उतपन्न होने पर सभी तटिय ईलाकों व डूब क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पुलिस व्यवस्था की जाती है व आमजन को तटिय ईलाकों दूर रह ने हेतु निर्देशित किया जाता है। जिले के समस्त थानाधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने व राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्यों में राज्य आपदा प्रतिसाद बल की टीमों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा पूर्ण सहायोग प्रदान किया जाता है।

2. विभाग में उपलब्ध संसाधनों की सूचीः–
    1. रस्सा–100 फीट
    2. सर्च लाईट–02
    3. लाईफ जैकेट–12नग
    4. लाईफ ट्यूब– 20 नग

नोटः–अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होने पर मांग पुलिस मुख्यालय भिजवायी जाती है।

3. कमाण्डेन्ट राज्य आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान, जयपुर द्वारा आगामी मानसून वर्ष 2025 के दौरान संभावित भारी वर्षा / बाढ से होने वाली आपदा की स्थिति में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों हेतु सीकम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल भरतपुर की सी–03 एवं सी–04 रेस्क्यू टीमों को मय संशाधनों के जिला धौलपुर हेतु नियोजित किया जा चुका है। जिन का वर्तमान कैम्प पुलिसलाईन धौलपुर में है, उक्त

रेस्क्यू टीम को आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव कार्यों में काम में लिया जाता है। उक्त टीमों के प्रभारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

सी–03–श्री हरप्रसारद हैड कानि0 25

सी–04–श्री ऊदल सिंह हैड कानि0 47

4. जिले के ना का बन्दी प्लान के अपडेशन की स्थितिः–जिले में वर्तमान ना का पोइन्ट्स की स्थिति निम्न प्रकार है।

    1. सागर पाडा चम्बल पुल, थाना कोतवाली।
    2. बरैठा, जी0टी0 रोड, थानामनियां।
    3. बसईनवाब, थानाकोलारी।

7—नागरिक सुरक्षा विभाग धौलपुर

क. सं.	स्वयंसेवक का नाम	पिता / पित का नाम	जन्मतिथि	मोबाईल नं.	पता	शैक्षणिक योग्यता	सेवा आवंटन	विशेष योग्यता	प्रशिक्षण कोर्स			रक्त समूह	आधार नं.
									CDTI	NDRF	अन्य		
1	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	श्री गुलाब किशोर शर्मा	7/7/1980	9460000851	सुपरडैन्ट का बाडा, वजरिया धौलपुर	12वीं पास	Warden	वाहन चालक	—	—	—	O+	4626 0702 3815
3	श्री अभिषेक शर्मा	श्री दिनेश चंद शर्मा	6/8/1998	8696991816	ग्रांम— करीमपुर, तहसील— सैंपउ, धौलपुर	B.Sc.	Warden		Bombs Safety Course 08-07-24 to 13-07-24	Unexploded Bombs & Explosive Safety Course 17-06-2019 to 28-06-2019	—	O+	2116 3534 4042
4	श्रीमति धीरज	श्री रामप्रकाश शर्मा	2/14/1985	9799255964	इटाया पाडा, पुराना शहर, धौलपुर	10 वी	Warden		—	—	—	B-	2502 6854 9948
5	श्री संतोष कुमार शर्मा	श्री मुरारी लाल शर्मा	7/1/1977	7742529304	ग्रांम— करीमपुर, तहसील— सैंपउ, धौलपुर	10वीं पास	Warden	वाहन चालक, फायर फाईटिंग	Volunteer Fire Fighting Course 07-02-2019 to 12-02-2019	—	—	O+	5054 6448 1272
6	श्री प्रदीप वर्मा	श्री सीताराम वर्मा	6/16/1987	9079208314	भामा साहब का बाडा, धौलपुर	10वीं पास	Warden	तैराक	—	—	—	O+	5692 2223 3874
7	श्री धनंजय शर्मा	श्री विनोद शर्मा	4/15/1996	8239100207	ग्रांम— करीमपुर, तहसील— सैंपउ, धौलपुर	12वीं पास, ITI	Warden	सीडीआई कोर्स	Civil Defence Instructor Course 01-06-2022 to 24-06-2022	—	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	B+	8925 5475 5973

8	श्री राज कुमार	श्री राम नाथ	10/4/1991	8432487406	गाम– जगरियापुरा, तहसील– सैंपउ, धौलपुर	बी.ए.	Warden	फायर फाईटिंग, सीडीआई कोर्स	Civil Defence Instructor Course 04-07-2022 to 27-07-2022 Incident command course 28-10-24 to 30-10-24	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	B-	8593 5984 0745
9	श्री दीपक कुमार शर्मा	श्री गुलाब किशोर शर्मा	#########	8112266827	सुपरडैन्ट का बाडा, वजरिया धौलपुर	12वीं पास	Warden	वाहन चालक	–	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	O+	5220 1740 6061
10	श्री पंकज कुमार	श्री मेघ सिंह	1/1/1998	7340269508	जाटव बस्ती, भागीरथपुरा, धौलपुर	12 वीं पास	Warden	वाहन चालक, फायर फाईटिंग	Auxiliary Fire Fighting Course 08.09.2021 to 05.10.2021	–	–	B+	3947 2806 5144
11	श्री सतेन्द्र कुशवाह	श्री ठकुरी	4/25/1998	9680311108	ग्राम– जमालपुर, तहसील– सैंपउ, धौलपुर	12वीं पास	Fire	तैराक	–	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	A+	5743 8748 7356
12	श्री रोबिन तिवारी	श्री हरीशंकर तिवारी	3/31/1995	8824048995	नया शेरगढ, धौलपुर	8वी पास	Fire		Volunteer Fire Fighters Course 24-06-2024 to 29-06-2024 Chemical Biological Radiological/Nuclear First responders course 22-07-24 to 27-07-24	–	–	O+	8332 2933 9300
13	श्री राजू	श्री सियाराम शर्मा	6/20/1994	8107694656	खिदरपुर, नक्सौंधा, तहसील–सरमथुरा, धौलपुर	9वीं पास	Fire	वाहन चालक, तैराक, गोताखोर	–	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to	B+	3105 7903 9417

											10-02-2019		
14	श्री देवेश यदुवंशी	श्री हरीशचंद्र यदुवंशी	#########	9309231988	अशोक विहार कॉलोनी, गुरुद्वारा, धौलपुर	10वीं पास	Fire		–	–	–	O+	7051 3401 5297
15	श्री बच्चू तिवारी	श्री रमाकान्त तिवारी	7/2/1996	9799052291	गांधीनगर, पुराना शहर, धौलपुर	12 वीं पास	Fire	वाहन चालक, तैराक	Conduct of Training Course 02-09-24 to 06-09-24	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	O+	4376 4898 2954
16	श्रीमति लक्ष्मी	श्री बसंत कुमार	8/10/1991	7737404931	गुरुद्वारा, धौलपुर	10 वीं पास	Fire		–	–	–	A-	3471 8077 9201
17	श्री पंकज	श्री प्यारेलाल	1/1/1992	7240347257	दूबरा, धौलपुर	9वीं पास	Fire	वाहन चालक	–	–	–	B+	8545 0695 3999
19	श्री संदीप कुमार शर्मा	श्री रामजीलाल	3/3/1994	9785306826	पटियाला बाग, गुरुद्वारा, धौलपुर	12 वीं पास	Fire	फायर फाईटिंग	Auxiliary Fire Fighting Course 08.11.2021 to 09.12.2021	–	–	O+	8229 6558 4241
20	श्री शिव कुमार	श्री राम नाथ	6/21/1989	7877913668	ग्राम– जगरियापुरा, तहसील– सैंपउ, धौलपुर	12वीं पास, ITI	Fire	फायर फाईटिंग	Auxiliary Fire Fighting Course 01.02.2021 to 04.03.2021	–	–	B+	7482 2872 3724
21	श्री कोहिनूर	श्री मुरारी लाल	1/10/1999	8239121813	ग्राम– भागीरथपुरा, धौलपुर	B.Sc.	Rescue	वाहन चालक, फायर फाईटिंग, तैराक	Auxiliary Fire Fighting Course 06.10.2021 to 02.11.2021	Flood Cyclone Disaster Responders Course 20-02-2023 to 27-03-2023, ToT on Rad. & Nuclear Emergencies Course 09-08-2021 to 20-08-	–	AB+	7681 9135 8294

										2021			
22	श्री राजकुमार मीना	श्री छोटेलाल मीना	2/17/1995	9785285227	ग्राम– गढाखोह, सरमथुरा, धौलपुर	बी.ए., ITI	Rescue	वाहन चालक, तैराक, फायर फाईटिंग	क्षतिग्रस्त ढांचे में खोज एवं बचाव कोर्स 18.02.2019 से 23.02.2019 Auxiliary Fire Fighting Course 11.08.2021 to 07.09.2021	Communication For Civil Defence Trainers Course 15-04-2019 to 03-05-2019	–	A+	2554 1413 6766
23	श्री विपुल कुमार	श्री बलवीर सिंह	5/15/1997	8209202773	गांव– पुरापतिराम, करका खेरली, धौलपुर	10वीं पास	Rescue		–	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	A-	5812 1079 6964
25	श्री ओमराज मीना	श्री महेश मीना	8/21/1998	7062280129	गांव– भमपुरा, सरमथुरा, धौलपुर	बी.ए., बी.एड.	Rescue	सीडीआई कोर्स	–	Civil Defence Instructor Course 04-02-2019 to 08-03-2019, Flood Cyclone Disaster Responders Course 01-07-2019 to 02-08-2019	–	O+	9193 2218 3025
26	श्रीमति तबस्सुम	श्री हबीब खान	1/10/1991	9351599499	पुराना शहर, मौहल्ला नौगजा, धौलपुर	10 वी पास	Rescue		–	–	–	A+	5695 1724 0826

27	श्री सुनील कुमार	श्री प्रयाग सिंह	########	8529534516	बरैलापुरा, मोरोली, धौलपुर	12वी पास	Rescue		Collapsed Structure Search & Rescue Course 09-12-24 to 14-12-24	–	–	B+	5027 2519 6814
28	श्री रोहितास्व	श्री रामजी लाल	1/24/1993	9145896592	ग्राम– भागीरथपुरा, धौलपुर	12वी पास	Rescue	तैराक	Advance verticle rescue course 25-11-24 to 29-11-24	–	Joint Mock Exercise, Jaipur 04-02-2019 to 10-02-2019	B+	5741 2935 7635
29	श्री मनोज कुमार	श्री नवल सिंह	6/22/1998	9785159097	गांव– जमालपुर, तहसील– सैंपउ, धौलपुर	12वी पास	Rescue	वाहन चालक, तैराक	Advance Warden Service Course 06-02-2019 to 11-02-2019 Auxiliary Fire Fighting Course 08.03.2021 to 09.04.2021 Flood Rescue Operation Course 14-10-24 to 19-10-24	–	–	B+	7594 2284 1892
30	श्री ब्रज मोहन मीना	श्री राम स्वरुप मीना	8/7/1996	9024929082	गांव– नयागांव, सरमथुरा, धौलपुर	बी.ए., पॉलोटेक्निक	Rescue	तैराक, गोताखोर, फायर फाईटिंग, सीडीआई कोर्स	Basic Life Support Course 11-03-2019 to 16-03-2019, Civil Defence Instructor Course 02-05-2022 to 25-05-2022 Auxiliary Fire Fighting Course 18.01.2021 to 29.01.2021	–	–	A+	6729 1629 6080

31	श्री कल्यान सिंह मीना	श्री रामजीलाल मीना	3/22/1995	9352445308	गांव– नयागांव, सरमथुरा, धौलपुर	बी.ए. ITI	Casualty	वाहन चालक, तैराक, गोताखोर, सीडीआई कोर्स	Civil Defence Instructor Course 01-08-2022 to 24-08-2022	–	–	A-	8741 4942 8048
32	श्री रामवीर	श्री ग्यासी राम	12/7/1980	9929050613	गुरुद्वारा के पीछे, धौलपुर	9वी पास	Casualty		–	–	–	A+	8103 1816 3376
33	श्री पवन कुमार शुक्ला	श्री दिनेश चंद शुक्ला	3/5/1997	7351702996	विनोद विहार कॉलोनी, बाडी रोड, धौलपुर	एम.ए.	Casualty	वाहन चालक, तैराक, सीडीआई कोर्स	Civil Defence Instructor Course 04-04-2022 to 27-04-2022	–	–	O+	4550 2628 8033
34	श्री जयन्त कुमार	श्री रामजीलाल	7/1/1998	9680161742	ग्राम– भागीरथपुरा, धौलपुर	12वी पास	Casualty	तैराक	Basic life support course 04-11-24 to 09-11-24	Chemical Disaster First Responders Course 01-03-2021 to 19-03-2021	–	O+	5993 9506 5014
35	श्री हरिबिलास मीना	श्री राम गोपाल मीना	########	9887772582	नयागांव, सरमथुरा, धौलपुर	12वीं पास, ITI	Casualty	वाहन चालक, तैराक, गोताखोर	–	Unexploded Bombs & Explosive Safety Course 08-11-2021 to 19-11-2021	–	A+	3971 3776 9832
36	श्री राजकुमार	श्री छत्रपाल	4/2/1997	9001784137	गांव– जमालपुर, तहसील– सैंपउ, धौलपुर	12वीं पास	Casualty		–	–	–	A+	8619 2134 6674

37	श्री विक्रम सिंह	श्री मदन सिंह	10/5/1991	8426020689	गांव– कृपा का पुरा, विपरपुर, धौलपुर	बी.ए.	Casualty	फायर फाईटिंग	Incident Command Course 27-02-2019 to 01-03-2019 Auxiliary Fire Fighting Course 14.07.2021 to 10.08.2021 Emergency Communication Course 05-08-24 to 10-08-24	–	–	O+	2165 7528 6105
38	श्री शिव सिंह	श्री परसराम	6/5/1992	9694402004	गांव– कृपा का पुरा, विपरपुर, धौलपुर	10वीं पास	Casualty	फायर फाईटिंग	–	–	–	B+	8845 6459 7739
39	श्री रीतेश कुमार	श्री रामजीलाल	3/5/1997	9166076592	ग्राम– भागीरथपुरा, धौलपुर	12वीं पास, ITI	Casualty	तैराक, गोताखोर, सीडीआई कोर्स	Civil Defence Instructor Course 01-02-2023 to 24-02-2023 Advance warden service course 21-10-24 to 26-10-24	–	–	B+	8676 8772 7225

जिला में नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट धौलपुर में उपलब्ध उपकरणः–

क्र.स.	समान का विवरण	चार्ज पर (कुल मात्रा)	विशेष विवरण
1.	सेफटी बैल्ट	02	
2.	लाइफ जैकेट	08 (खराब)	
3.	गम बूट	22	
4	स्ट्रैचर	02	
5	कांटे (बिलाई)	02	
6	हेलमेट	08	
7	स्ट्रैचर फोल्डिंग	02	
8	लाइफ बॉय	11	
9	कंबल	16	
10	फावडे	10 (2 सही)	
11	रस्से	02	
12	गैंती	03	
13	मास्क 3एम	–	
14	हैण्ड ग्लब्ज	05	
15	बोल्ट कटर	02	
16	हथौडी	01	
17	बोल्ट कटर छोटी	01	
18	टांकी बडी	01	
19	टांकी छोटी	01	
20	स्कू ड्राईवर सैट	01	
21	रिन्च	01	
22	चांदनी टेण्ट	02	
23	सर्च लाईट	06	
24	हाफ मास्क गैस फिल्टर	–	
25	मेगाफोन	05	
26	फनर	01	
27	बेल्चा	05	
28	बोल्ट कटर 750एमएम	02	
29	हथौडा (कील निकालने वाले)	02	
30	बाल्टी	10	
31	हैक्सा फेम कटर	01	
32	हाफ मास्क गैस फिल्टर	–	
33	अंग्नि शमन यंत्र	08	

8–राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ) :–

जिले में मानसून सत्र 2025 में अतिवृष्टि एंव बाढ के दौरान राहत एंव बचाव कार्य हेतु निम्नाकिंत एसडीआरएफ टीमें जिला धौलपुर में दिनांक 20.6.2025 तैनात हो चुकी है।

टीम सी–3

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद व बैल्ट नम्बर	मोबाईल नं.	वाहन का प्रकार
1	श्री हरप्रसाद (टीम प्रभारी)	हैडकानि–25	9610076642	
2	श्री हरिओमसिंह	कानि0–220	8955654252	
3	श्री देवेन्द्रसिंह	कानि–544	7891398350	
4	श्री बलदेवसिंह	कानि0–614	8504084673	
5	श्री सुरेन्द्रसिंह	कानि0–728	9784074526	
6	श्री अमरलाल	कानि0–730	8058919945	
7	श्री टिंकूसिंह	कानि0–814	8104628737	
8	श्री मनोज कुमार	कानि0–920	8502808874	
9	श्री सुभाष सिंह	चालक कानि0–344	9929959285	वाहन बस आर.जे. 14 पीडी 4516

टीम सी–4

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद व बैल्ट नम्बर	मोबाईल नं.	वाहन का प्रकार
1	श्री उदलसिंह (टीम प्रभारी)	हैड कानि.–47	9461643032	
2	श्री वेदप्रकाश	कानि0–244	9799934057	
3	श्री राजवीर	कानि0–317	7742144763	
4	श्री संजयसिंह	कानि0–459	9887660345	
5	श्री राजवीर	कानि0–578	7733953365	
6	श्री धर्मसिंह	कानि0–610	7568387755	
7	श्री गीतमसिंह	कानि0–685	8385059983	
8	श्री मुरारी	कानि0–725	9784368134	
9	श्री रविद्रसिंह	कानि0–822	9636958178	वाहन उपलब्ध नहीं है।

9–जिला रसद विभाग धौलपुर।

- बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है जिसका दूरभाष न0 05642–220814 है।
- जिले में खाघ पदार्थों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक खाद्य पदार्थों के व्यापारियों से सर्म्पक कर निर्देशित कर दिया गया है।
- जिले में संचालित समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) द्रवित पेट्रोलियम गैस समुचित उपलब्धता हेतु ऐजेंसी संचालकों को पाबंद कर दिया गया है।
- कार्यालय के आदेश क्रमांक 1923 दिनांक 25.6.2025 द्वारा प्रबधंक महोदय , भारतीय खाघ निगम डिपो अलवर एंव जिले में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों को आवश्यक गेंहू का स्टॉक आरक्षित रखने हेतु पाबंद कर दिया गया है।

जिले में राशन डीलरों की सूची :–

क्र.स.	ब्लॉक	क्षेत्र	नाम उचित मूल्य दुकानदार	एफपीएस कोड	ग्राम पंचायत / वार्ड संख्या	मोबाइल नं.
212	Dholpur	शहरी	**भीकमसिंह (निरस्त)**	**18315**	**1**	.
213	Dholpur	शहरी	**आशा देवी वार्ड सं; 01 भाग 1/3**	**18537**	**1**	8947948151
214	Dholpur	शहरी	**महिला बहु;सह;स;लि; धौलपुर अटेच महावीर सिंह वार्ड सं; 01 भाग 1/3**	**18989**	**1**	9024963578
215	Dholpur	शहरी	**चन्द्रमोहन राना वार्ड सं; 02**	**18986**	**2**	9929467512
216	Dholpur	शहरी	**सुखवीरसिंह वार्ड सं; 02**	**18541**	**2**	9667868708
217	Dholpur	शहरी	**जगदीश प्रसाद वार्ड स; 03 भाग 1/2**	**18991**	**3**	9950768321
218	Dholpur	शहरी	**रामबेटी वार्ड सं; 03 भाग 1/2**	**18988**	**3**	9950768321
219	Dholpur	शहरी	**अटैच जगदीश प्रसाद वार्ड सं; 09**	**19008**	**28**	9521240871
220	Dholpur	शहरी	**अटैच क्रय विक्रय सहकारी समिति**	**19004**	**9**	9521240871
221	Dholpur	शहरी	**केवीएसएस धौलपुर वार्ड सं; 10, 11, 12**	**19006**	**10,11,12**	9414028204
222	Dholpur	शहरी	**संतोष कुमार शर्मा वार्ड सं; 13**	**19010**	**13**	9783067567
223	Dholpur	शहरी	**धनेश जैन वार्ड सं; 14**	**19011**	**14**	9460115047
224	Dholpur	शहरी	**शहीद खां वार्ड सं; 15**	**19012**	**15**	9001529014
225	Dholpur	शहरी	**धौलपुर प्राथ सह;उप;भं; धौलपुर वार्ड सं; 16, 17**	**19013**	**16,17**	9414929592
226	Dholpur	शहरी	**इन्दु देवी वार्ड सं; 18**	**19015**	**18**	8742892262
227	Dholpur	शहरी	**अटैच प्राथमिक धोलपुर उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि.**	**19017**	**19,20**	9549643464
228	Dholpur	शहरी	**गफूर खां वार्ड सं; 22, 23, 24**	**19020**	**22,23,24**	8955131717

229	Dholpur	शहरी	**धौलपुर होलसेल सह;उप;भं;लि; वार्ड सं; 25, 31**	**19021**	**25,31**	8386927560
230	Dholpur	शहरी	**जशोदादेवी वार्ड सं; 26, 27**	**19023**	**26,27**	8769009107
231	Dholpur	शहरी	**केवीएसएस धौलपुर वार्ड सं; 29, 30**	**19024**	**29,30**	9414028204
232	Dholpur	शहरी	**धौलपुर महिला प्राथ सह;उप;भं;लि; वार्ड सं; 32, 33**	**19027**	**32,33**	9414206899
233	Dholpur	शहरी	**अशोक कुमार वार्ड सं; 34, 35**	**19028**	**34,35**	8005548242
234	Dholpur	शहरी	**मीरादेवी वार्ड सं; 4, 21**	**18993**	**4,21**	9887397273
235	Dholpur	शहरी	**रविन्द्र कुमार वार्ड सं; 05**	**18995**	**5**	9261573928
236	Dholpur	शहरी	**अटैच मीरा देवी**	**18996**	**6**	9001529014
237	Dholpur	शहरी	**अटैच धनेश जैन**	**18998**	**11**	8434341119
238	Dholpur	शहरी	**प्रताप सिंह नारोलिया**	**19002**	**8**	9521240871
239	Dholpur	शहरी	**दीक्षा शर्मा**	**30886**	**24**	9521240871
240	Dholpur	शहरी	**पवन कुमार बघेला**	**30867**	**34**	9875107567
241	Dholpur	शहरी	**श्री भगवान सिंह बघेल**	**30940**	**26**	9785747484
242	Dholpur	शहरी	**प्रिया अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति**	**31130**	**38**	9309431678
243	Dholpur	शहरी	**राजकुमार**	**31165**	**15**	9079683131
244	Dholpur	शहरी	**मुन्द्रेश सिंह तोमर**	**31167**	**40**	9549643464
245	Dholpur	शहरी	**आदिल खान**	**31129**	**41**	7073742144
246	Dholpur	ग्रामीण	**लज्जाराम**	**9892**	**खेडा**	9784198777
247	Dholpur	ग्रामीण	**पवन कुमार**	**18724**	**बरैठा**	9799149710
248	Dholpur	ग्रामीण	**राजवीरसिंह**	**9862**	**बरैठा**	7014187239
249	Dholpur	ग्रामीण	**अचल सिंह**	**9864**	**बोथपुरा**	8890930249
250	Dholpur	ग्रामीण	**वृन्दावन लाल शर्मा**	**9865**	**बोथपुरा**	9414945838
251	Dholpur	ग्रामीण	**रामदास**	**18788**	**बसईसामंता**	8302935051
252	Dholpur	ग्रामीण	**रामप्रकाश**	**18789**	**बसईसामंता**	9928754299
253	Dholpur	ग्रामीण	**रामकेश सिंह**	**9863**	**बसईनीम**	9352546264
254	Dholpur	ग्रामीण	**भंवरसिंह**	**18834**	**कासिमपुर**	8890094418
255	Dholpur	ग्रामीण	**विशम्भरसिंह**	**9787**	**कासिमपुर**	7976480421
256	Dholpur	ग्रामीण	**राममुरारी**	**9821**	**कोटरा**	9602385033
257	Dholpur	ग्रामीण	**वकील**	**9817**	**कोटरा**	9928126574
258	Dholpur	ग्रामीण	**जनकसिंह**	**9798**	**मढाभाऊ**	9001185143
259	Dholpur	ग्रामीण	**शिवचरण**	**9797**	**मढाभाऊ**	9928589490
260	Dholpur	ग्रामीण	**केवीएसएस मनियां**	**18744**	**मनियां**	9414028204
261	Dholpur	ग्रामीण	**जीएसएस मनियाॅ II**	**18750**	**मनियां**	9414930048
262	Dholpur	ग्रामीण	**जीएसएस मनियाॅ ा**	**18747**	**मनियां**	9414930048
263	Dholpur	ग्रामीण	**प्रमोद कुमार**	**18738**	**मनियां**	9829693852
264	Dholpur	ग्रामीण	**महेन्द्र त्यागी**	**18741**	**मनियां**	9887413146

265	Dholpur	ग्रामीण	सचिन	18830	मांगरोल	8741874387
266	Dholpur	ग्रामीण	सत्यप्रकाश	18828	मांगरोल	9785419112
267	Dholpur	ग्रामीण	दशरथसिंह अटेच धोलपुर महिला सहकारी समिति लि. विश्नोदा	9873	मौरोली	8432341119
268	Dholpur	ग्रामीण	श्रीभान सिंह (निरस्त)	18723	मौरोली	9057240213
269	Dholpur	ग्रामीण	ओमप्रकाश	15896	बिसनोंदा	7073391544
270	Dholpur	ग्रामीण	धौलपुर महिला सहकारी समिति, विश्नौंदा	9887	बिसनोंदा	7300210314
271	Dholpur	ग्रामीण	वीरे्न्द्रसिंह	15897	बिसनोंदा	9799867700
272	Dholpur	ग्रामीण	सुरेशचन्द्र	18703	बिसनोंदा	9414583315
273	Dholpur	ग्रामीण	कल्याणसिंह	15901	हिनौता	9929779219
274	Dholpur	ग्रामीण	जीएसएस हिनौता	9895	हिनौता	9887844206
275	Dholpur	ग्रामीण	भरतसिंह	9894	हिनौता	7073908122
276	Dholpur	ग्रामीण	कोकसिह	18809	सिंघावली बरैह	9887932009
277	Dholpur	ग्रामीण	सतीश सिंह	9805	सिंघावली बरैह	9982838637
278	Dholpur	ग्रामीण	ब्रहमजीत	9880	विपरपुर	9587933589
279	Dholpur	ग्रामीण	लाखनसिंह	9879	विपरपुर	9929779196
280	Dholpur	ग्रामीण	सियाराम	9881	विपरपुर	9950287156
281	Dholpur	ग्रामीण	अजमेरसिंह	9883	विरौंधा	7689070838
282	Dholpur	ग्रामीण	किशनसिंह	9884	विरौंधा	7740933568
283	Dholpur	ग्रामीण	जीएसएस विरौंधा	9882	विरौंधा	7891454173
284	Dholpur	ग्रामीण	सुल्तानसिंह	18782	फिरोजपुर (ओदी)	8058675689
285	Dholpur	ग्रामीण	दिनेश चंद	9796	भैसेंना	9783272744
286	Dholpur	ग्रामीण	यादवसिंह	18842	भैसेंना	9887932009
287	Dholpur	ग्रामीण	कष्णकुमार	18690	पचगांव	9571638450
288	Dholpur	ग्रामीण	चन्द्रशेखर	18686	पचगांव	9950660757
289	Dholpur	ग्रामीण	नीरज शर्मा	28350	पुरानी छावनी	9414028340
290	Dholpur	ग्रामीण	महावीर सिहं	28349	पुरानी छावनी	9694454671
291	Dholpur	ग्रामीण	अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लि0 सरानीखेडा	9893	सरानीखेड़ा	9784198777
292	Dholpur	ग्रामीण	अंगनाराम	9804	सादिकपुर	9983250317
293	Dholpur	ग्रामीण	अन्नपूर्णा महिला सह;स; लि0 सादिकपुर अटेच अंगनाराम	16052	सादिकपुर	9983250317
294	Dholpur	ग्रामीण	कैलाशचंद (मृत)	18794	सादिकपुर	9828034906
295	Dholpur	ग्रामीण	रामकिशोर	18799	सादिकपुर	8696779388
296	Dholpur	ग्रामीण	जसवन्त (निरस्त)	9840	दुबाटी	9529108443
297	Dholpur	ग्रामीण	पवनकुमार	9839	दुबाटी	9529108443

298	Dholpur	ग्रामीण	ज्ञानी राम	18837	दुल्हारा	9950095227
299	Dholpur	ग्रामीण	शंकरसिंह	9793	दुल्हारा	9829255546
300	Dholpur	ग्रामीण	प्रवीणकुमार	18770	दूबरा	9414027096
301	Dholpur	ग्रामीण	महिला बहु;सह;स;लि; दूबरा	9838	दूबरा	9928001700
302	Dholpur	ग्रामीण	अनवार राईन	27140	तगावली	9001245681
303	Dholpur	ग्रामीण	घनश्याम	27141	तगावली	9694457229
304	Dholpur	ग्रामीण	मुकेशकुमार	9791	जाटौली	7014898634
305	Dholpur	ग्रामीण	सत्यप्रकाश	9792	जाटौली	9929128688
306	Dholpur	ग्रामीण	प्रकाशचंद	9849	नैनोखर	9166889568
307	Dholpur	ग्रामीण	जीएसएस टांडा	18757	टांडा	7737930048
308	Dholpur	ग्रामीण	दिलीप सिंह	9834	टांडा	8302849944
309	Dholpur	ग्रामीण	परसादीलाल	18780	ओदी	9587210964
310	Dholpur	ग्रामीण	महिला बहु;सह;स; ओदीकापुरा	9808	ओदी	9509381376
311	Dholpur	ग्रामीण	अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लुहारी	9802	लुहारी	9667420271
312	Dholpur	ग्रामीण	रामरूप	9800	लुहारी	9928644364
313	Dholpur	ग्रामीण	हाकिमसिंह त्यागी	9801	लुहारी	8890474477
314	Dholpur	ग्रामीण	मनोज कुमार	16053	शाहपुरा	9549147224
315	Dholpur	ग्रामीण	विजेन्द्र	9803	शाहपुरा	9610526269
316	Dholpur	ग्रामीण	दलित महिला बहु;सह;स;लि; खेरली	18825	खेरली	9928864549
317	Dholpur	ग्रामीण	सुरेश चंद	18823	खेरली	9887995336
318	Dholpur	ग्रामीण	रविकान्त शर्मा	30472	खेरली	9079906136
319	Dholpur	ग्रामीण	समुन्दसिह	9788	कोटपुरा	9587515228
320	Dholpur	ग्रामीण	बनवारी	9799	मढाभाऊ	7733053131
321	Dholpur	ग्रामीण	विजयसिंह	9794	विन्तीपुरा	9982482894
322	Dholpur	ग्रामीण	राजवीर	18819	विन्तीपुरा	9358193620
323	Dholpur	ग्रामीण	भगवानसिंह मृत(Girraj sing tyagi)	9790	जसुपुरा	6377314069
324	Dholpur	ग्रामीण	रामखिलाडी	18804	जसुपुरा	6377343460
325	Dholpur	ग्रामीण	अचलसिंह	9789	जलालपुरा	9785360094
326	Dholpur	ग्रामीण	रविन्द्रसिंह	16054	जलालपुरा	9636424826

10 जिला परिवहन विभागः–

संसाधनों की सूची

Registration No	Regn Date	Owner Name	Father Name	Permanent Address		Manufacturer
RJ11EA0273	08-Mar-2018	RAJVEER SINGH	RAMRAS	("MIRJAPURA SADIKPUR","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXXTC02579090	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0274	16-Mar-2018	RAJVEER SINGH	GOPAL SINGH	("CHOUDHARY HOUSE","SANTAR ROAD","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSA02672181	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0277	03-Apr-2018	RAMVISHNU	LALCHAND	("VILL - BEELPUR","TEH - MANIYA","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	RAJ3DXSSP02699308	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0279	01-May-2018	JEETENDRA SINGH	BANBARI SINGH	(LAHAKPUR,BADI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXSSV02699976	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0280	08-May-2018	RAVINDRA KUMAR	MUNNA LAL TIWARI	("GANDHI NAGAR KUMHAR PADA","PURANA SAHAR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXXTE02712767	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0287	18-May-2018	BHARAT	KANCHAN	("7, GAJPURA",BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	HAR3DXSSC01894783	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0290	05-Jun-2018	PAPPU	UMMEDI	("VILL - NAKSODA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXSSC02743943	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0292	15-Jun-2018	SATISH SINGH	SORAN SINGH	("VILL - BOTHPURA","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	HAR3DXXTL02713544	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0320	10-Jul-2018	JAGMOHAN SINGH BAGHEL	THAKUR DAS BAGHEL	("VILL-PHOOLPUR,",MANIYA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	RAJ3DXSSP02744814	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0322	10-Jul-2018	RAMVEER SINGH	NATTHI LAL	("JAROLI PIPHERA","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328023)	RAJ3DXSSK02744667	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0323	17-Jul-2018	M/S SHIVAM CONSTRUCTION COMPANY	NA	("C/O KAILASH CHAND AGARWAL","GOKUL CHANDAN VIHAR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSC02744820	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0326	25-Jul-2018	CHANDRA KANT KATARA	RAJENDRA PRASAD KATARA	("P/A-BAROLI BRAHMAN","DAHINA GAON,BHARATPUR,RAJ.","T/A- BADI ROAD",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXSSV01896221	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0327	31-Jul-2018	JITENDRA SINGH	ASHOK	("VILL - BOTHPURA","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	HAR3DXXTK02714203	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0329	31-Jul-2018	KURBAN KHAN	HASNU KHAN	("NAGALA BHADAURIYA",PACHGAON,"",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	RAJ3DXSSV02745466	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0328	31-Jul-2018	MALUM SINGH	BACHCHU	(NAHARPUR,GOLARI,BASERI,Dhaulpur,Rajasthan,328026)	HAR3DXSSC01845834	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0332	27-Aug-2018	JAGDISH KUMAR	MAHARAJ SINGH	("P/A- 47, GAMADI","BHARATPUR,RAJ.","T/A- HATHIYAPAUR, BADI",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	HAR3DXSSC02588077	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0338	14-Sep-2018	ARJUN SINGH	RAGHUVEER SINGH	("VILL-JAT VASTI NAGALA","BHADORIYA PURAINI","TEH-SAIPAU",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	RAJ3DXSST02746612	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0339	15-Oct-2018	ASHOK	BACHCHU	("74 NAHARPURA","VILL- GOLARI","TEH-BASERI",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	RAJ3DXSSP02747048	JCB INDIA LIMITED

RJ11EA0341	30-Oct-2018	RAMGOPAL	CHANDANA	("24 UMRI",BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	HAR3DXSSA01883471	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0343	01-Nov-2018	PANKAJ KUMAR	PREM SINGH	("VILL- CHOORAKHEDA","TEH-SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328027)	RAJ3DXSSJ02748526	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0342	01-Nov-2018	RAMKESH	MUNNA LAL	("GUJAR COLONY","PURANI CHHAWANI","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSH02747514	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0346	11-Dec-2018	HARIBHAJAN	BABU LAL	("VILL - KAMRAJ KA PURA","TEH. DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	RAJ3DXSSC02772293	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0347	11-Dec-2018	RAJVEER SINGH BAGHELA	OM PRAKASH BAGHELA	("ANAND NAGAR COLONY","SAIPAU ROAD TH. DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSST02772174	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0353	20-Dec-2018	HAKIM	JANAK SINGH	(MAKARA,"KOOKRA MAKRA, LAJJAKIGARHI","",Dhaulpur,Rajasthan,328027)	RAJ3DXSSL02745695	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0352	20-Dec-2018	PINTU	SHIVCHARAN	("P/A- JUGLA PATTI","UCHAIN, BHARATPUR,RAJ.","T/A-KAYASTHPADA",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSL02772010	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0358	08-Jan-2019	HIRDAY KUMAR SHARMA	MANMOHAN	("VILL- ODELA ODI","TEH-DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSC02773694	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0359	14-Jan-2019	PRAMOD KUMAR SHARMA	CHHAKKOLAL	("H NO 61 KUSHWAH BASTI","BAREH MORI","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSP02744666	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0361	24-Jan-2019	MAHADEV PRASAD SHARMA	BRAJMOHAN SHARMA	("VILL- ONDELA","TEH-DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSST02773731	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0369	01-Mar-2019	SARNAM SINGH	HARIVILAS	(LALONI,"GADHI SUKKHA, BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXSSE02774813	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0371	14-Mar-2019	ASHOK KUMAR	S/O RAMNIWAS	("CHAUKI BIRONDHA","BIRODHA, TEH-DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	RAJ3DXSSC02775820	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0373	27-Mar-2019	LOKENDRA SINGH GURJAR	RAJKUMAR	("VILL - LAKHEPURA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXSSE02834539	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0374	10-Apr-2019	LAXMI CONTRACTOR AND SUPPLIERS	NA	("DEVDAS KA PURA","SINGHAWALI KALAN, RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	HAR3DXSSJ02809490	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0375	10-Apr-2019	SHYAMVEER SINGH	RAMKISHAN	("NEAR ITI MACHKUND","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSJ02834581	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0377	16-Apr-2019	SHESH RAM	S/O RAMSWARUP	("KILOL PURA, BASAI DANG","BASAINADANG, TEH-BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328028)	RAJ3DXSSJ02835259	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0379	18-Apr-2019	PRADHAN SINGH	S/O RAM HET	("VILL - SAIMAR KOTA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	HAR3DXSUT02718958	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0381	25-Apr-2019	NARESH	S/O DEEVAN SINGH	(VILL-LAKHEPURA,TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXSSA02835329	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0382	01-May-2019	PRATAP SINGH	BHOORA SINGH	("THAKUR PADA BARI","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXSSK02836152	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0383	10-May-2019	AJIJ	RAJE KHAN	("P/A-WASOLI, OLANDA","KAMAN, BHARATPUR,RAJ.","T/A-MARENA RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSP02836151	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0385	31-May-2019	RAJANI KUMARI	RAJKUMAR	("LILA VIHAR COLONY,GALI NO.3","MIDWAY KE PASS","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXSUT02719379	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0386	04-Jun-2019	LAKHAN SINGH	BETAL SINGH	("VILL - SAUMLI","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSJ02836444	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0387	18-Jun-2019	SONU KUMAR	RAMVEER	("NANDA PURA",KUNKUTA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328027)	RAJ3DXSSE02837070	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0389	03-Jul-2019	S R CONSTRUCTION	NA	("NEAR SINGHA VALI","TEH - RAJAKHEDA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSV02837161	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0390	09-Jul-2019	MANIK CHAND	S/O RAMAVTAR	("GANV SARSA",BIPARPUR,TEH-DHOLPUR,Dhaulpur,Rajasthan,328024)	RAJ3DXSSA02837646	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0391	16-Jul-2019	RAJNARAYAN SHARMA	MANMOHAN	(ONDELA,ODI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXSSC02811394	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0393	17-Jul-2019	NARENDRA SINGH	NATHU SINGH	("NATHU SINGH KA PURA","GUJARRA KALAN KHURD","TEH - BARI",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXSSH02837648	JCB INDIA LIMITED

RJ11EA0392	17-Jul-2019	RAJESH	KAPTAN	("VILL - VIKRAMAPURA","POST - GARHI CHATOLA","TEH - SEPAU",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	RAJ3DXSSJ02837898	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0396	24-Jul-2019	GOKUL SINGH	S/O SHYAM LAL	("VILL - TAGAWALI","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSL02837907	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0399	30-Aug-2019	CHANDRA PRAKASH	S/O RAMNIVAS	("VILL - ONDELA JIRAULI",DHOLPUR,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSJ02838887	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0406	20-Nov-2019	NARENDRA SINGH	S/O SUGHAR SINGH	("DANGAS KA PURA",MARHOLI,TEH-BARI,Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXSSV02880785	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0407	20-Nov-2019	RAJVEER SINGH BAGHELA	S/O OMPRAKASH BAGHELA	("SAIPAU ROAD, ANAND NAGAR COLONY",TEH-DHOLPUR,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSH02880709	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0409	11-Dec-2019	SANT SINGH	VIJAY SINGH	("VILL - NANDPURA TASEEMO TASHIMO","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328027)	RAJ3DXSSL02881678	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0410	20-Dec-2019	MURARI	KANCHAN	(GAJPURA,BADI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXSSH02776334	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0423	02-Jun-2020	SHIVKUMAR	BRIJ MOHAN	("VILL - ONDELA ODI","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSC02938280	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0424	26-Jun-2020	RAMVEER SINGH	RAMBHAROSHI MEENA	("VILL - MODHIYAPURA","TEH - SARMATHPURA","",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	RAJ3DXSSP02939408	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0426	17-Jul-2020	ARD CONSTRUCTIONS	NA	("VILL - SOMLI, POST - RAJAKHERA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSH02939760	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0428	13-Aug-2020	OMIVAR SINGH	BHRAHM LAL	("PURA SHOBHARAM SAUMALI",TEH-RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSA02941330	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0429	19-Aug-2020	VEERENDRA SINGH	BHAVANEE PRASAD	("KACHIYARA BIDAR",RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSJ02941517	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0430	04-Sep-2020	FARENDRA SINGH	KALICHARAN	("WARD NO 2 KHARPURA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSH02942223	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0431	04-Sep-2020	PREM SINGH	DHANI RAM	("GURJAR THOK KHANPURA TAJPUR","TEH - BASERI","",Dhaulpur,Rajasthan,328022)	RAJ3DXSSC02941950	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0433	30-Sep-2020	RAJVEER SINGH	RAMRAS	(MIRJAPUR,SADIKPUR,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXXTV01498346	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0438	23-Oct-2020	DHARMSINGH	RAMUA	("BATIKARA BARAULI","TEH - BASERI","",Dhaulpur,Rajasthan,328031)	RAJ3DXSSC02962482	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0440	29-Oct-2020	AJAB SINGH	BHAGWAN SAHAY	("KASIYAPURA JARARI GHAISUA RUPASPUR","TEH - BADI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXSSE02962215	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0439	29-Oct-2020	LALARAM	VETAL SINGH	("VILL - KACHHIYARA",SIKRODA,"TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXSSA02963151	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0442	09-Dec-2020	LAJJARAM SINGH	BHIKARAM SINGH	("VILL - DADRONI","TEH - SARMATHURA","",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	RAJ3DXSSE02963591	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0446	23-Dec-2020	RAMVAKIL	MOHAR SINGH	("KASIYA PURA",RUPASPUR,"TEH - BARI",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXSSL02964074	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA5510	14-Jan-2021	SHAKSHI INFRATECH	NA	(SHANKARPURA,MAHODPURA,"TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXSSE02964532	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0450	25-Jan-2021	M/S GOPESH SHARMA	NA	("PROP-GOPESH SHARMA",MAHMADPUR,"SAIPAU ROAD",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR3DXSSL02982156	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0451	27-Jan-2021	SARVESH GIRI	OM PRAKASH	("KAMLA COLONY","BARI ROAD","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	HAR2DXSST02520458	JCB INDIA LTD
RJ11EA0453	05-Feb-2021	BHOORA SINGH	MANROOP SINGH	(MAHARPUR,MADASIL,"TEH - BASERI",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	RAJ3DXSSJ02965428	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0455	18-Feb-2021	MANOJ KUMAR	BHAGWATI PRASAD	("RANJITPURA BASAI NABAB","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328023)	RAJ3DXSSV02966565	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0456	18-Feb-2021	RAJASTHAN COMMUNICATIONS	NA	("VILL - NAHCHOLI","TEH - BASERI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXXTT03003704	JCB INDIA LIMITED

RJ11EA0458	03-Mar-2021	OM NARAYAN STONE CRASHER	NA	("DHOLPUR ROAD BARI","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXSSH02967218	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0461	24-Mar-2021	MS BALBIR SINGH CONTRACTOR	NA	(PARSUYAPURA,RAJAKHEDA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	HAR3DXSSA02977876	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0462	25-Mar-2021	DEV KUMAR	KAILASH CHAND	("34 K PAITROL PAMP K PAS",SARMATHURA,"TEH - SARMATHURA",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	RAJ3DXSSV02968378	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0464	31-Mar-2021	BHATTO	SUGARI	("20, ANGAD KA PURA",JANAPURA,BARI,Dhaulpur,Rajasthan,328021)	HAR3DXSSV02528857	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0466	20-Apr-2021	BRIJESH KUMAR	RAMESHVAR	("CHILA CHAUND",BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328031)	HAR3DXSSC01831531	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0470	29-Jun-2021	KAMAL SINGH	POTHI RAM	("HARI SINGH KA PURA","LEELAUTI JHALA","TEH - BASERI",Dhaulpur,Rajasthan,328031)	RAJ3DXSSJ02969043	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0474	15-Jul-2021	LOKENDR BAGHEL	SUJAN SINGH	("KACHHIYARA BIDAR",SIKRODA,"TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXINL03109348	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0475	15-Jul-2021	MANOJ KUMAR	DAUDAYAL	("C-14 MITTAL COLONY RAM ROAD","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXINV03109430	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0473	15-Jul-2021	SHABBIR KHAN	SUBHAN KHAN	("339 NEAR BAGHEL BASTI SAIPAUIU","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328027)	RAJ3DXINP03109311	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0477	15-Sep-2021	GIRAJ BRIK FEELD	NA	("RAM KUMADREV DAS KA PURA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXINK03110315	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0476	15-Sep-2021	HEM SINGH	SUKUARAM	("GADHI JATWAN",ALIGARH,"TEH - BARI",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXINP03110314	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0479	21-Oct-2021	A S BIRKS FILD	NA	("VILL - SIHAVALI KALAN","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXINE03110843	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0481	21-Oct-2021	JAI KARAULI MAA BRICKS FIELD	NA	("VILL - AMBERPUR","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXINT03110845	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0480	21-Oct-2021	MAYA RAM	AMAR SINGH	("WARD NO 1",MADHAIYA,"TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXS4E03115299	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0482	11-Nov-2021	MANOJ KUMAR PATHAK	NA	("1 PACH GAON","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	RAJ3DXS4A03115685	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0483	11-Nov-2021	RAVINDRA BAGHELA	NA	("37 SAIPAU ROAD","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4V03115684	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0486	17-Dec-2021	JEETENDRA SINGH	RANVEER SINGH	("MAKARA KOOKRA","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328027)	RAJ3DXS4C03115885	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0487	17-Dec-2021	PAPPU	KAPTAN SINGH	("SARSA BIPARPUR","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	RAJ3DXS4E03115268	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0490	06-Jan-2022	SUSHIL KUMAR SHARMA	RAMBHAROSHI LAL SHARMA	("SAMONA SAMAUNA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXS4C03116003	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0495	04-Feb-2022	NEKARAM	SEETA RAM	("SUBE KA PURA","BISHNODA VISHODA","TEH - DHOLPUR",Dhaulpur,Rajasthan,328028)	RAJ3DXS4J03123314	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0494	04-Feb-2022	PRAMOD KUMAR	RAM NIWAS	("WARD NO 14 MAHADWAR MOHALLA","NEAR MATA KA MATH","TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXS4H03122252	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0493	04-Feb-2022	RAMESH KANSANA	NA	("KHERE WALA ROAD","KAYASTH PARA PULIYA BARI","TEH - BARI",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXS4J03122972	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0497	17-Feb-2022	RAJ KUMAR TOMER	PREETAM SINGH TOMER	("VILL - CHEELPURA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328029)	RAJ3DXS4H03123594	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0499	08-Mar-2022	HARENDRA GURJAR	OTAR SINGH	("BADDUPURA BIJAULI","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXS4L03123643	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0500	08-Mar-2022	RAJPAL SINGH	HARCHARAN SINGH	("POLICE CHOKI KE SAMNE","WARD 18 RAJAKHERA","TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXINH03226350	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0501	16-Mar-2022	SHYAMVEER SINGH	RAMKISHAN SINGH	("MACHKUND ROAD","NEAR ITI POKHARPURA","TEH - DHOLPUR",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4C03124089	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0504	31-Mar-2022	MALKHAN SINGH	BHOGIRAM	(KHAURI,IBRAHIMPUR,"TEH - BARI",Dhaulpur,Rajasthan,328022)	RAJ3DXINJ03227362	JCB INDIA LIMITED

RJ11EA0514	27-Apr-2022	GAJENDRA SHARMA CONTRACTOR	NA	("LALPUR REHSENA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328029)	RAJ3DXS4V03134512	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0515	27-Apr-2022	SATISH	RAMBABU	("VILL - SANDA","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4V03134543	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0516	06-May-2022	JAI BAJRANG WALI CONSTRUCTION	NA	("SARMATHURA HOUSE OLD POST OFFICE",DHOLPUR,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4T03135071	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0517	06-May-2022	MATHURA DIMOND TOOLS	NA	("BASERI ROAD BARI","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXS4A03135144	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0518	06-May-2022	RAJNARAYAN SHARMA	MANMOHAN	("ONDELA ODI","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXINJ03227653	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0519	28-May-2022	HARICHAND	RAMESHWAR	("57 DHAA MAUHALLA JATOLI","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4E03135388	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0521	02-Jun-2022	DINESH CHAND	UMMED SINGH	("KUSHAWAHA BASTI MAFAL KA PURA","BASAI SAMANTA PANCH GAON","TEH - SAIPAU",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	RAJ3DXS4C03135263	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0523	25-Jun-2022	SONU SINGH	MAHAVEER	("VILL - KAIMARA","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328023)	RAJ3DXS4T03135457	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0524	05-Jul-2022	MANOJ KUMAR PATHAK	NA	("1 PACH GAON","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	RAJ3DXINL03227948	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0526	05-Jul-2022	NVESONS PAPER MILL	NA	("VILL - BIJOLI DHOLPUR BARI ROAD","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4C03135506	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0525	05-Jul-2022	RANJEET SINGH LODHI	NA	("VILL - MARENA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328029)	RAJ3DXINC03228688	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0527	19-Jul-2022	SADHURAM	RAM SINGH	("DHANERA BARAULI","TEH - SARMATHURA","",Dhaulpur,Rajasthan,328031)	RAJ3DXS4P03135640	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0537	22-Jul-2022	KRISHNA CONTRACTOR	NA	("CHOWK BASTI, ONDELA",DHOLPUR,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXINC03228747	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0548	26-Jul-2022	SARAD KUMAR SHARMA	SANTOSH KUMAR SHARMA	("RAJENDRA NAGAR COLONY","BARI ROAD","220 KV GSS KE PASS",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	RAJ3DXS4A03135516	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0550	03-Aug-2022	NATAVAR SINGH	MOHAN SINGH	("MEENA PADA",SIGORAI,TEH-BARI,Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXINC03228831	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0549	03-Aug-2022	NEKARAM	SEETA RAM	("SUBE KA PURA",BISHNODA,TEH-DHOLPUR,Dhaulpur,Rajasthan,328028)	RAJ3DXINA03228872	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0552	17-Aug-2022	TEEKAM SINGH	PREM SINGH	("PURA SHOBHARAMS",SAUMALI,TEH-RAJAKHERA,Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXINA03229049	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0554	31-Aug-2022	MR.JITENDRA KUMAR	VEERENDRA SHARMA	(MARENA,DHOLPUR,"",Dhaulpur,Rajasthan,328029)	HAR3DXINL03050577	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0557	05-Sep-2022	J K ENTERPRISES	N/A	("WARD NO 34 KIRI",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXS4E03135746	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0559	19-Sep-2022	KALUA	MOTI RAM	("MOHARI BARAI",TEH-BASERI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328022)	RAJ3DXS4J03136211	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0560	22-Sep-2022	PITAMBRA ASSOCIATES	NA	("GUMAT BARI",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXS4H03135938	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0561	27-Sep-2022	SATISH KUMAR	RADHESHYAM	("31, CHHETAPURA",TEH-RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	RAJ3DXINT03229396	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0562	04-Oct-2022	KUMAR SEN	KANCHAN SINGH	("VILL - GAJPURA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXINC03229560	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0564	07-Oct-2022	RAKESH KUMAR	RAMESHVAR DAYAL	("VILL- UMREH","TEH- BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXINK03229966	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0565	13-Oct-2022	BHAGWANSWAROOP MEENA	BHEEKAM SINGH MEENA	("VILL - BARAULI","TEH - BASERI","",Dhaulpur,Rajasthan,328031)	RAJ3DXS4A03187406	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0568	17-Oct-2022	DHARMENDRA SINGH	NA	("SAIPAU ROAD BARI","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXX4C03117040	JCB INDIA LIMITED

RJ11EA0567	17-Oct-2022	JITENDRA SINGH CONTRACTOR AND SUPP	NA	("VILL - LAHAKPUR, POST - JAPAWALI","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXINP03230372	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0566	17-Oct-2022	SURAJAPAL	RAMSWARUP	("DHOBI PADA JHIRI",TEH-BASERI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	RAJ3DXINL03230302	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0569	18-Oct-2022	AUTAR SINGH	NIHAL SINGH	("MARHA GOOJAR NORHA",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	RAJ3DXINV03230104	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0570	19-Oct-2022	RAMBRAJ	UMMEDI	("NAKSAUDA NAKSODA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXINV03230426	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0572	31-Oct-2022	JAI MAA RENA WALI CONSTRACTION CO.	NA	("DHANURA ROAD BARI",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	RAJ3DXS4H03187408	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0571	31-Oct-2022	RANJEET SINGH LODHI	NA	(VILL-MARENA,TEH-RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328029)	RAJ3DXINL03230428	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0573	31-Oct-2022	THAKURI LAL	MANGAL SINGH	("GHANSHYAM PURA PIPRON",TEH-BASERI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328022)	RAJ3DXINC03230577	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0574	01-Nov-2022	RAJENDRA MEENA	RAMROOP MEENA	("NAYA GAM GOLARI","TEH - SARMATHURA","",Dhaulpur,Rajasthan,328026)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0576	11-Nov-2022	DEVENDRA SINGH GURJAR	MUNNESH KUMAR	("GOPALPURA, LAKHEPURA",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328041)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0577	11-Nov-2022	MADHO SINGH	NATTHI LAL	("GRAM RAMGADA VIHAR",SIKRODA,TEH-RAJAKHERA,Dhaulpur,Rajasthan,328025)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0578	18-Nov-2022	RAMARAJ SINGH	PAN SINGH	("SIRONA VILL-MADANPURA",TEH-BASERI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328026)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0582	17-Dec-2022	RINKU BRICKS FIELD	NA	("01, VILL-KACHIYARA BIDAR",TEH-RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328025)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0583	20-Dec-2022	HARIOM	YASHAPAL SINGH	("51, DEVDAS KA PURA SINGHAWALI","KALAN SINGHAWALI",TEH-RAJAKHERA,Dhaulpur,Rajasthan,328025)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0585	23-Dec-2022	MAHADEV PRASAD SHARMA	BRIJ MOHAN SHARMA	("ONDELA ODI","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0587	28-Dec-2022	RAMBHARAT	MOHAR SINGH	("KASIYA PURA RUPASPUR","TEH-BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0586	28-Dec-2022	RAMVAKIL	MOHAR SINGH	("KASIYA PURA RUPASPUR",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0588	03-Jan-2023	SONU PARMAR CONTRACTOR	NA	("SAIPAU ROAD",TEH-BARI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328021)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0589	11-Jan-2023	RAJVEER SINGH	BACHCHU SINGH	(BAJJARGARH,"BASAI NAWAB","TEH - SAIPAU",Dhaulpur,Rajasthan,328023)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0590	13-Jan-2023	RAM VEER MEENA	HARI SINGH MEENA	("NAYA GAM GOLARI",TEH-SARMATHURA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328026)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0591	18-Jan-2023	BABALU KUMAR	MAUJI	("MALONI ROAD","BASAI NAWAB","TEH - SAIPAU",Dhaulpur,Rajasthan,328023)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0592	18-Jan-2023	KHATU SHYAM CONTRACTOR	NA	("KHASRA NO 2113 DEV DAS KA PURA","SINGHAWALI KALAN","TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0593	21-Jan-2023	TIWARI CONSTRUCTION COMPANY	NA	("JAGNEAR ROAD BASERI","TEH - BASERI","",Dhaulpur,Rajasthan,328022)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0634	23-Jan-2023	DANGASH CONSTRUCTION	NA	("VPO- BHARLI","TEH - BASERI",DHOLPUR,Dhaulpur,Rajasthan,328022)		JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0636	25-Jan-2023	RAHUL KUMAR SHARMA	VIJAY SHARMA	("GARHI TODABALI",RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328025)		JCB INDIA LIMITED

RJ11EA0637	01-Feb-2023	BHOOPENDRA SINGH	CHETANDAS	("MASJID VALI GALI MANGROL","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0638	03-Feb-2023	JAMIL KHAN	NIJAM KHAN	("PURANA KILA","SHAHANI PADA, TEH-SARMATHURA","",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0639	03-Feb-2023	SUGREEV SHARMA	RAJENDRA PRASAD SHARMA	("NEAR GURUDWARA ROAD","RAM NAGAR COLONY","TEH-DHOLPUR",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0640	08-Feb-2023	SAHAB SINGH	SHRIPATI	("RAJAKHEAR ROAD SIHOLIYA MOHALLA","JATOLI TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0641	11-Feb-2023	SUNEEL KUMAR	RAMVISHNU	("VILL - BEELPUR","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0642	16-Feb-2023	KAPTAN	HUKMA	("VILL - GARHI CHATOLA","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0643	16-Feb-2023	MANVENDRA SINGH	RAJKUMAR	("VILL - LAKHEPURA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0672	15-Mar-2023	MAHESH CHAND	RAMBABU	("BAJJAR GARH BASAI NABAB","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328023)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0674	25-Mar-2023	MURLI BABA ENTERPRISES	NA	("VILL - GADARPURA","POST - SANORA","TEH - BARI",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0676	27-Mar-2023	PRADEEP	HARIGYAN SINGH	("VILL - NAGAR","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0675	27-Mar-2023	VISHNU GURJAR	SARNAM	("VILL - LAKHEPURA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328041)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0680	31-Mar-2023	MADAN SINGH	TEJ SINGH	("NASILPUR, BAREHMORI,",TH.-RAJAKHERA,"",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0679	31-Mar-2023	RAJ KUMAR SINGH JADON	MAHARAJ BAGH	(BARI,"TH. - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0682	31-Mar-2023	RAY SINGH	RAMSWROOP	("KASARIYAPURA, CHANDPURA",TH.-BASERI,"",Dhaulpur,Rajasthan,328026)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0683	08-Apr-2023	RAVINDRA BAGHELA	NA	("ANAND NAGAR COLONY","37 SAIPAU ROAD TEH-DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0684	15-Apr-2023	KAMLESH	UMEDI	("VILL - NAKSAUDA","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0685	21-Apr-2023	AMAN SINGH	RAMPRAKAS	("WARD NO 18 RAJAKHERA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0686	27-Apr-2023	RAJVEER SINGH	GOPAL SINGH	("182 PANCHAYAT SAMITI WARD NO 2","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0688	27-Apr-2023	SATENDRA SINGH	BACHAN SINGH	("WARD NO 1 MADHIYA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0690	08-May-2023	MAYA RAM	AMAR SINGH	("WARD NO 1, MADHAIYA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0691	08-May-2023	RAJENDRA PRASAD MITTAL	NA	("NEAR WATER TANK KHASRA NO 73","BARI ROAD MITTAL COLONY","TEH - DHOLPUR",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0693	12-May-2023	RADHAKRISHNA CONSTRUCTION	NA	("WARD NO 46, HOUSE NO 8","RADHAKRISHNA BHAWAN","TEH - DHOLPUR",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0695	15-May-2023	FARENDRA SINGH	GYAN SINGH	("WARD NO 18","NEAR WATER BOX ROAD RAJAKHERA","TEH - RAJAKHERA",Dhaulpur,Rajasthan,328025)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0697	17-May-2023	CHHATRAPAL	DONGAR SINGH	("KALYANPUR BIPARPUR","TEH-DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328024)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0696	17-May-2023	NAGESH CHAUDHARY	RAJVEER SINGH	("CHAUDHARY HOUSE SANTAR ROAD","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0698	22-May-2023	BABLU	HEM SINGH	("MHORI DHAUR","TEH -	JCB INDIA LIMITED

				BASERI","",Dhaulpur,Rajasthan,328022)	
RJ11EA0699	24-May-2023	HIMANSHI BULBUL CONSTRUCTION	NA	("PAKKA BAGH PLOT NO. 53","KHASRA NO. 11, KRISHNA VIHAR COLONY",TEH-DHOLPUR,Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0700	30-May-2023	SALIG RAM	BHAGWAN LAL	("VILL - SALEMABAD","TEH - BARI","",Dhaulpur,Rajasthan,328021)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0701	31-May-2023	GAJENDRA SHARMA CONTRACTOR	NA	("LALPUR REHSENA","TEH - RAJAKHERA","",Dhaulpur,Rajasthan,328029)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0702	02-Jun-2023	PRATIMA SHARMA	AKHILESH KUMAR SHARMA	("ONDELA ODI","TEH - DHOLPUR","",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0705	12-Jun-2023	PRADEEP SHARMA CONTRACTOR	NA	("CHARAN BHAWAN SAIPAU ROAD","CHANDAN VIHAR COLONY","TEH - DHOLPUR",Dhaulpur,Rajasthan,328001)	JCB INDIA LIMITED
RJ11EA0706	13-Jun-2023	BANE SINGH	SORAN SINGH	("VILL - GARHI CHATOLA","TEH - SAIPAU","",Dhaulpur,Rajasthan,328030)	JCB INDIA LIMITED

11—पशुपालन विभाग धौलपुर

निदेशालय के पत्र क्रमाक एफ.वी.(8)(2)/आ.प्रा./शीतलहर/लू/फा.चा.वि./पार्ट/2021/73 दिनांक 04.06.2025 की अनुपालना में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि एवं जलभराव के आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जारी निर्देशों की पालना में आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ नियत्रंण कक्ष की स्थापना दिनांक 15.06.2025 से अग्रिम आदेशों तक कर दी गई है।

राज्य की बहूमुल्य धरोहर '' पशुधन '' के संरक्षण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा भी पशुधन संरक्षण अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अभाव के प्रतिकूल समय में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोर परिश्रम साथ पशुधन संरक्षण कार्य किया जा रहा है। वातावरण के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि से पशुधन संरक्षण कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है आगामी समय में पड़ने वाली गर्मी एवं आगामी मानसून में पशुधन के खास संरक्षण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है—

1. जिला स्तर पर संचालित धौलपुर जिले के लिए जिला स्तरीय जल भराव की सम्भावना को देखते हुए बाढ़, आपदा प्रबंधन नियत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसके प्रभारी डॉ0 संजय कुमार गोयल एस0वी0ओ0 प्रभारी मोबाईल यूनिट धौलपुर होगें जिनका मो0 न. 9828217233 है। जिसका संचालन 24 घंटे रहेगा जो निम्नप्रकार होगा।

   प्रथम पारी समय 6 ए.एम. से दोपहर 2 पी.एम. तक
   अ, डा0 सन्दीप भार्गव एस.वी.ओ. ब0उ0प0चि0 धौलपुर 7014404977
   ब, श्री राजेश प0ध0स0 ब0उ0प0चि0 धौलपुर
   स, श्री हेपाल प्रजापति पशुधन परिचर 7733956041
   द्वितीय पारी समय 2 पी.एम. से रात्री 10 पी.एम. तक
   अ, डा0 सुशान्त शर्मा वी.ओ. ब0उ0प0चि0 धौलपुर 9413207878
   ब, श्री लोकेश कुमार प0ध0स0 ब0उ0प0चि0 धौलपुर 9887028706
   तृतीय पारी समय 10 पी.एम. से सुबह 6 ए.एम. तक
   अ, श्री शैलेन्द्र कुमार प0ध0स0 ब0उ0प0चि0 धौलपुर

सम्पूर्ण जिले की प्रगति का संचालन तथा उनको दी जाने वाली औषधि/वैक्सीनों की आपूर्ति का कार्य डॉ0 इन्द्र प्रकाश शुक्ला एस.वी.ओ. कार्यालय हाजा सह प्रभारी जिला औषधि भण्डार जिनका मो0 न. 9783558469 द्वारा संपादित किया जायेगा। उपरोक्त कार्य में श्री धीरसिंह प0ध0नि0 भण्डारपाल जिला औषधि भण्डार कार्यालय हाजा आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्येक बुधवार को टीकाकरण की प्रगति को संकलित कर जिससे निदेशालय एवं अतिरिक्त निदेशक प0पा0वि0 भरतपुर को प्रगति भिजवाने का कार्य श्री देवेन्द्र शाक्य प0ध0नि0 जि.मो.यू. धौलपुर द्वारा किया जायेगा।

2. क्षेत्रीय मोबाईल टीमों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। क्षेत्र में सें किसी गांव की सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्रीय मोबाईल टीम तत्पर कार्यवाही हेतु पाबंद किया जाता है। जिले में अधिनस्थ विभागीय नोडल संस्थाओं को यथा धौलपुर ,बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, सैपऊ, राजाखेड़ा के प्रभारी अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी रहेंगे।

1, नोडल क्षेत्र धौलपुर :– डॉ0 अमित गोयल बीवीएचओ मनियां धौलपुर

धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र डॉ0 रामअवतार सिंघल उपनिदेशक ब0उ0प0चि0 धौलपुर

2, नोडल क्षेत्र बाड़ी :– डा0 उमाकांत त्यागी प्रभारी अधिकारी प्र0श्रे0प0चि0 बाड़ी

3, नोडल क्षेत्र बसेड़ी :– डा0 संतोष गौतम प्रभारी अधिकारी प्र0श्रे0प0चि0 बसेड़ी

4, नोडल क्षेत्र सैपऊ :– डा0 मुकेश त्यागी प्रभारी अधिकारी प्र0श्रे0प0चि0 सैपऊ

5, नोडल क्षेत्र सरमथुरा :– डा0 गजेन्द्र शर्मा प्रभारी अधिकारी प्र0श्रे0प0चि0 सरमथुरा

6, नोडल क्षेत्र राजाखेडा :– डा0 आशुतोष जादौन प्रभारी अधिकारी प्र0श्रे0प0चि0 राजाखेड़ा

धौलपुर क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष

अ, डा0 संजय गोयल एस.वी.ओ. जि.मो.यू. धौलपुर 9828217233

ब, श्री देवेन्द्र शाक्य प0ध0नि0 जि.मो.यू. धौलपुर 9785823690

स, श्री नोशेर खां पशुधन परिचर जि.मो.यू. धौलपुर

सैपऊ क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष

अ, डॉ. मुकेश त्यागी प्रभारी प्र0श्रे0प0चि0 सैपऊ 9457816100

ब, श्री रूपसिंह धाकड प0प्र0अ0 प0चि0 सैपऊ 9413920039

स, श्री राजकुमार पशुधन परिचर प0चि0 सैपऊ

बाड़ी क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष

अ, डॉ0 उमाकांत त्यागी प्रभारी प्र0श्रे0प0चि0 बाड़ी 6378956564

ब, श्री यदुवेन्द्र शर्मा प0प्र0अ0 प्रश्रे.प.चि. बाडी 9414655163

द, श्रीमती ब्रजेश गोस्वामी प.ध.स. प्र0श्रे0प0चि0 बाड़ी 9 509244189

स, श्री मुन्नालाल मीणा पशुधन परिचर प.चि. बाड़ी 9252137188

बसेड़ी क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष

अ, डॉ0 संन्तोष गौतम प्र0श्रे0प0चि0 बसेड़ी 7976910926

ब, श्री मानसिंह प0ध0नि0 9166945376

राजाखेडा क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष

अ, डॉ0 आशुतोष जादौन प्रभारी प्र0श्रे0प0चि0 राजाखेड़ा 9414878721

ब, श्री हरेन्द्र कुमार प0ध0नि0 प्र0श्रे0प0चि0 राजाखेड़ा 9694818119

नोट– समस्त नोडल अधिकारियों (बी.वी.एच.ओ.) को निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉक स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष में कमर्चारियों की ड्यूटी 3 पारियों में लगाकर नियंत्रण कक्ष को 24x7 संचालित किया जाये।

क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष प्रभारी आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी अन्य पशुपालन की संस्था अधिकारी/कर्मचारी को कार्य सम्पादन करने हेतु लगायेंगे । जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को अबिलम्ब भिजवायेंगे।

3. किसी भी स्त्रोत से रोग प्रकोप अथवा अग्नि, विषाक्ता इत्यादि से पशु प्रभावित होने की सूचना प्राप्त होते ही नजदीकी संस्था प्रभारी रोग नियत्रंण/राहत कार्य त्वरित गति से आरंभ कर नियंत्रण कक्ष को सूचना देते हुए निम्न हस्ताक्षर कर्ता को भी सूचना देंगे जिनका मो0 नं0 9680758800 है। तथा स्थिति नियंत्रण में कर सम्पूर्ण घटनाक्रम की तथ्यात्मक रिपोर्ट इस कार्यालय को शीघ्रतम भिजवायेंगे।

1. वाहन :– विभाग के पास संयुक्त निदेशक कार्यालय मे केवल एक वाहन है धौलपुर जिले में 01 जिला चल पशु आरोग्य ईकाई मुख्यालय धौलपुर कार्यक्षेत्र तहसील धौलपुर है, जिसके पास में सरकारी वाहन उपलब्ध है, जिसका वाहन संख्या RJ11GF1624 है।
2. जिला चल पशु आरोग्य इकाई प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आपदा की स्थिति में अपने नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर रहें तथा बिना इस कार्यालय की स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़े। अत्यावश्कता कार्यो के लिए अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति निम्न हस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त करने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
4. शिविरों गोष्ठियों के माध्यम से पशुपालकों को जागरूक बनाते हुए ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में पशुधन के स्वास्थ्य संरक्षण के उपायों से उन्हे जानकार बनाया जाये।
5. आगामी समय सम्भावित विभिन्न पशु व्याधियों को बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भण्डारण जिला भण्डार तथा टीको की पर्याप्त भण्डारण प्रभारी जिला रोग निदान प्रयोगशाला धौलपुर में रहेगा जो नोडल केन्द्र अपने स्तर से अपने नोडल क्षेत्र पर ले जाकर पशु चिकित्सा संस्थाओं को अपने स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावेंगे।
6. एन्डेमिक चार्ट के अनुसार आवश्यक टीकारण एवं डीवर्मिंग कार्य समय पूर्व सम्पन्न कराते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं समय पर चिकित्सा सुनिश्चित की जावे। क्षेत्र में आउटब्रेक हो तो इसका उल्लेख मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अवश्य किया जाये।
7. कार्यक्षेत्र में नियमित प्रवास करते हुए विभिन्न पशुरोंगों का सतत् सर्वेक्षण किया जावे। रोग सर्वेक्षण के दौरान एवियन इन्फ्लुएन्जा इक्वाईन इन्फ्लुएन्जा, एफ.एम.डी., शीप पॉक्स पशुमाता इत्यादि के सर्वेक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जावे।

8. पशुओं के लिए चारा,पानी की उपलब्धता, चारा दरों एवं चारे की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जावे। क्षेत्र में संकट की स्थिति हो तो इसे तत्काल जिला कार्यालय के ध्यान में लाया जावे।
9. जिले मे संचालित पशु शिविरों एवम् पंजीकृत गौशालाओं में संधारित पशुधन का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार डीवर्मिंग, टीकाकरण, उपचार इत्यादि कार्य कराया जावे।
10. वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन की धारा 33 के तहत सभी राष्ट्रीय अभयारण्यों की सीमाओं में 10 कि.मी. की दूरी समस्त गांवों के पशुधन को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक टीके समय पर लगावें।
11. आवश्यकता होने पर मृत पशुओं के शवों के निस्तारण में स्थानीय नगर पालिका ग्राम पंचायत को आवश्यक सहयोग लेवें।
12. प्राकृतिक, बाढ़, अतिवृष्टि की स्थिति में संस्था प्रभारी स्वंयसेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे।

12—आयुक्त नगर परिषद/नगरपालिकाऐं जिला धौलपुर।

नगर परिषद एंव नगरपालिकाओं द्वारा मानसून सत्र एंव अतिवृष्टि एंव बाढ की संभावित स्थिति को देखते हुये शहरी क्षेत्रों में साफ—सफाई सम्बधी कार्यवाही की जा रही है:—

क्र0स0	बाढ/अतिवृष्टि से निपटने हेतु कार्यवाही का विवरण
1	शहरी क्षेत्रों में कोलोनियों में सफाई का कार्य
2	शहरी क्षेत्रों में बडे नालों, छोटे नालों एंव नालियों की नियमित सफाई का कार्य
3	नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाना एंव मलबे का चिहिंत स्थानों पर निस्तारण करना
4	बाढ /अतिवृष्टि जैसी स्थिति के लिये 100 कटटे मिटटी तैयार रखना
5	बाढ/जलभराव जैसी आपातकालीन स्थिति के लिये आवश्यक संसाधन जैसे ट्रेक्टर, ट्रोली, टेम्पों ,तसला, फावडे आदि तैयार कर लिये गये हे।
6	शहरी क्षत्रों में निचले एरिया में मिटट्ी डलवाई जा रही है।
7	धौलपुर शहरी क्षेत्र में स्थित छीतरिया ताल के ऑवरफलों पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण किया गया है जिससे कि बरसात के समय ताल के ऑवरफलों पानी से समीस्थ कोलोनियों में जलभराव की समस्या न हो।
8	नगर परिषद क्षेत्र में स्थित नरपुरा तालाब का पानी जो औवर फलों होकर कई कोलोनियों में भर जाता था, उक्त पानी को डाईवर्ट करते हुये नाला खोदकर उर्मिला विहार कौलोनी में रेलवें विभाग द्वारा पुलिया निर्माण कर दिया गया है। जिसकी पानी निकासी सुचारू हो जावेगी ।

13—महिला एंव बाल विकास विभाग धौलपुर

जिले में बाढ/अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने हेतु विभाग की निम्नानुसार तैयारियां है

- बाढ बचाव के लिये तैयारी

  जोखिम मूल्याकंनः—बाढ के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना एवं उनमें रहने वालों महिलाओं एंव बच्चों के लिये विशेष योजना बनाना , जीणशीर्ण आंगनबाडी केन्द्रों की पहचान कर मानसून पूर्व उनकी शिफ्ग्नि करना।

  आपदा प्रबंधन योजनाः—आईसीडीएस कार्यकताओं और आंगनबाडी केन्द्रों के लिये आपदा प्रबधंन योजना तैयार करना

  संचार और जागरूकता :—बाढ के खतरे और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना

- बाढ के दौरान कार्यवाहीः—

  बच्चों और महिलाओं की सुरक्षाः— बाढ के दौरान बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना

  आंगनबाडी केन्द्रों की सुरक्षा :—आगंबनाडी केन्द्रों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना या उन्हें बाढ से बचाने के लिये आवश्यक कदम उठाना

  भोजन और पानी की व्यवस्थाः—बाढ प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और पानी की सम्बधित तहसीलदार एंव विकास अधिकारी से समन्वय करते हुये आईसीडीएस कार्मिकों के माध्यम से भोजन और पानी की व्यवस्था करना।

- **बाढ के बाद पुर्नवासः—**

  स्वास्थ्य और स्वच्छताः—बाढ के बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता की जांच करना और आवश्यक कदम उठाना।

  पोषण और स्वास्थ्य सेवायेंः—बाढ प्रभावित बच्चों एंव महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवांऐ प्रदान करना।

  आगंनबाडी केन्द्रों की पुर्नस्थापनाः—आगंनबाडी केन्द्रों को पुनस्थापित करना और आवश्यक संसाधन प्रदान करना।

- **आईसीडीएस कार्यकताऔं की भूमिका :—**

  जागरूकता फैलाना :—बाढ के खतरे और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना

  बच्चों और महिलाओं की सुरक्षाः—बाढ के दौरान बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

  पोषण और स्वास्थ्य सेंवायेः—बाढ प्रभावित बच्चों एंव महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना।

14–पंचायती राज विभाग धौलपुर।

पंचायत समिति धौलपुर

क्र0स0	ग्राम पचांयत का नाम	उपलब्ध संसाधनों की सूची मय नाम	राजस्व ग्राम/डाणियों के तैराकों की सूची मय मो0न0	हलवाईयों की सूची मय मो0न0	टेंट वालों का नाम मय मो0न0	आवश्यक सामान टोर्च/रस्सी/बांस वल्ली/तरपाल/ सरकारी भवनों एंव उचें स्थानों आदि सुनिश्चित व्यवस्था आदि	50 बजरी कटटे् बाढ/आपदा
1	बसईनीम	हरेन्द्रसिह,ग्राव गंवा मोन–9799572427 गोपाल ग्राम पाटौर– दिनेश कुमार गुर्जर बसईनीम मोन–9414689662 शिवकुमार निसाद कामरे का पुरा मोन–6350306778	कम्पोटरसिह निवासी ग्राम गंवा–9509765911 छोटू निवासी ग्राम पाटोर–9602177819 कृष्णा निवासी पाटौर 8529305176 पिंटू निवासी गंवा लाखन निवासी कामरे का पुरा–7877263747 रोहित कुमार नि0 विधिया–9350300728 राजू निवासी बसईनीम 8763135888 रामू निवासी गंवा	भूरीसिह धौलपुर भोला धौलपुर	सिंटू वघेला कमल सिह धैालपुर	हां	हां
2	मोरोली	**रामकेश –9649183672** **रामनाथ–9588882832** **धम्मासिंह –8003780354** **गब्बरसिंह–9680771742** **रामकेश –9829698066**	अशोक कुमार , मोरोली मो0न0–7424928846 रामकेश ,बडापुरा मोन–7374062560 लोकेन्द्र बरेलपुरा	अमरसिह धौलपुर मोन–9610285236 भोला धौलपुर मो0न0–8058767891	पटवारी टेंट हाउस धौलपुर बजरंग टेंट हाउस धौलपुर	हां	हां

			मो0न0—9799213834 भारत—9352694609				
3	भेंसेना	**अशोक शर्मा भेंसेना मो.न—8233353125 रूस्तम सिंह ,भमरौली मो.न—9351083026 तिलकसिह घेड मोन—9983990929 अर्जुनसिंह ,साहनपुर मो.न.—836153022**	श्रीनिवास ग्राम तिघरा मो0न0—9571152923 रधुराज , भमरौली रूस्तमसिंह ,भमरौली मेा0न—9351083026 पप्पन , घेड मो0न0—9667636525 कालीचरन घेड मो0न—8852884335	भूरीसिह /हेातम मो0न— 9001561690 छोटू/बाबू मो0न—882931540	1—मोहब्बतसिह 2—शेरसिह /मंगलसिह	हां	हां

पंचायत समिति राजाखेडा

पंचायत समिति क्षेत्र राजाखेडा में मानसून 2025 के दौरान जलभराव /बाढ की संभावना को देखते हुये जन—धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु एंव मानसून पूर्व आपदा प्रबधंन /राहत की तैयारी हेतु प्लान निम्नानुसार हैः—

क्र.स.	बाढ संभावित ग्रमों का विवरण	मजरा	आबादी प्रभावित/कृषि भुमि प्रभावित	नाम ग्राम पंचायत	नाम पटवार मंण्डल	प्रभावित ग्राम आबादी/पशु ठहरने का आश्रय स्थल
1	**बसईघीयाराम**	**अधियारी**	आबादी व कृषि भूमि	बसईघीयाराम	बसईधीयाराम	अधियारी एंव बसईधीयाराम के मैन रोड के किनारे स्थान पर ठहराया जाता है।
2	**दगरा**	**बसईघीयाराम**	आबादी व कृषि भूमि	बसईघीयाराम	बसईधीयाराम	उचें स्थानों पर ठहराया जाता है।
3	**गढी जाफर**	**हेतसिंह का पुरा**	आबादी व कृषि भूमि	बसईघीयाराम	बसईधीयाराम	उचें स्थानों पर ठहराया जाता है। माता का मंदिर दगरा
4	**बरसला**	**मजरा खोड**	कृषि एंव मजरा खोड की आबाद	सदापुर	सदापुर	रा0प्रा0वि0बरसला
5	**अण्डवा पुरैनी**	**पक्का पुरा फददी का पुरा करनसिह का पुरा झोरिया**	आबादी व कृषि भूमि	फरासपुरा	अण्डवा पुरैनी	झोरिया के उंचे टीले , अण्डवा पुरैनी चौकी

6	कमरियन का पुरा	—	कृषि भूमि	फरासपुरा	अण्डवा पुरैनी	—
7	चाडियान का पुरा	बीच का पुरा	आबादी व कृषि भूमि	फरासपुरा	अण्डवा पुरैनी	अण्डवा पुरैनी चौकी ,व बीच का पुरा में उंचे स्थानों पर
8	बाहरीपुरा	—	कृषि भूमि	फरासपुरा	अण्डवा पुरैनी	—
9	चीलपुरा	—	आबादी व कृषि भूमि	चीलपुरा	चीलपुरा	चीलपुरा मेंउचें स्थानों पर, माता का मंदिर
10	बक्सपुरा	—	आबादी व कृषि भूमि	चीलपुरा	चीलपुरा	बक्सपुरा में उचें स्थानों पर
11	टीकतपुरा	—	कृषि भूमि	चीलपुरा	चीलपुरा	—
12	गुनपुर	—	आबादी व कृषि भूमि	गुनपुर	चीलपुरा	गुनपुर में उचें स्थानों पर
13	गोपालपुरा	—	कृषि भूमि	चीलपुरा	गुनपुर	—
14	महदपुरा	—	आबादी व कृषि भूमि	महदपुरा	महदपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रा0सी0सै0स्कूल, पेट्रोल पम्प के पास महदपुरा
15	भूडा	—	आबादी व कृषि भूमि	महदपुरा	महदपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रा0सी0सै0स्कूल, पेट्रोल पम्प के पास महदपुरा
16	कठूमरा	करीलपुरा	आबादी व कृषि भूमि	महदपुरा	महदपुरा	राप्रावि कठूमरा
17	शंकरपुरा	—	आबादी व कृषि भूमि	महदपुरा	महदपुरा	शंकरपुरा में उंचे स्थानों पर
18	बरखेडा	—	आबादी प्रभावित नही होती	महदपुरा	महदपुरा	—
19	कठूमरी	—	आबादी प्रभावित नही होती	महदपुरा	कठूमरी	—
20	घुरैयाखेडा	—	कृषि भूमि प्रभावित नही होती	महदपुरा	कठूमरी	—
21	गडराई	—	कृषि भूमि प्रभावित	महदपुरा	कठूमरी	—
22	सिकन्दरपुरा	—	कृषि भूमि प्रभावित	समौना	समौना	—
23	चंगौरा	—	कृषि भूमि प्रभावित	सामौर	सामौर	—

- उपखण्ड क्षेत्र राजाखेडा में कुल 6 ग्राम पंचायत , 23 राजस्व ग्राम, 9 मजरा संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।
- उटंगन नदी में वर्षा ऋतु में पार्वती बांध के गेट जब भी खोले जाते है तब बाढ का पानी उटंगन नदी के किनारे बसे हेतु निम्न गांव को प्रशासन द्वारा बाढ से बचाने हेतु सर्तक कर दिया जाता है

- <u>उटंगन नदी से प्रभावित गांवों का विवरण :–</u>

क्र0स0	पंचायत का नाम	प्रभावित ग्राम
1	गन्हेंदी	गन्हेंदी
2	नागर	नगर
3	हथवारी	हथवारी
4	अनन्दापुरा	अनन्दापुरा
5	सिघांवली कंला	सिघावली कंला, सिघावली खुर्द , किरावली
6	सिकरौदा	सिकरौदा, डोंगरपुर
7	नादौली	नादौली
8	बाजना	बाजना
9	समौना	जरगा
10	सिलावट	सिलावट
11	खुडिला	मिठावली
12	नगरपालिका क्षेत्र राजाखेडा	

<u>बाढ पीडितों को ठहरने के लिये आश्रय स्थल/विश्राम स्थल धर्मशालाओं की सूचीः–</u>

क्र0स0	बाढ से प्रभावित होने वाले संभावित ग्राम	आश्रय स्थल
1	अण्डवा पुरैनी चाडियान का पुरा पक्का पुरा झोरिया करनसिह का पुरा गढी का पुरा बीच का पुरा कमरियन का पुरा	अण्डवा पुरैनी चौकी
2	बक्सपुरा टीकतपुरा गोपालपुरा	मदिंर के उपर चीलपुरा
3	गढी जाफर	राउमावि बसईघीयाराम

	खोड अधियांरी तेजसिह का पुरा दगरा बरसला	
4	महदपुरा भूडा भांकरपुरा करीलपुरा कठूमरा कठूमरी पापरी पुर गढराई घुरैयाखेडा	राउमावि महदपुरा

पंचायत समिति बाडी

क्र. सं.	ग्राम पं. का नाम	उपलब्ध संसाधनों की सूची टैक्टर ट्रोलियों की सूची मय नाम	राजस्व ग्रम / ढाणियों के तैराकों की सूची मय मों. नं. एवं पता	हलवाईयों की सूची मय मों.नं.	टेंण्ट वाले की सूची मय मों.नं.	आवश्यक सामान टॉर्च/रस्सी/वांस/बल्ली/तिरपाल एवं सरकारी भवनों एवं स्थानों आदि सुनिश्चित व्यवस्था आदि	50 बजरी के कटे बाढ/प्रबंधन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरपुरा	धर्मराज/निरंजन 9024379917	योगेन्द्र/रामेश्वर 9119285833	फूला/ल्होरे 9119285833	अर्जून सिंह 6377758328	टॉर्च/रस्सी/वांस/बल्ली/तिरपाल एवं सरकारी भवनों एवं उंचे स्थानों आदि सुनिश्चित व्यवस्था कर ली गई हैं।	50 बजरी के कटे बाढ/प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिये पांबद कर दिया
		जीतेन्द्र/रामवरन 8078631795	रामवरन/सीताराम 7340125104	मुकरा/सुल्तान 9106087094			
		वंटी 6375346613	अशोक/रामवरन 9680565835				
			बकील/मंगल 8619271585				
			देशराज/निरंजन 9571859655				
2	कस्बानगर	जसपाल	रामलखन 9950396616	खिजकु 9680408390	राजू 6376607848		
		सत्यवीर	जयपाल 7073602136	मुकेश 6353134571			
		राजेन्द्र	रामराज 9414775509	सुरेश 6378420538			
			रामवीर 8875571208				

			सीताराम 9166985571				गया है।
			देवेन्द्र सिंह 9588032276				
3	सेवरपाली	02 कमलसिंह / दशरथ	शिवसिंह 7385166980	माधौ 9589148640			
			मुंशी 8619358704	अशोक 8949880255			
			भरतसिंह 6266526375				
			राजवीर 9352665476				
			जितेन्द्र 7879574043				

पंचायत समिति बसेडी

1. बाढ से प्राभावित क्षेत्रों एवं निचले इलाको में निवास कर रहें लोगो को वर्षात आने से पूर्व ही ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से सचेत कर दिया गया है।
2. निचले क्षेत्रों की तरफ जाने वाले रास्तो पर चेतावनी बोर्ड लगा दिये गये हैं एवं कुछ रास्तों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया हैं।
3. कुछ स्थानों पर मिट्टी / बजरी के कट्टे भरवाकर रख दिये गये हैं।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर टॉर्च,रस्सी, ऐयर ट्यूब एवं प्लास्टिक की खाली बोतलों का प्रबंध करा बदया गया हैं ।
5. पंचायत समिति क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख तैराकों को चिन्हित कर उनके मोबाइल नम्बर दर्ज कर लिये गये है।
6. राशन डीलरो से खाधान का स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
7. ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर जेसीबी / ट्रेक्टर इत्यादि मशीनरी आवश्यकतानुसार उपलब्ध रखते हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
8. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन हेतु प्रशानिक अधिकारियों के मों. नं. अकिंत करवा दिये गये है।

पंचायत समिति सैपऊ

पंचायत समिति क्षेत्र सैपऊ में मानसून 2025 के दौरान जलभराव /बाढ की संभावना को देखते हुये जन–धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु एंव मानसून पूर्व आपदा प्रबधंन /राहत की तैयारी हेतु प्लान निम्नानुसार हैः–

क0स0	ग्राम पचायत का नाम	उपलब्ध संसाधनो की सूची टैक्टर टौलियों की सूची मय नाम	राजस्व गॉव /ढाणियों के तैराकों की सूची मय मो0 एवं पता	हलवाईयो सूची मय मो0	टैन्ट वाले की मय मों0 मय पता	आवश्यक समान टार्च/रसी/वास /वल्ली तरपाल/एवं सरकारी भवनों एवं उच्चे स्थानो आदि सुनिशिचित व्यवस्था आदि	50बजरी के कट्टे भर कर तैयार करने हेतु पाबंद कर दिया गया है।
1	भदियाना	1. कुमरसेन/चिरमौली मो. 6350524836 2. योगेश/बनवारी मो. 8949681914 3. ऐदल सिंह/निहाल सिंह मो. 8905742744	1. श्री कृष्ण/रूप सिंह मों.6375428397 2. सुखवीर/चरन सिंह मों. 9982670192 3. बनवारी/कल्लन सिंह मों. 9051262590	1. भूरा/प्रताप सिंह मों. 9690358360 2. ओमप्रकाश/प्रताप सिंह मों. 9690358360	1. जयप्रकाश/भगवान सिंह मों. 9982157655	1. भारत निर्माण राजीव गांधी अटल सेवा केन्द्र भदियाना 2. पटवार भवन खरगपुर	हां
2	सखवारा	1. केशवदेव मों 7737617746 2. मनीष शर्मा मों.7014711152 3. कृष्णकान्त शर्मा मों 7850018608 4. शिवशंकर बैसला मों. 9001167664	1. जगदीश मों 9352561640 2. वीरी मों. 8529542075 3. कमल सिंह मों 9887862360 4. निरोत्तम मों 8503902054	1. मकेश रावत मों 8058684785 2. रामदत्त मों 8058455869	1. बबलु कुशवाह मों 9660981547	सामान (समाप्त) की उपलब्धता कर ली गयी है।	हां
3	मालोनी खुर्द	1. रामप्रसाद मों 8306587294 2. रामलखन मों. 9928100531	1. श्री राम मों 7665580964 2. मुन्नालाल मों 7877610744	1. रामअवतार मों 7892859218 2. रामदीन कुशवाह	1. श्री भगवान कुशवाह मों 9660714820 2. भगवान सिंह	हां	हां

		3. सुक्खन मों 6376247308 4. लक्ष्मीधर मों 9414709772	3. सुन्दरलाल मों 8000381635 4. रमाकान्त 9371881918	मों 9694739371	त्यागी मों 9509569104		
4	चौराखेडा	1. अशोक/गोंपी परमार मों 9413414663 2. रघुवीर/रामनारायण मों 9694862604 3. सुरेन्द्र/ रोशन सिंह मों 8128241913 4. भूरा/जगन्नाथ मों 8596457586	1. ओमप्रकाश/रामसिंह मों 8949488991 2. रामकिशोंर/भोलाराम मों 9799990507	1. चरन सिंह /हरिविलास मों 9694789605 2. दलवीर/भीकाराम मों 7733062683 3. रामदास/छुटटन मों	1. सजंय/सुन्दर मों 8504070203 2. टीकम/दलेल सिंह मों 9887877182 3. रामवीर/बाबूसिंह मों 9983356414 4. सुनील/बहादुर मों 9571778736	हां	हां
5	गढी चटोला	1. हरिकिशन/फैलीराम मों 9588828921 2. गुरदयाल/बनवारी मों 7340083874	मनोज/फूल सिंह मों 8741971218 2. विभीषण/कोपसिंह मों 9785314568	1. सुरेन्द्र/गोरेलाल मों 9785361566	दिनेश/भगवान सिंह मों 7891264975	हां	हां
6	सहरौली	1. रामेश्वर/चिरौंजी मों 9783387528 2. रामेश्वर/रामभरोसी मों 9783874732	1. नेकराम/खूबीराम मों 9664245320 2. मोंहन/चन्दन मों 9284316407 पप्पन/रामखिलाडी मों 6376605087	1. लालसिंह/अजेंट सिंह मों 9511005799 वृन्दावन/सुखा 8306770246	1. कुमरसेन मों 8769077962 2. हरिकिशन मों 9982853639	हां	हां
7	निधेरा कला	1. ध्रुव सिंह/नेकराम मों 9783217618 2. हरेन्द्र/श्री किरारीलाल मों 9079187950	1. केशव/प्रताप सिंह मों 8000436672 2. राहुल/प्रताप सिंह मों 9079472971	1. चन्दन सिंह /दुर्गाप्रसाद मों 900185759	1. संजय/चन्दन सिंह मों 900185759	हां	हां
8	तसीमों	1. दिनेश कुमार /रामसहाय मों 9983109743	1. राकेश/कमल सिंह मों 9785498122 2. मुकेश/कमल सिंह मों 8058629502	1. जीतू/हेतसिह मों 8440907003 2. रनसिंह/गोपाल सिह मों 9694564609	फौजी टेन्ट हाऊस	हां	हां

9	नुनहेरा	1. आशाराम/सुल्तान मों 9694483433 2. अशोंक/बुददीराम	1. मुन्नी/नत्थी मों 9636744025 2. पप्पू/भूरीसिंह मों 9694183731	1. शशीकपूर/वीरीसिंह मों 9887937222 2. ग्यानी/दिवाईचन्द मों 9391379483	1. काशीराम/मानसिंह मों 8301167830 2. शिवम्/भगवती मों 8426004543	हां	हां
10	टहरी	1. नादरिया/किलोल मों 9636511818 2. रघुराम/बाबू मों 6367554989 3. नेमीचन्द/लक्ष्मण मों 8769609165 4. रामदास/चोबसिंह मों 8740970409	1. दीपचन्द/हरिसिह मों 6375410458 2. प्रदीप/शिवदत्त मों 8739854028 3. बृजमोंहन/जीतेन्द्र सिंह मों 7500304789	1. मोहन सिह/लाधाराम मों 7891722109	1. राकेश/मोहन सिंह मों 7877502424 2. रामदत्त/निहाल सिह मों 9352364765	हां	हां
11	हाजीपुर	1. राधेश्याम/प्रताप सिंह मों 9001594692 2. वेदप्रकाश/इकबाल सिंह मों 6350403384	1. जगन्नाथ/भगवान सिहं मों 9116720882 2. पांचिया/बाबूराम मों 9772825948	1. होतम/जगराम मों 9784295936	1. मेघसिंह मों 9982994363	हां	हां
12	कोलुआ	1. धनसिंह/रूप सिंह मों 9929968314 2. जगदीश/धनिया मों 9785743404	1. फेरन सिंह/छिददुराम मों 7426944027 2. सन्तोष/छिददुराम मों 9694990163	1. सतीशचन्द/रामकिशन मों 9887188796 2. हरिओम/गंगासिंह मों 7733968343	1. मिठठन/तेजा मों 8440814701	1. भारत निर्माण राजीव गांधी अटल सेवा केन्द्र कोलुआ	हां
13	मढा कांकोली	1. बबलू मों 9887349203	1. रवि कुशवाह मों 8769216813 2. भीम दिवाकर 3. जीतेन्द्र दिवाकर मों 8728404748 4. अर्जुन दिवाकर	1. सोवरन कुशवाह मों 9636172700 2. गोविन्दा बेरिया मों 9662784247	1. मुन्ना मों 8690289893	हां	हां

पंचायत समिति सरमथुरा

क्र0स0	ग्राम पचांयत का नाम	उपलब्ध संसाधनों की सूची मय नाम	राजस्व ग्राम / डाणियों के तैराकों की सूची मय मो0न0	हलवाईयों की सूची मय मो0न0	टेंट वालों का नाम मय मो0न0	आवश्यक सामान टोर्च / रस्सी / बांस वल्ली / तरपाल / सरकारी भवनों एंव उचें स्थानों आदि सुनिश्चित व्यवस्था आदि	50 बजरी कटटे् बाढ / आपदा
1	झिरी	**रामदीन झिरी–7976574283 कल्ला झिरी –6377986973 निर्मल झिरी–7733919477 सौकत खां झिरी–9555811538 पुष्पेन्द्र झिरी–706761569**	राहुल –9802263631 हरिओम–8000239837 विष्णु–8168339324 राधेश्याम–9111117446 राजू–735489166	राजपालसिह 9782825234	दिनेश झिरी 9588812901 बहादुर भम्पुरा 9636283671	हां	हां
2	मदनपुर	**रमाकांत मदनपुर–8560857676 सिंहराज धोरीमाटी–9111778491 कल्ला गुराईंच–6363571833 ओमवीर गोपाल –9893126966**	ओमपालसिह – 9111778491 रामशर्मा मदनपुर–82098411428 पपूमल्लाह–8504066180 अजबसिंह–7552022026 शिवसिंह –6376623567 महेश –800731461 रामवीर –7881092234	बंटी हलवाई सरमथुरा मो0न0–8769529298	मंगलसिह सरमथुरा मो0न0–6376815424	हां	हां

15–राजस्व विभाग धौलपुर

तहसील धौलपुर

चम्बल नदी किनारे स्थित ग्राम एंव शरणस्थली की सूची एंव गोताखोरो की सूची ।

क्रम सं.	नाम तहसील	नदी का नाम	प्रभावित गांव का नाम	शरण स्थल का नाम
1	धौलपुर	चम्बल	बसईनीव	रापंचतायत भवन/.वि .मा .उ . वसईनीववरपुरा .वि .प्रा.रा/
.2	धौलपुर	चम्बल	मालीपुरा	राशेखूपुर .वि .प्रा.
3	धौलपुर	चम्बल	बडापुरा	रावि बडापुरा .मा .
4	धौलपुर	चम्बल	कामरे कापुरा	राकामरे कापुरा .वि .प्रा.उ.
5	धौलपुर	चम्बल	घेड	राघेड .वि .प्रा.
6	धौलपुर	चम्बल	हथियाखार	रावि घेड .प्रा.
7	धौलपुर	चम्बल	भमरौली	रावि भमरौली .प्रा.
8	धौलपुर	चम्बल	तिघरा	रावि तिघरा .प्रा.उ.
9	धौलपुर	चम्बल	सहानपुर	रावि साहनपुर .प्रा.उ.
10	धौलपुर	चम्बल	गरवापुरा	रागरवापुरा .वि .प्रा..
11	धौलपुर	चम्बल	बीछिया	रावि बीछिया .प्रा.उ.
12	धौलपुर	चम्बल	गवां	रा .प्रा..विगवा .
13	धौलपुर	चम्बल	बरैलापुरा	रावि बरैलापुरा .प्रा.उ.

गोताखोरो की सूची

क्रम सं.	गोताखोरो का नाम मय पिता	निवासी	दूरभाष नम्बर
1.	कन्होया पुत्र नेकराम निषाद	राजघाट धौलपुर	सीओ कोतवाली 220626
2	रामचरन पुत्र रामबाबू निषाद	राजघाट धौलपुर	सीओ कोतवाली 220626
3.	सिकन्दर पुत्र रामबाबू निषाद	राजघाट धौलपुर	सीओ कोतवाली 220626
4.	श्यामबाबू पुत्र कोकसिंह निषाद	राजघाट धौलपुर	मो. 6367555567
5	विनोद पुत्र रामबाबू निषाद	राजघाट धौलपुर	सीओ कोतवाली 220626
6	श्रीनिवास पुत्र महेन्द्र	तिघरा	मो. 8949749307
7	रघुराज पुत्र शंकरसिंह	भमरौली	7725939983
8	रुस्तम पुत्र भवूती	भमरौली	9351083026
9	कालीचरन पुत्र रामस्वरुप	साहनपुर	9587914053
10	धारासिंह पुत्र कप्तान सिंह	साहनपुर	7568543058
11	पप्पन पुत्र हेमसिंह	घेड	967636525
12	कालीचरन पुत्र हरीसिंह	घेड	8852888335
13	हरेन्द्र पुत्र भरतसिंह	गवां	9799957427
14	सन्जू/ परषोत्तम	गवां	9571253392
15	कम्पोटर /रामस्वरुप	गवां	9509765911

16	रामतार/ परषोत्तम	गवां	9680830518
17	मोहन पुत्र डोगरिया	राजघाट	9660709049
18	राजकुमार पुत्र उम्मेदा	राजघाट	9660709049

टैन्ट वालो की सूची

क्रम सं.	नाम मय पिता	निवासी	मो.
1.	पिन्टू वघेल		9566718394
2.	कमल टैन्ट हाऊस धौलपुर		6067202378
3	सिंघल टैन्ट हाऊस धौलपुर	महाराना स्कूल के सामने	9414026833

हलवाई की सूची

क्रम सं.	नाम हलवाई	निवासी	मो.
1.	भूरीसिंह	धौलपुर	9950464662
2	भोला	धौलपुर	8058767891
3	भूरीसिंह पु6 होतमसिंह	तिघरा	9001561690
4	राकेश कांटे हलवाई	धौलपुर	7375939661 9799442077

तहसील मनिंया

क्र.सं.	संभावित क्षेत्र	आश्रय स्थल का नाम
1	कोटपुरा	अटल सेवा केन्द्र कोटपुरा
2	सरीधियापुरा	अटल सेवा केन्द्र कोटपुरा
3	झाडे का पुरा	रा.प्रा.वि. झाडेकापुरा
4	टांडा	रा.मा.वि. टांडा
5	दुरगपुरा	अटल सेवा केन्द्र टांडा
6	महूरी	रा.प्रा.वि. महूरी
7	रांडोली	रा.प्रा.वि. महूरी
8	सरसा मजरा कल्याणपुर	रा.उ.मा.वि. बिपरपुर
9	रूपाकापुरा (कुसेडा)	अटल सेवा केन्द्र जसूपुरा
10	खूवीपुरा	अटल सेवा केन्द्र गढीजवाहर
11	विन्तीपुरा	अटल सेवा केन्द्र गढीजवाहर
12	गढायच	अटल सेवा केन्द्र गढीजवाहर
13	वजहेरा	रा.उ.मा.वि. बजहेरा,एस.एन.कॉलेज बडागांव
14	वोथपुरा	अटल सेवा केन्द्र वोथपुरा
15	जसूपुरा (धौवी बस्ती)	अटल सेवा केन्द्र जसूपुरा

तहसील बसईनबाब

1—तहसील स्तर पर 15 जून 2025 से निरतंर 24 घण्टें बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है।

2—बाढ संभावित राजस्व ग्राम एंव आश्रय स्थलों का विवरण :—

क्र0स0	बाढ संभावित ग्रामों का विवरण	आश्रय स्थलों का विवरण
1	मालोंनी पंवार	रा.उ.मा.वि. मालोनी पंवार
2	खरगपुर	रा.उ.मा.वि. खरगपुर
3	बसईनबाब	रा.उ.मा.वि. बसईनबाब
4	जागीरपुरा कंला	रा.उ.मा.वि. जागीरपुरा कंला
5	जारोली	रा.उ.मा.वि. जारोली
6	कुरेंधा	रा.उ.मा.वि. कुरेंधा
7	नगला खरगपुर	रा.उ.मा.वि. नगला खरगपुर

3—हलवाई एंव टेंट मालिकों की सूची

क्र0स0	ग्राम का नाम	टेंट मालिक एंव हलवाई का नाम मय पता	टेंट मालिक / हलवाई	मो0न0
1	बसईनबाब	श्री योगेश त्यागी निवासी बसईनबाब ,	टेंट मालिक	9983314104
2	बदरिका	श्री जयप्रकाश लोधा निवासी नगला खरगपुर	टेंट मालिक	9982157655
3	बसईनबाब	श्री बिशम्बर दयाल बघेल निवासी बसईनबाब	हलवाई	9829476836
4	बसईनबाब	श्री मुलायम सिंह कुशवाह निवासी जागीरपुरा,	हलवाई	7665083347

तहसील राजाखेडाः—

क्र. स.	बाढ प्रभावित ग्राम का नाम	हलवाई	टेन्ट	आश्रय स्थल	नाविक	गोताखोर
1	**बसईघीयाराम**	1.**मिथुन राठौर बसईकविलाल** (9672315544) 2.**धीरज राजपूत बसईकविलाल** (9662110618) 3.**रामब्रज राठौर बसईकविलाल** (8619111914)	**राजाखेड़ा**	**बसईघीयाराम - गढ़ी जाफर रोड के सहारे ऊँचे स्थान पर टेन्ट लगाकर**	**रामबरन पुत्र फतेसिंह मल्लाह (निषाद) बसईघीयाराम** (9024630507)	1.**बनिया पुत्र बारेलाल मल्लाह (निषाद) बसईघीयाराम** (9649433157) 2.**रामसुजान मल्लाह बसईघीयाराम** (6377019649)
2	**हेतसिंह का पुरा मजरा गढ़ी जाफर**		**राजाखेड़ा**	**आबादी क्षेत्र के ऊँचे स्थान पर चामड माता मंदिर**		1.**आशाराम जाटव गढ़ी जाफर** (8824172548) 2.**रामवतार जाटव गढ़ी जाफर** (6352437126) 3.**संतोष ठाकुर** (9131489270) **वीरेंद्र ठाकुर** (7426063056)

3	दगरा	1.जगराम मल्लाह दगरा (7023775597) 2.रामलाल मल्लाह दगरा (9509086567)	राजाखेड़ा	चामड माता मंदिर		
4	खोड मजरा बरसला	रामलाल हलवाई निवासी दगरा (7023875727)	माधोपुर टेन्ट हाउस, नरेश ठाकुर 7374076967	1.राज. प्राथमिक विद्यालय बरसला (श्री कल्याण सिंह 7976129525) 2.मंदिर श्री भुमिया बाबा बरसला	1.जसराम निषाद निवासी बरसला (8449844061) 2.जयनारायन निषाद निवासी बरसला (9266465819)	1.जसराम निषाद निवासी बरसला (8449844061) 2.जयनारायन निषाद निवासी बरसला (9266465819) 3.बिघाराम निषाद निवासी बरसला (9024976874) 4.बहादुर परिहार निवासी बरसला (7073800410)
5	चीलपुरा , बकसपुरा , टीकैतपुरा	1.रवि जैन हलवाई धौलपुर 2.दाताराम हलवाई धौलपुर	1.बुद्धा टेन्ट हाउस गुनपुर 2.मालिया टेन्ट हाउस मरेना	1.रा. उ. मा. विद्यालय टीकेतपुर 2.जगदम्बा माता मंदिर के पास ऊँचे स्थान पर	रामनाथ पुत्र वेदरिया महदपुरा 9057431395	तैराक - 1.नारायन पुत्र इन्द्रसिंह चीलपुरा 7891611298 2.रिंकु पुत्र ओमप्रकाश चीलपुरा 9672962806 3.लम्खो पुत्र जवाहरसिंह बकसपुरा 6377499832 4.धर्मवीर पुत्र कल्यानसिंह बकसपुरा 9928527131 5.राजू पुत्र कल्यानसिंह बकसपुरा 8875880194
6	महदपुरा , भूडा, शंकरपुरा	1.रमना पुत्र शिविया 9166081471 2.मुकेश पुत्र मोहरसिंह 7466887250 3.घूरेलाल पुत्र शंकर 7976785676	1.हरिओम पुत्र वेदीराम कठुमरा 9680080499 2.कन्हैयालाल पुत्र पप्पूलालकठुमरी 8302840151	पेट्रोल पंप के पास महदपुरा	1.करीमा पुत्र रामसिंह भूडा 8824948616 2.घूरे पुत्र शंकर 7976785676 3.जुल्फी पुत्र वेदरिया 8769015246	तैराक - 1.ब्रहमचारी 9257178515 2.रमना पुत्र शिविया भूडा 9166081471 3.सतेन्द्र पुत्र श्यामसुन्दर भूडा 9509958714 4.सोनपाल पुत्र लालसिंह भूडा 8739958041 5.श्रीनिवास पुत्र रामस्वरुप 8128972603
7	अण्डवापुरैनी - चाडियन का पुरा ,बीच का पुरा , बेहद का पुरा , गढ़ीकापूरा,झोरिया, हरफूल का अड्डा माजरा कमरियनकापुरा	राजकुमार नि. पक्कापुरा 8302422144	भूरी सिंह नि. झोरिया 8696778991	1.पुलिस चोकी के पास रोड पर 2.सियाराम बाल विद्या मंदिर (कमरियन का पुरा)		

तहसील बसेडीः–

क्र0स0	बाढ संभावित ग्रामों के नाम	पटवार मंण्डल का नाम	पटवारी का नाम	मो.न.
1	बनौरा, कांकोर ,अर्जुनपुरा, खरगपुरा	खरगपुरा	श्री मोहरसिह	9057233504
2	मंशा का पुरा ,नयापुरा, नवालू पुरा, रामफल का पुरा, सलेमपुर	सलेमपुर	श्री गजेन्द्रकुमार जागा	9636228241
3	बरई, भगरीपुरा, मोहारी, धर्मपुरा	बरई	श्री दीपक कुमार	8740980267
4	जटपुरा, अगंदपुरा, भागीतपुरा, भवानपुरा,	दौपुरा	श्रीमती संतोष मीना	9571146434
5	ममोदन , कल्लूपुरा, भगवानसिंह कापुरा, चोरपुरा	ममोधन	श्री रामअवतार शर्मा	9783874496
6	नगला भुम्मा , मिर्जापुर, रतनपुर, जागीरबोरेली,	रतनपुर	श्री भुवनेश जागा	7500632902
7	दीनपुर, नगला मह्, मह् गुलावली	मह् गुलावली	श्री बृजेश परमार	9649696487
8	भोले का पुरा, नोनेरा, पृथ्वीसिंह	कुनकुटा	श्री जीतेन्द्रसिंह	9461747454

आश्रय स्थलों का विवरण :–

क्र0स0	तहसील का नाम	आश्रय स्थल का नाम	क्षमता
1	बसेडी	रा0उ0मा0विद्यालय रतनपुर	75
2	बसेडी	रा0उ0मा0विद्यालय सलेमपुर	50
3	बसेडी	रा0उ0मा0विद्यालय बरई	50
4	बसेडी	रा0उ0मा0विद्यालय बनौरा	100
5	बसेडी	रैन बसैरा नगरपालिका बसेडी	20

तहसील बाडी

पूर्व तैयारियां / बाढ़-आपदा प्लान एवं उपलब्ध संसाधनों की सूची-

तहसील कार्यालय में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।

2.तहसील बाडी में निम्नाकिंत गांब चम्बल नदी के किनारे बसे हैं चम्बल नदी में अधिक पानी आने पर प्रभावित हो सकते हो सकते हैं -

क्र.सं.	नाम ग्राम	ग्राम पं.	पटवारी	स्थानीय तैराकों की सूची	हलवाई/ टेंट	आश्रय स्थल
1.	कस्वा नगर (चिलीपुरा, मुरहन का पुरा, ज्वारे कापुरा) जनसंख्या 1200	कस्वा नगर	श्री रूबिन कुमार 9602870598	राजवीर 8769550113 सिरोजन 8769550112 नबाब 9660776416 महेन्द्रसिंह 9660208424 रामगोपाल 9660209126 जनकसिंह 9950803821 राजबहादुर 9602264310	थानसिंह/ नंदकिशोर 8003736881	रा.उ.प्रा.वि. जोगियापुरा
2.	रजई खुर्द जनसंख्या 960	,,	श्री हरिओम 7742423422, 8112239495	श्रीनिवास 9116637563 रामरस 9660521460 जसराम(कल्लू) 9982311574 रामनिवास 9660292362 कम्पोटर 6375717867	थानसिंह/ नंदकिशोर 8003736881	रा.उ.प्रा.वि. जोगियापुरा
3.	करुआ जनसंख्या 475	बरपुरा	श्री रामनिवास भादू 70280435527	रामवीर 8107187862 गजेन्द्र 6350698218 रामराज 7691808476 श्रीनिवास 9680856595 रामकिशन 8239784061 अशोक 9680565835	-	बाबू महाराज की घटिया के नीचे (टेंट लग सकते हैं)
4.	बरपुरा जनसंख्या 590	बरपुरा	श्री सतीश कुमार 9588807948	दलीप 8852096954 राजेश 9784689842 शैलेन्द्र 9358140228 अजीत 7976580235 भागीरथ 8000638122	-	ग्राम बरपुरा में
5.	शाहपुर	बरपुरा	श्री सतीश कुमार 9588807948	ध्रुव7722860683 हरीसिंह 7849806354 विशाल 6263618961 बन्टी 9302590828 धर्मवीर 9301970589	-	जखरई अड्डा
6.	गुढामुतावली जनसंख्या 470	,,	श्री सतीश कुमार 9588807948	उदयभान 9079037053 राजू 9024467885 सेवक 8889105494 दीपाल 9024169168 सुरेन्द्र 8889105494	-	पंचम का अड्डा
7.	धनावली जनसंख्या 215	,,	श्री अरुणसिंह 7014762630	महेशचन्द 7226857320 राजवीर गुर्जर 9982321238 सुरेश गोस्वामी 9928773033 योगेन्द्र गुर्जर 9119285833	राममुकुट 9106087094	रा.उ.मा.वि. बसईडांग
8.	गंगोली जनसंख्या 580	,,	श्री अरुणसिंह 7014762630	महेशचन्द 7226857320 राजवीर गुर्जर 9982321238 सुरेश गोस्वामी 9928773033 योगेन्द्र गुर्जर 9119285833	राममुकुट 9106087094	रा.उ.मा.वि. बसईडांग
9.	सेवरपाली जनसंख्या 1394	सेवरपाली	श्री हरवेन्द्र सिंह गुर्जर	धर्मेन्द्रसिंह 6377828522 रिंकूसिंह 9131000901	शिवराज/ उचित्ता 8120713152	रा.उ.मा.वि. सेवरपाली

			9521268205	सुखवीरसिंह 6265115641 जितेन्द्रसिंह 9116494411 भानुसिंह 9352781492 रानूसिंह 9352059307	विजयराज/चन्दन 6266756704	
10	पाली जनसंख्या 915	,,	श्री हरवेन्द्र सिंह गुर्जर 9521268205	महेश/शिवलाल 7023287655 आशाराम/जीवन 7692056656 नरेश/चिरोंजी 8120713152 चरनसिंह/शिवलाल 8120713152 रामसिंह/बाबूलाल 7692056656 बेदीराम/दौजी 9977892023	शिवराज/ उचित्वा 8120713152 विजयराज/चन्दन 6266756704	रा.उ.मा.वि. सेवरपाली
11	खरैरपुरा	,,	श्री हरवेन्द्र सिंह गुर्जर 9521268205	सियाराम/मुल्ला 7693075497 विजयराज/चन्दन 6266756704 अजयसिंह/रामसिंह 7891475115 मौहरसिंह/बुद्धा 8889535922 देशराज/ बीरवल 6266756704	शिवराज/ उचित्वा 8120713152 विजयराज/चन्दन 6266756704	रा.उ.मा.वि. सेवरपाली

तहसील सैपऊ

तहसील सैपऊ बाढसूचना शून्य है एंव कोई भी नाव उपलब्ध नही है एंव अतिवृष्टि के मध्येनजर गोताखोरो की/ अतिवृष्टि होने पर जल भराव होने की स्थिति मे आश्रय स्थलो की सूची निम्नानुसार है।/बाढ

क्र.सं.	संभावित प्रभावित क्षेत्र	आश्रय स्थल का नाम
1	मढा	रामढा.वि.मा.उच्च.
2	हाजीपुर(हंसपुरा)	राशाला हंसपुरा.प्रा.
3	आरी(मढैया)	राआरी.वि.प्रा.उ.
4	सैपऊ(तथा निचली बस्ती,महादेव)	तहसील भवन व रामहादेव मन्दिर.वि.प्रा.
5	तसीमो(ढाय)	रातसीमो.वि.मा.उच्च.
6	मानपुर	राराजीव गांधी सेवा केन्द्र मानपुर,मानपुर.वि.मा.उच्च.
7	कुम्हेरी(जाटव बस्ती)	राकुम्हेरी.वि.मा.उ.
8	मालोनीखुर्द	रामालोनीखुर्द.वि.मा.उच्च.
9	अजयपुरा	राअजयपुरा व पंछीपुरा.वि.प्रा.
10	कैमारा	राकैमारा.वि.प्रा.उ.
11	सखवारा(महानन्द का अड्डा)	रारमगढा.वि.मा.उ.
12	निधेराकलाबाबूसिहं का पुरा व करनसिहं) (का पुरा	रानिधेराकला व राजीव गांधी सेवा केन्द्र .वि.मा. निधेराकला
13	निधेराखुर्द	रानिधेराखुर्द.वि.मा.उ.
14	सहरौली डूबक्षेत्र	विध्यालय भवन
15	फूटा का नगला	विध्यालय भवन
16	सैमरा	विध्यालय भवन

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाइल नम्बर	वि.वि.
1	श्री ध्रुव चन्देला श्री प्रतीक डागुर	कसहायक0 पटवारी	6375963767 8696775464	प्रात बजे से 6.00 बजे तक 2.00
2	श्री रामनिवास सिहं श्री धर्मेन्द्र सिहं	वसहायक0 पटवारी	9252035245 8058233129	दोपहर बजे से 2.00 तक 10.00

3	श्री रानू गोयल श्री देशराज मीणा श्री राजवीर सिहं	पटवारी कलेखाकार0 सकर्मचारी0	8302064546 8426016765 7891812795	रात्रि से बजे 10.00 6.00प्रात
4	श्री नेत्रपालसिहं श्री कुलदीप परमार श्री अनुशमानसिहं श्री मनीष अवस्थी	ऑफिस कानूनगो भू.नि.अ. सअधिकारी0प्र0 पटवारी	9588083836 9694060611 7891812795 9549925942	रिजर्व

<u>संभावित बाढ नियंत्रण हेतु टैंट की सूची तहसील सैपऊ</u>

क्र.सं.	नाम ग्राम	टेन्ट मालिक का नाम	मोबाइल नम्बर
1	मढा	1.मोतीराम टैन्ट 2.भोले टैन्ट	9145994391 9928837232
2	हाजीपुर(हंसपुरा)	1.राजेन्द्र टैन्ट 2.शिवसिहं टैन्ट	9694863687 -
3	आरी(मढैया)	1.कुशवाह टैन्ट	-
4	सैपऊ तथा निचली,महादेव)बस्ती(	1.बंसल टैन्ट	9785801545
5	तसीमो(ढाय)	1.सुरेन्द्र परमार टैन्ट 2.अरविन्द परमार टैन्ट	9571499341 9875293628
6	मानपुर	शून्य	-
7	कुम्हेरी(जाटव बस्ती)	1.राकेशकुमार टैन्ट 2.हरीवावू टैन्ट	9462350019 9602276934
8	मालोनीखुर्द	1.भगवानसिह टैन्ट 2.श्रीभगवान टैन्ट	9587613656 9660714820
9	अजयपुरा	1.महाराजसिहं टैन्ट	-
10	कैमारा	1.महाराजसिहं टैन्ट	-
11	सखवारा(महानन्द का अड्डा)	1.अजमेर टैन्ट	9414693520
12	निधेराकलाबाबूसिहं का पुरा व) (करनसिहं का पुरा	1.महाराजसिहं टैन्ट	-
13	निधेराखुर्द	1.श्रीराम टैन्ट टैन्ट	7891919464
14	सहरौली डूबक्षेत्र	1.मुन्नालाल टैन्ट	9982321106
15	फूटा का नगला	1.मुन्नालाल टैन्ट	9982321106
16	सैमरा	1.रमाकांत टैन्ट	9694788451

संभावित बाढ नियंत्रण हेतु हलवाई की सूची तहसील सैपऊ

क्र.सं.	नाम ग्राम	हलवाई का नाम	मोबाइल नम्बर
1	मढा	1.सोरन कुशवाह	9636172700
2	हाजीपुर(हंसपुरा)	1.धवले कुशवाह	9649086254
3	आरी(मढैया)	1.रामभरोसी कुशवाह	7891631135
4	सैपऊ(तथा निचली बस्ती,महादेव)	1.कल्ला हलवाई 2.छन्नू हलवाई	8239857455
5	तसीमो(ढाय)	1.मानसिहं हलवाई 2.रामसिहं हलवाई 3.पप्पू हलवाई	8442099867 9785652571 9785272353
6	मानपुर	शून्य	
7	कुम्हेरी(जाटव बस्ती)	1.सुरेन्द्रसिहं परमार	9784249616
8	मालोनीखुर्द	1.रामकिशन 2.जन्डेल	9887595727 8769729748
9	अजयपुरा	शून्य	
10	कैमारा	शून्य	
11	सखवारा(महानन्द का अड्डा)	1.अजमेरसिहं 2.करूआ	- -
12	निधेराकलाबाबूसिहं का पुरा व) (करनसिहं का पुरा	शून्य	
13	निधेराखुर्द	1.टुण्डा हलवाई	8058470874
14	सहरौली डूबक्षेत्र	1.पीतमसिहं	9799019280
15	फूटा का नगला	1.पीतमसिहं	9799019280
16	सैमरा	1.कोकसिहं	9660834041

तहसील सरमथुरा :—

चम्बल नदी किनारे स्थित बाढ प्रभावित ग्राम एवं आश्रयस्थल एवं गोताखोरों की सूचना :—

क्र.सं.	नाम तहसील	नदी का नाम	प्रभावित मजरा/ग्राम का नाम	आश्रयस्थल का नाम
1	सरमथुरा	चम्बल	चन्द्रपुरा	रा.प्रा.विधालय सायपुर
2	सरमथुरा	चम्बल	भूरापुरा	अटल सेवा केन्द्र मदनपुर
3	सरमथुरा	चम्बल	बीचकापुरा	अटल सेवा केन्द्र मदनपुर
4	सरमथुरा	चम्बल	कालीतीर	रा.उ.मा.विधालय मदनपुर
5	सरमथुरा	चम्बल	मोतीसिहकापुरा	रा.उ.मा.विधालय मदनपुर
6	सरमथुरा	चम्बल	गुलावली	रा.उ.मा.विधालय मदनपुर
7	सरमथुरा	चम्बल	झिरी	अटल सेवा केन्द्र झिरी
8	सरमथुरा	चम्बल	शंकरपुर	बीजासन माता मन्दिर झिरी
9	सरमथुरा	चम्बल	भगतपुरा	अटल सेवा केन्द्र झिरी
10	सरमथुरा	चम्बल	हल्लूपुरा	अटल सेवा केन्द्र झिरी
11	सरमथुरा	चम्बल	रुँधकापुरा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिरी
12	सरमथुरा	चम्बल	पनावती	पुलिस चौकी झिरी

गोताखोरों की सूची

क्र.सं.	गोताखोर का नाम मय पिता का नाम	निवासी	मोबाइल नंबर
1	भीससेन पुत्र हरविलास	बीचकापुरा	7899947825
2	सुवरन पुत्र वासुदेव	बीचकापुरा	9587458319
3	रामवीर पुत्र ल्हौरे	बीचकापुरा	9669710765
4	मनोज पुत्र सिरमोहर	कालीतीर	8107416743
5	अजबसिंह पुत्र काशीराम	कालीतीर	8107416743
6	गौरी पुत्र बुद्धू	कालीतीर	8107416743
7	बन्टी पुत्र मनरूप	कालीतीर	8107416743
8	रामनिवास पुत्र भगवानलाल	भूराकापुरा	7627010329
9	प्रकाश पुत्र भगवानलाल	भूराकापुरा	7627010329
10	सिरनाम पुत्र हरिविलास	भूराकापुरा	8107416635
11	शेरा पुत्र मुन्ना	भूराकापुरा	9116161814
12	रमेश पुत्र हरनारायण	भूराकापुरा	9617114336
13	रामनिवास पुत्र हेताराम	खिल्लाडांडा	8290826375
14	रामदीन पुत्र रमेश	झिरी	6976574283
15	रन्जीत पुत्र मोहब्बत सिंह	शंकरपुर	6375381397
16	विक्की पुत्र हरीसिंह	शंकरपुर	8955729843
17	कल्लू पुत्र छोटे	भगतपुरा	6378778001

टैन्ट वालों की सूची

क्र.सं.	नाम मय पता	निवासी	मोबाइल नंबर
1	जीतू यादव करौली बस स्टैण्ड सरमथुरा	सरमथुरा	9680566635
2	दिनेश जादौन वड तिराहा सरमथुरा	सरमथुरा	9588812901

हवलाई की सूची

क्र.सं.	नाम मय पता	निवासी	मोबाइल नंबर
1	मुकेश शर्मा करौली बस स्टैण्ड सरमथुरा	सरमथुरा	9799057736
2	राजपाल जादौन शिव कॉलोनी सरमथुरा	सरमथुरा	9636433142

जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची मय मो.न.

धौलपुर जिले में स्थापित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम कार्यालयों के दूरभाष नम्बरों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एसटीडी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
1.	Dr. Amit Yadav Kamal Singh Yadav	Divisional Commissioner Bharatpur ADC Bharatpur	05644 05644	234891फै. 227977 234894	234892	9682321208 9996237788 9413044400
2.	Sreenidhi B T	Collector & District Magistrate	05642 IP - 28108	220254/ 220871	220202	9449725585
3.	Hariram Meena	ADM	05642 IP - 54003	221355	221325	9414334790
4.	Dr. Sadhna Sharma	SDO Dholpur	05642	220834	220886	9414445802
5.	Varsha Meena	SDO Rajakhera	05642	233649	233649	8285053671
6.	Bhagwat Sharan Tyagi	SDO Bari	05647	273801	273781	9414583463
7.	Sudha Rani Meena	SDO Baseri	05646	276741	276741	7240615787
8.	Bhagwat Sharan Tyagi (A.C.)	SDO Saipau	05642	266276	-	9414583463
9.	Sudha Rani Meena (A.C.)	SDO Sarmathura	-	-	-	7240615787
10.	Dr. Shadhna Sharma (A.C.)	ACEM	-	-	-	9414445802
11.	Dheerendra Singh (A.C.)	Addl. Director, Public services	-	-	-	9828930418
12.	Satish Bainsla Laxman Singh Parmar(A.C.) Satish Bainsla (A.C.) Mukesh sharma (A.C.) Rajkapoor Soni Laxman Singh Parmar (A.C.)	Treasury Officer Dholpur STO Baseri Acct. Officer Collectorate STO Bari STO Rajakhera STO Saipau ATO Dholpur	05642 05647	220894/ 220994 - 273313	- - - -	9530000844 9460114908 9530000844 8387996458 8003837017 9460114908
13.	Balbhadra Singh Prahalad Agrawal	Joint Director (SA)DOIT&C Programmer	05642 IP -28216	221044	-	9810507186 9335120846
14.	Kalyan Sahay Karaul Gajendra Babu Sharma	DSO EO EO Dholpur EO	05642	220814	-	9521754458 9413040209 9414472651

	Jagdish Sharma Lokesh Chand Dwivedi Jagram Meena	Manager Civil supply Manager FCI Dholpur				9660224725 9888878521
15.	Alka Srivastav	Sub Registrar	-	-	-	9079242005
16.	Alka Srivastav (A.C.)	TDR Dholpur	05642	220879	-	9079242005
17.	Deepti (A.C.)	TDR Rajakhera	05642	233012	233012	7891369029
18.	Nahar Singh (A.C.)	TDR Saipau	05642	266276	266276	9413593199
19.	Uttamchand Bansal (A.C.)	TDR Bari	05647	273505	273505	9414375875
20.	Brajesh Kumar Singh	TDR Baseri	05646	276107	276107	8114466539
21.	Ajay Singh Meena	TDR Sarmathura	05646	214109	214109	9414676750
22.	Devendra Tiwari (A.C.)	TDR Maniya	05642	-	-	9119049966
23.	Manoj Bhardwaj (A.C.)	TDR Basai Nawab	-	-	-	9414375763
24.	Deepti	TDR Land record	05642	220834	-	7891369029
25.	Raghuveer Singh	TDR Election	05642	220181	-	7878055721
26.	Devendra Tiwari	NTDR Maniya	-	-	-	9119049966
27.	Manoj Bhardwaj (A.C.)	NTDR Basai Nawab	-	-	-	9414375763
28.	Teekendra Singh	NTDR Rajakhera	05642	233012	-	9829606854
29.	Pradeep Rajauriya	NTDR Dholpur	05642	220879	-	9460109827
30.	Balveer Singh Rana	NTDR Kanchanpur	05642	-	-	9414375753
31.	Nahar Singh	NTDR Saipau	05642	266278	-	9413593199
32.	Uttamchand Bansal	NTDR Bari	05647	243505	-	9414375875
33.	Jitendra Goyal	NTDR Baseri	-	-	-	9571770818
34.		NTDR SDM office Sarmathura	-	-	-	
35.	Bharatlal Meena	NTDR SDM office Baseri	-	-	-	
36.	Kalicharan	NTDR SDM office Saipau	-	-	-	9460711241
37.		NTDR SDM office Bari	-	-	-	
38.	Rakesh Giri	NTDR SDM office Dholpur	-	-	-	7597152376
39.		NDTR SDM office Rajakhera	-	-	-	
40.	Hariom Chihar	NTDR MARAINA	-	-	-	9643149579
41.	Prayagraj Sharma	NTDR Kaulari	-	-	-	6350183911 9414879243

42.	Charan Singh	NTDR JARGA	-	-	-	8949531832
43.	Vineet Kumar	NTDR Nadanpur	-	-	-	9179054444
44.	Manish Verma Ajay Singh	DIO, NIC Dholpur ADIO, NIC Dholpur	05642	220007 224693	-	9530117309 8000941075
		Zila Parishad				
1.	AVHAD NIVRUTTI SOMNATH	CEO Zila Parishad	05642	220776	220876	9834976317
2.		ACEO Zila Parishad	05642	220815	220875	
3.	Naval Singh (A.C.) Manish Singh Tomar	BDO RAJAKHERA AEN	05642	233002 फै.	-	9549402225 8871573283
4.	Rajesh Kumar lawania (A.C.)	BDO DHOLPUR AEN	05642	220795	241046	9079763477
5.	Hemant Kumar Ghanghor (A.C.) Rambol Singh	BDO Bari AEN	05647	274397	-	9414401612
6.	Ramjilal Meena Deewan Singh	BDO Baseri	05646	276109	-	9799167214 9784322696
7.	Rambol Singh (A.C.) Dharmprakash Tyagi	BDO Saipau ABDO	-	-	-	9414282952 9672547375
8.	Girraj Singh (A.C.) Rajesh Sharma Surendra Meena	BDO Sarmathura AEN Asst. BDO	- *-	-	-	9660010997 8209780796 9928027711 6377392947
9.	Premchand Bairwa Ashvary Mudgal	Exen Narega Lokpal	05642	224114	-	9680301024 9875004050
10.	Lakhan Singh Meena(A.C.) Prabhakar Dhakre	SE Watershed SA	-	-	-	9414874328, 8118843947 9413593282 9664313217
11.	Ashok Kumar Varma Gopesh Meena Anoop Singh	Exen RD Exen Engg. AEN CD	-	-	-	9828820611 9414929170 7426005733
12.	Gaurav singhal (A.C.) Gaurav Singhal	Senior Account Officer PO (Accounts) AO Narega	-	-	-	7011160774 9971574901
		ICDS				
1.	Dheerendra Singh	Dy. Director	05642	220276	-	9828930418

	Mangilal Arya Anshika Parya Bhagwan Singh	Accountant ASO LDC				9414413473 8769713473 9588996609 9414879463 8619186705
2.	Bhupesh Garg (A.C.)	CDPO Dholpur	-	220249	-	9529021174
3.	Bhupesh Garg	CDPO Saipau	-	-	-	9529021174
4.	Arpit Srivastava	CDPO Bari	-	-	-	9413859600
5.	Ratnesh Yadav	CDPO Baseri	-	-	-	8928629767
6.	Arpit Srivastava (A.C.)	CSPO Sarmathura	-	-	-	9413859600
7.	Avinesh Kumar	CDPO Rajakhera	-	-	-	9667066967
8.	Jay Prakash (A.C.) Narendra Meena	AD Mahila Adhikarita UDC	-	223349	-	9610255385 8426859146
9.	Vimal Mudgal Nargis Bano	समन्वयक राष्ट्रीय पोषण अभियान जिला परियोजना सहायक पोषण अभियान	-	-	-	9414752828 9079606406
10.	Dharmendra	Cordinator Matra vandana yojana	-	-	-	8559920386
Police						
1.	Rahul Prakash .P.S.	I.G.P. Bharatpur	05644	222859	223339	9352490761
2.	Sumit Mehrada I.P.S.	S.P. Dholpur	05642	220267 F-221873	220588	9414344367 8764511201
3.	Ankur Kaushik	PA	05642	220267	-	8058964964
4.	Manoj Sharma R.P.S.	Addl. S.P. Dholpur	05642	221060	221139	8764511301 9829078087
5.	Kamal Kumar Jangid R.P.S.	Addl. S.P. ADF Dholpur	05642	221060	221139	9413674052 7851830543
6.	Hava Singh R.P.S.	Addl. SP SUICAW Dholpur	-	-	-	9929888666
7.	Munesh Meena R.P.S.	Dy. S.P. Dholpur	05642	223712	240004	8005613070
8.	Mahendra Singh R.P.S.	Dy. S.P. Bari	05647	273510	243352	9413407493
9.	Anoop Singh R.P.S.	Dy.S.P.Dholpur Rural (Saipau)	05642	266050	-	9413407493
10.	Rajesh Kumar Sharma R.P.S.	Dy. S.P. Maniya	05642	244555	244005	6375264119
11.	Narendra Meena R.P.S.	Dy.S.P. Sirmathura	05646	214107	203020	9414389088
12.	Rajendra R.P.S.	Dy. S.P. SC/ST Cell Dholpur	-	-	-	9414141484

13.	Munesh Meena R.P.S.	Dy. SP cyber Crime	-	-	-	8005613070
14.	Harinayaran Meen पु.नि.	S.H.O. Kotwali	05642	220626	-	9829366471
15.	Pramendra Rawat पु.नि.	S.H.O. Nihalganj	05642	221062	-	8058382757 8233978757
16.	Shaitan Singh उ.नि	S.H.O. Sadar	05642	240644	-	9414369938R
17.	Chhavi Faujadar उ.नि.	S.H.O. Mah. Thana	05642	220323	-	8890252425
18.	Veerendra Meena उ.नि.	S.H.O. Saipau	05642	266128	-	9414222606
19.	Anoop Singh उ.नि.	S.H.O. Kanchanpur	05647	244216	-	9929210031
20.	Harendra Singh उ.नि.	S.H.O. Kolari	05642	214430	-	9983576699
21.	Ramkishan Yadav पु.नि.	S.H.O. Rajakhera	05642	233007	-	8949484910
22.	Ramnaresh Meena उ.नि.	S.H.O. Maniya	05642	244008	-	9414406283
23.	Paramjeet Singh उ.नि.	S.H.O. Diholi	05642	2342177	-	9828107400
24.	Amit Sharma उ.नि.	I/c Ps. Bari	05647	274438	-	9782562019
25.	Vinod kumar उ.नि.	S.H.O. Sadar (Bari)	-	-	-	9571972151
26.	Gambheer Singh उ.नि.	S.H.O. Basaidang	-	-	-	9414861854
27.	Mahesh chand sharma उ.नि.	S.H.O. Sone ka Gurja	-	-	-	9772561206
28.	Krapal Singh उ.नि.	S.H.O. Sarmathura	05646	203228	-	8442001504
29.	Ghanshyam Singh पु.नि.	S.H.O. Nadanpur	-	-	-	8104923875
30.	Brajesh Kumar पु.नि.	S.H.O. Baseri	05646	276106	-	9414261287
31.	Santosh Sharma उ.नि.	S.H.O. Angai	-	-	-	9414485708
32.	Ashutosh Charan उ.नि.	I/C Traffic	-	-	-	8504801625 8890991325
33.	Mohan Singh स.उ.नि.	L O Police Line	-	-	-	9785652715
34.	Mahesh Chand उ.नि.	MTO	-	-	-	8005688628 9530411813
35.	Ajab Singh Head Conis.	I/C AHTU DLR	05642	220308	-	6376747275

36.	Umesh Sharma Head Conis.	I/C DSB	05642	220137	-	9772143366
37.	Bhagyshali Meena उ.नि.	I/C Wireless	05642	223001	-	9460556077
38.	Police Control Room	Police Control Room	05642	220697 / 100	-	9530411842 9530411843
39.	Sarika khandelwal R.P.S.	Asst. Comdt. 6Batt. RAC. DLR	05642	294810	294811	8619367193
40.	Suresh Sankhla R.P.S.	Deputy Comdt. 6th BN RAC	-	-	-	9828745995
41.	Surendra Singh R.P.S.	Dy. S.P. ACB DLR	05642	220706	-	9983811110
42.	Bhanu Sharma R.H.S.	COMDT. HOME GA. DLR	05642	222015	-	9860773382
43.	Ramraj Head Consi.	Incharge Abhay Command	-	-	-	9079307485
44.	Narendra Singh ASI	I/C cyber cell DLR	-	-	-	9414886582 7014189619
45.	Surendra Chaudhari ASI	I/C DST	-	-	-	8058952687 9024384216
46.	Deendayal Sharma ASI	DST TEAM DLR	-	-	-	7014187928 9602949809
47.	Ishwar dayal Head consi.	2nd DST TEAM DLR	-	-	-	9166527486
48.	Makhan Singh Head consi.	3rd DST TEAM DLR	-	-	-	9462560537
49.	Dinesh Chand Joshi उ.नि.	GRP thana Bharatpur	05644	238315	-	9414709383
50.	Rajeev	C.I. RPF Incharge				8755101393
51.	Jitendra	H.C. GRP Incharge				7737655966
Intelligence						
1.	Saurabh Agrawal Manish Meena	Incharge Central Intelligence Incharge II Central Intelligence	05642	220408	-	7985240249 9582841095
2.	Suresh Babu	Incharge State Intelligence	05642	223363	-	7014612199
Transport						
1.	Gaurav Yadav	DTO	05642	240028	221323	9950094872
Medical						
	Dr. Dharm Singh Meena Dr. Chetram Meena Dr. Gaurav	CM&HO Dholpur Dy. CM&HO Dholpur Add. CM&HO Dholpur	05642	220733	220893	9414459342 9414315222 8005870718

	Meena					
	Dr. Vijay Singh Dr. Hari Kishan Mangal Dr. Narendra Mudgal Dr. Shivkumar Sharma Dr. Govind Meena Dr. P.K. Dhakad	PMO Dholpur PMO Bari PMO Rajakhera RCHO Incharge District TB Clinic	05642	221180	220738	9460741001 9664115175 7976160280 8302670387 8058706934 9784467749
	Dr. Hariom Dr. Gabbar Singh Meena Dr. Manjusha Bansal Dr. Ramnerash	BCMO Dholpur BCMO Bari BCMO Baseri BCMO Rajakhera	-	-	-	8079062988 9001587374 7357887792 8619147893 7740911312
	Dr. Raghvendra Gupta	हड्डी रोग विशेषज्ञ	-	-	-	7665841810
	Pankaj Sukla	PCPNDT	-	-	-	9929699555
	Chetanya Panwar Anubhav sharma	Asst. Drug Controller Bharatpur Drug Inspector	-	-	-	9950159190 7014318518
	Dr. Radheshyam Garg Sri Sanjeev Shrivastav	Secretary Redcross society	-	-	-	9414026821 7014152066
	Shashank Vasisth	DPM	-	-	-	8114499551
	Priyanka Tripathi	Urban Program Manager	-	-	-	9636530644
	Padam Singh Parmar	Food Inspector	-	-	-	7340171927
	Lokendra	Exen NHM Bharatpur	-	-	-	8000725512
	Dr. Deepak kumar dube	Principal Medical College Dholpur	-	-	-	`
	Neelam Kumari	Principal Govt. Nursing College Dholpur	-	-	-	8058143928 9024920367
Ayurved						
1.	Dr. Manoj Kumar Sharma (A.C.)	Deputy Director Ayurved	05642	223019	-	9785824949 9414710189
2.	Dr. Pragyadeep Varma	PMO Ayurvedic Hospital	-	-	-	9413290020
3.	Dr. Manoj	Nodal Officer Homeopathy	-	-	-	7733893357

PWD						
1.	D.R.Kshatriya	SE PWD TA	05642	222579	224146	9414185882
2.	Saurabh Sharma(A.C.) Ajay kumar Meena Ayush Garg Arjun Chausariya	Exen PWD Dholpur Jen PWD I Dholpur Jen PWD II Dholpur Jen PWD II Dholpur	05642	220695	220895	9756592492 7014786552 9571326964 9588036585 9159645452
3.	Saurabh Sharma(A.C.)	Exen PWD Bari	05647	274684	274282	9756592492
4.	Saurabh Sharma	Exen PWD Rajakhera	05642	-	-	9756592492
5.		Exen PWD (Quality control) AEN	-	-	-	
RSRDC						
1.	Santosh Kumar	Project Director	-	-	-	9887332327
	Komal Singh	AEN	-	-	-	9571604763
2.	Gopal Bairwa	JEN	-	-	-	6375407370
Irrigation						
1.	Suresh Chand Meena Rajeev Agrawal	SE Irrigation TA to SE	05642	220880	-	6376302275 9660453407
2.	Rajkumar Singhal Ansul Mittal Papendra Meena Vivek kumar bansal Poran Mangal Dinesh pal parmar	Exen Irrigation 1 TA & AEN AEN Sub Division Dholpur AEN Sub Division Bari AEN Sub Division Baseri AEN Sub Division Saipau	05642	220880	224676	9529395199 9649104762 7742931616 9414585137
3.	Manoj kumar kushwah	Exen Irrigation 2	-	-	-	9887148644 7340014280
4.	Bijje Lal Sharma	Exen Lift division	-	-	-	9413310812
PHED						
1.	Rajkiran Yadav Lal Singh Meena	SE PHED Exen & TA	05642	223075	-	7877383912 9462704570
2.	Asharam Meena Madhu Gupta	Exen PHED Dholpur TA to EE	05642	220728	220805	9413380388 9166992504
3.	Pratap Singh Kushwah AMAN Meena Krishan kantma	AEN City JEN City AEN Dholpur Rural JEN Saipau	-	-	-	9782697540 8209514148 9950844331

4.	Deshraj Gurjar	Exen PHED Bari	05647	-	-	9799130327
Atal Bhoojal/GWD						
1.	Niranjan Mathur Manish Kumar	Senior Scientist GWD Alwar Exen Ground water Alwar	0144	2370005	-	9414850002 7689013648
2.	Yogesh Manat	Incharge Hydrogelogist GWD Dholpur	-	-	-	9549825077
3.	Yogesh Manat	Nodal Officer Atal Bhoojal	05642	299304	-	9549825077
4.	Ram Kishor Goswami	Agriculture Specialist	-	-	-	8739997201
5.	Kalyan Singh	I.E.C.q Specialist	-	-	-	9571560808
JVVNL						
1.	Rajesh Kumar Verma	SE JVVNL	05642	220024 220010 फै.	220010	9414022087
2.	Vivek chand Sharma	Exen Dholpur	-	-	-	9413390689 7976131183
3.	Rajat Jain	AEN Dholpur	-	-	-	9413390702 9166365397
4.	Anuraj Mittal	AEN Rural	-	-	-	9413390703 9634846218
5.	Mayank Mishra	AEN Rajakhera	-	-	-	9413390705 8003591916
6.	G.P.Meena	Exen Bari	-	-	-	9414022745 8112279497
7.	Ram Das Meena	AEN Bari	-	-	-	9413390704 8502061678
8.	Bhagwan Sahai Meena	AEN Baseri	-	-	-	9414040117 9783320796
9.	Pravendra Singh	AEN Sarmathura	-	-	-	9413384260 9414583871
10.	Pushvendra Kumar	AEN Saipau	-	-	-	8094628000 9413384438
11.	N.C.Bhandari	Exen RDSS (DDUGJY)	-	-	-	9414071805 7357112963
12.	Suman Chauhan	AEN HTM Dholpur	-	-	-	9414022749 9462829988
13.	Nagendra Kumar	AEN HTM Bari	-	-	-	9413389089 7737129008
14.	Makhan lal Meena	Exen Vig. Dholpur	-	-	-	9414014695 8302106059
15.	Prem Kumar Sandaliya	AEN ACOS	-	-	-	9414019886 7073565599
16.	R.K. Meena	SE RVPNL Hindon	-	-	-	9414061090
17.	Smt. Sandhya Chauhan	Exen 220 KV sub station	-	220676	-	9413393782
Chambal Bharatpur Dholpur Project Dholpur						

1.	Ramendra kumar	Exen Project	05642	223308	-	7976155396
2.	Suresh Sharma	AEN	-	-	-	8094004245
3.	Hukam Chand varma	ACE PHED Alwar	0144	2700336	-	9413613480
Education						
1.	Dr. Girraj Singh Meena	Principal PG College Dholpur	05642	-	-	9414222246
2.	Chandrashekar Dixit Sailendra Dr. Laxmi gupta Dr. Manoj Kumar Singh Guman Singh Meena Dr. Amjad Fatmi Dr. Anuj Kumar Dr. Mamta varma Dr. K. L. Meena Dr. Purusottam Singh Dr. Rachna Mehta Dr. Anuj Kumar Hailendra Nath Hardeniya Dr. Juned Akhtar Vedprakash yadav	Principal Law College Dholpur JA, Law College Principal Girls College Dholpur Principal Govt. College Bari Principal Girls College Bari Principal Govt. College Baseri Principal Govt. College Rajakhera Principal Govt.College Saipau Principal G.College Sarmathu Principal G.Col. Basai Nawab Principal G. Col. Maraina Principal G. Col. Mania Principal Polytechnic College Dean, Agriculture college khemari Agriculture College Baseri	-	-	-	9887607575 8385011729 9413994046 7014186400 7891676734 9414222237 8955673030 7014364968 9462351822 9413263687 9413504400 9425113529 7014364968 9887698269 9414467446 9461138719
3.	Mahesh Kumar Mangal (A.C.) Ashok Upadhyay	CDEO	05642	220796	2206385	9460455085 9414585143
4.	Sukkho Devi Rawat	DEO Secondary	-	-	-	9414945569 9664382078
5.	Rajesh Sharma	DEO Elemantry	05642	221156	220442	9414991315
6.	Jitendra SIngh Jadaun	ADPC SMSA	05642	223924	222866	9413414367
7.	Mahesh Kumar Mangal	Principal DIET Maniya	-	-	-	9460455085
8.	Mahesh kumar sharma Naresh Jain	CBEO Dholpur ADEO	-	-	-	9414710545 9460879206
9.	Kalyan Singh	CBEO Bari	-	-	-	9166323189

	Meena					
10.	Rajendra Meena	CBEO Baseri	-	-	-	6378221535
11.	Charan Singh	CBEO Rajakhera	-	-	-	9460455187
12.	Rajesh sharma	CBEO Saipau	-	-	-	9414991315
13.		CBEO Sarmathura	-	-	-	
14.	Veeri Singh	Shaksharta Adhikari	05642	220874	-	7014608501 9414583642
15.	Dr. B. L. Gupta	Principal Engineering College Dholpur	-	-	-	9414810114
16.	Smt. Archana Singh Bhawani Singh Mukesh Kardan	Principal Navoday School Vice Principal OS	05642	220186 223748	220186	9413972070 9588893594 9760664940 6397762201
17.	Lt. Con. Amit Sharma Major Lithin K. B.S.Parmar	Principal Militry School Administrator PA	05642	220749 221709	220741	9413310842 9413310843 9460924131
18.	Nem Singh Manmath Kumar Sharma Yogesh Meena Anil Kumar Pooniy Vipul Mathur	Principal KV Bharatpur Principal KV Dholpur Ex. Principal KV Dholpur PGT KV Dholpur PGT KV Dholpur	05642	220077	-	9414090971 9782580920 8209380401 8257902027 8949843400
19.	Kamlesh meena Nilima Singh Mahaveer	Principal ITI Dholpur Principal ITI Saipau AAO	05642	220003	-	9462294469 8979296824 9413243045
20.	Ashok Jadaun (A.C.)	Supdt. ITI Saipau b	-	-	-	9425129689
21.	Ashok Jadaun (A.C.)	Supdt. ITI Bari	-	-	-	9425129689
22.	Pankaj Vashisth	Principal Pt. Umadutt School	-	-	-	8696947404
23.	Vijay (A.C.)	Superitendent Library Dholpur	-	-	-	8005543471
Forest						
1.	P. Kathirvel	CCF Bharatpur	05644	226017 227518	-	9489156574
2.	V. Chetan Kumar	DFO	05642	220769	220807	9910059741
3.	Arun So ni	Ranger G-1 Dholpur				7568995119
4.	Nakul Kumar Sharma (G 2) Devendra Singh (G 2) Chauthmal Dhobi	Ranger Van vihar, Bari, Ranger Sarmathura Ranger Rajakhera				9313305290 9828242618 9461019271

	(G 2)					
5.	Vinod Jakhad (ranger) Ranveer Singh (Ast. Vanpal)	Voting incharge				7742057973 6350204626
6.	Anoop K. R. Ashish Vyas Vinod Jakhad (ranger) Devendra Chauhan (ranger G 2)	CCF Wild life SWM DFO NCS Dholpur ACF wild life Dholpur Ranger wild life Dholpur				9414023366 9571367151 7742057973 8426886040
7.	Sumit Bansal	DFO Karauli				9887330137
8.		CCF Wild life Kota				
BSNL						
1.	Mr. Manish Kumar	DGM BSNL Bharatpur	05644	221000 231000 224444 QS	232000	9416026160
2.	Hemant Shrivastav	AGM BSNL Dholpur SDO BSNL JTO	05642	224522	-	9414006319
3.	Deepak	JTO, BSNL बाडी	-	-	-	9413394483
4.	Yadav	SDO शहर बी.एस.एन.एल. (ब्रोडबैंड)	-	-	-	9413394945
5.	Mahendra Singh		-	-	-	9530399476
6.	Vasdev	Lineman	-	-	-	7891538366
7.	Complaint No.		-	-	-	1500, 198
Nagar Parishad/Nagar Palika						
1.	Ashok Kumar Sharma Guman Singh Saini Brasbhan Prakash Shrivastav Padam Ninnuram Rajat Jain Sachin	Comm. Nagar Parishad ExEn Nagar Parishad Assistant Town Planner AFO Fire brigade सफाई निरीक्षक AEN Mrat janwar prabhari Revenue Inspector ATP	05642	220888	220848	9257290533 8890359427 8955271444 9462352261 7976289914 9664393942 7597787608 7405059901
2.	Teekendra Singh (A.C.) Dayal	EO NP Rajakhera JEN Nagar Parishad	05642	233202	-	9829606854 9785195641
3.	Shyam Bihari (A.C.)	EO NP Bari Computer Operator	05647	273532	-	9352920939 7014233811

	Sumit					
4.	Deepak Goyal (A.C.)	EO NP Sarmathura	-	-	-	9460292850
5.	Shyam Bihari (A.C.)	EO NP Baseri	-	-	-	9352920939
6.	MohanLal Meena	Deputy Town planner Bharatpur	05644	228346	-	9460618647
7.	Ashok Mishra Naveen Bhardwaj	Indira Rasoi Dholpur State Nodal Officer Indira Rasoi	-	-	-	9460292538 9413250135
Agriculture						
1.	Dr. Dharmpal Singh	Joint Director	05642	240826	241321	9414693845
2.	Dr. Tanoj Chaudhary	Deputy Director Horticulture	05642	240826	-	9461608926
3.	Prabhu Dayal Sharma Bablu Kumar Tyagi	AD Agriculture HQ DD Agriculture	-	-	-	9784803311 9982031310
4.	Sardarmal Yadav	DD ATMA	-	-	-	9784263972
5.	Dr. Tanoj Chaudhary (A.C.)	DD CEC Khemari	-	-	-	9461608926
6.	Deshraj Singh	AD Agriculture Bharatpur				9414023137
RUIDP						
1.	Mahendra Prasad Varma	Exen RUIDP Sawai Madhopur	07465	297122		9413343801
Animal Husbandry						
1.	Dr. Nagesh Chaudhari	Additional Director Bharatpur	05644	261200	-	9460291778
2.	Dr. Sant Singh	Joint Director	05642	220897	221365	9680758800
3.	Dr. Ramavtar Singhal	Deputy Director	-	-	-	7023024821 9828173682
4.	Brajesh Shyam Singh	मत्स्य विकास अधिकारी, भरतपुर Fisharman Bari	05644	224572	-	8890485252 8890485252
Social Justice & Empowerment Dept. (SJED)						
1.	Devendra Singh Maniram Sharma Arushi Gupta	परीवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी धौलपुर, सैपउ, बाड़ी, बसेडी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजाखेड़ा	05642	240878	-	9462777087 9784770685 7500613552
2.	Devendra Singh (A.C.)	सहायक निदेशक, बाल कल्याण	-	-	-	9462777087
3.	Madhu Sharma	अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति धौलपुर	-	-	-	7972915409

	Majid Sharifi Sonpal Singh Kavita Sharma	Member Member Member				7014503450 8209691616 7689996774
4.	Sadhna Sharma Rakesh kumar parmar	Member Juvenile Justice Board Member				9460269280 9784016835
5.	Devendra Singh (A.C.)	अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर तथा अधीक्षक राजकीय शिशु गृह				9462777087
6.	Sarnam Singh Rajani Jain Rakesh Tiwari Narendra Kumar	जिला समन्वयक चाइल्ड लाईन एवं रेल्वे चाइल्ड लाइन धौलपुर संचालक प्रयत्न संस्था एडवोकेसी ऑफिसर, प्रयत्न संस्था जनसाहस संस्था				9549772163 8432206839 9351830321 9887136771 8003954037
Cooperative						
1.	Satendra Singh Meena Gagan Pandey	Deputy Registrar Special Auditor	05642	220801	-	9982114122
2.	Kuldeep Jain	AAO	-	-	-	9057267934
Industries/RIICO/RFC						
1.	Mitul Goyal Atul Kumar Sharma	GM DIC IEO	05642	220866	220766	9828093387 9791169540
2.	MC Bairwa	Manager RFC Bharatpur	05642	220892	-	9887239194
3.	Pintesh Kumar Meena	ARM Riico Dholpur	05642	240809	-	9414015807
4.	Deepak Meena Rajpal	संभाग अधिकारी खादी भरतपुर Khadi bhandar Dholpur	-	-	-	9829495619 9351760502
5.	Ram Tripathi	LMO				6375132273
Sales Tax						
1.	Vedprakash Meena	CTO Dholpur	05642	220633	-	9414334758
2.	Bharat Lal Meena	JCTO Dholpur	-	-	-	9413052266
3.	Madan Mohan Meena	JCTO Bari	-	-	-	9602196717
Roadways						
1.	Jagjeet Singh Suresh Singh	Chief Manager Roadway Manager (Admin.)	05642	241578	241824	9549653211 9784788823
Mines						
1.	श्री	SE Mines Bharatpur	05644	222421	-	
2.		SME Bharatpur				

3.		SME Kota				
4.	Pushpendra Meena Surendra	ME PA	05642	220762	220862	9414490188 9414307500
5.	श्री	AME	-	-	-	
6.	Pushpendra Meena (A.C.)	AME Vigilance	-	-	-	9414490188
VIVIDH DLOs						
1.	Devendra Singh	PM RSCDC Dholpur	05642	221310	-	9462777087
2.	Bhupesh Garg (A.C.) Jitendra Visvkarma Gopal Singh Baghel	DPM RGAVP (RRLP) Manager Dholpur Finance Manager	05642	220450	-	9529021174 8085686929 8209481993
3.	Rakesh Garg	Retd. Account Officer	-	-	-	8094736111
4.	Mangesh Kumar R.P. Varma	LDM District Manager RSETHI	05642	220872	220240	9501710721 9414712767
5.	Bharat Rao Manoj Singhal	CPO SO	05642	220319	-	7877277900 9460269106
6.	Rajesh Kumar Manoj Kumar Gurjar	AD Statistics ASO	05642	220737	-	8003441330 9314180630
7.	R.K. Meena Ghanshyam Das Gupta Bijendra Singh Sengar Banwari Tyagi	Supdt. Post Office A. Supdt. Post Office Senior Manager IPP Bank Incharge Head Post Office	05642 05642	220154 220158	-	9667806554 7597139638 8126081200 9414584593
8.	Rajkumar Meena Rohit Mittal Praveen Avasthi	PRO APRO DPC CM&HO office	05642	220760 222409 221590	-	9887363062 7023420730 9414274437
9.	Haseena Bano (A.C.) Vimal Pratap Sanjeev Gupta	Labour Officer Labour Inspector IA	05642	294587 224095	-	7742361212 7374838111 6263027951
10.	Ghanshyam Sharma Neeraj Sharma	District Excise Officer CI Dholpur	05642	220763	-	9413948052 9166176315 9509339528 6350171823
11.	Mahesh Chand Meena	NCB Ajmer				9833656268
12.	Rakhi Sharma Mahendra Pratap Singh	District Minority welfare officer Program Manager SA	05642	220421	-	9462768734 8879037314 9982992111

	Deviram					
13.	Vinay Gupta Sohan Chaudhary Mahaveer Singh	Supdt. ASI Jaipur Supdt. Arceology Bharatpur Smarak Paricharak	011 05644	- 228185	-	8750272690 9414455543 9982704498
14.	Sanjay Johri Vishal Mathur Sadanand Tiwari	Deputy Director Turism Ad. Deputy Director Turism LDC	05644	222542 224004QS	-	9829224354 9636742939 9314197203
15.	Hemant Pateriya Shakti Singh Shekhawat Rajesh Boyal	OSD - Principal incharge SIHM Dholpur	-	-	-	9928746162 8209282091 9413327205 9414346915 8233125000
16.	Karnel Rajendra Singh Pranav Mukharji	Sainik Welfare officer	05644	223707	-	9422327411 7014495879 7597696846
17.	Mukesh Kumar Meena	As. Comm. Devsthan Bharatpur	05644	228405T-F	260070	8104577800
18.	Sunil Arya	DIG Registration Bharatpur	05644	222297	-	9521576930
19.	Ajit Singh	AD SIPF Dholpur	05642	220824	-	8328247967
20.	Suman Meena Pooran chand sharma	Supdt. Jail Jailer Jail Dholpur	05642	220662	221508	9887009836 9351856768
21.	Ashok Kumar Amrit Lal Kailash Sharma Kamlesh Chand Sharma	Sports officer LDC, कार्या0 खेल अधिकारी, धौलपुर कोच (खो.खो) खेल विभाग धौलपुर कोच (आरचरी) खेल विभाग धौलपुर	-	-	-	9610305858 9602448752 9460070200 9414443569
22.	Brajmohan Sharma	Manager Circuit House	05642	220692	220692	9461072310
23.	Manoj Kr. Parmar Gajraj Singh Rana Indrabhan	District Cordinator SBM Nirmal Bharat Abhiyan LDC	-	-	-	8233126942 8209491709 8058758525 9784760976
24.	 Surendra Singh	District Skill Cordinator RSLDC Dist. Cordinator Sankalp Project	-	-	-	 8005521131
25.	Pinki Giri	Dist. Youth officer Nehru Yuva Kendra	05642	220743	-	9870696183
26.	Vikas	District Employment Officer	05642	220804	-	8058809669
27.	Dr. Nawab Singh Udaibhan	Senior Scientist & Chairman KVK Dholpur Agriculture College Dholpur	05642	240457	-	9414544054 8209792848
28.	Kedar Singh	Manager FCI	05642	220643	-	9414973906

	Meena					
29.	Rameshwar Chaudhary Rameshwar Chaudhary Lal Singh	Exen Housing Board,ccb 2.ए1 एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर AEN Housing Board Dholpur LDC	05644	223672 228502	225150	9982634555 9982634555 8003563683
30.	Kailash chand Meena	Secretary Mandi samiti Dholpur	05642	240682	-	9414654848
31.	Tarachand Mehra	Secretary PLDB Dholpur	05642	240169	-	9414201743
32.	Rohit Singh	MD CCB Bank Bharatpur	05644	222766 222889	-	
33.	Sanwarmal Yadav	Manager Rajasthan warehouse Dholpur	05642	220604	-	9413385766
34.		निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग जयपुर	0141	2173733 2793254 2790194	 Fax	
35.		निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग जोधपुर dte_raj@yahoo.com	0291	2434395 2430398	 Faxl	
36.		चीफ पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर उप मण्डल प्रबन्ध जयपुर सहायक मण्डल, जयपुर	0141 0141 0141	2372020 2366151 2379212 2372505 2375105	 Faxl Faxl	
37.	Vivek Goel Narendra Rajawat	RO, State Pollution Control Board भरतपुर JEN	05644	228114	-	9530345500 9315665199
38.	Vishal Gupta	रीजनल.................. (म.प्र.)	-	-	-	07748822990
39.	Gaurav Luniwal Dinesh Dinkar Sanjeev Narayan	Deputy Chief Engineer (Con.) Railway Agra Exen Railway Dholpur Senior SE Railway Dholpur	-	-	-	9001038212 9794835258 9794835298 9794866565
40.	Anil Kalra	DRM Kota	0744	2467000	-	9001017000
41.	B.K. Singh	IOW ग्वालियर (रेलवे)	-	-	-	09752448252
42.	Khare	अधिशाषी अभियन्ता, रेलवे, ग्वालियर	-	-	-	09794866294
43.	Pankaj Kumar	उप मुख्य अभियन्ता, रेलवे, ग्वालियर	-	-	-	09752448242
44.	Rundhan Singh Meena	उप नगर नियोजक, भरतपुर	-	-	-	9784316292
45.	O.P. Pareek	सीनियर टाउन प्लानर जोन, जयपुर	-	-	-	09829091019
46.	Vinod Sharma	उपायुक्त, वाणिज्यक कर विभाग भरतपुर	-	-	-	09928366662
47.	Captain Deshpal Singh	पायलेट *(Ops II B)* *HQ WAC, Subroto Park, New Delhi Pin : 110010*	011	25687194 25694223 QS	-	9868944888

	Captain J.S. Sandhu Captain S. Chopra	*Ops II B I* *Ops II B II*				9599052162 9654491959
48.	S.S. Meena Rakesh Kharra R.K. Verma Trilok Singhal Shama Sunil Dhakar	Director, Thermal Power Chief Engineer Thermal SE Thermal Power (RVUNL) ExEn (फायर) थर्मल पावर धौलपुर ExEn थर्मल पावर, ExEn थर्मल पॉवर (रेस्ट हाउस) JEN थर्मल पॉवर JEN (फायर) थर्मल पॉवर	-	-	-	9413385973 9413342314 9413384564 9413340041 9413342415 9413342343
49.	Santram Meena Shakti Singh Meena Pooran	अधीक्षक गार्डन अलवर माली केयरटेकर कलैक्ट्रेट गार्डन	-	-	-	9351373670 9001887822 8058132840
50.	Avdesh Kumar	जे0डी0 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग भरतपुर	05644	224075	-	9414025791
51.	Sudhanshu kr Gurjar Krishna Pandey	MD, RCDF (DAIRY) Ro Dairy Bharatpur	05644	221424	-	8112282824 8889469818
52.	Seema Rijvi Seema Rijvi (A.C.) Rohitash singh kushwah Jaipal Singh Jadaun Devendra Parmar	CO Scout CO Guide District organizer Hindustan Scourt & Guide Raj. Dholpur Incharge NCC District Cordinator NSS	-	-	-	8690101844 7023333267 8058864528 8875723916 9461512623
53.	Jagdish Mathuriya	Settl. Officer /RAA Bharatpur	05644	222684	224648	8107115225
54.	Vipin Kr. Singh	ExEn, केन्द्रीय जल आयोग निचली यमुना मण्डल 404.409, सैक्टर 12.सी, आवास विकास कॉलोनी आगरा	0562	2604424 2602268 TF	-	eelyd-cwc@nic.in
55.	Subodh Gupta	Manjari Foundation	-	-	-	9461201098
56.	Pande Ji	सूबेदार, आर्मी इन्टेलीजेन्स भरतपुर	-	-	-	7082953272
57.	K.K. Gupta	Pr. Maharani College धौलपुर	-	-	-	9414282791
58.	Rakesh Sharma, Narendra Sharma	Factory Manager RECL Dy. Manager RECL	-	-	-	9414025366 9414025818
59.	Ramveer Meena	Station Master रेल्वे स्टेशन धौलपुर	-	-	-	8890474200
60.	Santosh Saxena	Manager LIC धौलपुर	-	-	-	9462802058
61.	Prakash Shankar	जिला प्रबन्धक, भरतपुर, धौलपुर	prakashshankar@bharatpetroleum.in			8877009134

62.	A.K. Sharma	DGM, रेलवे आगरा	-			08218398402
63.	Lala Sengar	DJ Motors धौलपुर	-			9414238429
64.	Govind Sharma ji	उदघोषक	-			9414583528
65.	Rajesh kumar meena	District Development manager Nabard bharatpur				9828717101
66.	Soyeb Hasan Khan	AAG NGT Bhopal				8989499211
67.	Major N.P.Singh	Army regiment alwar (Disaster management)	Year 2024			8730810256
एन.एच.ए.आई.						
1.	Umakant Meena	PD, NHAI., सी.116, गोविन्दपुरी विश्वविद्यालय मार्ग ग्वालियर	0751	2231485 2233116फै. 2231485	-	8882642237
2.	Surendra	PD, NH-11B दौसा Technical Eng.	01427	224918	-	9785188322
3.	Nakul Agarwal	CPM, पाथवे धौलपुर	-	-	-	8823004440
4.	Arvind Kumar Singh	Consultant NHAI Gwalior	-	-	-	9452631006
Border District DM Office Contact						
1.	Sri Navneet Singh Chahal	DM Agra (2011 batch)	0562	2260184	2466210	9837503629
2.	Sri Alok Ranjan	DM Bharatpur	05644	223355	-	9414676635
3.	Sri Ankit Asthana	DM Morena	07532	223500	-	6263806243

Border District DM Office Contact NO.						
1.	Shri Arvind Mallappa Bangari	DM Agra (2011 batch)	0562	2260184	2466210 2258400	9454417509
2.	Sri Lok Bandhu	DM Bharatpur	05644	223086	223355	9582433213
3.	Sri Ankit Asthana	DM Morena (2014 batch)	07532	223500	-	9424455005
4.	Sri Selende Singh chauhan	SP Morena	-	-	(H)	07049100448 08462056174
5.	Sri Akshay Kumar Singh	DM Gwalior (batch)	0751	2446200	-	8058457689